राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] तेरहवीं विधान सभा के छठे सत्र का तीसरा दिवस [संख्या : 2

गुरुवार,

17 फरवरी, 2011

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न।

मरुस्थलीय क्षेत्र में पशुधन के विकास एवं संवर्द्धन हेतु गोचर भूमि का आरक्षण

1. **श्री छोटू सिंह भाटी** (जैसलमेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जैसलमेर, बाड़मेर व बीकानेर में घटते पशुधन की समस्या के निवारण हेतु क्या सरकार विभिन्न गांवों में अतिरिक्त ओरण व गोचर भूमि आरक्षित करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस तरह व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर में ओरण व गोचर भूमि है? यदि हां, तो कहां-कहां? ग्रामवार आरक्षित ओरण व गोचर भूमि की सूची सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): (1) जी नहीं। राज्य सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां। जैसलमेर जिले की राजस्व तहसील जैसलमेर, पोकरण एवं फतेहगढ़ एवं उपनिवेशन तहसील नाचना 1-2, रामगढ़ 1-2, मोहनगढ़ 1-2, जैसलमेर में ओरण व गोचर भूमि का तहसील एवं ग्रामवार दर्ज/आरक्षित ओरण व गोचर भूमि का विवरण परिशिष्ट 'अ' संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन आपके माध्यम से मंत्री महोदय से है कि पशुधन के बारे में आपके क्या मापदण्ड हैं? प्रत्येक पशु को गोचर भूमि कितनी मिलनी चाहिये?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक पशु के लिये आधा बीघा भूमि आरक्षित किये जाने का प्रावधान है।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आधा बीघा पशुधन के लिये जमीन आरक्षित होनी चाहिये जबकि आपकी सूची और आपकी सूचना के हिसाब से कई गांव ऐसे हैं जिनमें केवल जीरो परसेण्ट है, वह पशुधन कहां जाएगा?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, चरागाह के रूप में भूमि आरक्षित करने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के नियम 4 व 6 में प्रावधान हैं। उक्त प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत से विचार-विमर्श के उपरान्त तहसीलदार के प्रस्ताव पर सम्बन्धित उप खण्ड अधिकारी द्वारा चरागाह के रूप में भूमि आरक्षित करने का प्रावधान है इसलिये अगर कोई ग्राम पंचायत प्रस्ताव देगी तो तहसीलदार उसके ऊपर रिपोर्ट एस डी ओ को देगा और एस डी ओ उसको आरक्षित करेगा। इस प्रावधान के तहत अगर किसी भी पंचायत ने आवेदन किया है, भूमि गोचर के लिये आरक्षित करने का ऐसा कोई मामला है तो आप मुझे बता दें, उस पर तत्काल कार्यवाही...

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आधा बीघा आरक्षित की है और प्रशासन गांवों की ओर अभियान चला, अमूमन प्रशासन गांवों की ओर मीटिंग्स में मैं गया, हर ग्राम पंचायत में गांव वालों की तरफ से प्रस्ताव आया। वह प्रस्ताव माननीय तहसीलदार साहब, कलक्टर साहब को सभी गांवों ने भेजा लेकिन उसकी कार्यवाही बिलकुल नहीं हुई। आज गांवों की हालत ऐसी है कि पशुधन के विचरण करने के लिये किसी प्रकार की कोई जमीन नहीं है जबकि जैसलमेर की जनता की आजीविका का धंधा, आजीविका का साधन केवल पशुपालन है। आज स्थिति यह है जैसलमेर की कि नहर आ गयी, नहर में अनकमांड जमीन जितनी थी, उसकी किस्म चेंज करके जमीन नीलाम कर दी गयी। दूसरे, कई कम्पनीज आ गयीं, सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण कई फायरिंग रेंज बन गये और डी एन पी एरिया आ गया। उसके अलावा जो प्राकृतिक बहुमूल्य क्षेत्र सेवण घास का था और गोचर भूमि का

(श्री छोटू सिंह भाटी)

लम्बा-चौड़ा एरिया था, उसमें पवन ऊर्जा के पंखे आ गये। अब गांव वालों के पास यह समस्या हो गयी है कि हमारे पशुओं को विचरण करने के लिये कहां भेजें? कहां जाएं? मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कि आपकी संख्या में गांवों में, एक नहीं कई गांवों में, गोचर भूमि केवल जीरो-जीरो बतायी हुई है, वे पशु कहां विचरण करने के लिये जाएंगे? गांवों की तरफ से, पंचायत की तरफ से कई प्रस्ताव कलेक्टेरेट में आये हुए हैं। प्रशासन ने आप तक नहीं पहुंचाये हैं तो प्रशासन की गलती है कि जैसलमेर के पशुधन को जीवित रखने का विचार नहीं रख रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, एक साथ दे दें जवाब।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से यह मैं जानकारी चाहता हूं, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के नियम 7 में यह प्रावधान है कि जब सार्वजनिक कार्य हेतु आप कोई जमीन गोचर की या उनकी अवाप्त करते हैं तो उसकी एवज में दूसरी जमीन उसी गांव में छोड़नी पड़ती है, आपने अब तक अवाप्त भूमि में बीकानेर जिले में 7 प्रतिशत और जैसलमेर जिले में कुल 13 प्रतिशत ही एवज में भूमि आरक्षित की है, ऐसा क्यों? उदाहरण के लिये मैं बता दूं, बीकानेर जिले में बीकानेर तहसील के सरेनथानिया शहर के पास में 27 हजार बीघा गोचर भूमि थी उसमें से आपने 4 हजार बीघा सार्वजनिक कार्य हेतु अवाप्त कर ली। उसकी एवज में वहां के नागरिकों को हाई कोर्ट में लड़ना पड़ रहा है, पर आपकी प्रक्रिया कहीं भी चालू नहीं होती। तो, मंत्री महोदय, प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने के लिये आप क्या करने जा रहे हैं, यह तो हमें बता दो।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, छोटा-सा सवाल है...

श्री अध्यक्ष: प्लीज-प्लीज। मंत्रीजी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी उसी के साथ ही बता देंगे। ऐसी क्या बात हो गयी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज। मंत्रीजी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): एक छोटा-सा उसी से सम्बन्धित सवाल है। बैठ तो जाउंगा लेकिन उसी से सम्बन्धित सवाल है, मंत्रीजी...

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, जवाब दें। प्लीज विराजें।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): आपने जो कोलोनाइजेशन एक्ट का हवाला दिया है, आप उससे विपरीत नहीं हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: प्लीज विराजें। माननीय सदस्य, जवाब नहीं आ पाएगा। (व्यवधान) प्लीज विराजें। माननीय सदस्य, जवाब नहीं आ पाएगा। इतने प्रश्न जो पूछे हैं पहले वे तो आ जाने दीजिये।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरे को आपत्ति है। मैं जितनी बार भी खड़ा होकर प्रश्न पूछने की कोशिश करता हूं, आपके आदेश के बावजूद...

श्री अध्यक्ष: आपने इजाजत नहीं ली। आप बिना परमीशन के ही चालू हो गये।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): नहीं, चालू नहीं, आपसे पूछा है...

श्री अध्यक्ष: मैंने नहीं कहा। मैंने तो देखा ही नहीं आपको। पहले मैं मंत्रीजी से जवाब दिलवा दूं...(व्यवधान) प्लीज विराजें।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मैं यही आपसे निवेदन करता हूं, जब भी कोई आपसे आकर्षित करना चाहे आप नहीं देंगे, यह तो नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, जवाब दें।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने पशु गणना के अनुपात में गोचर भूमि का जिक्र किया, जैसलमेर जिले का जहां तक प्रश्न है, पशुओं की संख्या है 3.82 लाख, उसके लिये भूमि चाहिये 1.91 लाख बीघा और अभी उपलब्ध भूमि है चरागाह और ओरण भूमि 7.864 लाख बीघा। तो इस हिसाब से 5.954 बता रहे हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दो।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): इस प्रकार 5.954 बीघा भूमि जैसलमेर जिले के हिसाब से जो आरिक्षत होनी चाहिये, पशु गणना के हिसाब से, उससे अधिक है। कुछ गांवों में पशुओं की गणना के हिसाब से भूमि अधिक आरक्षित है। हो सकता है, कुछ गांवों में पशु गणना के हिसाब से कम

(श्री हेमाराम चौधरी)

भूमि आरक्षित हो...(व्यवधान) मैं कह रहा हूं। सब में पशु गणना के हिसाब से बराबर जितनी जमीन होनी चाहिये, एक पशु के लिये आधा बीघा के हिसाब से, सब में बराबर उसके अनुपात में नहीं है। पशु गणना के अनुपात में कई गांवों में अधिक है, कइयों में कम है। अब जिन गांवों में अधिक है उनकी तो आप बात नहीं कर रहे, लेकिन जिन गांवों में कम है उनकी आप बात कर रहे हैं। उसमें अगर सरकारी...(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): यह आपने नहीं छोड़ी थी। हमारे पूर्वजों का सोच था जिन्होंने हमारे जीरो बजटिंग की व्यवस्था की थी गांवों में। (व्यवधान) ज्यादा दी थी। आप छोड़कर बताओ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब आने दीजिये। जवाब आने दीजिये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आप छोड़कर बताओ। मैंने पूछा, आज क्या आप छोड़ोगे? आपके पास कोई योजना नहीं है।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): इसलिये जिन गांवों में सरकारी भूमि उपलब्ध है, सिवाय चक, उसके प्रस्ताव पंचायत देगी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि प्रशासन गांवों के संग शिविर में इस प्रकार के प्रस्ताव पंचायत ने दिये हैं, तो मैं निर्देश दे दूंगा कि पशु गणना को ध्यान में रखते हुए जितनी जमीन और आरक्षित की जा सकती है, उसको वह आरक्षित करने की कार्यवाही कर लें।

श्री अध्यक्ष: सफीशियेंट हो गया।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अवाप्त नहीं...(व्यवधान) मेरा प्रश्न है, जो भूमि आपने सार्वजनिक कार्य के लिये अवाप्त की है, उसके लिये आप जमीन नहीं छोड़ते हो। नहीं तो, छोड़ने की तो आपकी हैसियत ही नहीं है...

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है...

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): जो हमारे गांवों के लिये पूर्वजों ने व्यवस्था की थी वह आप खतम करने जा रहे हो। और आपके कानून में प्रावधान है नियम 7 में, तब भी नहीं छोड़ रहे। यह घर का राज समझ रखा है।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: कृपया चर्चा समाप्त करें, और भी प्रश्न आने दें।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है...

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र सिंह विधूड़ी..

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारी जनता की जिसकी धरोहर है, उसका सत्यानाश कर रहे हैं। (व्यवधान) कोई व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करोगे...(व्यवधान)

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): जैसलमेर जिला एक ऐसा जिला है, वह पशुपालन का क्षेत्र है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पंचायती राज मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): वहां केवल शून्य जगह है और हमारे क्षेत्र में हमारी जमीन नीलाम की जा रही है...(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): यह व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने की थी। आपकी तो कोई योजना ही नहीं है...(व्यवधान) अन्य कार्य हेतु अवाप्त कर ली और उसकी एवज में कोई जमीन नहीं छोड़ी।

श्री अध्यक्ष: व्यवधान नहीं, कृपया विराजें। अन्य किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। कृपया विराजें। अगला प्रश्न ...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): xxx

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): xxx

बेगूं विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समितियों में रिक्त पद

2. **श्री राजेन्द्र सिंह विधूड़ी** (बेगूं): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं की पंचायत समितियों में वर्तमान में कितने पद स्वीकृत हैं? क्या उक्त स्वीकृत सभी पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अब उक्त रिक्त पदों पर पदस्थापन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): xxx

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): xxx

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): xxx

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री भरत सिंह कुन्दनपुर): (1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं की पंचायत समितियों में वर्तमान में 150 पद स्वीकृत हैं।

जी नहीं। कर्मचारियों का स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति होने से पद रिक्त हैं।

स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-1 देखें)

श्री राजेन्द्र सिंह विधूड़ी (बेगूं): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय की आवाज ही नहीं आयी कि क्या बोला मंत्री महोदय ने।

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति रखें। पूरक प्रश्न पूछें आप। (व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान)

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): xxx

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया विराजें। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): xxx

श्री राजेन्द्र सिंह विधूड़ी (बेगूं): आवाज ही नहीं आ रही है।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): xxx

श्री राजेन्द्र सिंह विधूड़ी (बेगूं): अध्यक्ष महोदय, अभी तक मेरी पंचायत समिति में दो साल से ये पद क्यों नहीं भरे गये हैं?

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): xxx

श्री राजेन्द्र सिंह विधूड़ी (बेगूं): अध्यक्ष महोदय, ये पद खाली हैं ...(व्यवधान)

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): xxx

श्री राजेन्द्र सिंह विधूड़ी (बेगूं): बीडीओ का, प्रगति प्रसार अधिकारी का...(व्यवधान) सचिव पद...दो साल से मेरे क्षेत्र की 3 पंचायत समितियों में विकास रुका पडा है। जब अधिकारी ही नहीं होंगे तो क्षेत्र का डवलपमेंट कैसे हो पाएगा? (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): xxx

श्री राजेन्द्र सिंह विधूड़ी (बेगूं): मंत्री महोदय, क्यों मेरे क्षेत्र की तीनों पंचायत समितियों में ये पद रिक्त हैं अभी तक? (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): xxx

श्री राजेन्द्र सिंह विधूड़ी (बेगूं): 2 साल से जनता ने हमको चुनकर भेजा है, पंचायत समितियों में इतना ...(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): xxx

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): xxx

श्री राजेन्द्र सिंह विधूड़ी (बेगूं): मंत्री महोदय जवाब दें कि उन्होंने 2 साल से इतने पदों को रिक्त क्यों रखा हुआ है ...(व्यवधान) क्या बात है कि हमारे क्षेत्र की पंचायत समितियों के पद रिक्त हैं? (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): xxx

श्री अध्यक्ष: पंचायत राज मंत्रीजी।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): xxx

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): xxx

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): xxx

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी का जवाब आने दीजिये। अगर आप उठाना चाहते हैं तो अलग से उठा लीजिएगा। इस वक्त डिस्टर्बेंस नहीं करें। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): xxx

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): xxx

श्री अध्यक्ष: मैंने आपसे निवेदन किया है कि अलग से प्रश्न उठा लें। मैं इजाजत दे दूंगा। आप व्यवधान नहीं करें। (व्यवधान)

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): xxx

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): xxx

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): xxx

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, कृपया आप विराजें। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): xxx

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बेगूं विधान सभा क्षेत्र के रिक्त पदों ...(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): xxx

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): xxx

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): xxx

श्री अध्यक्ष: आर्डर में आप आने दीजिये हाउस को। आप व्यवधान करेंगे तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है इसके अलावा ...(व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): xxx

श्री अध्यक्ष: आप विराज जाएं, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): xxx

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): xxx

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में जो प्रश्न आते हैं, वे केवल विधान सभा के माननीय सदस्य जिन्होंने प्रश्न पूछा है उनके और जवाब देने वाले मंत्री तक सीमित नहीं हैं। विधान सभा में जो प्रश्न आता है, जो माननीय सदस्य पूछते हैं वह सारे राजस्थान के लिए पूछते हैं। इसलिए बेगूं से आने वाले माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर उनका हो-हल्ले में जवाब जाएगा तो हम नहीं सुन पाएंगे, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, आपने उनको पुकार लिया है तो हाउस जब आर्डर में हो तो उस समय आप दूसरे प्रश्न का जवाब दिलवाएं।...(व्यवधान) तो हम सब सुनना चाहेंगे।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): मुझे तो बैठा दिया ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप पर ही तो ला रहा हूं, आप पर ही ला रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें। एक मिनट विराजें, आसन पावों पर है। एक मिनट विराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप पर ही ला रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों के अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जा सकें इसकी भी चिंता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी भी हैं। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब मंत्रीजी ने दिया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुनिये आप, सुनिये आप। मंत्रीजी के जवाब देने के बाद जब ज्यादा माननीय सदस्य बोलना चाहते थे तो मैंने यह भी निवेदन किया है कि और प्रश्न आने दीजिये, दूसरे तरीके से प्रश्न को आप उठाना चाहेंगे तो मैं आपको इजाजत भी दे दूंगा। दूसरा प्रश्न नहीं आ पाएगा, एक प्रश्न पर पूरा दिन हो जाएगा। पहले दिन पहला प्रश्न आ रहा है, उस पर इतना समय... (व्यवधान) व्यवधान नहीं करें। कृपया आप विराजें। प्रश्न का उत्तर मंत्रीजी दे रहे हैं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): वह मैं प्रश्न ही पूछ रहा था।

श्री अध्यक्ष: मैं आपको अलग से इसके लिये व्यवस्था करा दूंगा, अगर आप उठाना चाहेंगे तो। व्यवधान नहीं करें। कृपया शांति रखें।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः अपना उत्तर देना पसंद करूंगा क्योंकि शोर-शराबे में उत्तर सुन नहीं सके।

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं की पंचायत समितियों में वर्तमान में 150 पद स्वीकृत हैं।

जी नहीं। कर्मचारियों का स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति होने से पद रिक्त हैं।

स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-1 देखें)

श्री राजेन्द्र सिंह विधूड़ी (बेगूं): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अभी तक रिक्त पद क्यों नहीं भरे गये और क्या मेरे क्षेत्र के अन्दर ही यह लागू होता है? बीडीओ, प्रगति प्रसार अधिकारी,

(श्री राजेन्द्र सिंह विधूड़ी)
कनिष्ठ अभियंता के सारे पद खाली हैं, मंत्री महोदय क्या मानते हैं कि जानबूझकर बेगूं विधान सभा क्षेत्र के अंदर बीडीओ आदि के पद रिक्त रखे जा रहे हैं? अभी-अभी शिक्षा, हैल्थ और सब विभाग पंचायती राज को पहुंच गये हैं, अगर इस तरीके से विधान सभा क्षेत्र बेगूं के अंदर तीनों पंचायत समितियों में पद रिक्त रहेंगे तो जिस जनता ने हमको चुनकर भेजा है, उसको हम किस तरीके से जवाब देंगे? मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 2 साल से बेगूं में ही तीनों पंचायत समितियों में ये पद क्यों खाली रखे जा रहे हैं? कई बार मैंने आपको रिक्त पदों को भरने के लिए लिखा है।

श्री अध्यक्ष: बैठिये-बैठिये, जवाब दिला रहे हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह विधूड़ी (बेगूं): किस बात के कारण आप जानबूझकर मेरे क्षेत्र में बीडीओ, प्रगति प्रसार अधिकारी आदि क्यों नहीं रख रहे हैं, मंत्री जी जवाब दें।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जहां तक बेगूं विधान सभा क्षेत्र में रिक्त पद होने का प्रश्न है, केवल बेगूं ही नहीं, पूरे पंचायत विभाग के अंदर बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। हाल ही में जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ, उसमें उन्होंने भी इस बात का उल्लेख किया है कि हम विकास अधिकारी के पद भरेंगे। जितने भी पंचायती राज के अंदर पद रिक्त हैं, उनको भरने की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, बेगूं के माननीय सदस्य ने इस बात पर ध्यान दिलाया कि उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि बेगूं में हमने जानबूझकर या पक्षपातपूर्ण कार्यवाही की है, ऐसा नहीं है। बेगूं में विकास अधिकारी का एक पद रिक्त है और राजस्थान में अभी भी 12 पंचायत समितियों में विकास अधिकारी के पद रिक्त हैं। यह मैं पूरे प्रदेश की स्थिति को आपके समक्ष रख रहा हूं ताकि, अन्य माननीय सदस्यों को भी अपनी पंचायत समितियों में रिक्त पदों को लेकर चिंता हो सकती है, उसी के आधार पर मैं पूरी जानकारी देना चाहता हूं।

दूसरा, हमारे यहां बेगूं पंचायत समिति में प्रगति प्रसार अधिकारी का एक पद रिक्त है और पूरे प्रदेश में कुल 112 पंचायत समितियों में पद रिक्त हैं, इसलिए केवल बेगूं ही नहीं है। कनिष्ठ अभियंता का एक पद रिक्त है।

श्री राजेन्द्र सिंह विधूड़ी (बेगूं): 2 पद रिक्त हैं।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इसी प्रकार 149 पंचायत समितियों में कनिष्ठ अभियंताओं के पद रिक्त हैं। इनके लेखाकार का एक पद रिक्त है और 180 पंचायत समितियों में पूरे प्रदेश के अंदर पद रिक्त हैं। ग्राम सेवक का एक पद रिक्त है। यहां मैं बताना चाहूंगा कि 650 ग्राम सेवकों की भर्ती होगी, उसकी परीक्षा हो चुकी है और 28 को परिणाम आएगा, इसलिए ग्राम सेवक के जो पद खाली हैं इनकी पूर्ति इससे हो जाएगी। वाहन चालक का एक पद इनके यहां पर रिक्त है, और पंचायत समितियों में 40 वाहन चालकों के पद रिक्त हैं। इसी प्रकार से प्रगति प्रसार अधिकारी का गंगरार में एक पद रिक्त है, कनिष्ठ अभियंता का एक पद रिक्त है, ग्राम सेवक का एक पद रिक्त है और हैंड पंप मिस्त्रियों और फिटर के 3 पद रिक्त हैं। जहां तक हैंड पंप मिस्त्री का प्रश्न है, वह नवीन भर्ती की व्यवस्था अभी नहीं है। जो भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति है वह इनके विधान सभा क्षेत्र में आती है, उसमें प्रगति प्रसार अधिकारी का एक पद रिक्त है। कनिष्ठ अभियंता के 2 पद रिक्त हैं, लेखाकार के 2 पद रिक्त हैं। कनिष्ठ लिपिक का एक पद रिक्त है। हैंड पंप मिस्त्री के 2 पद रिक्त हैं। इस प्रकार इनके यहां पर जो कुल पद रिक्त हैं, उसकी जो औसत आती है, टोटल जो पद रिक्त हैं उसमें जिला परिषद के लेवल को भी अगर हम देखें तो कुल स्वीकृत पदों में से 176 पद जिला परिषद में रिक्त हैं और 1498 पद पंचायत समितियों में रिक्त हैं। इस प्रकार 1674 पद पूरे पंचायती राज में रिक्त हैं। जो औसत आती है एक पंचायत समिति में, वह करीब 6 पद हर पंचायत समिति की आती है और इनके यहां पर करीब 7 पद खाली हैं। इसलिए बहुत ज्यादा अंतर हो, ऐसा नहीं है। यह नहीं है कि इनके यहीं पद रिक्त हैं, पूरे प्रदेश में हैं। ये सारे भर्ती की प्रक्रिया के अधीन हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिए पहले।

श्री राजेन्द्र सिंह विधूड़ी (बेगूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि दो साल से ये पद रिक्त क्यों हैं और आप इनको कब तक भरेंगे? अगर ये कार्यक्रम अधिकारी के पद नहीं भरे गये तो जो सपना हमारी नेता ने देखा है, वह कैसे पूरा होगा, हम जनता के काम कैसे कर पाएंगे? आप बेगूं में ही इतने पद रिक्त क्यों रखते हो? आसपास की पंचायत समितियों में कहीं कोई पद रिक्त नहीं है। आप इन पदों को कब तक भरेंगे, यह जवाब दें? दो साल तक पद रिक्त क्यों रहे? ...(व्यवधान)...

(श्री राजेन्द्र सिंह विधूड़ी)
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपने बेगूं के अंदर ही क्यों पद रिक्त रखे हैं? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी के लिए 'हमारी' शब्द का प्रयोग किया है, यह कैसे कर दिया?

श्री अध्यक्ष: यह आपके समझ में नहीं आएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हमारे मुख्य मंत्री 'हमारी' कैसे हो गई?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हमारी नेता से मतलब सोनिया गांधीजी से है। तिवाड़ीजी, 'हमारी' से मतलब सोनिया गांधीजी से है।

श्री राजेन्द्र सिंह विधूड़ी (बेगूं): सोनियाजी से मतलब है, जो चाहती हैं कि देश के अंदर भ्रष्टाचार मिटे।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): रघुजी, यहां के नेता में तो विश्वास नहीं है आपका?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह पूरा सदन हमारे नेता के पीछे एकजुट होकर खड़ा है और अभी आप तमाशा देखेंगे। (व्यवधान) कोई गलतफहमी मत रखना। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं। जवाब आने दीजिए। माननीय सदस्य, विराजें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): कोई गलतफहमी हो तो निकाल दो।

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिए।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि भर्ती की प्रक्रिया चालू है। हाल ही में 75 विकास अधिकारियों के पद हैं उनके लिए 66 लोग सेवा में चयन हुए हैं, उन्होंने जॉइन किया है। मैंने इनके यहां बेगूं में भी फिरोज खान नाम के विकास अधिकारी को नियुक्त किया था और वह मेरे पास आया, उसने अनुरोध किया कि मुझे बेगूं के अलावा कहीं भी आप लगा दो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह व्यक्तिगत टिप्पणी माननीय मंत्रीजी के मुंह से ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): रघुजी, यह तमाशा है आपकी सरकार का? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह विधूडी (बेगूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि बेगूं में भ्रष्टाचार कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप किसी भी अधिकारी को ड्यूटी जॉइन कराएं। आपके अधिकारियों पर आपका कण्ट्रोल नहीं है। क्यों नहीं जाएंगे बेगूं आपके अधिकारी? माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कोई सैनिक सियाचिन ग्लेश्यिर पर मायनस 40 पर नौकरी पर जाने से मना करता है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, भाषण नहीं दें, आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह विधूडी (बेगूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भाषण नहीं है। मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि अगर मिलिटरी में कोई सैनिक ड्यूटी पर नहीं जाता है, जॉइन करने से मना कर देता है, काम नहीं करता है तो उसका कोर्ट मार्शल करके सस्पैण्ड कर दिया जाता है, आप ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं लागू करते हैं? यदि कोई अधिकारी मेरी पंचायत समिति में नहीं जाना चाहता तो क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि राजेन्द्र विधूडी हमारी नेता और हमारे सदन के नेता अशोक गहलोत के कदमों पर चलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ है। मैंने सबसे पहले भ्रष्टाचारियों को पकड़ा था। आप क्यों नहीं ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करते हैं जो उधर जॉइन नहीं करना चाहते हैं? इसका मतलब आप मेरी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजें। माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा मैंने सदन को अवगत कराया आपके माध्यम से, कि हमारे विकास अधिकारियों के 13 पद रिक्त हैं और जो विकास अधिकारियों के पद कुल रिक्त हैं उनमें से 90 प्रतिशत पद तो विभाग के अधिकारियों से भरने हैं और 10 प्रतिशत पद आरएएस आफिसर्स से भरने हैं। जो आपके विकास अधिकारी का पद रिक्त है उस पर हमने मांग की है आरएएस अधिकारी लगाने की। आपके यहां पर योग्य, अच्छा और ईमानदार अधिकारी लग जाएगा तो व्यवस्था सुचारु रूप से चल पाएगी, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: अब हो गया, कृपया समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र सिंह विधूडी (बेगूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आप मेरे यहां पर कब तक अधिकारी लगाएंगे? मैं यह कहना चाहता हूं कि ईमानदार अधिकारी लगाएंगे तो क्षेत्र की जनता और देश का विकास होगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यथासम्भव शीघ्र लगा देंगे। विराजिए।

श्री राजेन्द्र सिंह विधूडी (बेगूं): मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि जो अधिकारी आपको ड्यूटी जॉइन करने से मना कर दे, उस पर कार्यवाही करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। श्री नन्दलाल मीणा। (व्यवधान) मैं अगला प्रश्न पुकार चुका हूं।

प्रतापगढ़ जिले में विचाराधीन विवादित ग्रिड सब-स्टेशन

3. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला प्रतापगढ़ की पांचों तहसीलों में कुल कितने चयनित बीपीएल परिवार हैं? तहसीलवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2011 तक किस-किस तहसील में कितने-कितने बीपीएल परिवारों को विद्युत कनेक्शन जारी किए गए और किस-किस तहसील में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार बीपीएल परिवारों को लाभान्वित नहीं किया जा सका? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला प्रतापगढ़ में 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन, 33 केवी ग्रिड सब -स्टेशन के निर्माण के लिए दिसम्बर, 2010 तक किस-किस गांव हेतु स्वीकृतियां विचाराधीन हैं? क्या विचाराधीन ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण स्वीकृत गांव में ही किया जा रहा है? यदि नहीं, तो कौन-कौन से ग्रिड सब-स्टेशनों का निर्माण आपसी विवाद के कारण नहीं हो सका? ग्रिड सब-स्टेशनों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती बीना काक): (1) जिला प्रतापगढ़ की सभी पांचों तहसीलों में 64404 बीपीएल परिवार हैं। तहसीलवार संख्या विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(श्रीमती बीना काक)

(2) प्रतापगढ़ जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृति के अनुसार 51443 बीपीएल परिवारों के लक्ष्य के विपरीत माह जनवरी, 2011 तक 24274 कनेक्शन दिए जा चुके हैं जिनका तहसीलवार विवरण प्रपत्र 'ब' पर उपलब्ध है। शेष 27171 बीपीएल परिवारों को कनेक्शन दिए जाने का कार्य प्रगति पर है एवं अगस्त, 2011 इन सभी को कनेक्शन दिया जाना संभावित है। 100 से अधिक आबादी वाली ढाणियों में निवास कर रहे स्वीकृत योजना से वंचित बीपीएल परिवारों के विद्युतीकरण हेतु पूरक/संशोधित योजना बनाई जा रही है।

(3) प्रतापगढ़ जिले में 132 केवी के नए ग्रिड सब-स्टेशन बनाए जाने हेतु कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

33 केवी के सब स्टेशन के निर्माण के लिए वर्तमान में कोई स्वीकृति विचाराधीन नहीं है। स्वीकृत सब-स्टेशन का निर्माण स्वीकृत स्थान/गांव में ही किया जा रहा है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-2 देखें)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आपके पास सामान ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इनके पास बहुत सामान है। आप इस तरह के कमेंट्स न करें।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतापगढ जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उनके घर पर एक बत्ती कनेक्शन की भारत सरकार की योजना दो वर्ष से लागू है। मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि टेण्डर की शर्त के अनुसार इन सारे कामों को प्रतापगढ़ जिले में सम्पादित करने के लिए मैसर्स जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रैक्चर को ठेका दिया गया। जो काम अभी चल रहा है, उसको देखने पर ज्ञात होता है कि टेण्डर की शर्तों के अनुसार बीपीएल परिवार के घर तक कनेक्शन देने के लिए खड्डे खोदने, खम्भे खड़े करने, ट्रांसमिशन लाइन पहुंचाने, मीटर लगाने, उसके बाद सीएफएल के बल्व लगाने और अर्थिंग के लिए जो राड आती है, वह ठेकेदार को लगानी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि एक भी परिवार के, अब तक जो 4044 बिजली के कनेक्शन किए गए हैं बीपीएल परिवार के घरों पर, सीएफएल का

(श्री नन्दलाल मीणा)

एक भी बल्व नहीं लगाया गया है, कहीं पर भी अर्थिंग राड नहीं लगाई गई है खम्भों के लिए एक भी खड्डे के पैसे ठेकेदार ने नहीं चुकाए हैं। सम्बन्धित मकान मालिक से कहा कि तुम खड्डे खोदो। इस तरह से लगभग करोड़ों रुपए का ठेके की शर्तों के विपरीत ठेकेदार को लाभ पहुंचाने में अधिकारी लगे रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा-सा सवाल यह है कि ठेके की शर्तों के अनुसार निरीक्षण की क्या प्रक्रिया थी, किन-किन अधिकारियों ने निरीक्षण किए और क्या-क्या गलतियां पाई गईं? माननीय अध्यक्ष महोदय, अफसोस तो इस बात का है कि रिश्वतखोरी ऊपर से नीचे तक चल रही है इनके राज में। प्रत्येक बीपीएल परिवार से भी, एक-एक घर से 25-25 रुपए वसूल किए गए। एमडी, उदयपुर जनवरी के महीने में प्रतापगढ़ के दौरे पर गए थे, उनके कहने से पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई। एमडी ने इसी तरह से उदयपुर जिले की झाड़ोल तहसील में भी निरीक्षण किया, वहां पर भी गरीब बीपीएल परिवार के काश्तकारों से जानकारी मिली कि वहां पर भी इसी तरह से न तो सीएफएल का बल्व लगाया जा रहा है और न अर्थिंग राड लगाई जा रही है और प्रत्येक परिवार से 25-25 रुपए कनेक्शन के लिए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतापगढ़ जिले में इनके रिकार्ड के हिसाब से जनवरी 2011 तक 24,272 कनेक्शन दिये गये, परन्तु 4040 वे कनेक्शन हैं, अध्यक्ष महोदय, जिनकी मृत्यु हो गई है इसलिए बाकी हैं। परिवार के मुखिया की अगर मृत्यु हो गई तो परिवार के मुखिया के करंट थोड़े ही लगाना था, मकान का कनेक्शन तो घर पर करना था। वह नहीं किया और कनेक्शन देने से मना किया। अध्यक्ष महोदय, गरीब आदमी दूसरे की लाइट देखकर दुबला हो रहा है और निगम यह कह रहा है कि बिजली लेने से बीपीएल परिवार ने मना कर दिया। मना नहीं किया, जो 25-25 रुपये और खड्डे नहीं खोदे, उन लोगों के ये 4044 कनेक्शन नहीं किये गये हैं। इसी तरह से आबादी से बाहर गांव, वहां तो आदिवासी इलाका है, छितरे हुए वे लोग निवास करते हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है?

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): प्रश्न मेरा यह है कि जो ठेका इन्होंने जीनस पावर इंफ्रास्ट्रैक्चर को दिया है, उसकी शर्तों के हिसाब से उन्होंने काम नहीं किया और विद्युत वितरण निगम ने उस पर बराबर निगरानी नहीं रखी जिसकी वजह से इस प्रकार का नुकसान हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जो लापरवाही बरती गई है और गरीबों के साथ जो इस

(श्री नन्दलाल मीणा)

तरह का धोखा किया गया है, उसके लिए अधिकारियों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही करना चाहते हैं आप? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज, प्लीज।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं पूरे सदन की ओर से सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने यह जाहिर किया। जो यह ठेकेदार को चुना गया था, वह आप ही की जब सरकार थी, उन्होंने चुना था...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): सरकार क्या होती है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दो। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सच्चाई, अध्यक्ष महोदय, कड़वी लगती है। (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): जीनस कम्पनी को पिछली सरकार ने ही ठेके दिये थे, इस सरकार ने उसके ठेके बंद किये हैं। इस सरकार ने जीनस कम्पनी के ठेके बंद करवाये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये, बैठिये, जवाब आने दो। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): आप ही ने स्वयं यह एडमिट कर लिया ......(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): +++   ......(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): कि अनियमितताएं हुई हैं। आप ही ने यह कमिट किया कि ठेके की जो शर्तें थीं, उनको माना नहीं गया। तो सर्वप्रथम तो आपको, माननीय सदस्य, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सरकार तो दुरुस्तगी में लगी है। वह मंत्रीजी, अभी तक वह जो काम आप लोग करके गये हैं, उनकी दुरुस्तगी में लगे हुए हैं। (व्यवधान) आप विराजें तो सही, आप जवाब तो सुनें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आप काम कब करोगे, तब तक तो चले जाओगे ......(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): बात यह है कि व्यवस्था में घुन लग चुका है ......(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मुंगेरी लाल के हसीन सपने काहे को देख रहे हो? कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा, आपके हाथ में है क्या? (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ढाई साल में कुछ नहीं किया। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): इन्होंने बीपीएल को नहीं दिया ......(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, जवाब आने दीजिए।

श्री पेमाराम (धोद): बीपीएल को कनेक्शन नहीं दोगे तो यही हाल आपका होगा आने वाले टाइम में।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी का जवाब सुनिए कृपया, जवाब दे रहे हैं मंत्री जी।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ की स्कीम दिनांक 13.3.2008 को स्वीकृत हुई थी जिसके कार्यादेश अगस्त-सितम्बर में दिये गये थे। इस कार्य को करने के लिए जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया, जीनस और आईसीएसए को अनुबंधित किया गया। दिसम्बर, 2000 तक अनुबंध के आधार पर यह कार्य पूरा होना था, जो हुआ नहीं। भारत सरकार ने मार्च 2011 तक की एक्सटेंशन इसमें दे दी है। कार्य में देरी होने पर और जो भी इर्रेगुलरिटीज पाई गई हैं या डिले हुआ है, या करप्शन के जो भी हमारे पास केसेज आये हैं, उसके बारे में 17 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं जिसमें 13 जयपुर डिस्कॉम की हैं और 4 अजमेर डिस्काम की हैं। (व्यवधान) मानिटरिंग बाकायदा की जा रही है, जिला कलक्टर के लेवल पर रिव्यू किये जा रहे हैं। और थर्ड पार्टी जो मानिटरिंग होती है गवर्नमेंट आफ इण्डिया की, उनकी तरफ से भी पूरी मानिटरिंग की जा रही है। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा इन्होंने कहा कि सीएफएल बल्ब नहीं लगाये गये। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूं कि जिस कम्पनी ने यह किया, जहां-जहां पर ऐसी शिकायत हुई कि सीएफएल बल्ब नहीं लगे हैं, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई हैं। सीएफएल बल्ब लगने के बाद वैरिफिकेशन कंजूमर करता है और जब तक कंजूमर यह वैरिफाई नहीं करेगा तब तक उसको पेमेंट नहीं किया जाता, ऐसा सिस्टम बना हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूं कि वर्तमान सरकार ने सत्ता संभालने के पश्चात् विद्युत उत्पादन, गांवों और ढाणियों के विद्युतीकरण,

(श्रीमती बीना काक)

किसानों को विद्युत कनेक्शन देने, बीपीएल एवं ग्रामीण जनता को शीघ्रातिशीघ्र ज्यादा कनेक्शन उपलब्ध कराने के बहुत ही उल्लेखनीय और प्रशंसनीय कार्य किये हैं। पिछली सरकार के मुकाबले एडिशन इन जनरेशन-5 साल में काम हुए थे 1556 मेगावाट और केवल दो साल में 2368 मेगावाट का प्रोडक्शन हुआ है। गांवों के विद्युतीकरण के अन्दर पांच साल में 2107 गांव हुए थे, इस बार केवल दो वर्षों में 1763 गांवों का आलरेडी विद्युतीकरण हो चुका है। (व्यवधान) ढाणियों के इलैक्ट्रिफिकेशन ......(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्या जवाब है?

श्री अध्यक्ष: आप केवल प्रश्न तक सीमित रहें। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सुनिए तो सही ......(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है...

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): उनके जवाब दे दिये मैंने।

श्री अध्यक्ष: उनके पूरक प्रश्न का पहले उत्तर दीजिए।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): दोनों के जवाब दे दिये।

श्री अध्यक्ष: दे चुके हैं?

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): सीएफएल का दे दिया, एफआईआर हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष: चलिए, आप बैठिये।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): इल्लीगल इर्रैगुलरिटीज हुईं, उनके खिलाफ कार्यवाही हो गई।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। मूल प्रश्नकर्ता।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): अध्यक्ष महोदय, प्रतापगढ़ तहसील में 2662 बीपीएल परिवारों के व्यक्तियों ने, मुखिया ने बिजली लेने से मना किया और इसी तरह से अरनोद में 1382 व्यक्तियों ने मना किया, तो मैं जानना चाहता हूं कि बिजली लेने से मना करने के क्या कारण हैं?

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): यह अभी मैं कैसे बता सकती हूं? जानकारी कर लेंगे, क्या कारण हुए हैं।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): पिछले सवाल में मैंने यह कहा है।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अब क्या कारण हैं, इसकी जानकारी ले लूंगी। मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि किसी ने मना किया हो। (व्यवधान) मेरे खयाल से आप जानकारी कर लें।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, आधा-अधूरा जवाब नहीं ......(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): कि कौन बिजली लेने से मना कर रहा है।

श्री अध्यक्ष: आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): आप मुझे बता दीजिए, हम जानकारी कर देंगे। मेरे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): यह आपका जवाब है। अध्यक्ष महोदय, यह मंत्रीजी ने जवाब दिया है, विभाग ने, उसका है। और अगर मना किया है तो कारण नहीं है, यह मूल प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं, क्यों नहीं जवाब देंगे?

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता, जवाब आने दीजिए। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): मैंने यह जानना चाहा है कि जनवरी, 2011 तक किस-किस तहसील में कितने-कितने बीपीएल परिवारों को विद्युत कनेक्शन जारी किये गये और किस-किस तहसील में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार बीपीएल परिवारों को लाभान्वित नहीं किया जा सका। यह मूल प्रश्न है इसलिए मैं जानना चाहता हूं, मंत्री महोदय ......(व्यवधान) उत्तर में भी दिया है। आप यह बताइए कि कुल 64400 बीपीएल परिवार हैं जिनमें से अब तक आपने 20 हजार लोगों को कनेक्शन दिये हैं, जिनमें से 4044 बीपीएल परिवारों ने, आपने बताया कि कनेक्शन लेने से मना किया है।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अगर कोई प्रैक्टिकल प्राब्लम रही है, उसकी मैं जानकारी विभाग से ले लूंगी और आपको कर दूंगी। लेकिन प्रक्रिया विचाराधीन है, जिन बीपीएल परिवारों को कनेक्शन

(श्रीमती बीना काक)

नहीं मिले हैं, प्राथमिकता के ऊपर हमारी सरकार कटिबद्ध है कि बीपीएल परिवारों को विद्युतीकरण करना है और हम करेंगे।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): आपने तो जवाब में दे दिया, मना कर दिया ......(व्यवधान) आपने सैटल कर लिया।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): एमडी, अजमेर ने प्रतापगढ़ क्षेत्र का दौरा करके यह बताया कि कई खामियां हैं, रिश्वत ली गई है, कनेक्शन नहीं दिये गये। उसके नीचे के जो अधिकारी मौके पर रहते हैं, क्या कभी उन्होंने दो साल के दौरान इंस्पैक्शन किया मौके पर? मैं यह चार्ज लगाता हूं, अध्यक्ष महोदय, एक भी अधिकारी मौके पर नहीं गया है। इसके मायने सीधे-सीधे यही हैं कि ठेकेदार और निगम के अधिकारियों की आपसी मेलजोल है, मेलमिलाप है, रिश्वत ले रहे हैं, बंदरबांट की तरह खा रहे हैं आपस में।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अब गाइडलाइंस बदल गई हैं। मुख्य मंत्रीजी स्वयं चाहते हैं कि मुख्य सचिव से लेकर, मंत्रीगण से लेकर एमएलएज तक अपने-अपने एरियाज के अन्दर जाएं, मानिटरिंग करें। उसी तरह से ऊपर से अगर आदेश आता है ......(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: केवल प्रश्न तक सीमित रहें ......(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): आप तो प्रश्नों का जवाब दो, यह कार्यवाही विवरण नहीं ......(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: खाली जवाब तक ......(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): तो नीचे होगा और यह गाइडलाइन ......(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अगर जवाब नहीं है तो स्थगित कर दो ......(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्रीजी हर महीने वहां जाते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब आ गया है। प्रभारी मंत्रीजी के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं है, प्रश्न विद्युत विभाग से सम्बन्धित है। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): अध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्री भी हर महीने दौरा करते हैं और कलक्टर भी विश्राम गांवों में करते हैं, तो क्या वहां के बीपीएल परिवारों ने कोई शिकायत उनके सामने रखी कि कम्पनी उनसे पैसे खा रही है?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, ये तैयार नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रतापगढ़ से सम्बन्धित माननीय सदस्य ने पूछा है उनका जवाब आने दें। आप बीच में कहां से ले आये? बैठिये आप। प्लीज बैठिये। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आ रहा है। जवाब नहीं आ रहा है, इसको स्थगित कर दें आप।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। श्री हनुमान बेनीवाल। (व्यवधान) चर्चा समाप्त हो गई, विराजिये आप। चर्चा समाप्त हो गई, माननीय सदस्य, कृपया विराजें। मैं अलाउ नहीं करूंगा। मंत्रीजी, जवाब दें। अंकित नहीं होगा।

श्री पानाचन्द (बारां-अटरू): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा, आप विराज जाएं। चर्चा समाप्त हो चुकी है। अगला प्रश्न पुकारा जा चुका है। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

जिला रसद अधिकारी, नागौर द्वारा निलम्बित राशन लाइसेंस प्रकरण

4. **श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत दो वर्षों में जिला रसद अधिकारी, नागौर द्वारा जिले में राशन डीलरों के लाइसेंस निलम्बित किये गये हैं? यदि हां, तो कुल कितने?

(2) क्या यह भी सही है कि निलम्बित लाइसेंसों को जांच अवधि में ही रद्द कर बहाल कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों और दौराने-जांच कुल कितने निलम्बन रद्द किये गये?

(3) क्या उक्त निलम्बित लाइसेंस विधि सम्मत बहाल किये गये? यदि हां, तो उक्त लाइसेंसों को बहाल करने में क्या प्रक्रिया अपनाई गई?

(श्री हनुमान बेनीवाल)

(4) क्या यह सही है कि उक्त जिले में जांच के दौरान निलम्बित किये गये कई लाइसेंस एक महीने से भी कम समयावधि में ही बहाल कर दिये गये? यदि हां, तो क्यों?

राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (श्री बाबूलाल नागर): (1) जी हां। गत दो वर्षों में जिला रसद अधिकारी, नागौर द्वारा जिले में 143 डीलरों के प्राधिकार पत्र निलम्बित किये गये।

(2) जी हां। नियमानुसार सुनवाई का मौका देकर उनके पक्ष को सुनने के बाद ही उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखते हुए 7 डीलरों के प्राधिकार पत्र अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने के कारण जांच विचाराधीन रखते हुए बहाल किये गये।

(3) जी हां। उक्त प्राधिकार पत्र राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 8 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियों के अध्यधीन जांच विचाराधीन रखते हुए बहाल किये गये।

(4) जी हां। कुल 6 उचित मूल्य दुकानदारों के प्राधिकार पत्र के एक महीने से कम अवधि में नियमानुसार सुनवाई का मौका देकर उनके पक्ष को सुनने के बाद गुणावगुण के आधार पर वर्तमान में 5 प्रकरणों में अंतिम निस्तारण कर दिया गया है। शेष एक प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लम्बित होने के कारण विचाराधीन है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, इसी सदन के अन्दर राव राजेन्द्र सिंह जी का अतारांकित प्रश्न संख्या 1328 है, इसका विभाग का जवाब आया है। उन्होंने तो एक साल 2009 से 2010 तक का मांगा है कि नागौर जिले में कितने लाइसेंस बहाल किये और मैंने दो साल का मांगा है। मुझे जवाब दिया है कि 7 डीलरों के प्राधिकार पत्र अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने के कारण जांच विचाराधीन रखते हुए बहाल किये गये हैं जबकि इसके अन्दर 60 जनों के। एक साल में 60 जनों के जांच विचाराधीन रखते हुए बहाल किये गये हैं। यह इसी सदन के अन्दर अतारांकित प्रश्न संख्या 1328 का जवाब है। इस तरह के जवाब देकर सदन को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिये आप। यह जवाब है, इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): एक साल में 60 और फिर दो साल में सात!

श्री अध्यक्ष: आप जो पढ़ रहे हैं दूसरे माननीय सदस्य के हवाले से प्रश्न के जवाब का, वह सही है न?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हां, बिलकुल सही है। आजकल जानकारी के और भी कई तंत्र होते हैं, सूचना का अधिकार हो या और किसी हिसाब से भी जानकारी ली जा सकती है। मैं इतना कहता हूं कि मेरी जो जानकारी है उस जानकारी के अनुसार आज नागौर जिले के अन्दर 86 लाइसेंस दौराने-जांच बहाल किये गये हैं और मुझे जवाब सात का दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब विधान सभा चलती है तब पूरा राजस्थान विधान सभा की ओर देख रहा है और राजस्थान की विधान सभा के अन्दर इस तरह के +++ जवाब बाबूलालजी नागर देकर क्या संदेश राजस्थान की जनता को देना चाहते हैं, पहले तो इसी पर आ जाइये।

श्री अध्यक्ष: +++ शब्द हटा देना। प्रश्न क्या है? पूरक प्रश्न क्या है?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): यह अतारांकित प्रश्न संख्या 1328 है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न क्या है?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): प्रश्न यह है कि 2009 से 2010 तक जिला रसद अधिकारी, नागौर ने कितने लाइसेंस बहाल किये और कितने सस्पैंड किये?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अध्यक्ष महोदय, गलत जवाब दें तो फिर मतलब ही क्या है? कौनसा सही है?

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी ने दोनों दिये हैं तो दोनों ही सही हैं।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, गत दो वर्षों में 143 प्राधिकार पत्र निलम्बित किये जिसमें 37 लाइसेंस निरस्त किये हैं, 86 लाइसेंस प्रतिभूति जब्त करते हुए विचाराधीन प्रकरण समाप्त करते हुए बहाल किये हैं और 19 अभी भी वर्तमान में निलम्बित हैं जो विचाराधीन हैं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): निलम्बित कर दिया जांच करके और बहाल कर दिया, पर गाज किसी पर नहीं पड़ी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप एक तरफ 7 डीलरों के प्राधिकार पत्र जांच के दौरान बहाल होना बता रहे हो और अभी आप बता रहे हो कि 86 के किये हैं। यह क्या है?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही क्या है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब आ जाए उसके बाद आपको देंगे।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, निलम्बित करने के दौरान बहाल करने की बात आपने की है और मैं निवेदन कर रहा हूं कि मैरिट के आधार पर उनके पक्ष को सुनने के बाद में उन प्रकरणों का निस्तारण किया है। मैंने वो निवेदन किया है। निलम्बित हैं, विचाराधीन रखते हुए केवल 7 ही बहाल किये। जो माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है उसका जवाब दिया है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैंने पिछले दो साल के बता दिये।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैंने भी दो साल का ही दिया है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ऐसा है, अगर मैं झूठा हूं तो मैं सदन से इस्तीफा दे दूं, नहीं तो आप इस्तीफा दे दीजिये। यह गलत जवाब देकर सदन को किस तरह से गुमराह कर रहे हो?

श्री अध्यक्ष: आप पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं या इस्तीफा ले रहे हैं?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं यह कह रहा हूं, पहले तो आप इसी का बताइये। मैंने यह पूछा है कि दौराने-जांच दो साल के अन्दर नागौर के जिला रसद अधिकारी ने कितने लाइसेंस बहाल किये। आप 7 बता रहे हो और फिर 100 के लगभग, 86 तो आपने बता दिये कि दौराने जांच किये हैं, अब उनका निस्तारण कर दिया होगा। यह तो आप कह रहे हो लेकिन यह 7 का जवाब क्यों दे रहे हो? मैंने दौराने-जांच पूछा है कि दो साल के अन्दर दौराने-जांच कितने बहाल किये हैं।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, दौराने-जांच 7 डीलरों के प्राधिकार पत्र विचाराधीन रखते हुए बहाल किये हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, यह इस तरह से गलत जवाब देकर.....

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता भी यहां पर विराजमान हैं, मंत्रीगण पूरा तैयार होकर नहीं आ रहे हैं और जवाब आधे-अधूरे आ रहे हैं।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): पूरा तैयार होकर आया हूं। पूरा तैयार होकर आया हूं। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ..... यह +++ जवाब यहां सदन के अन्दर नहीं दे सकते। अगर +++ जवाब है तो हम यहां पर नहीं करेंगे। थोड़ा-सा सीरियस तो लें। दो साल के अन्दर तो संख्या ज्यादा है और एक साल के अन्दर कम है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न पूछें।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): प्रश्न यही है कि यहां पर सदन के अन्दर +++ जवाब है, इसको आप स्थगित करें और दुबारा यह करैक्ट जवाब दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, सवाल इतना-सा है कि एक उत्तर मिला है तारांकित सवाल के जवाब में.....

श्री अध्यक्ष: आपके पास है क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): और एक उत्तर मिला है जिसका माननीय मंत्री महोदय कह रहे थे अतारांकित सवाल के जवाब के रूप में। जब यह प्रश्न पहले आया, इसी जिले का आया.....

श्री अध्यक्ष: आपके पास है क्या वो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): है मेरे पास, मैं बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि या तो आसन दोनों विधान सभा के उत्तर को मंगा ले और दोनों प्रश्नों के उत्तर में यदि परिवर्तन हो तो निश्चित तौर पर कुछ तथ्य छिपाये गये हैं। यह छोटी बात नहीं है। राजस्थान की विधान सभा, सर्वोच्च सदन....

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इसके अन्दर अलग-अलग उत्तर आये हैं इसलिए मेरा सवाल यह है, मंत्री महोदय, क्या यह सही है कि अतारांकित सवाल के माध्यम से सरकार से जो निलम्बित लाइसेंसों के बारे में पूछा गया था, उसकी और अब जो आप जवाब दे रहे हो उन दोनों की संख्या में अन्तर है? यदि है, तो क्यों?

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में ऐसा आ रहा है कि माननीय सदस्य इसका अर्थ नहीं

(श्री बाबूलाल नागर)

समझ पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं निवेदन कर रहा हूं निलम्बित किया उसके बाद में विचाराधीन रखते हुए बहाल करना, दूसरी बात है निलम्बित किया इसके बाद में फाइनल रूप से उस प्रकरण का निस्तारण किया....

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इतना तो हम भी जानते हैं, आपसे ज्यादा पढ़े-लिखे हैं।

श्री अध्यक्ष: व्यवधान नहीं, माननीय सदस्य, जवाब आने दीजिये।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग ने जो मुझे जवाब उपलब्ध कराया है, वह मैंने दिया है। अगर विभाग कोई जानकारी गलत उपलब्ध कराता है तो सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करूंगा, लेकिन विभाग ने जो जानकारी मुझे उपलब्ध कराई है उसके अनुसार मैंने यहां उपलब्ध करा दी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, दोनों उत्तर मंगवा लें आप। आप दोनों उत्तर मंगवा लें, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: चलिये, जवाब सारा सम्पूर्ण आ गया है। अगर कोई दोषपूर्ण बात है तो उसकी जांच कराकर अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही कर लेंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मेरे पास दोनों का जवाब है, अतारांकित प्रश्न का भी जवाब है और तारांकित प्रश्न का भी जवाब है। इस तरह इस गम्भीर मामले को आप बीच में छोड़ देंगे तो कैसे सम्भव है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप दोनों उत्तर मंगवा लें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सबसे पहली बात तो यह है... (व्यवधान) यह क्या मतलब है, अध्यक्ष महोदय।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): अध्यक्ष महोदय, तारांकित-अतारांकित में फर्क क्यों आया है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय ने सदन को आश्वस्त किया है कि जो बातें आपने उठाई हैं दोनों प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में, यदि किसी ने मंत्रीजी से गलत जवाब दिलाया है तो उस अधिकारी के खिलाफ जांच करके कार्यवाही करेंगे। इससे सारी बात स्पष्ट हो जाती है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, दोनों प्रश्नों को आप मंगवा लें, उसमें दिक्कत क्या है? आप मंगवा लें, दोनों में से एक तो गलत है। (व्यवधान) उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आप मंगवा लें, आप सैटिस्फाई हो जाएं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, यहां पर मंत्रीजी ने जवाब दिया है कि 143 लाइसेंस निलम्बित किये जबकि 37 निरस्त किये, 86 बहाल किये और 19 निलम्बित किये, इनको जोड़ने से 142 होते हैं और इन्होंने बताये हैं 143, तो एक कहां गया? यहां जो जवाब दिया है, उसका जवाब दे दें।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): आप गणित में भी जांच करेंगे, यह कैसे होगा?

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आपने अभी यह जो जवाब दिया है, उसमें भी एक का डिफरेंस है, तो यह जोड़ में कहां गलतफहमी है, यह तो बता दो।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): अभी चल रहा होगा हिसाब।

श्री अध्यक्ष: एक हाई कोर्ट में विचाराधीन है। आपके समझ में आ गई होगी कि एक हाई कोर्ट में विचाराधीन है। चलिये, अगला प्रश्न, श्री अमरारामजी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, अभी तो मेरा बाकी है। अध्यक्ष महोदय, अभी आगे थोड़ा तो मेरा बाकी है। साहब, इस तरह इतने गम्भीर मामलों में भी यह दबाने की कोशिश की जा रही है, यह क्या मतलब है? यह कोई बात थोड़े ही है। नहीं, यह क्या मतलब हुआ फिर?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): प्रश्न संख्या 5.

श्री अध्यक्ष: कृषि मंत्रीजी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इस तरह चोर और बेइमानों को सदन में बचाया जा रहा है, यह क्या मतलब है? (व्यवधान)

प्याज उत्पादकों के संरक्षण हेतु प्रस्तावित कार्य योजना

5. **श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार राज्य में प्याज उत्पादक किसानों को प्याज स्टोरेज हेतु अनुदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री अमराराम)

(2) क्या सरकार प्याज का समर्थन मूल्य घोषित करने एवं प्याज उत्पादक किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु निगम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

कृषि मंत्री (श्री हरजीराम बुरड़क): (1) केन्द्रीय प्रवर्तित योजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन अन्तर्गत कम लागत के प्याज भण्डार गृह (25 मैट्रिक टन क्षमता) के लिए अनुमानित लागत 1.00 लाख रुपये का 50 प्रतिशत, अधिकतम राशि रुपये 50,000/- प्रति इकाई की दर से सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

(2) जी नहीं। समर्थन मूल्य का निर्धारण व घोषणा भारत सरकार द्वारा की जाती है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि बागवानी मिशन के तहत 25 मैट्रिक टन की क्षमता के स्टोरेज के लिए जो आपने 50,000 रुपये की सहायता राशि अनुदान देने की बात कही है, पिछले दो वर्ष में सीकर और नागौर में कितने किसानों को इस स्टोरेज के लिए राशि उपलब्ध कराई गई? अध्यक्ष महोदय, हालत यह है कि किसान जो छह महीने प्याज पैदा करता है, उसको तो मिलते हैं दो रुपये और जमाखोर उसको बेचता है 100 रुपये में।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, पूरक प्रश्न।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): प्रश्न ही तो पूछ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जो प्याज पैदा करता है, उसको छह महीने की मेहनत के दो रुपये मिलते हैं और आम उपभोक्ता को 100 रुपये में मिलता है, और राजस्थान की सरकार ने भी 30 रुपये किलो में बेचा है, तो क्या इस तरह की लूट को समाप्त करने का सरकार का विचार है? किसान की कई दफा हालत यह होती है कि खुदाई का पैसा नहीं मिलता, एक रुपये किलो भी उसको नहीं मिलता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कितने किसानों को आपने राजस्थान में दिया है? विशेष तौर से सीकर और नागौर का बता दें कि कितने किसानों को 50,000 रुपये स्टोरेज के रूप में दिये हैं? दूसरा मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, आपने कहा है कि समर्थन मूल्य केन्द्र सरकार घोषित करती है, यह निश्चित है, लेकिन विभाग ने और सरकार ने क्या किया कि जो पूरी की पूरी सरकारों को खा जाता है, उस प्याज के समर्थन मूल्य घोषित कराने के लिए राज्य

(श्री अमराराम)

सरकार की ओर से केन्द्र सरकार को कब-कब प्रस्ताव भेजे गये? केन्द्र सरकार न भी करे तो राजस्थान की सरकार किसान और आम उपभोक्ता दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए उसका समर्थन मूल्य घोषित करके खरीद कर सकती है? जिस तरह से राजस्थान में धनिया का समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है, जब भी उससे नीचे जाता है, राजस्थान की सरकार उसकी खरीद का काम करती है और वापस बेचने का काम करती है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि उपभोक्ता और प्याज पैदा करने वाले लोगों, दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए, जब तक केन्द्र सरकार घोषित नहीं करती है, क्या राज्य सरकार इस पर विचार करने को तैयार है?

श्री अध्यक्ष: जवाब आ रहा है। मंत्रीजी।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस बात के लिए तो मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने लम्बे समय बाद...

श्री अध्यक्ष: आप तो जवाब ही दे दो इनके प्रश्न का। धन्यवाद नहीं, प्रश्न का जवाब दे दो।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): ...इन्होंने यह महत्वपूर्ण प्रश्न किसानों के हित का उठाया है। जहां तक कितने काश्तकार को देने का सवाल है, इसकी कोई सीमा नहीं है। विभाग के पास केवल 20 एप्लीकेशन आई थीं और 20 को स्वीकृति जारी कर दी है। आपके क्षेत्र में या कहीं पर भी, पूरे राजस्थान में यह योजना लागू है, जितने काश्तकार लेना चाहें, उन काश्तकारों को, सबको यह सरकार सहायता देगी।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): बजट प्रावधान कितना है?

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): बजट प्रावधान छोड़ो, पैसों की बात है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): सामान ही नहीं है फिर।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): कैसे नहीं है, आपको क्या पता है?

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): कुल 20 किसानों का ही आपने बताया है कि आपने अनुदान दिया है। और कितने किसान जुड़े हुए हैं, वह बता दो। किसी की जानकारी में नहीं है।

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिये, माननीय सदस्य। आज, माननीय सदस्य, आपको क्या हो गया, किसी के पास ही आपको सामान नजर नहीं आ रहा है। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): ऐसा है, आप एक भी काश्तकार का बता दो कि मैंने एप्लीकेशन दी और उसकी स्वीकृति नहीं हुई। बजट का सवाल यह है कि जितने काश्तकार लेना चाहें, उन सबको देंगे। दूसरी बात, जहां तक समर्थन मूल्य का सवाल है, समर्थन मूल्य घोषित करती है भारत सरकार और जिन उत्पादों के सम्बन्ध में भारत सरकार, राज्य सरकार से राय मांगती है, उन्हीं उत्पादों के सम्बन्ध में राज्य सरकार राय देती है। उसमें यह प्याज शायद सम्मिलित नहीं है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, एक तो मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा मैंने स्पेसिफिक पूछा है, सीकर और नागौर का जहां राजस्थान में सबसे ज्यादा प्याज पैदा होता है। आपने कहा कि 20 प्रस्ताव आये और मैंने पूछा है कि 50,000 रुपये कितने काश्तकारों को सीकर और नागौर में आपने प्रदान कर दिये हैं? यह नहीं है कि स्टोर नहीं करते। अगर उनको योजना का मालूम होता तो कितने और कौन-कौनसी तहसीलों में आपने दिये हैं? मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार नहीं मांगेगी, लेकिन क्या राज्य सरकार अपनी तरफ से प्रस्ताव नहीं भेज सकती? आज तक राजस्थान की सरकार ने उन आम उपभोक्ता को जो लूटा जाता है, 100 रुपये, दो रुपये से 100 रुपये में...

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं, प्रश्न।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, उसके प्रस्ताव तो भेज सकती है, कोई मनाही नहीं है। लेकिन क्या राजस्थान की सरकार, जिस सरकार ने अभी 30 रुपये किलो में आम उपभोक्ताओं को प्याज उपलब्ध कराने का ड्रामा किया, दो रुपये वाले को, राजस्थान की सरकार, राजस्थान की आम जनता और प्याज उत्पादक किसानों के हितों को रखने का...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। बैठिये आप, आपका जवाब दिला रहा हूं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ): ...घोषित करने का मन रखने का या दोनों को लुटाने का? बिचौलियों को समाप्त करने के लिए क्या सरकार जमाखोरों के पक्ष में है?

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अगला प्रश्न और ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष: अगर सहयोग करेंगे तो।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): जहां तक आपने यह कहा है कि नागौर और सीकर जिलों में किनको दिया, सवाल यह है कि आप तो एक भी काश्तकार का नाम बता दो कि मैंने एप्लीकेशन दी और मुझे नहीं मिला। यहां आप काश्तकार की एप्लीकेशन दिलाओ। आप बात तो काश्तकार की यहां दिन भर करते हो और एप्लीकेशन दिलवाते नहीं हो। आपने अपने क्षेत्र के काश्तकारों की एप्लीकेशन क्यों नहीं दिलाई? आप यहां ऊपर से पैरवी करते हो, अन्दर से नहीं करते हो। जहां तक समर्थन मूल्य का सवाल है, वह राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। भारत सरकार समर्थन मूल्य घोषित करने से पहले राज्य सरकार की राय लेती है, उन उत्पादों के सम्बन्ध में राज्य सरकार राय देती है।

एक माननीय सदस्य: प्याज आपको हटा देगा।

श्री अध्यक्ष: चलिये, अगला प्रश्न, श्री दिगम्बर सिंह।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): प्रश्न संख्या 6. (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, धनिया का समर्थन मूल्य तो राजस्थान की सरकार ने घोषित कर रखा है और राजस्थान की सरकार खरीदती रही है, तो क्या प्याज की भी घोषणा करेंगे?

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजिये। अगला प्रश्न, डाक्टर दिगम्बर सिंह।

भरतपुर में निजी सहभागिता के आधार पर मेडिकल कालेज की स्थापना

6. **डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा भरतपुर में निजी सहभागिता के आधार पर मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो कब?

(2) क्या सरकार भरतपुर में निजी सहभागिता के आधार पर मेडिकल कालेज खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) : (1) तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा भरतपुर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर वर्ष 2008-09 के बजट में भरतपुर में मेडिकल कालेज स्थापित करने की घोषणा की गई थी।

(2) भरतपुर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर मेडिकल कालेज स्थापित नहीं करने का निर्णय लिया गया है। भरतपुर में निजी क्षेत्र में एक मेडिकल कालेज की स्थापना का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

संस्था के निवेदन पर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित मीटिंग में संस्था को भूमि आबंटन के निर्णय पश्चात् भूमि अवाप्ति की कार्यवाही पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल अपील संख्या 113/2011 अजय शुक्ला, स्टेट व अन्य में दिनांक 2.2.2011 को स्थगन आदेश पारित कर यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश दिये गये हैं।

(12.00 बजे)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन मुख्य मंत्री ने 2008-09 में पीपीपी मोड पर भरतपुर संभाग में मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा की थी। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि उस बजट में क्या उस मेडिकल कालेज के लिए कोई बजट का प्रावधान भी किया गया था, नम्बर एक? और क्या किसी अधिकारी की भी पोस्टिंग इस मेडिकल कालेज को वहां पर चालू करने के लिए की गई थी, नम्बर दो? नम्बर तीन, मंत्री महोदय नोट कर लें जिससे एक साथ जवाब आ जाएगा कि पीपीपी मोड से इसको प्राइवेट सैक्टर में देने के पीछे गवर्नमेंट की मंशा क्या है, क्यों दिया? मेडिकल कालेज नया खोलने के लिए मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया के लेटेस्ट रूल्स क्या हैं और क्या सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट मेडिकल कालेज के लिए स्टडी परपज से यूज करने की मेडिकल काउंसिल ने छूट दी है? यह आप मेरे को बताएं, मंत्री महोदय।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यह पीपीपी का प्रपोजल आपके जमाने में आया था तो लास्ट डेट जो थी, एमसीआई की डैड लाइन थी, वह 31.8 थी और आपने इसके ओपनिंग आफ टेण्डर रखे थे, वह डेट थी 14.8.2008। लास्ट डेट से 15 दिन पहले ये टेण्डर आपने खुलवाये थे,

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरु मियां))

तो प्रक्रिया के लिए मैं समझता हूं कि इसमें बहुत कम समय आपका रहा था। जहां तक आपने पैसे की बात की है, पचास लाख रुपये का इसमें अलाटमेंट रखा गया था, जिसमें कोई खर्चा नहीं हुआ और आज की तारीख में वह पैसा वापस चला गया है। डैपुटेशन पर एक अफसर आपने लगाया था। कोई फुलटाइम नहीं था, एक डैपुटेशन पर था।

जहां तक अभी का सवाल है, पीपीपी मोड पर जब यह प्रस्ताव आया था तो इसको स्टडी कराकर जब हमने देखा तो उसमें हमने पाया कि यह प्रैक्टिकल उस टाइम पर नहीं हो सकेगा, इस वजह से हमने दोबारा इसकी प्रक्रिया को शुरू की। अब हमारे पास एक आया हुआ है वेदान्ता मेडिकल एण्ड एजुकेशन रिसर्च फाउण्डेशन, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, देबारी, उदयपुर ने एक प्रपोजल हमें दे रखा है। सितम्बर, 2010 में इन्होंने प्रजेंटेशन किया था स्टेट मेडिकल प्लानिंग एण्ड रिसोर्स कमेटी के सामने । इसका जो प्रपोजल कास्ट है प्रोजैक्ट का, वह दो सौ करोड़ है और हमने इसको स्टेट मेडिकल प्लानिंग एण्ड रिसोर्स कमेटी की रिकमण्डेशन पर तीस एकड़ जमीन अलाट भी कर दी थी। वैसे मैंने अभी आपको बतलाया, यह जमीन जो थी यह आइडेंटिफाइड थी, जयपुर रोड, नियर डालमिया डेयरी। और a notification u/s 4(1) of the Land Acquisition Act, 1984, ... इसको 29.10.2010 को यूडीएच ने नोटिफाई कर दिया। यह लैण्ड एक्वीजिशन, प्रोसीडिंग्स, हियरिंग आफ आब्जेक्शंस अन्डर सैक्शन 5(ए) आफ द लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट के तहत शुरू भी हो गया था। there are 3 civil writs pending in the Hon'ble High Court against the acquisition of land for medical college. Hon'ble High Court in D.B. in Civil Special Appeal Writ no. जो मैंने बताया है, has issued directions to maintain status quo vide its order dated 2.2.2011 in the matter of land acquisition.

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से....

श्री अध्यक्ष: समाप्त करिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय मंत्री महोदय, आप सदन को यह बताएं कि पीपीपी मोड से इसको प्राइवेट सैक्टर में ले जाने का डिसीजन क्या आपकी सरकार ने केवल इसलिए किया कि वह डिसीजन पिछली सरकार का था, या इसके पीछे कोई और रीजन था? अगर इस डिसीजन में टाइम नहीं लगाया होता तो भरतपुर संभाग में भरतपुर में आज मेडिकल

(डा. दिगम्बर सिंह)

कालेज शुरू हो चुका होता। इसके पीछे क्या कारण है कि पीपीपी मोड से आप प्राइवेट सैक्टर में इसको ले गये, इसका मुझे स्पष्टीकरण एक बार सदन में बताएं। और दूसरा मैंने आपसे यह निवेदन किया था कि पीपीपी मोड में और प्राइवेट सैक्टर में जो फर्क है, प्राइवेट मेडिकल कालेज खुलने का मतलब तो हम एक बहुत धनी सेठ को एक और धंधा वहां पर उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि आज भी जो स्थिति बनी हुई है पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर....

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिये सीधा, समाप्त करेंगे चर्चा को, बहुत टाइम हो गया है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): जी। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि अगर गवर्नमेंट प्राइवेट की पार्टनरशिप में यह खुलता तो गवर्नमेंट का हास्पीटल काम आता, इससे ज्यादा गवर्नमेंट को कुछ करने की जरूरत नहीं थी। उन्हीं रेट्स पर सारे इन्वैस्टिगेशन होते आज जिन रेट्स पर हो रहे हैं। जो फैसिलिटीज हास्पीटल्स में अवेलेबल नहीं हैं, वे फैसिलिटीज वह प्राइवेट पार्टी वहां पर उपलब्ध कराती और बहुत आसानी से यह मेडिकल कालेज स्थापित किया जा सकता था। प्राइवेट सैक्टर में देने के पीछे भरतपुर की जनता के साथ कुठाराघात हुआ है। इसका स्पष्टीकरण आप सदन को दें कि इसको प्राइवेट सैक्टर में क्यों किया, पीपीपी में क्यों नहीं रखा।

श्री अध्यक्ष: विराजें, विराजें अब।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य को यह एश्योर करना चाहता हूं कि किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन हमने नहीं किया है, कि आपकी सरकार का प्रपोजल था इस वजह से हमने उसको डिस्क्रिमिनेट किया है। टैक्निकली और जो भी फिजीबिलिटी उसकी थी, उसको स्टडी करके हमने यह डिसीजन लिया। अब हम ओपन हैं, चाहे वह प्राइवेट में हो, चाहे पीपीपी में हो, कोई मेडिकल कालेज खोलेगा, हम उसको पूरी सहायता देंगे।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। प्रश्नकाल समाप्त

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(श्री अध्यक्ष)

1. श्री अमराराम, सदस्य, विधान सभा द्वारा 15 फरवरी, 2011 को सीकर, झुंझुनूं, जयपुर एवं अन्य जिलों में वर्षा एवं ओलावृष्टि से फसलों को हुई क्षति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

2. श्री ओम बिरला, सदस्य, विधान सभा द्वारा राज्य में वर्षा एवं ओलावृष्टि से फसलों को हुई भारी क्षति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

उपरोक्त प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

3. श्री वासुदेव देवनानी एवं एक अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में दर्शक दीर्घा से बाहरी व्यक्तियों द्वारा सदन में कूदकर पार्षदों के साथ मारपीट करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

4. श्री पेमाराम, सदस्य की ओर से सीकर जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

5. श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नागौर जिले के कुचेरा कस्बे के पास हुए सड़क हादसे से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

6. श्री कालीचरण सराफ, सदस्य, विधान सभा द्वारा जयपुर शहर में चलाये जा रहे आपरेशन परकोटा अभियान के तहत अतिक्रमण हटाने में की गई भेदभावपूर्ण कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

7. श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिल्ली एयरपोर्ट पर राज्य के गृह मंत्री के बैग से कथित रूप से मिले जिंदा कारतूसों की बरामदगी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में तो असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री पेमाराम, श्री अजय सिंह, श्री कालीचरण सराफ एवं श्री गुलाब चन्द कटारिया को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री ओटाराम देवासी, सदस्य की ओर से सिरोही जिले के कालकाजी बांध के क्षतिग्रस्त ओवर फ्लो के पुन: निर्माण में हो रही अनियमितताओं के संबंध में।

2. श्री रामनारायण मीणा, सदस्य की ओर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अलीगढ़ जिला टोंक को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत कर चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ के पदों में बढ़ोत्तरी करने के संबंध में।

3. श्री पवन दुग्गल, सदस्य की ओर से घड़साना एवं रावला की कच्ची बस्तियों के नियमन के संबंध में।

4. श्री गणेश सिंह परमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कुम्भलगढ़ की तहसील आमेट के राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के संबंध में।

5. श्री ओम बिरला, सदस्य की ओर से कोटा नगर निगम द्वारा नगरीय कर के नाम पर आम जनता से की जा रही वसूली के संबंध में।

6. श्री कानसिंह कोटड़ी, सदस्य की ओर से तहसील सिवाना के 14 गांवों की वन भूमि के चारों तरफ चारदीवारी (फैंसिंग) का कार्य करवाने के संबंध में।

7. श्री अब्दुल सगीर खां, सदस्य की ओर से धौलपुर जिले में व्याप्त बेरोजगारी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

8. श्री बहादुर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र वैर में पाले से नष्ट हुई फसल का कृषकों को मुआवजा दिलाये जाने के संबंध में।

9. श्री भगवान सहाय सैनी, सदस्य की ओर से विद्युत वितरण निगम द्वारा गैर आबादी क्षेत्र में दिये जा रहे घरेलू विद्युत कनेक्शन नियमों में संशोधन करने के संबंध में।

10. श्रीमती कमला कस्वां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के सादुलपुर-पिलानी मार्ग पर स्थित रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज बनाये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री पेमाराम।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने ओलावृष्टि के लिए सरकार को भेजा है...

श्री अध्यक्ष: श्री पेमाराम। जवाब आने दीजिए सरकार का।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): नहीं, जवाब तो आए, अध्यक्ष महोदय, कल छुट्टी थी, हम जयपुर में, सीकर में एक-एक गांव में जाकर आये हैं और सरकार को, मेरा आपसे यही निवेदन है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया विराजें। मैंने श्री पेमारामजी का नाम पुकार लिया है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): जिस तरह से पूरी की पूरी फसल तबाह हो गई, सरकार आज ही इसमें जानकारी करके वक्तव्य दे। किसानों की पूरी की पूरी फ़सलें तबाह हो गईं, गायें जानवर मर गये...

श्री अध्यक्ष: मैंने जानकारी मंगवाई है, जानकारी का समय तो उनको देना ही पड़ेगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): पूनियावास में एक गौशाला में 13 गायें इस ओलावृष्टि से तबाह हो गईं।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): xxx

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने जानकारी मंगवाई है, व्यवधान नहीं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़):

श्री अध्यक्ष: क्या आप इस पर बोलना चाहते हैं? मैं जानकारी मंगवा रहा हूं, आप बोलकर समाप्त करना चाहते हैं तो फिर जानकारी आने से फायदा क्या होगा? नहीं, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य। श्री पेमारामजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): xxx

श्री अध्यक्ष: श्री पेमारामजी, शुरू करें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): xxx

श्री अध्यक्ष: श्री पेमारामजी। अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): xxx

श्री अध्यक्ष: मैं सरकार को भेज रहा हूं इसीलिए कि जवाब दे, अपने को वह बताए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): xxx

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): xxx

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे कि सारे राजस्थान के किसान इस बात से बहुत अधिक रूप से पीड़ित हैं, सारी फसल उनकी तबाह हुई है। माननीय सदस्य इतना ही तो चाहते हैं कि सरकार यह आश्वासन दे कि आज या कल सरकार कब वक्तव्य देगी। सरकार इसमें क्या कहना चाहती है, हम इतना ही चाहते हैं। इसमें तो सरकार से आप पूछ लें। आज सरकार को खुद वक्तव्य लेकर आना चाहिए था कि हम वक्तव्य दे रहे हैं। सरकार आज सदन में बैठी है, सारे राजस्थान के माननीय सदस्य चिंतित हैं, सरकार यह बताए कि किस दिन वक्तव्य देगी। आप यह व्यवस्था करा दें किस दिन वक्तव्य देगी, इतनी ही तो बात है, और क्या बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): xxx

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। श्री पेमारामजी।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): xxx

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): xxx

श्री अध्यक्ष: वक्तव्य बाद में दिला दूंगा, मैंने कह दिया है आपको। मेरी बात हो गई है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): xxx

श्री अध्यक्ष: श्री पेमाराम जी।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है, किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं हो रहा है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): xxx

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): xxx

श्री अध्यक्ष: श्री पेमारामजी, नहीं बोलना हो तो मत बोलिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): xxx

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): xxx

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं ...(व्यवधान) कृपया आप विराज जाएं। श्री पेमारामजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): xxx

श्री अध्यक्ष: किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं हो रहा है। श्री पेमारामजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): xxx

श्री अध्यक्ष: श्री पेमारामजी। आप पेमारामजी को नहीं बोलना देना चाहते हैं, मैं अगला नाम बोलूं? अंकित नहीं होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): xxx

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): xxx

(12.14 बजे)

(श्री सुरेन्द्रसिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। आप विराजें, माननीय सदस्य।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): xxx

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य आप विराजें।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): xxx

श्री सभापति: श्री पेमारामजी। माननीय सदस्य, विराजें।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): xxx

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): xxx

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): xxx

श्री सभापति: श्री पेमारामजी।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): xxx

श्री सभापति: श्री पेमारामजी। माननीय सदस्य, विराजें।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): xxx

श्री सभापति: नहीं हुई है। माननीय सदस्य, नहीं हुई है, नहीं हुई है।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): xxx

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): xxx

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): xxx

श्री सभापति: श्री पेमारामजी। माननीय सदस्य, विराजें।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): xxx

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इतनी-सी बात, माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): xxx

श्री सभापति: श्री पेमारामजी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): xxx

श्री पेमाराम (धोद): आर्डर में तो लाइए सदन को। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): xxx

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं इतना ही कह रहा हूं, यहां सदन में वक्तव्य देने के लिए सरकार जब चाहे तब वक्तव्य दे

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सकती है। इसमें कई बार आसन की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती, आसन परमिशन देता ही है। सहायता मंत्रीजी यहां पर बैठे हुए हैं, इनका नाम भी ओला है। ओले पड़े हैं, इनके कारण से ही सारा नुकसान हुआ है और जिस क्षेत्र में यह रहते हैं वहां ज्यादा पड़े हैं। इसलिए हम इतना ही चाहते हैं इनसे, सरकार यह बता दे, सरकार इस संबंध में सदन को कब सूचित करेगी। या सरकार इस संबंध में सदन को वक्तव्य देना ही नहीं चाहती? किसान मर गया जो मर गया, अगर आप यह कहना चाहते हो तो यह कह दो। इसका अर्थ यही है कि आप सदन में बैठे रहकर इस संवेदनशील मुद्दे पर यह नहीं कहते। सदन में आज नहीं कल, परसों, कभी भी जब आप वक्तव्य देना चाहें, सदन में इस समस्या पर वक्तव्य दें, हमारी यही मांग है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए, आप विराजें। माननीय सदस्य, विराजो आप।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): xxx

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): xxx

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इनकी जगह अगर शीशराम ओलाजी होते आज ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आज अगर शीशरामजी लोक सभा में नहीं होकर इनकी जगह मंत्री होते तो अब तक वह वक्तव्य दे देते। मैं यह कह रहा हूं, शीशरामजी अगर होते तो अब तक जवाब दे देते।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): xxx

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, आप विराजें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है, आप विराजिए।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): xxx

श्री सभापति: पूर्व में यह व्यवस्था.., माननीय सदस्य, आप विराजिए।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): xxx

श्री सभापति: आसन पैरों पर है, आप विराजिए। पूर्व में यह व्यवस्था दी जा चुकी है कि सिर्फ पेमारामजी अपना वक्तव्य जारी रखें। श्री पेमारामजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह कैसी क्या व्यवस्था है ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): xxx

श्री सभापति: आसन से यह व्यवस्था दी जा चुकी है, आप विराजिए, माननीय सदस्य।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): xxx

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): xxx

श्री सभापति: आसन से यह व्यवस्था दी जा चुकी है, आप विराजें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें। माननीय सदस्य आप विराजें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): xxx

श्री सभापति: आप विराजें, आप विराजें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, वाकई निश्चित तौर पर यह जो है, यह बहुत गम्भीर विषय है। माननीय सदस्य की चिन्ता भी वाजिब है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेकर माननीय मंत्रीजी का स्टेटमेंट दिलवा देंगे।

श्री सभापति: श्री पेमाराम जी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

सीकर जिले में कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति

श्री पेमाराम (धोद): माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे सीकर जिले में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): सीकर की क्यों, राजस्थान की क्यों नहीं?

श्री पेमाराम (धोद): राजस्थान का भी रख रहा हूं न। सीकर जिले सहित राजस्थान का रख रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, हमारे सीकर जिले में आये दिन चोरियां हो रही हैं। मैं राजस्थान की बात बाद में करूंगा, पहले मैं जहां से चुन कर आया हूं, वहां की करूंगा। वहां कोई दलित की बेटी अपने पति के साथ अपने घर पर सो रही है, अपराधी आते हैं तथा पति-पत्नी दोनों को उठा करके ले जाते हैं, गैंग रेप करते हैं। पिस्तौल की नोक पर बलात्कार करते हैं और राजस्थान की यह सरकार अपराधियों को अभी तक गिरफ्तार करना, पिस्तौल को बरामद करना, ये काम करने की बजाय अपराधियों को बचाने का काम करती है।

माननीय सभापति महोदय, एक दलित परिवार था रसूलपुर गांव में, उस दलित के बेटे को, अपराधी आते हैं 10-20 इकट्ठे होकर और लाठियों से पीट-पीट कर, तड़फा-तड़फा कर मार देते हैं और राजस्थान की सरकार अपराधियों को गिरफ्तार करने की बजाय 299 में मफ़रूरी में चालान पेश करने की कुचेष्टा कर रही है। यही नहीं, सभापति महोदय, हमारे सीकर शहर में आये रोज व्यापारी पैसा जमा कराने के लिए बैंक जाते हैं, व्यापारी शाम को घर जाता है तो अपराधी आते हैं और थैला छीन ले जाते हैं, व्यापारी की पिटाई कर देते हैं। माननीय सभापति महोदय, व्यापारी सड़कों पर आये, हाई-वे नंबर-11 को रोका और यही नहीं, सीकर शहर को बंद करके भी देख लिया। राजस्थान में पुलिस का जो कुकृत्य है, अपराधियों से मिली हुई है। जैसा हमारे राजस्थान के गृह मंत्री कह रहे हैं, राजस्थान के थाने राजस्थान की जनता की सेवा करने के लिए नहीं हैं, अपराधियों की संरक्षणस्थली बने हुए हैं। आज सीकर जिले की आम जनता खौफ में है।

माननीय सभापति महोदय, मैं नागौर का एक केस रख रहा हूं, एक गरीब की बेटी, दलित की बेटी, उसका बलात्कार हो गया और एफआईआर दर्ज हो गयी। थाना मकराना है और एफआईआर नं. 396 है। बेटा पैदा हो गया कुंवारी बेटी के। यही नहीं, इनके थानों में पुलिस की जो महिला कर्मचारी हैं, उनके साथ काला मुंह किया जाता है और उसके बाद उनका कत्ल हो जाता है। राजस्थान की सरकार जनता की सुरक्षा करने के बजाय, और हमारे सीकर की तो बुरी हालत है, हमारे सीकर के पुलिस अधिकारी सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करते हैं, मंत्री महोदय के धोक देने के अलावा जनता की सुरक्षा नहीं करते हैं। मंत्रीजी की सेवा करने का काम करते हैं।

इसी तरह से हरियाणा से चलकर आती है दारू, उसका समाचार मिल जाता है कि हरियाणा से अवैध दारू आ रही है। राजस्थान में सीकर जिले की

(श्री पेमाराम)

पुलिस को पहले ही पता लग जाता है, अख़बार, रेडियो, टीवी सब बोलते हैं, लेकिन सीकर जिले में किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो उन अवैध शराब लाने वालों को पकड़ करके अंदर डाले। हमारा मानना यह है कि सीकर जिले की पुलिस अपराधियों से मिली हुई है और उसी का परिणाम है कि आज सीकर जिले में खौफ की स्थिति है। लोग गांव की आबादी के अलावा ढाणियों में रहते हैं, ढाणियों में भी, आप बताइये, सभापति महोदय, इस तरह से गैंग रेप हो जाए, घर से पति के साथ सोती हुई पत्नी को उठा कर ले जाए। तीन दिन तक गैंग रेप करें और पुलिस आज तक कुछ नहीं कर सकी। यही नहीं, घर में जाकर आठ-आठ लोगों ने नीमकाथाना में गैंग रेप किया। आपकी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की इसलिए पीड़िता को न्यायालय में जाकर न्यायाधीश महोदय के सामने अपने बयान देने पड़े कि मेरे साथ गैंप रेप मेरे घर में घुस करके हुआ। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में पुलिस का तांडव नृत्य है, कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, और, मैं तो यह कह रहा हूं कि राजस्थान में अशोक गहलोत का नहीं पोपा बाई का राज है। मर्जी आये वो गुंडागर्दी करता है, मर्जी आये उसको उठा करके ले जाता है, सरकार का कानून व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से सीकर जिले में और राजस्थान में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, दलितों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, आम जनता में खौफ है, इसके संबंध में आप सदन में सरकार की तरफ से वक्तव्य दिलाएंगे और जो भी अपराधी हैं, थानों में उनकी खातिरदारी करने की बजाय उनको गिरफ्तार करके जेल में डलवाने का काम करेंगे। यही मुझे आपसे कहना है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): सभापति महोदय, हालत बहुत खराब है। हमारे बीकानेर जिले में बज्जू, पूगल, खाजूवाला क्षेत्र में कोई बेचारा भेड़-बकरी सड़क किनारे चराता है, कोई एक कैरियर लेकर आता है, पांच-दस बकरियां भरीं और ले जाकर बूचड़खाने में भेज देता है। कोई कार्यवाही नहीं। यह सरेआम हो रहा है। आपको तो पता ही है, अभी दिल्ली से खबर आयी थी कि एक महिला बीच बाजार में चेन पहने हुए जा रही थी, दो मोटरसाइकिल वालों ने उसकी चेन खेंची और वापस आकर मोटरसाइकिल वालों ने उस औरत को ठोकना शुरू कर दिया कि साली नकली चेन पहनती है। ये हालात हो गये, इतने डेयरिंग हो गये हैं कि इन अपराधियों को बिलकुल भय नहीं रहा है।

श्री सभापति: श्री अजय सिंह। विराजिये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): इसलिए आप आसन से निर्देश दें इस सरकार को कि व्यवस्था सुधारें, नहीं तो जंगल राज हो जाएगा।

श्री सभापति: विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): xxx

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा। श्री अजय सिह।

नागौर जिले के कुचेरा के पास हुई भीषण सड़क दुर्घटना

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय सभापति जी, मैं, 14 फरवरी को कुचेरा के पास में नागौर जिले में हुई बहुत गम्भीर दुर्घटना के संबंध में सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 14 तारीख को पिकअप और ट्रक ट्रोले का एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया, मौके पर 15 व्यक्ति मारे गये और 6 लोग घायल हो गये। घायलों को तुरन्त ही पास के कुचेरा अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन एक बड़ी गम्भीर बात यह है कि वहां पर कोई भी डाक्टर उस समय उपस्थित नहीं मिला। आज के अख़बार के जरिये मुझे जानकारी हुई है कि सरकार द्वारा दो यातायात कर्मियों को निलम्बित कर दिया गया। यह सही है कि प्रथमदृष्ट्या यातायात और पुलिस विभाग की यह जिम्मेदारी थी, लेकिन सरकार इस पर लीपापोती कर रही है। इसमें सरकार की जिम्मेदारी है क्योंकि दस पदों में से आठ चिकित्साकर्मियों के पद वहां पर खाली हैं। न वहां पर 108 एंबुलेंस की कोई सुविधा थी । इसके बाद में जब माननीय मुख्य मंत्रीजी वहां पर गये, भोपालगढ़ के ये सब रहने वाले थे और 15 व्यक्ति एक ही परिवार के सदस्य थे, तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा भी किसी प्रकार की सहायता उनको उपलब्ध नहीं करवायी गयी। जबकि बालेसर में जो घटना हुई थी, वहां पर मुख्य मंत्री महोदय द्वारा पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गयी। इस दुर्घटना में दो बच्चे अभी बचे हुए हैं और मेरी मांग है कि उन बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन करे, उनको आगे बड़े होने पर रोजगार की गारंटी भी सरकार दे और सभी दुर्घटनागस्त परिवारों के एक-एक जने को दस-दस लाख की आर्थिक सहायता दे। आज चिकित्सा मंत्री यहां मौजूद हैं, मैं उनके सामने यह कहना चाहता हूं कि बार-बार मांग करने पर, बूंटाटी के अंदर राजस्व अभियान के तहत जब

(श्री अजय सिंह)

शिविर हुआ था तब भी मैंने यह मांग की थी कि कुचेरा या बूंटाटी में 108 एंबुलेंस उपलब्ध करवायी जाए लेकिन उसको भी आया-गया किया गया। कलक्टर वहां मौजूद थे पर किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मैं इस संबंध में तीन-चार बार माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिल चुका हूं, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से मिल चुका हूं, लेकिन कभी कोई कार्यवाही नहीं की गई। दो वर्ष से भी अधिक समय से कुचेरा में चिकित्साकर्मियों के पद खाली हैं, उनको जानबूझकर या पता नहीं राजनीतिक द्वेषता के कारण नहीं भरा जा रहा है। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी अभी यहां मौजूद हैं, वह इसके बारे में अभी अवश्य ही बोलें कि कौन से ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से उन पदों को नहीं भरा जा रहा है, जबकि वह एनएच 89 के नागौर और मेड़ता के मध्य में स्थित है। इसके अलावा जब दुर्घटनाग्रस्त लोगों को नागौर जिला अस्पताल ले जाया गया तो वहां भी प्रशासन और चिकित्सा विभाग में किसी प्रकार का तालमेल नहीं रहा। जिला लेवल पर न तो सीटी स्कैन की कोई सुविधा है, न एमआरआई की कोई सुविधा है। ऐसी स्थिति में जहां सरकार बिलकुल संवेदनहीन है, सिर्फ पुलिस और यातायात विभाग के दो कर्मचारियों को करने को ही अगर यह पूरा मानते हैं तो कैसे काम चलेगा? इसके बारे में माननीय चिकित्सा मंत्रीजी बताएं कि चिकित्सा विभाग इसके लिये कितना दोषी है और वह अब इसमें क्या-क्या कार्यवाही कब तक कर देंगे।

श्री सभापति: श्री कालीचरणजी सराफ । (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिए।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): सभापति महोदय, मैं दो मिनट बोलूंगी। यह भोपालगढ क्षेत्र का मामला है, मैं सिर्फ दो मिनट बोलूंगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं, आप विराजिए।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): यह भोपालगढ क्षेत्र का मामला है, मैं सिर्फ दो मिनट बोलूंगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। नहीं होगा अंकित।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): xxx

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): xxx

श्री सभापति: श्री कालीचरणजी सराफ।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): xxx

श्री सभापति: आप विराजिए, आप विराजिए।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): xxx

श्री सभापति: विराजिए। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): xxx

श्री सभापति: विराजिए, आप विराजिए।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा, आप विराजिए।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): xxx

श्री सभापति: श्री कालीचरणजी सराफ। माननीय सदस्य, विराजिए, विराजिए । मामले की गम्भीरता को देखते हुए, जो हादसा हुआ उसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी खुद वहां पधार चुके हैं, वह सारी स्थिति देख कर आ चुके हैं। माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि वहां आये, वहां बैठकर सांत्वना दी, सब कुछ दिया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी वहां जाकर आये हैं, आप यहां स्वयं कह रहे हैं। (व्यवधान) आप विराजिए, विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए, आसन पैरों पर है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): xxx

श्री सभापति: आप विराजिए, मैं आपको अलाउ कर नहीं रहा हूं, माननीय सदस्य, फिर भी आप बोले जा रहे हैं। आप सदन को आर्डर में चलने दें, आप विराजिए ।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): xxx

श्री सभापति: आप विराजिए। आप विराजिए, माननीय सदस्य । श्री कालीचरणजी सराफ।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): xxx

श्री सभापति: आप विराजिए, विराजिए, अंकित नहीं होगा।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): xxx

श्री सभापतिः आप विराजिए। (व्यवधान) आप वक्तव्य देना चाहते हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सीकर वाले मामले में जो माननीय पेमाराम जी ने उठाया है, उसमें।

श्री सभापतिः वह तो मामला चला गया उसके बाद भी आप सरकार की ओर से वक्तव्य देना चाहते हैं?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हां, आप कहो तो नहीं बोलूं?

श्री सभापतिः देना चाहते हैं तो दें।

सीकर जिले में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, माननीय पेमारामजी ने सीकर जिले की कानून व्यवस्था के बाबत जो बात उठाई है, मैं स्वीकार करता हूं कि 2010 में 2009 की तुलना में गम्भीर अपराधों में आंशिक वृद्धि हुई है। लेकिन ...(व्यवधान) बोलने तो दो। लेकिन वर्षभर में आईपीसी के दर्ज अपराधों में 2 प्रतिशत की गिरावट भी हुई है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): xxx

श्री सभापतिः माननीय सदस्य आप विराजिए। मंत्रीजी बोल रहे हैं, आप विराजिए। माननीय सदस्य, आप विराजिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): xxx

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री जगसीराम (रेवदर): xxx

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): xxx

श्री सभापतिः आप विराजिए, माननीय सदस्य, विराजिए। माननीय सदस्य, मंत्रीजी जब सरकार की ओर से जवाब दे रहे हैं तो आप सुनने का प्रयास तो करें। सरकार के जवाब के बीच में अगर आप व्यवधान करेंगे तो फिर वही व्यवधान होगा, कोई नहीं सुन पाएगा। आप विराजिए। पहले जो वक्तव्य आ रहा है उसको पूरा सुनिए, माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री जगसीराम (रेवदर): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिए। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। आप बोलेंगे वह अंकित नहीं होगा, सिवाय मंत्रीजी के।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये जो कार्यवाही 2009 में की गई थी, उससे 50 प्रतिशत ज्यादा 2010 में की गई है सीकर जिले में। दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि फरार अपराधियों की गिरफ्तारी में जितनी सफलता सीकर जिले में मिली है, मैं यह समझता हूं कि शायद ही किसी दूसरे जिले में मिली होगी। 2009 में जो फरार अपराधी थे वे 1445 गिरफ्तार किये गये और 2010 में 1009 गिरफ्तार किये गये।

अब सवाल आता है नत्थी देवी का, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह आपस का मामला है। दोनों के मकान बराबर हैं। जिसको मुलजिम बताया जाता है वह मुलजिम ही उनके खेत को बोता था, पानी आता था, जाता था और सब कुछ मिला-जुला होता था, लेकिन उस रोज झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद जब एक लेडी बाथरूम में नहा रही थी तो पानी का वाल्व बंद हो गया और बंद होने से वह नाराज हो गई। उस पर इतना झगड़ा हुआ तो उस पर यह आरोप लगा दिया गया। इनका मेडिकल करवाया गया है। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि जो मेडिकल करवाया गया है वह भी डाउटफुल है कि रेप हुआ या नहीं हुआ। इसीलिए मैंने पुलिस को यह आदेश दिया है कि इसका डीएनए का टैस्ट करवाया जाए, डीएनए टैस्ट के बाद में असलियत सामने आ जाएगी। गिरफ्तारी वगैरह सब कुछ हो चुकी है। सिर्फ एक मुलजिम बचा है, बाकी 8 आदमियों की गिरफ्तारी समय पर हो चुकी है।

श्री पेमाराम (धोद): रसूलपुर का क्या हुआ?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। विराजिये, अंकित नहीं होगा, विराजिये।

श्री पेमाराम (धोद): xxx

श्री सभापति: आप विराजिये, माननीय सदस्य, विराजिये। मैंने सिर्फ मंत्रीजी को वक्तव्य देने के लिये अनुमति दी है, आप विराजिये। आप विराजिये।

श्री पेमाराम (धोद): xxx

श्री सभापति: आप विराजिये। श्री कालीचरण सराफ।

श्री पेमाराम (धोद): xxx

श्री सभापति: आप विराजिये, विराजिये। माननीय सदस्य, आप विराजिये।

जयपुर शहर में अतिक्रमण हटाने में की गयी भेदभावपूर्ण कार्यवाही

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, मैं स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से, माननीय नगरीय विकास मंत्रीजी बैठे हैं, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जयपुर नगर निगम ने पिछले दिनों जयपुर में अतिक्रमण हटाने के लिये 'आपरेशन परकोटा' नाम से एक अभियान चलाया, उस अभियान में जिस तरीके से भेदभावपूर्ण और पक्षपातपूर्ण कार्यवाही की गई, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जयपुर शहर में जो साम्प्रदायिक सौहार्द का वातावरण बना हुआ है, उसको बिगाड़ने पर उतारू है। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि बड़ी चौपड़, खंदा हवामहल, उसमें ताले-चाबी वाले 50 वर्षों से बैठते थे, नगर निगम का लाइसेंस था उनके पास, उनको हटा दिया गया। चूड़ी वाले, उनको हटा दिया गया। पटवा हस्तशिल्प के लोग वहां जयपुर रियासतकाल से बैठते थे, उनको हटा दिया। अंगोछे वाले, जनेऊ वाले, गोटों की किनारी वाले, फूल वाले, यानी ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं छोड़ा जो 50-50, 60-60 साल से वहां बैठते थे, उनको हटा दिया। हटा दिया, कोई बात नहीं। उनके पुनर्वास की व्यवस्था सरकार करे। जो बेरोजगार हो गये, उनको हम रोजी-रोटी की व्यवस्था करें, उनके लिये पुनर्वास की व्यवस्था करें।

दूसरी जो गम्भीर बात है, वह यह है कि जयपुर शहर में गर्मियों में प्यासे लोगों के लिए धर्मात्मा लोग जो प्याऊ बनाते हैं, पक्की प्याउएं थीं, सौ-सौ साल से, डेढ़-डेढ़ सौ साल से, सिटी सर्वे में उनका उल्लेख है, ऐसी प्याउओं को तोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, कौन-कौन-सी प्याऊएं तोड़ी हैं, बरसों से बनी प्याऊएं-कोतवाली के बाहर, त्रिपोलिया पर बनी ठण्डी प्याऊ, ब्रज बिहारीजी के मन्दिर के बाहर की प्याऊ, माधवबिहारीजी मन्दिर के परिसर में बनी प्याऊ, नीलमणि चटर्जी मन्दिर के बाहर बनी प्याऊ, बड़ी चौपड़ पर चूड़ी वालों की प्याऊ, माणक चौक थाने के बाहर प्याऊ, रामगंज में किशन मिष्ठान भण्डार की प्याऊ, चौपड़ पर सब्जी वालों की फूल वालों के पास बनी प्याऊ। और इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, मुरली मनोहरजी के मन्दिर के

(श्री कालीचरण सराफ)

परिसर में, उनकी सम्पत्ति में 24 दुकानें बनी हुई थीं, सिटी सर्वे में उनका उल्लेख है, उनको भी इन्होंने तोड़ दिया। प्याऊ डेढ़-डेढ़ सौ साल से, सौ-सौ साल से सिटी सर्वे में जिनका उल्लेख है, उनको तोड़ दिया। लोगों ने उसको भी सहन किया।

परन्तु सबसे ज्यादा आपत्तिजनक बात यह है कि उसके बाद जब वह अतिक्रमण अभियान रामगंज और घाटगेट में पहुंचा तो उनको अपने वोट याद आ गये। आपको यह सुनकर अफसोस होगा कि एक भी छबील, मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं, रहमानिया मस्जिद के बाहर रोड पर बनी हुई छबील नहीं तोड़ी गई। रहमानिया कोठी के पास कल्लू होटल के पास रोड पर, फुटपाथ पर 20 फुट आगे बनी हुई छबील, उसको नहीं तोड़ा गया। हद तो तब हो गई जब रामगंज में गोहर तवायफ के खंदे में साहिल होटल जो पिछले 3 महीने पहले बनी है, बरामदा पूरा कवर कर लिया, चार मंजिल की होटल खड़ी कर ली, उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं गया, उसको नहीं तोड़ा। इसी प्रकार से लुहारों के खुर्रों के पास बनी छबील, लुहारों की मस्जिद में बरामदे पर बनी छबील, ये भी उनको नहीं दिखी, उनको भी नहीं तोड़ा। मंदिर की 24 दुकानें तो तोड़ दीं पर एक मस्जिद परिसर में 4 दुकानें बनी हुई हैं, उनकी तरफ भी उनका ध्यान नहीं गया। नवाब के चौराहे पर बरामदे को रोकते हुए बनी छबील को नहीं तोड़ा। चौराहे के आगे बाइजी की कोठी के आगे बरामदा रोकते हुए बनी छबील को नहीं तोड़ा गया।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जयपुर का जो साम्प्रदायिक सौहार्द बना हुआ है, उसको बिगाड़ने का काम मत करिये। एक तरफ आपने 150-150 साल, 200-200 साल पुरानी प्याउओं को तोड़ दिया और छबील में जाते ही आपकी टांय-टांय फिस्स, आप उनको नहीं तोड़ पाये। मंदिर की जमीन में 24 दुकानें तोड़ दीं और मस्जिद के परिसर में जाते ही आपने उसको नजरअंदाज कर दिया। 3-4 मंजिल की होटल बन गई, बरामदा कवर करते हुए बन गई, उसको आपने नहीं तोड़ा। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि सारा अतिक्रमण बिना भेदभाव के हटना चाहिए। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि ये अतिक्रमण नहीं हटाये गये तो जितनी प्याऊ आपने तोड़ी हैं, 15 दिन में यदि बाकी अतिक्रमण नहीं हटाये तो सारी प्याऊ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े होकर बनवाएंगे और फिर आप में जितनी ताकत हो, आप कर लीजिएगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गुलाबचन्दजी कटारिया। श्री गुलाबचन्दजी कटारिया। (व्यवधान) मंत्रीजी, आप वक्तव्य देना चाहते हैं? (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, जितने सब्जी वालों को और ठेले वालों को हटाया गया है, उन सब लोगों को लेकर मैं माननीय गृह मंत्रीजी से मिलने गया था।

श्री सभापति: आप विराजिये, मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं, माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री सभापति: आप बोल गये न सारी बात। माननीय सदस्य, आप विराजिये। अंकित नहीं होगा, आप विराजिये। (व्यवधान) मंत्रीजी वक्तव्य दे रहे हैं। मंत्रीजी वक्तव्य दे रहे हैं, आप विराजिये। (व्यवधान) आप विराजिये। आप वक्तव्य नहीं सुनना चाहते? (व्यवधान) सरकार की ओर से मंत्रीजी वक्तव्य दे रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते? आप नहीं सुनना चाहते? (व्यवधान) तो विराजिये। फिर विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। आप विराजिये। मंत्रीजी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, माननीय सराफ साहब ने जो बात उठाई है, दो बातें हैं, एक तो अतिक्रमण में भेदभाव और दूसरा पुनर्वास। भेदभाव में आपने मोटी बात यह कही है कि प्याऊ तो तोड़ दीं और छबीलें नहीं तोड़ीं। मैं आपको चार छबीलें बता देता हूं जो तोड़ी गई हैं।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): जो नहीं तोड़ी हैं, वह बताइये आप।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): जो नाम बताये हैं उसमें से एक भी छबील नहीं टूटी। (व्यवधान) जो नाम बताये, यह सारी लिस्ट यहां पर रख दूं, टेबल पर रख दूं।

एक माननीय सदस्य: आप टेबल पर रखिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): एक भी छबील इसमें से नहीं टूटी है, मैंने आपको लिस्ट दी है बाकायदा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिये। आप विराजिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप वह बताइये जो मैंने नाम बताये हैं।

श्री सभापति: वक्तव्य तो पूरा होने दीजिए आप। अभी उन्होंने शुरू किया है, आप विराजें तो बताएंगे।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): आप यह बताइये, किनको नहीं तोड़ा, किसलिये नहीं तोड़ा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, उन्होंने वक्तव्य शुरू किया है, आप बोलने तो दीजिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): गलत तथ्य रख रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैंने लिस्ट बताई है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, पहली बात तो आपने मुरली मनोहरजी के मंदिर के नीचे की दुकानें हैं, उनको तोड़ने का जिक्र किया है।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): अब आप प्याऊ और छबील से दुकानों पर आ गये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह कहा कि 24 दुकानें तहस-नहस कर दी गईं। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि कोई भी नीचे की दुकान तोड़ी नहीं गई, सिर्फ चबूतरे हटाये गये हैं। आपकी इंफार्मेशन बिलकुल गलत है। आपकी जानकारी अधूरी है।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): आपको अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इन चबूतरों का सिटी सर्वे में उल्लेख है। गलत जानकारी दी है आपको। सिटी सर्वे में उल्लेख है। और यह कहो तो यह सिटी सर्वे मेरे पास है।

श्री सभापति: मैंने तसल्ली से आपकी बात सुनी।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): आपको अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है। माननीय मंत्री महोदय, अधिकारी गलत बयान दिला रहे हैं आपसे।

श्री सभापति: पूरा वक्तव्य तो आने दीजिए।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): अधिकारी गलत जवाब दिला रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं। मैं यहां चैलेंज करता हूं यह गलत जवाब दे रहे हैं।

श्री सभापति: आप विराजिये, आप विराजिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): वहां दुकानें बनी हुई थीं। वहां दुकानें बनी हुई थीं, उनको तोड़ा है।

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): अधिकारी गलत जवाब दे रहे हैं आपको। यह क्या बात है? आप प्रोपर जवाब लेकर आइये। अधिकारी को सस्पैण्ड कीजिये, अगर यह जवाब है तो।

श्री सभापति: पूरा वक्तव्य तो आने दीजिये। आप वक्तव्य सुनना चाहते हैं न? आप वक्तव्य नहीं सुनना चाहते हो, मैं दूसरा बिन्दु उठाता हूं।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): इन दुकानों को चबूतरा बता रहे हैं। वहां दुकानें तोड़ी हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप वक्तव्य नहीं सुनना चाहते हो, मैं बैठा देता हूं मंत्रीजी को।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मुरली मनोहरजी के मंदिर के नीचे की दुकानों को ध्वस्त नहीं किया गया, बल्कि दुकानों के आगे चबूतरों पर बनी अस्थाई लोहे की टीन से बने ढांचों को हटाया गया है जो कि नगर निगम के रिकार्ड सिटी सर्वे में खसरा नम्बर 234 पर मिल्कियत सरकार दर्ज हैं। मंदिर की दुकानें आज भी यथावत मौजूद हैं और किसी भी तरीके की कोई भी भेदभावपूर्ण कार्यवाही इस पूरी कार्यवाही में नहीं की गई। दुकानों के ऊपर का निर्माण जो अवैध है, दुकानों के ऊपर का निर्माण जो अवैध निर्माण है, उसको भी प्रथम चरण में हटाया जाना था लेकिन उसको भी नहीं हटाया गया है। इसी प्रकार से रामगंज बाजार में जो आपने बताया...

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): एक मिनट, माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी, इस पर जांच बैठा दीजिए आप तो। इसमें सदन की जांच बैठा दीजिए अगर स्वायत्त शासन मंत्रीजी का वक्तव्य सही है। नहीं तो मैं इस्तीफा दूंगा विधान सभा से। यह गलत वक्तव्य दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। बैठिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): यह गलत वक्तव्य दे रहे हैं। आप जांच समिति बैठा दीजिए। गोविन्द देवजी के मंदिर के बाहर दुकान थी,

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

अनधिकृत नहीं थी, 1925 के सर्वे रिकार्ड में दर्ज थी। 1925 के सर्वे रिकार्ड में यह दर्ज है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिए। आप विराजिए माननीय सदस्य। आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य, विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए। मोहनलालजी गुप्ता साहब, विराजिए। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): आप जांच समिति बैठा दीजिए।

श्री सभापति: मोहनलालजी गुप्ता, आप विराजिए। मंत्रीजी, एक मिनट विराजिए। मंत्रीजी, हाउस को मुझे आर्डर में लाने दीजिए। आप विराजिए। आप वक्तव्य के लिए कह रहे हैं, सरकार की तरफ से वक्तव्य आ रहा है, मेहरबानी करके उसको सुनिये। उसके बाद यदि आपका कोई शंका-समाधान है, तो आप मेहरबानी करके पूछिये। आप बीच में टोका-टोकी करेंगे, व्यवधान करेंगे तो न मंत्रीजी का वक्तव्य आ पाएगा और न सारा सदन ही सुन पाएगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ठीक है, ठीक है। (व्यवधान)

श्री सभापति: इसलिए मेरा माननीय सदस्यों से करबद्ध अनुरोध है कि जो मंत्रीजी वक्तव्य दे रहे हैं, उसको सुनिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ठीक है, आप बोल लेंगे उसके बाद बोलेंगे।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): हम तो सीरियस हैं, हम तो जांच की मांग कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): रामगंज बाजार में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मैं अब फिर मंत्रीजी को रोक देता हूं, सरकार की तरफ से वक्तव्य आएगा ही नहीं। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप बाद में बोल लेना। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): +++ बोल रहे हैं मंत्रीजी।

श्री सभापति: यह +++ शब्द को डिलीट कर देना।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): रामगंज बाजार में 02 फरवरी को उत्तरी दिशा में कार्यवाही शुरू की गई जिसमें बरामदे में छबील पर दुकानें बनाकर कब्जा किया हुआ था, उनको हटाया गया। फूटा खुर्रा स्थित एक प्याऊ

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

सड़क पर बनी हुई थी, उसे भी हटाया गया। अधिकांश लोगों द्वारा स्वयं अतिक्रमण हटा लिये गये। जिन्होंने फुटपाथ व बरामदे में आड़ी पट्टियां लगाकर बंद किया हुआ था, उन्हें भी निगम के दस्ते के द्वारा हटाया गया। रहमानिया छोटी-बड़ी दोनों मस्जिदों के सामने एक छबील, वजूद-खाना बना रखा था, उसे भी हटाया जा रहा था परन्तु रहमानिया समुदाय के लोगों ने उसे अपनी मिल्कियत बताया इसलिए उसको छोड़ दिया गया। मेरा यह निवेदन है कि यह छबील...(व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): यह मिल्कियत गोविन्द देवजी की भी है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ठहरो तो सही। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): यह मिल्कियत गोविन्द देवजी की भी है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): बड़ी चौपड़ के पेड़ के नीचे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): बड़ी चौपड़ के पेड़ के नीचे की छबील हटाई गई। चार दरवाजे के पास जो छबील बनी हुई थी, वह हटाई गई। रामगंज चौपड़ से हटाई गई। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैंने जो पूछी है, उसके बारे में बताओ।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): लुहारों के खुर्रे पर हटाई गई और घाट गेट के बाजार में हटाई गई। ये पांच-पांच छबीलें हटाई गईं, इसलिए साम्प्रदायिकता की और इस तरह की बातें आप फैला कर नहीं, ...(व्यवधान) इसके बाद भी मेरा आपसे निवेदन है...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैंने जो आपको लिस्ट दी है, मैंने जो नाम बताये हैं, उसमें से कौन-कौन सी छबील कब हटाई? और नहीं हटाई तो क्यों नहीं हटाई, उसका जवाब दो। वह हटा दी, वह हटा दी, इससे क्या मतलब है? मैंने आपको लिस्ट दी है, उनके बारे में, श्रीमान्, क्या किया, वह बताइये। गृह मंत्रीजी अपनी-अपनी ही बोलते जा रहे हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मेरा आपसे यह निवेदन है, आप भी एक बड़े डैपुटेशन के साथ में मुझ से मिले थे और माननीय मोहनलालजी गुप्ता साहब भी मिले थे, तब भी आपने ये दोनों इश्यू उठाये थे। आपने जब भी यह कहा था कि, साहब, यह पक्षपात हो रहा है और आप पुनर्वास की योजना बनाइए। मैंने आपसे उस वक्त भी कहा था, मैंने कहा कि कहां-कहां पक्षपात हो रहा है, मेहरबानी करके मुझे लिखकर दे दीजिए। आपसे भी कहा था कि लिखकर दे दीजिए। और यह भी आपसे कहा था कि पुनर्वास आप कहां-कहां चाहते हो, वो भी आप मुझे बता दीजिए। आइडेंटिफाई करके जमीन बता दीजिएगा, हम यह कोशिश करेंगे कि वहां पर ही यह करें। लेकिन उसके बाद में आज तक आपने मुझे लिखकर नहीं दिया। उस बात को पन्द्रह दिन हो गये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ऐसा है, श्रीमान्, मैंने जो लिस्ट बनाकर दी है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय श्री गुलाबचन्दजी कटारिया।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): एक मिनट, एक मिनट। व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): एक मिनट, मैंने जो लिस्ट बताई है, नाम बताये हैं, मैंने मुख्य मंत्रीजी को 05 फरवरी को पत्र लिखा है उसके बाद उसमें से एक छबील नहीं हटाई गई जो मैंने लिस्ट दी। आप सदन को गुमराह कर रहे हैं, सदन को भ्रमित कर रहे हैं। आप तो यह बताइये कि जो-जो छबील मैंने आपको बताई, उनको कब तक तोड़ेंगे?

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): इनका जवाब नहीं आया। (व्यवधान) माननीय सदस्य की बात का इनके पास जवाब नहीं है। छबील की बात का जवाब दिलाइये इनसे। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): तोडेंगे तो कब तक तोड़ेंगे, और नहीं तोडेंगे तो क्यों नहीं तोड़ेंगे, वह बता दीजिए आप। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सदन के आरोप का जवाब दिलाइये। सदन में जो आरोप लगा है, उसका जवाब दिलाइये। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): एक मिनट।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सदन में माननीय सदस्य ने कहा है...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप जवाब तो सुनो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): जिन छबीलों के बाबत् आपने जिक्र किया है, मैं उनको भी दिखवा लूंगा। लेकिन एक इन्फार्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं कि 20 वाटर कूलर लगाये जा रहे हैं 150 लीटर के। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): फिर आप गोलमोल जवाब दे रहे हो। (व्यवधान) आपने जो छबील नहीं तोड़ीं, उनको क्यों नहीं तोड़ रहे, उनके बारे में बताओ। प्याऊ तो सारी तोड़ दीं आपने और छबील नहीं तोड़ोगे?. (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं कह रहा हूं न आपको कि जहां-जहां पक्षपात हुआ है, आप उसकी एक मुझे फेहरिस्त दे दें, मैं उनको एग्जामिन करवा लूंगा और वाजिब आपकी शिकायत होगी तो उस पर कार्यवाही करूंगा। लेकिन यह प्याऊ की बात छोड़ो, प्याऊ तो हो गई जमाने की। स्टेट के जमाने की प्याऊ होती थी, आज तो वाटर कूलर लगते हैं। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): तो तोड़ी न इनको?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): तो तोड़ दी?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आज तो वाटर कूलर लगाये जा रहे हैं, उसकी भी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): वे भी तो सड़क पर ही लगाएंगे न?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभी खंदों पर चार-चार वाटर कूलर लगाये जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): चांदपोल में दो वाटर कूलर लगाये जा रहे हैं और रामगंज बाजार और घाट गेट में चार जो हैं, वह वाटर कूलर लगाये जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिए, विराजिए। आप विराजिए माननीय सदस्य। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, तब तो आप कम से कम विराजिए। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अब उसमें एतराज है क्या आपको रामगंज में लगाने में?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): बिलकुल एतराज नहीं है। आप बिलकुल प्याऊ जहां पर तोड़ी वहां यह वाटर कूलर लगाओ पर भगवन्, आपने यह छबीलें क्यों छोड़ दीं? वहां भी आप वाटर कूलर लगाओ ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपने सारा कह दिया है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): पर सारा जो मैंने यह जिक्र किया है उन सबको तोड़ो। मैं यह कह रहा हूं। यह टेबल पर रख देता हूं मैं। यह टेबल पर रख देता हूं। यह दे दीजिए उनको।

(माननीय सदस्य श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) द्वारा कागज टेबल किया गया)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, कालीचरणजी ने जो लिस्ट दी है उस पर तो कार्यवाही करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजो। आप विराजो।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): मैं स्वायत्त शासन मंत्रीजी से ... (व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्रीजी ने आपको यह कह दिया है कि अगर कहीं पर भी आपको यह लगता है कि भेदभाव हुआ है तो आप लिखकर दे दीजिए। यह अपने स्तर पर भी जांच करा लेंगे, आप भी लिखकर दे दीजिए। आ गया सरकार का वक्तव्य। आप विराजिए। श्री गुलाब चन्दजी कटारिया। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, जो इन्होंने रहमानिया मस्जिद की बात कही है, गोविन्द देवजी के मंदिर की बात कही है, कोई भी न्यायिक जांच करा लीजिए (व्यवधान) कागजात सेम है।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): xxx

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। श्री गुलाब चन्दजी कटारिया। आप विराजिए। अब कहा न कि लिखकर दे देना आप। मंत्रीजी ने कह दिया। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): xxx

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मंत्रीजी ने कह दिया। आपके पास भी कोई रिकार्ड हो तो आप भी टेबल कर दो। आप विराजो। अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है। मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं, आप, माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): xxx

श्री सभापति: आप विराजिए। श्री गुलाब चन्दजी कटारिया। माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): xxx

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): xxx

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): xxx

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): xxx

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। अंकित नहीं हो रहा।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): xxx

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): xxx

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिए। आप विराजिए।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): xxx

श्री सभापति: आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): xxx

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): xxx

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): xxx

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): xxx

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): xxx

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): xxx

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): xxx

(13.00 बजे)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन पैरों पर । (भारी व्यवधान) माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है, आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास: xxx

श्री मोहनलाल गुप्ता: xxx

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है, आप विराजिये।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास: xxx

श्री मोहनलाल गुप्ता: xxx

श्री कालीचरण सराफ: xxx

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया: xxx

श्री सभापतिः आप विराजिये। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया: xxx

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ: xxx

श्री सभापतिः अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास: xxx

श्री कालीचरण सराफ: xxx

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, विराजिये, अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया: xxx

श्री कालीचरण सराफ: xxx

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास: xxx

श्री सभापतिः माननीय, यह बहुत पवित्र सदन है ...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव: xxx

श्री सभापतिः आप विराजिये, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास: xxx

श्री कालीचरण सराफ: xxx

श्री फूलचन्द भिण्डा: xxx

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी: xxx

श्री मोहनलाल गुप्ता: xxx

श्री सभापतिः मोहन लालजी गुप्ता, आप विराज जाइये। माननीय सदस्य विराज जाइये। यह पवित्र सदन है। सदस्यगण, यह बहुत पवित्र सदन है। आपको काफी लम्बा अनुभव है। माननीय सदस्य, आप विराज जाइये। (व्यवधान)... माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। आप विराजिये, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री कालीचरण सराफ: xxx

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास: xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, यह पवित्र सदन है। काफी सारे आप वरिष्ठ लोग यहां विराजे हुए हो। यह मंदिर-मस्जिद क्या इतने समय से चल रहा है। पूरे राजस्थान की जनता देख रही है।

श्री कालीचरण सराफ: xxx

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास: ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य को कोई आपत्ति है तो वह लिखकर दे दें। जो भी भेदभाव हुआ है, जो भी असमानता हुई है, उसको सरकार सख्ती से निपटेगी। वक्तव्य दिया न उन्होंने। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री कालीचरण सराफ: xxx

श्री मोहनलाल गुप्ता: xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप लिखकर दे दें। आपने लिखकर दे दिया है, और भी माननीय सदस्य लिखकर दे दें। श्री गुलाबचन्द जी कटारिया, आप बोलें।

श्री मोहनलाल गुप्ता: xxx

श्री सभापति: आप विराजें। आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता बोल रहे हैं, आप विराजिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता: xxx

श्री सभापति: आप विराजिये, अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता: xxx

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास: xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। श्री गुलाबचन्द जी कटारिया जी।

दिल्ली हवाई अड्डे पर राजस्थान के गृह मंत्री के बैग से कारतूस की बरामदगी

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में एक ऐसा विषय रखना चाहता हूं कि स्वयं कानून के जानकार अगर कानून की अवहेलना करें तो सामान्य जनता हमारे बारे में क्या विचार बनाती है। मैं सोचता हूं कि जो घटना दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई,

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

सामान्यतया आप और मैं जो कभी भी प्लेन में आते हैं, जाते हैं, उनको वहां के रूल्स और रैगुलेशन के बारे में जानकारी है। उस जानकारी का पालन करके भी हम अगर हथियार ले जाना चाहें तो वहां एक फार्म भरा जाता है डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, वह देने के बाद आप उसे अधिकृत रूप से ले जाने के हकदार होंगे और वापस उस जगह पर, जहां आप उतरेंगे, वे आपको हथियार उपलब्ध कराएंगे या उनके कारतूस उपलब्ध कराएंगे। अब राजस्थान का गृह मंत्री, कानून का जानकार ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : माननीय सदस्य, एक मिनट। (व्यवधान) नहीं, एक मिनट रुको। माननीय सभापति महोदय..(व्यवधान) +++ (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह क्या बात हुई, सभापति महोदय? (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा, विराजिये। (व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): xxx

श्री पेमाराम (धोद) :xxx

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : xxx

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिये। मैंने श्री गुलाबचन्द जी कटारिया को अलाउ किया है, आप सब माननीय सदस्य विराजें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप भी विराजिये। माननीय श्री गुलाबचन्द जी कटारिया। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : xxx

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : सभापति महोदय, मैं सामान्य नागरिक के नाते और इस सदन का एक सदस्य होने के नाते ..(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : ज्यादा +++ करोगे तो मैं अकेले ही पूरे हाउस को निपटने की ताकत रखता हूं, ध्यान रख लेना। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, इस +++ शब्द पर आपत्ति है। +++ शब्द पर आपत्ति है, वरिष्ठ सदस्य हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैंने श्री गुलाबचन्द कटारिया को बोलने की अनुमति दी है, इनके अलावा कोई माननीय सदस्य बोलेगा तो उसका अंकित नहीं होगा। कोई अंकित नहीं होगा। सिर्फ गुलाबचन्द जी कटारिया का अंकित होगा। मैं जिसको अलाउ करूंगा, वही बोलेगा। आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : xxx

श्री सभापति: आप तो विराजें, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : xxx

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली) : xxx

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) : xxx

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : xxx

श्री सभापति: आप विराजिये। मैंने तो सिर्फ आपको अलाउ किया है। माननीय सदस्य, आप विराजिये। मैंने आपको अलाउ नहीं किया है। अभी आप इनको बोलने दीजिये। इनका पूरा वक्तव्य आ जाने दीजिये। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) : xxx

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं होगा।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) : ×××

श्री सभापति: मैंने पहले गुलाबचन्द जी कटारिया कहा है। माननीय सदस्य, आप विराजो। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली) : xxx

श्री सभापति: आप बोलने तो दीजिये। आप बोलने दीजिये। .. (व्यवधान)...

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली) : xxx

श्री सभापति: मैंने इन्हें अलाउ किया है, इन्हें बोलने दीजिये। आप विराजिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : xxx

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली) : xxx

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : xxx

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आप तो विराजो। आप विराजिये। आसन ने इनको बोलने की अनुमति दी है और आप बोल रहे हैं। इन्हें बोलने दीजिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली) : xxx

श्री सभापतिः इनके बाद में मैं आपको अलाउ करूंगा। अभी आप विराजिये।

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली) : xxx

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना) : xxx

श्री सभापतिः मैं जिस माननीय सदस्य को अलाउ करूं, वहीं बोलेगा। आप विराजिये। ...(व्यवधान)...

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली) : xxx

श्री सभापतिः आप विराजिये।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): xxx

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): xxx

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, अभी आप विराजो। मैं आपको अलाउ करूं तब बोलना।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): xxx

श्री सभापतिः क्या चीज जानकारी में नहीं है? किस चीज की जानकारी नहीं है?

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): xxx

श्री सभापतिः जो भी असंसदीय शब्द होगा, एक्सपंज किया जाएगा। कोई भी माननीय सदस्य बोलेंगे असंसदीय, वह एक्सपंज होता है, यह व्यवस्था है और मैं व्यवस्था दे चुका हूं।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): xxx

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): xxx

श्री कैलाश चन्द मीणा (मनोहरथाना): xxx

श्री सभापतिः आप विराजो।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): xxx

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): xxx

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): xxx

श्री सभापति: राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कई माननीय सदस्यों को बोलना है। आप विराजो।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): xxx

श्री कैलाश चन्द मीणा (मनोहरथाना): xxx

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): xxx

श्री सभापति: विराजें। आप विराजें।

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): xxx

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): xxx

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): xxx

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): xxx

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): xxx

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): xxx

श्री सभापति: नावां से आने वाले माननीय सदस्य, विराजो।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): xxx

श्री कैलाश चन्द मीणा (मनोहरथाना): xxx

श्री सभापति: मैंने व्यवस्था दे दी कि जो भी असंसदीय शब्द होगा, वह एक्सपंज हो जाएगा। उसके बाद क्या बात बाकी रही है? आप विराजो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, मैं सदन में नियमों के ज्ञाता को नियम की बात बता रहा हूं।

श्री कैलाश चन्द मीणा (मनोहरथाना): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): xxx

श्री सभापति: विराजिए। आ गया हाउस आर्डर में।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, मैं इतना जानता हूं कि सामान्यत: जो एयर बस से सफर करते हैं, हम में से जो भी लोग, वे एयर क्राफ्ट रैगुलेशन एक्ट के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं और आर्म्स एक्ट 59 के बारे में भी हमारी जानकारी है कि अगर हम कहीं कानून की अवहेलना करते हैं तो कानून में उसकी सज़ा का प्रावधान निश्चित है। मैं सोचता हूं कि राजस्थान का गृह मंत्री चाहे मैं पूर्व हूं और चाहे आप वर्तमान हैं, कानून के बारे में हमारी समझ सामान्य जनता से थोड़ी सी ज्यादा है और उस कानून का पालन कराना हमारा धर्म है। अगर हम लोग कानून का पालन नहीं करेंगे तो सर्वसाधारण से कानून की पालना कराना सम्भव नहीं हो सकता। मैं सोचता हूं कि यह जो इण्डियन आर्म्स एक्ट 59 है, उसमें पनिशमेंट फॉर सरटेन आफेंस, इसकी आपको जानकारी होगी या नहीं होगी, कम से कम आप इसे पढ़ो। सामान्यत: जब कभी भी हम जाते हैं तो दाढ़ी बनाने की ब्लेड को भी स्क्रीन के बाद निकालना पड़ता है। यहां तक कि पानी की बोतल भी हम नहीं ले जा सकते हैं। कोई लिक्विड भी हम नहीं ले जा सकते। यह सब जानकारी में है। “Punishment for the conservation of license rules. - "Whoever contravenes any condition of the license or any provision of this Act or any rules made thereunder, for which no punishment is provided elsewhere in this Act, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine … or with both.”

यह प्रोविजन है और आपको यह पता है, फिर भी जिस प्रकार का एक्ट आप वहां कर रहे हैं, उस एक्ट के करने के कारण से सिर्फ आपकी ही छवि खराब नहीं हुई बल्कि राजस्थान की छह करोड़ जनता की छवि खराब हुई है। एक कानून का रखवाला कानून की अवहेलना कर रहा है। कानून की अवहेलना के बाद भी जिस प्रकार के स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, वह उससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक है कि मुझे मालूम नहीं था। मैं तो बाई प्लेन गया था और ये जो पन्द्रह हैं, उनको किसी बैग में मेरा गन मैन लेकर गया। वहां मैंने डाक ली और डाक लेने के बाद जो बैग लेकर आ रहा था, उस बैग में रखे हुए थे। यह बच्चा जानता है। आपका बच्चा लाइसेंसी है? आपके बच्चे के बैग में यह रह सकता है? यह हथियार रह सकता है? यह तो एक अपराध का अपराध हो गया कि आप आपके बच्चे के बैग को उठाकर ले आये। और बच्चा लाइसेंसी नहीं होते हुए इस प्रकार से आर्म्स एक्ट का उल्लंघन करके उसके अन्दर रखा हुआ है, वह आप उठाकर ले आये। उसके बाद भी दुर्भाग्य देखिए कि अगर सामान्य आदमी पकड़ा जाता तो वह जेल जाता। कानून आपके लिए अलग बनाया है? जनता के लिए अलग कानून बनाया है? इसी कारण से होता

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

है यह। अगर कोई दूसरा व्यक्ति, सामान्य जनता पकड़ी जाती, मैं और आप में से कोई पकड़ा जाता, क्या यह रफा-दफा होता? एक तरह से आपने पद का दुरुपयोग किया है। राजस्थान का अपमान किया है। यह दुर्भाग्य है कि आपने इसको इग्नोर किया। इसका मतलब इस देश में कानून व्यक्ति के अनुसार होता है। हमने तो सुना है कि कानून सबके लिए बराबर होता है लेकिन यहां कानून की धज्जियां उड़ायी गयी हैं। इसके लिए कौन दोषी है?

मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने देखा होगा, राहत फतह अली खान एक संगीतकार आया था अभी कुछ दिन पहले। दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। उसके पास कुछ करेंसी थी, वह उसका जबाव नहीं दे पाया और वह अपने कोई डाक्यूमेंट पेश नहीं कर सका और दो दिन तक जेल में रहा। पाकिस्तान हाई कमीशन जाकर उसको छुड़ाकर लाया। एक ऐसा नामी गिरामी जिसका नाम दुनिया में है, इल्लीगल करेंसी उसके पास थी उसके कारण से उसको दो दिन तक जेल में रहना पड़ा। राजस्थान का गृह मंत्री जिस प्रकार का हथियार लेकर जा रहा है, कारतूस लेकर जा रहा है और यह कह रहे हैं कि जब मैं कभी एम पी था 1989 में, तीस साल पहले, तब मुझे यह लाइसेंस मिला। वह तीस साल तक सड़ नहीं गया क्या? क्या उपयोग हुआ? किसके लिए हुआ? मैंने भी हथियार ले रखा है, लेकिन मैं सोचता हूं कि जो तीस साल पहले आपके पास थे, आज आपके पास कैसे हैं और आपके पास कैसे गये? दुर्भाग्य यह है कि आपको छोड़ दिया गया। और आपने उसके बाद जिस प्रकार से स्टेटमेंट दिया? यह आपकी बदनामी नहीं है, शांती धारीवाल की बदनामी नहीं है? राजस्थान के गृह मंत्री की बदनामी नहीं है कि कानून के रखवाले ने कानून की धज्जियां उड़ायीं? आप अख़बार को क्यों देते हो कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? इस सदन में आकर बताते कि मेरे साथ क्या घटना हुई और क्या नहीं हुई। सच्चाई है या नहीं है। नहीं है तो अख़बार को यह स्टेटमेंट देने की जरूरत क्यों? केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अख़बार के आधार पर सच्चाई नहीं है, तो अख़बार को आपको जवाब देने की क्या आवश्यकता थी? आप अख़बार को भी यह कह सकते थे कि इस प्रकार की कोई घटना ही नहीं घटित हुई, इस प्रकार से कोई पकड़ा नहीं गया। इस प्रकार का कोई हथियार, कारतूस उसमें बरामद नहीं हुए या मेरे बैग में नहीं थे। तो आप यहां से डिनाई कर सकते थे न? आपने इस बात को स्वीकार किया कि आप इल्लीगल लेकर आ रहे थे। लेकिन उसको लाने का भी तरीका है, उस तरीके का आप पालन कर सकते हो।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसने सवाल कई खड़े कर दिये हैं कि आपने कब तो लिया और कब लेने के बाद दोबारा रिन्युअल हुआ कि नहीं हुआ आपका लाइसेंस? लाइसेंस रिन्यू होने के बाद में जो आपने कारतूस लिये, वो कारतूस कौन से साल लिये थे? तब से लेकर ये आज तक कैसे हैं? इसके बीच में प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ? इसके बीच में नये खरीदे गये कि नहीं खरीदे गये? आपके बच्चे के बैग में यह कारट्रिज कैसे मिला? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आपका बच्चा इसका अधिकृत कैसे हुआ? उसका बैग बदलने के कारण से आपके अनजाने में यह आपके पास कैसे आ गया? ये सवाल सामान्य सवाल नहीं हैं। राजस्थान का गृह मंत्री कानून का रखवाला होता है, कानून की धज्जियां उड़ाने वाला नहीं होता है। इसके कारण से या तो आप इसका स्पष्टीकरण करो इस हाउस में कि आप निर्दोष हो तो कैसे हो। और अगर दोषी हो तो त्याग पत्र दो। इस गृह मंत्री को किसी पद पर रहने की आवश्यकता नहीं है ...(व्यवधान)

हम चाहते हैं, यह सदन सुनना चाहता है। हम आपको बिना बात के कोई दोषी नहीं बनाना चाहते हैं। लेकिन जो कालिख पुती है न, वह केवल शांती धारीवाल के नहीं, राजस्थान के कानून के रखवाले की धज्जियां उड़ी हैं, इस कारण से मन में दर्द है। क्या होगा, क्या नहीं होगा, मैं यह जानना चाहता हूं अगर आप निर्दोष हो, आप कानून के तहत यह काम करने के अधिकारी हो तो आप इस सदन को जानकारी दो। हम आपकी जानकारी से संतुष्ट होंगे, हमें एक सवाल पूछने का भी सवाल नहीं। और अगर आपने कानून की धज्जियां उड़ायी हैं तो कानून की रक्षा की धज्जियां उड़ाने वाला गृह मंत्री इस राजस्थान में गृह मंत्री की कुर्सी पर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजो।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ये जयपुर एयरपोर्ट से कैसे पास हो गये? ये तो दिल्ली में पकड़े गये, जयपुर एयरपोर्ट से कैसे पास हो गये? इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो, आप विराजो। मंत्रीजी, आप बोलना चाहेंगे? आप वक्तव्य देंगे? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): यह क्या जवाब देंगे, यह तो खुद ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये। आप नहीं सुनना चाहते? नहीं सुनना चाहते? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): फिर आप दोगे क्या जवाब, यह नहीं देंगे तो?

श्री सभापति: मंत्रीजी, आप एक मिनट विराजिये। माननीय सदस्य, वक्तव्य अगर सरकार के गृह मंत्रीजी के रूप में आप सुनना चाहते हैं तो मैं मंत्रीजी से वक्तव्य दिलाऊं। और बीच-बीच में नहीं। बीच-बीच में अगर इस तरह से व्यवधान होगा तो वक्तव्य जो यह दे रहे हैं वह न सदन को समझ में आएगा। और न जो शंका माननीय सदस्य ने की है, जो घटनाक्रम आपने अभी प्रस्तुत किया है, जो भी हुआ है, उसके बारे में पूरे सदन को जानकारी मिल पाएगी अगर बीच-बीच में आप बार-बार बोलते गये तो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं बोलेंगे।

श्री सभापति: मैं फिर अलाउ नहीं करूंगा। मैं मंत्रीजी को बैठा दूंगा और मैं अगली कार्यवाही शुरू कर दूंगा। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सदस्य, एक मिनट। माननीय सदस्य को, मंत्री भी हैं, सरकार की तरफ से वक्तव्य और व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने का पूरा अधिकार है। व्यक्तिगत रूप से आप जो बात बोलेंगे, हम पूरी सुनेंगे। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आपकी बात तो पूरी सुनेंगे लेकिन चूंकि यह अपराध घटित हो गया है और यह मंत्रिमण्डल के मैम्बर हैं, अगर अपराध नहीं घटित हुआ है, यह नहीं लेकर गये, स्पष्टीकरण हो जाता है तो उसके बाद तो कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर यह लेकर गये हैं और यह घटना हुई है तो इस विषय पर माननीय मुख्य मंत्रीजी को सदन में आकर वक्तव्य देना पड़ेगा। आपका तो पूरा स्पष्टीकरण हम सुनेंगे, निश्चित रूप से सुनेंगे आपका। आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): सभापति महोदय, यह भी दिला दें कि जयपुर एयरपोर्ट से कैसे पास हो गये?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हां, वह भी दूंगा, जवाब, दूंगा मैं, इसका भी जवाब दूंगा। एक तो अमीन साहब का इस्तीफा ले लिया...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): रुळा दिया...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं, अगर हमसे इस्तीफा ले लोगे तो क्या आप बना लोगे क्या अभी? (व्यवधान) अभी आपका लीडर आफ अपोजिशन तो बना नहीं पाये, मंत्रिमण्डल बना लोगे? (व्यवधान) अब आप मेरी बात सुनो।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आपके गवर्नर की नियुक्ति नहीं हुई।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): गवर्नर नहीं बना पाया अभी तक ...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह रावत (भीम): खामख्वाह बलि का बकरा बनाया इनको।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, 30 जनवरी को ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये। विराजिये, माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): xxx

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, 30 जनवरी को सायं काल मैं दिल्ली से जयपुर जेट एयरवेज से आया, उस वक्त मेरे पास एक बैग था जो बैग मैंने 29 तारीख को मेरे पी.एस.ओ. के द्वारा दिल्ली भेज दिया था। आपका जवाब आ गया? (व्यवधान) हां, जब मैं 30 तारीख को मार्निंग फ्लाइट से दिल्ली गया तो मेरे पास कोई बैग नहीं था। अगर बैग होता तो निश्चित तौर पर यहां के एक्स-रे में वह चीज आ जाती तो वह वहीं रह जाती। मैं उससे मना नहीं करता, कि थी चीज, बहुत स्पष्ट बात है। आपका जवाब आ गया?

दिल्ली से जब मैं जयपुर लौट रहा था जेट एयरवेज से तो जब सिक्योरिटी चैक हुई तो सिक्योरिटी चैक में जो मेरे पास बैग था वो मैंने दो-तीन रोज पहले ही कोटा में मेरे लड़के से लिया था। लड़के से लिया था, मैंने कहा था कि स्लाइडिंग बैग है, यह मेरे काम का है, तू मुझे इसे दे दे। उसने कहा, ले जाओ आप। तो इसके बीच में बीच वाली जो बैग की थी, उसमें उसका रिवाल्वर रखा हुआ था। उसने रिवाल्वर उठा कर अपनी वार्डरोब में रख लिया और मुझे बैग दे दिया। उसमें चार जेबें थीं, चार जेबों में जो सबसे छोटी जेब थी, न तो मैंने उसको खोल कर देखा न उसको ध्यान रहा और वह बैग लेकर मैं जयपुर आ गया। जयपुर में मैंने एक जोड़ी कपड़े जमाये, मेरा शेविंग का रखा और मैंने मेरे पी.एस.ओ. को दे दिया कि तू जा। बस से जा रहा था,

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

तो तू चले जाना, राजस्थान हाउस की गाड़ी लेकर सुबह सात बजे प्लेन पर आ जाना, मुझे रिसीव कर लेना। वह आ गया।

उसके बाद में जब मैं दिनभर वहां पर रहा, राजस्थान हाउस रहा, तो मेरे पास 20-25 रिप्रजेन्टेशंस आये, वे 20-25 रिप्रजेन्टेशंस मैंने उसमें, बैग में रख लिये। तो मैंने यह सोचा, मैंने मेरे पी.एस.ओ. से कहा, कि तू तो जाएगा शाम को पांच बजे वाली गाड़ी से तो रात के बारह बजे जयपुर पहुंचेगा, मैं शाम के छह बजे वाले प्लेन से जाऊंगा तो सात बजे पहुंच जाऊंगा, तो मैं इन कागजों को निपटा लूंगा, इसलिए बैग मैं साथ में ले जाता हूं, और ले गया। जब सिक्योरिटी चैक पर गया तो निश्चित तौर पर उन्होंने कहा, यह क्या है? मैंने कहा, आप खोल कर देख लें। देखा तो उसमें वाकई वे कारट्रिजेज थे। उन्होंने कहा, ये कारट्रिजेज कैसे आपके? मैंने कहा, ये तो भूल से आ गये। तो कहा, कि आप कौन हो? मैंने कहा कि, भाई, मैं राजस्थान का होम मिनिस्टर हूं। तो, हम कैसे मानें, आपके पास आई.डी. है क्या? तो मैंने कहा, मेरे पास तो कोई आई.डी. नहीं है, आई.डी. लेकर नहीं चला मैं। जितने में एक झुंझुनूं का बड़ा पुलिस अफसर था, वो आ गया, उसने कहा कि, साहब, यह तो राजस्थान के होम मिनिस्टर हैं, मैं जानता हूं इनको। तो मेरा आईडेंटिफिकेशन हुआ। जो सबसे बड़ा अफसर था, वहां पर पांच-सात अफसर थे ...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आप तो प्लेन हाईजैक करना चाह रहे थे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): एक सैकिण्ड, मैं सब बात का जवाब दूंगा। आपकी सब बात का जवाब दूंगा और मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा सैटिस्फाई करूंगा।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आप प्लेन हाईजैक करने जा रहे थे। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हाईजैक जो होता है वो रिवाल्वर से या गन से होता है, कारतूस से नहीं होता।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): एक क्रिकेट बाल से कर लिया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सी.आई.एस.एफ. के पांच-सात अधिकारी वहां पर इकट्ठे हो गये। इकट्ठे होकर उन्होंने कहा कि ठीक है,

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

आपकी जिनाइननैस तो हमें मिल गयी कि आप जिनाइन आदमी हो, आप यह बताएं कि आपके खिलाफ कोई केस रजिस्टर है क्या? मैंने कहा कि मेरे खिलाफ तो आज तक 107, 151 का भी केस नहीं है। तो कहा कि, साहब, पक्की बात है? मैंने कहा, बिलकुल। कहा कि लिख कर दे दोगे? मैंने कहा कि दे देंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि, साहब, आपका इंटेन्शन? मैंने कहा कि मेरा अगर इंटेंशन कोई गलत होता तो इसमें हथियार होता, इस कारतूस का क्या करूंगा मैं, कारतूस कोई सर पर थोड़े ही फोड़ूंगा किसी के मैं। तो उन्होंने कहा, इंटेंशन भी आपका साफ है, लेकिन एक बात बताइये कि आपके लड़के के पास लाइसेंस है क्या? मैंने कहा, बिलकुल लाइसेंस है। आपके पास? मैंने कहा, वो भी है। आपके पास इसकी परचेज है, कब परचेज की थी, मैंने कहा, मैंने शायद 1987, 1988 1989 के आस-पास परचेज की थी लेकिन मेरे पास बिल मौजूद है। तो कहा कि आप दोनों लाइसेंसेज, आपके लड़के का और आपका खुद का, और एक बिल की, इसकी परचेज, ये तीनों के तीनों आप हमारे पास भिजवा दीजियेगा, तब जाकर हम आपका निपटारा करेंगे। मैंने जयपुर आते ही अटैस्ट करवा कर इन सब चीजों को वहां पर भेज दिया। भेजने के बाद उनका टेलीफोन आ गया कि हम संतुष्ट हैं। एक बात तो यह हुई।

अब मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, आप इसमें कहते हैं राजस्थान की प्रतिष्ठा, निश्चित तौर पर मुझ से भूल हुई है, मैं स्वीकार करता हूं। भूल हुई है अगर भूल का कोई दण्ड भी मुझे मिलता है तो मैं उसको भी उठाने को तैयार हूं। मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में यदि मेरी कोई बदनीयती या जानकारी होते हुए भी मैंने कोई आपराधिक उद्देश्य से यह काम किया है तो मुझ पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, मैं मना नहीं करता इसके लिए। मैं साफ-साफ कहता हूं This incidence is unfortunate, unknowingly and in innocent manner and even though if I am found guilty, I am ready to face the inquiry and the criminal case. एक बात।

दूसरी बात, आपने दो-तीन सवाल उठाये, आपने कहा कि सदन को बताना चाहिए था। सदन तो आज पहली बार ही बैठ रहा है, 30 तारीख की घटना है, कहां बताने जाता मैं, एक बात? दूसरी बात, आपने कहा कि हथियार लेकर जा रहे थे, कोई हथियार नहीं था मेरे पास। तीसरी बात, आपने कहा कि बच्चे का लाइसेंस है कि नहीं है, लाइसेंस है, बाकायदा है, 2000 में बना हुआ लाइसेंस है, जिसकी कापी मैं उनके पास भेज चुका हूं और आप फर्माएं तो मैं ये कागजात आपको भी देने को तैयार हूं। तीसरी बात और मैं आपको कह देता

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

हूं, आपने राहत अली खान का उदाहरण दिया, तो राहत अली खान तो नहीं बता पाया जो सी आई एस एफ ने उनसे पूछा। वह जवाब नहीं दे पाये, मैंने तो हर चीज का जवाब दिया उनको और वे सन्तुष्ट हैं। चौथी बात, आपने कहा कि मैं इस बात को कोई लम्बा नहीं करना चाहता, मैं तो यह कहता हूं मुझे आप पर विश्वास है, आप इनक्वायरी कर लो मेरी। आप कर लो, मैं आपको अधिकृत करता हूं, मैं आपको अधिकृत करता हूं, आपने जो सैक्शन पढ़कर बताया उस एक्ट का, उसको भी देख लें आप।

तीन चीजें होती हैं, एक तो वो जैन्युइननैस देखते हैं कि आदमी जैन्युइन है कि नहीं है। दूसरी बात वो इंटेंशन देखते हैं, और तीसरी बात वो देखते हैं कि लाइसेंस आपके पास है कि नहीं है। ऐसी गलतियां कइयों से होती हैं। अभी हुआ, डेढ़ साल पहले विजय माल्या आया, वह अपनी जेब में रिवाल्वर ले आया था, उसने कोई फार्म भरकर कहीं से इजाजत नहीं ली थी, दे दिया गया उसको वापस। ऐसे पचासों केस होते हैं। अब इसमें राजस्थान की प्रतिष्ठा धूमिल हो गयी हो, आप जानो, साहब, इसका असैसमेंट तो आप ही कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकता।

मैं तो आपसे यही निवेदन करता हूं, अगर मेरे पार्ट पर कोई आपराधिक कृत्य मानते हैं तो मैं आपको आथोराइज करता हूं कि आप मेरी इनक्वायरी करवा लीजिए, जो आपका फैसला होगा, मैं मानूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब हो गया न। आ गया जवाब, माननीय सदस्य, आ गया न जवाब, मंत्रीजी ने विस्तारित जवाब दे दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मंत्रीजी के वक्तव्य के बाद अब यह सदन की सम्पत्ति है, अब सवाल करने का हमारा वैधानिक अधिकार है इसलिए, सभापति महोदय, हमें सवाल करने का मौका दीजिए आप। सवाल करने का हमारा अधिकार है।

श्री सभापति: सब चीजों का जवाब दे चुके हैं मंत्रीजी, फिर और क्या बाकी बचा है?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ...(व्यवधान) यह क्या बात हुई?

श्री सभापति: आपने जो पूछा उसका जवाब आ गया, और भी कोई बाकी है आपका? (व्यवधान) आप विराजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं पूछना चाहता हूं एयर क्राफ्ट रैगुलेटरी जो आपका एक्ट है, इस एक्ट में, यह तो शांती धारीवाल जी ने किया, अगर एक कामन पैसेन्जर के बैग में यही जिन्दे कारतूस मिल जाते तो उसके साथ क्या होता? कानून में कोई गृह मंत्री नहीं होता है, कानून तो सबके लिए समान होता है। मैं तो चार्ज कर रहा हूं उस अथोरिटी को जिसने आपका गृह मंत्री का नाम सुनकर इसको रफा-दफा करने का काम किया। उनको कार्यवाही करनी थी, जो सामान्य जन के साथ कार्यवाही होती है। इस तरह से जिन्दे कारतूस अगर किसी के बैग में पाये जाते हैं तो क्या डाकूमेंट लेने के बाद ही उसकी गिरफ्तारी शो करते? मिलने के साथ ही फर्द बनाकर उसका काम पूरा हो जाता कि नहीं? यह अन्तर क्यों? यह कानून कहां अन्तर करता है कि बड़े आदमी के लिए यह कानून, और सिफारिश, और बात, और उसकी इज्जत और हमारी इज्जत। कानून में अलग-अलग की इज्जत अलग-अलग नहीं है। सवाल तो यह आएगा, यह जांच का विषय है। केवल गुलाब चन्द कटारिया का नहीं है, वहां जो सिक्योरिटी अथोरिटी है, जिस अधिकारी ने भी इस जुर्म के बाद भी बिना डाकूमेंट के प्रूव किये हुए आपको वहां से जाने दिया, यह बड़ी भूल की। आपको वहीं रखते और आप लेकर आते डाकूमेंट, उसके बाद बात होती आपकी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं अर्ज कर दूं, मुझसे बाकायदा उन्होंने लिखवाया, उसके बाद छोड़ा है। मुझसे लिखवाया है उन्होंने कि ये ये चीजें आपके पास हैं, आपके बेटे का लाइसेंस है, आपका खुद का लाइसेंस है, आपने परचेज की उसका बिल आपके पास है, यह सब लिखवाने के बाद मुझे छोड़ा है, ऐसे नहीं छोड़ा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सवाल यह नहीं है, यह लिखवाने का सवाल नहीं है, मैं एक सामान्य जन की तरह से पूछ रहा हूं, अगर यही मान लो, किसी एयरपोर्ट पर मेरे से यह गलती होती, तो क्या मेरी सारी बातें सुनने के बाद, डाकूमेंट देने के बाद ...(व्यवधान) नहीं, ऐसे नहीं चल सकता है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह जवाब यह कैसे देंगे? इसका जवाब यह दे सकते हैं क्या?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह नहीं है सवाल। यह तो उसी फ्लाइट में बैठकर गये थे जिस फ्लाइट में आपका टिकट हुआ, आपकी फ्लाइट कोई दूसरी थी क्या? सेम फ्लाइट थी जिसमें आपका टिकट था, जिसमें

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
आपका चैक-इन हुआ। आपका चैक-इन भी हो गया, सब बातें भी तय हो गयीं, डाकूमेंट भी मिल गया, और बातें भी हो गयीं और उसमें आपने यात्रा भी कर ली। यह आपके पद का दुरुपयोग नहीं था क्या? अगर मेरे और आपके किसी सामान्य सदस्य के साथ होता तो क्या दस मिनट में इस तरह से कार्यवाही निपटाकर आप यात्रा करके यहां आ जाते? सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि ऐसे नहीं चलेगा। हम चाहेंगे कानून को अपनी मर्जी जैसे घुमा दें, कानून इसके लिए नहीं होता है। कानून सबके लिए बराबर होता है। कानून में कोई बड़ा, कोई छोटा नहीं होता, कोई जात और बिरादरी नहीं होती। यह अपराध अगर सामान्य जनता के साथ होता तो एयरपोर्ट पर जो भी सिक्योरिटी आफिसर था, यह क्या उसका धर्म था कि आपको जाने देते? आपको वहां रोकते और रोकने के बाद सभी प्रकार के डाकूमेंट अपनी आंखों के सामने लाने के बाद आपको बाइज्जत जाने देते या आपकी गिरफ्तारी शो करते।

निश्चित रूप से इस प्रकार से जहां-जहां भी हादसे हुए हैं, तुरन्त गिरफ्तारी शो की गयी है और उस गिरफ्तारी के आधार पर निश्चित रूप से कानून ने अपना काम किया है। यह कानून की डबल अवहेलना की है आपने अपने पद का दुरुपयोग करके। एक सामान्य जन के साथ जो होता है वह आपके साथ क्यों नहीं हो सकता? यह आपको रियायत क्यों? क्यों आपने उस शर्मा को वापस बुलाया? और क्यों शर्मा ने आपकी सिफारिश की कि नहीं, नहीं, साहब, यह करो और आपने रफा-दफा करा लिया?

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक प्रश्न पूछना है, सभापति महोदय, प्रश्न पूछने का अधिकार है।

श्री सभापति: प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय, आप सब प्रक्रियाएं जानते हो, जवाब आ गया, अब ये चीजें कब तक चलेंगी?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बात खतम कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री सभापति: अब आप क्या बिन्दु पर चाह रहे हो, जवाब सारा दे दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से, बात आपने कही अपनी, मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि जब मैं गया था तो बैग मैं साथ नहीं ले गया था। आपने कहा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कि जब मैं दिल्ली गया था तो मैं बैग साथ नहीं ले गया था, मेरा पी एस ओ बैग लेकर गया था, वह भी फ्लाइट से गया था?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): बस से गया था। फ्लाइट से जाता? आप भी कैसी बात कर रहे हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, एक बात सीधी सीधी है कि इस विषय में ये कारतूस आना और हवाई अड्डे पर माननीय गृह मंत्रीजी का वहां पर इनसे जानकारी करना, यह स्वयं इतना बड़ा काम है कि इसके बाद में एक बार जब तक मुख्य मंत्रीजी आकर इन सारी बातों का यहां स्पष्टीकरण नहीं करते, तब तक हम सन्तुष्ट नहीं होंगे इस बात से। मुख्य मंत्री जी को बुलाया जाए और मुख्य मंत्रीजी का वक्तव्य दिलवाया जाए। यह तो इनका व्यक्तिगत स्पष्टीकरण है, यह सरकार का वक्तव्य नहीं है। हमको इस पर सरकार का वक्तव्य चाहिए, यह स्पष्टीकरण है माननीय मंत्री जी का। व्यक्तिगत स्पष्टीकरण हमने मान लिया, लेकिन इस पर जब तक मुख्य मंत्री जी आकर स्टेटमेंट नहीं देते सरकार का कि सरकार की क्या मंशा है, तब तक यह मामला समाप्त नहीं होता। इसलिए हम चाहते हैं कि आप मुख्य मंत्रीजी से वक्तव्य की व्यवस्था करवाएं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): जिस पी ए के साथ यह बैग गया, क्या उस पी ए का लाइसेंस था? वह कैसे ले गया जिन्दा कारतूस?

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): वसुन्धरा जी को भी बुलाओ सामने।

श्री सभापति: आप विराजो, आप विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मंत्री जी के द्वारा यह स्वीकार करना कि ...

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): वसुन्धरा जी को बुलाओ। महारानी साहिब को बुलवाइये, वसुन्धरा जी को, हाउस में तो आएं वह।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी का वक्तव्य दिलाया जाए और जब तक मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य नहीं होगा, स्थिति स्पष्ट नहीं होगी।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): यह लीडर आफ अपोजिशन बोल रहे हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): गृह मंत्रीजी के इस कृत्य के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी बहिर्गमन करती है और उनके त्यागपत्र की मांग करती है और मुख्य मंत्रीजी के वक्तव्य की मांग करती है।

(भारतीय जनता पार्टी दल द्वारा बहिर्गमन)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): वसुन्धरा जी को भी तो बुलाओ सामने सुनने के लिए, वह कहां हैं?

श्री सभापति: श्री ओटाराम देवासी। (अनुपस्थित) श्री रामनारायण जी मीणा।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): सभापति महोदय, गृह मंत्री महोदय बैठे हैं।

श्री सभापति: मैं माननीय सदस्य का नाम पुकार चुका हूं, विराजिये आप। आप विराजो। अंकित नहीं होगा।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): xxx

श्री सभापति: इसके बाद में दूंगा। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो। अंकित नहीं हो रहा है। मैंने आपका नाम पुकार लिया। आप विराजो तो सही...(व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): xxx

श्री सभापति: आप विराजो तो सही। आप विराजो। माननीय सदस्य, आप विराजो।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजो...(व्यवधान) आप विराजो। गृह मंत्रीजी ने सुन लिया न। आप विराजो। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): xxx

श्री सभापति: मैंने 295 के ऊपर बोलने के लिये नाम पुकार लिया है, विराजो आप।...

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): xxx

श्री सभापतिः सुन लिया न। अब आप विराजो तो सही। आप विराजो। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): xxx

श्री सभापतिः आप विराजो। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): xxx

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): xxx

श्री सभापतिः आप विराजो। माननीय सदस्य, आप विराजो। आप विराजो।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): xxx

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): xxx

श्री सभापतिः सब सुन रहे हैं।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): xxx

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): xxx

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): xxx

श्री सभापतिः आपने बोल दिया न। मैं व्यवस्था दे दूंगा। आप विराजो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): xxx

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): xxx

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, मैं व्यवस्था दे दूंगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मैं व्यवस्था दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): xxx

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, सदन के माननीय सदस्यों की इज्जत और गरिमा के संरक्षक आप हैं। माननीय सदस्य ने साफ कहा है कि पुलिस की वैबसाइट पर उनको इतने साल से फरार दिखा रखा है। वह चुनाव लड़े, चुनाव लड़कर जीत कर आकर यहां वह सदस्य बने। फरार तो हैं नहीं। पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। अब उनका यह कहना है...(व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): xxx

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इनके साथ सरकार का गनमैन भी है। इनका यह कहना है कि यदि मेरे ऊपर कोई वारंट है तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। यह कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कोई वारंट है या मैं फरार हूं तो मैं अपने आप समर्पण कर रहा हूं, मुझे गिरफ्तार किया जाए। अगर नहीं है तो पुलिस की वैबसाइट पर जिस प्रकार से माननीय सदस्य की मानहानि की गयी है, वह भी एक अपराध है।

श्री सभापति: प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय, मैंने व्यवस्था दे दी है, इसमें आज ही व्यवस्था दूंगा। मैं आसन से व्यवस्था दे चुका हूं।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): xxx

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप दें या नहीं देंगे, पर मुझे कम से कम दीजिये।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): xxx

श्री सभापति: बैठो तो सही आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सरकार यहां बैठी हुई है, आज कल वैबसाइट पर और सूचना तंत्र में कोई दिक्कत नहीं है, माननीय गृह मंत्रीजी पता कर लें पुलिस से और पता करके इस बात को सदन में बता दें। इसके बाद, सभापति महोदय, मैं आपसे यह अपेक्षा करूंगा कि यह फरार तो हैं नहीं, यह स्पष्ट कह रहे हैं, मेरे पर कोई केस नहीं है, तो इसके बाद में आपको यह व्यवस्था देनी है कि किसी भी माननीय सदस्य को इस प्रकार से अपमानित करना और 6-6 साल तक उसको वैबसाइट पर रखना वह किस प्रकार से उचित है और किस प्रकार से उसकी मानहानि होती है। उस वैबसाइट के आधार पर समाचार पत्र में भी छपा। सारे राजस्थान भर में चला गया... (व्यवधान) इसलिये मैं चाहूंगा, इस पर आप सरकार से वक्तव्य दिलाएं और अपनी व्यवस्था दें। दोनों ही काम करें।

श्री सभापति: प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय, मैंने यही तो कहा है। मैं आपको यही तो निवेदन कर रहा हूं कि मैंने कह दिया है आपको, सदन को आश्वस्त कर दिया है कि मैं व्यवस्था दूंगा और गृह मंत्रीजी वक्तव्य भी देना चाहते हैं तो दें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): xxx

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं सारे तथ्य की जानकारी... (व्यवधान) यदि गलती हुई है तो....(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): xxx

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): xxx

श्री सभापति: अच्छा, माननीय सदस्य, विराजो अब आप। विराजो आप। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप विराजो...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): xxx

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): xxx

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): xxx

श्री सभापति: अब विराजो तो सही आप। (व्यवधान) आपने सारी बात, माननीय सदस्य, कह दी है, मैंने आपको कहा, मैं व्यवस्था दूंगा। आप विराजो तो सही। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): xxx

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): xxx

श्री सभापति: आप विराजो तो सही। एक मिनट...(व्यवधान) मुझे व्यवस्था नहीं देने देंगे आप? (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): xxx

श्री सभापति: प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय, इस पर व्यवस्था तो देने के लिये आप थोड़ा माननीय सदस्य को कहिये।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): xxx

श्री सभापति: आप विराजिये...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): xxx

श्री सभापति: मैं बहुत गम्भीर हूं, आप विराजो तो सही...(व्यवधान) सरकार भी गम्भीर है, मैं भी गम्भीर हूं, सदन भी गम्भीर है। आप विराजो तो सही। अब विराजो आप। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): xxx

श्री सभापति: आप विराजिये। आप विराजिये। अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, आप विराजिये। मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो आप। मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। आप विराजो...(व्यवधान) आप विराजो। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): xxx

श्री सभापति: आप विराजें। आप विराजें माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सरकार पुलिस से डरी हुई है ...(व्यवधान) सरकार पुलिस से डरकर भाग रही है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें। गृह मंत्रीजी, सदन के अंदर जिन तथ्यों पर माननीय सदस्यों ने जानकारी दी है, उस पर कल आप सदन को पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं, यह आसन से मेरी व्यवस्था है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): धन्यवाद, माननीय सभापति।

श्री सभापति: श्री रामनारायण मीणा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

टोंक के अलीगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की क्रमोन्नति

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि जिला टोंक में स्थित अलीगढ़ कस्बे में पंचायत समिति तथा तहसील मुख्यालय हैं एवं उनके भवन निर्मित हैं। अलीगढ़ में वर्ष 1980 के पूर्व तक चार चिकित्सक कार्यरत थे तथा इसी अनुरूप अन्य चिकित्सा स्टाफ भी कार्यरत था। वर्ष 1985 में चिकित्सा अधिकारी के मात्र 2 स्वीकृत पद रह गये। इसके पश्चात् उक्त पदों के अतिरिक्त समेकित बाल विकास सेवा योजनान्तर्गत एक चिकित्सक, 2 एचएलवी, 10 एएनएम को यहां पर पदस्थापित किया गया था, किन्तु महिला एवं बाल विकास विभाग के आदेश क्रमांक 15145 दिनांक 8 फरवरी, 2001 से उक्त चिकित्साधिकारी, एलएचवी तथा एएनएम के पदों को समाप्त कर देने से क्षेत्र के महत्वपूर्ण कस्बे की चिकित्सा सेवाओं पर विपरीत असर पड़ गया है। अलीगढ़ कस्बा पूरे क्षेत्र का महत्वपूर्ण कस्बा होने के साथ ही वहां सवाई माधोपुर सहित अन्य क्षेत्रों के व्यक्तियों का आवागमन रहता है। राष्ट्रीय

(श्री रामनारायण मीणा)

राजमार्ग संख्या 116 पर स्थित अलीगढ़ में सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्टेट के समय का बना विश्रामगृह भी है। चिकित्सालय तथा स्टाफ के लिए पूर्व से ही पर्याप्त भवन व्यवस्था है। अलीगढ़ क्षेत्र के अधिकतर निवासी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हैं। यह मुस्लिम तथा अनुसूचित जाति के बाहुल्य वाला कस्बा है। राज्य सरकार तथा भारत सरकार प्रत्येक नागरिक को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने को प्रतिबद्ध होने से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अलीगढ़ का दर्जा बड़ा कर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर का बनाया जाकर 5 चिकित्सकों तथा इसी अनुरूप स्टाफ के पदों में बढ़ोत्तरी की जावे ताकि आमजन की भावना का आदर हो सके।

अतः अनुरोध है कि विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जनहित में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अलीगढ़, जिला टोंक को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अथवा अन्य किसी भी रूप में क्रमोन्नत किया जाकर चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ के पदों में बढ़ोत्तरी की जाकर क्षेत्र की जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवायी जाने की कृपा करें।

माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, कोई ध्यान दे रहे हो क्या? इतना भारत सरकार कर रही है तो थोड़ा आप भी खड़े होकर तो बोलो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, जो आपने 295 के तौर पर दिया है, जो लिखित में दिया है...

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): सभापति महोदय, मेरी सुन लीजिये। भारत सरकार की मंशा है, माननीय मंत्रीजी यहां बैठे हैं, यह खड़े होकर चार शब्द इस पर भी बोल दें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): मैं तो बैठ ही जाऊंगा।

श्री सभापति: आपने कह दिया न इस पर।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): नहीं खोलेंगे तो भी जनता जिंदा रहेगी।

श्री सभापति: आपने बोल दिया। श्री पवन कुमार दुग्गल।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): यह नवाब साहब भी नहीं सुनेंगे तो सदन में किसको सुनाने जाएंगे?

श्री सभापति: श्री पवन कुमार दुग्गल।

अनूपगढ़ में घड़साना व रावला की कच्ची बस्तियों का नियमन

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत 24 ए.एस.(सी.) घड़साना व 8 पी.एस.डी.(बी.) रावला की कच्ची बस्तियों में पिछले 2 दशक से गरीब/पिछड़े हुए बीपीएल लोग रहे रहे हैं। इन लोगों के पास अपने मकानों का पट्टा नहीं होने की वजह से ये सरकारी सहायता लेने से वंचित रह जाते हैं जैसे इन्दिरा आवास, बिजली, पानी आदि। ऐसे में कच्ची बस्तियों को नियमित कर पट्टे देने से वास्तविक बीपीएल लोगों को फायदा मिल सकता है। कच्ची बस्तियों में रहने वाली जनता को अपना मकान का पट्टा मिलने से वे लोग इन्दिरा आवास के साथ-साथ बिजली, पानी की सुविधा ले सकते हैं और उनका जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर आ सकता है।

मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि घड़साना एवं रावला की केशव कालोनी की कच्ची बस्तियों की गरीब जनता जिस जगह पर लम्बे अर्से से बैठी है, वह जमीन मंडी विकास समिति, बीकानेर के अधीन आती है, यदि सरकार ग्राम पंचायतों के अधीन उपरोक्त जमीन आबंटित कर दे तो ग्राम पंचायत रावला व घड़साना में गरीब लोगों को आसानी से एवं शीघ्र पट्टे दिये जा सकते हैं।

मैं उम्मीद करता हूं कि शीघ्र नियमन की कार्यवाही कर इन कच्ची बस्तियों में रहने वाली जनता को पट्टे आबंटित कर अनुग्रहित करेंगे।

श्री सभापति: श्री गणेश सिंह परमार।

कुम्भलगढ़ की तहसील आमेट के राजकीय महाविद्यालय में व्याख्याताओं के रिक्त पड़े पदों पर भर्ती

श्री गणेश सिंह परमार (कुम्भलगढ़): सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कुम्भलगढ़ में एक मात्र महाविद्यालय तहसील आमेट का राजकीय महाविद्यालय ही है। मेरा विधान सभा क्षेत्र गरीब एवं आदिवासी बहुल इलाका है व उक्त महाविद्यालय में अधिकतर गरीब, किसान एवं मजदूरों के लड़के-लड़कियां अध्ययनरत हैं तथा

(श्री गणेश सिंह परमार)

50-60 किलोमीटर की परिधि में अन्य कोई महाविद्यालय नहीं है। उक्त महाविद्यालय में गत लम्बे अर्से से कुल स्वीकृत पदों में से मात्र 3 पद भरे हुए हैं, शेष सभी व्याख्याताओं के पद रिक्त चल रहे हैं। पूरा महाविद्यालय एक प्रिंसिपल, एक व्याख्याता एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के भरोसे चल रहा है। इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से कई बार निवेदन करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। पूर्व में भी छात्र-छात्राओं द्वारा हड़ताल एवं तालाबंदी की गयी थी, तब रिक्त पद भरने का आश्वासन दिया गया था। परन्तु अभी तक कोई पद नहीं भरे गये हैं। अध्ययनरत विद्यार्थी अधिकतर गरीब होने से अन्यत्र शिक्षा प्राप्त करने में भी सक्षम नहीं हैं।

अतः निवेदन है कि तत्काल प्रभाव से रिक्त पद भरने की कृपा करें ताकि छात्र-छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो सके।

श्री सभापति: श्री ओम बिरला।

कोटा नगर निगम द्वारा नगरीय कर की वसूली

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण मेरे विधान सभा क्षेत्र से संबंधित लोक हित का मुद्दा आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए निवेदन करता हूं कि नगर निगम, कोटा द्वारा वहां की आम जनता पर अपना तुगलकी आदेश थोपा जा रहा है एवं नगरीय कर के नाम पर लोगों पर अवैधानिक दबाव बनाया जा रहा है। नगरीय कर जमा नहीं कराने पर वहां के निवासियों एवं व्यापारी वर्ग को न तो फूड लाइसेंस जारी किये जा रहे हैं, न ही भू-उपयोग परिवर्तन किया जा रहा है एवं न ही मकान आदि के नक्शे पास किये जा रहे हैं। साथ ही नगर निगम की सम्पूर्ण सुविधाएं बंद करने का एक तुगलकी आदेश वहां की महापौर ने निकाला है जो कि अवैधानिक है। नगरीय कर के नोटिस उन लोगों के पास भी भेजे जा रहे हैं जो नगरीय कर की परिधि में नहीं आते हैं।

(14.00 बजे)

यही नहीं, मैं आज के हमारे माननीय स्वायत शासन मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जब वह कोटा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब इन्होंने कोटा की जनता से कहा था कि अगर हमारी सरकार आई तो नगरीय कर को वसूलने नहीं देंगे एवं उसको व्यावहारिक बनाएंगे। उस

(श्री ओम बिरला)

समय माननीय मंत्री महोदय ने यह भी कहा था कि कोटा का नगर निगम आर्थिक रूप से सक्षम है। आज जब वह स्वयं इस विभाग के मंत्री हैं तो हमारी अपेक्षा है कि अवैधानिक और दबाव से वसूले जा रहे नगरीय कर को समाप्त करें एवं वर्तमान नगर निगम की महापौर द्वारा जो असंवैधानिक आदेश जारी किया गया है, उस आदेश को तुरन्त प्रभाव से वापस लेकर कोटा शहर की जनता को राहत प्रदान करने का काम करें। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय स्वायत्त शासन मंत्री एवं राज्य सरकार मेरे इस प्रस्ताव को मंजूर करते हुए कोटा शहर की आम जनता से किया गया अपना वादा निभाएंगे।

श्री सभापति: श्री कानसिंह कोटड़ी।

सिवाना तहसील के 14 गांवों की वन भूमि पर चारदीवारी

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं राज्य सरकार, माननीय वन एवं पर्यावरण एवं माननीय जल संसाधन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार द्वारा पारित बजट वर्ष 1992 व 1994 के अनुसार तहसील सिवाना में 14 गांवों में वन भूमि आई हुई है। तहसील सिवाना में 24742.07 हैक्टेयर वन क्षेत्र है। आज वन भूमि पर अतिक्रमण की प्रबल संभावना को देखते हुए वन भूमि के चारों तरफ चारदीवारी (फैंसिंग) का कार्य होना आवश्यक है ताकि वन भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हो। साथ ही, वन भूमि के आसपास बड़े-बड़े पहाड़ होने के फलस्वरूप यहां से अनावश्यक पानी बहता है एवं लगातार उपजाऊ भूमि को बंजर कर देता है, इस कारण से इस क्षेत्र में चैक डैमों का निर्माण किया जाना नितान्त आवश्यक है। चारदीवारी (फैंसिंग) एवं चैक डैमों को बनाने से वन्य जीवों का संरक्षण, प्राकृतिक वनस्पति का बचाव और अतिक्रमण की संभावनाएं समाप्त होंगी। तहसील सिवाना का वर्ष 1999 में जल स्तर 95 से 105 फीट के मध्य था, पानी का दोहन होने के फलस्वरूप इसका लगातार जल स्तर नीचे जा रहा है। वर्तमान में 250 फीट पर जल स्तर है। ग्राम पंचायत क्षेत्र कुण्डल, सेला, धीरा, गोलिया, भागवा, रमणिया, काठाड़ी, कांखी आदि के पहाड़ी क्षेत्र के आसपास छोटे-छोटे चैक डैम बनाने से पानी इकट्ठा होकर भूमि में पानी का रिसाव होगा जिससे आसपास के क्षेत्रों का जल स्तर भी ऊपर उठेगा और निश्चित रूप से किसानों को भी इसका फायदा होगा।

(श्री कानसिंह कोटड़ी)

अतः जन मांग व जन हित को देखते हुए वन भूमि के चारों तरफ चारदीवारी (फैंसिंग) एवं पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास छोटे-छोटे चैक डैमों का निर्माण करवाकर जनता को राहत पहुंचाने का आग्रह करता हूं।

श्री सभापति: श्री अब्दुल सगीर खां।

धौलपुर जिले में व्याप्त बेरोजगारी व बढ़ते अपराध

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि धौलपुर जिले का समाजी, सियासी व माली मंजर अपनी बदकिस्मती, बदहाली की अजीबोगरीब दास्तां बयान करता है। यह जिला राजस्थान का एक खुसूस व अहम जिला है लेकिन अभी तक तमाम सहूलियतों से महरूम है। एक तरफ बेरोजगारी, बेकारी, गुरबत में इजाफा, दूसरी तरफ जरायम कारोबार का पनपना हाकिमे बख्त, बरसरे इक्तिदार सियासतदां की नीति व नीयत पर सवालिया निशान लगाता है। हाल ही में दर्जनों फिरौती, डकैती, मुठभेड़ की वारदातें मसलन पैट्रोल पम्प्स की लूट, ट्रैक्टर, मोटर साइकिल की चोरी एवं घरों में घुसकर बंदूक की नोक पर लूट व डकैती इस बात की गवाह ए मुशाहिद हैं कि धौलपुर जिला हमारे वजीरे आला के नजरे करम व रहमो करम से महरूम है, या यह कहिये, यह वजीरे आला की नवाजिश है। जरायम के कारोबार का ताल्लुक गुरबत व बेरोजगारी से भी है। धौलपुर की लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटिजिक है। यह एक तरफ उत्तर प्रदेश से जुड़ा है तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश से। धौलपुर में एन एच 3, सेंट्रल रेलवे, नैरो गेज, धौलपुर-सरमथुरा, एन एच-8- बी निर्माणाधीन है, प्राकृतिक स्रोत, चम्बल नदी, थर्मल पावर प्लांट होने के बावजूद धौलपुर में मायूसी, अफसुर्दगी व नाउम्मीदी का आलम है।

मेरा शिकवा है बागे रिजवां से, मेरी शिकायत है चमन के निगेहबां से, मेरी मुराद है इस सूबे के वजीरे आला गहलोत साहब से, बराए मेहरबानी धौलपुर की तरक्की, फलाबहबूदी व धौलपुर जिले के अवाम की दिल पजीर ख्वाहिशों, तमन्नाओं के ख्वाब की ताबीर व तस्वीर का मुस्सव्विर होने का फख्र हासिल करें और इस जिले को अवाम के ख्वाबों का हसीन शहर बनाने की कोशिश की पहल कर हम पर नजरे नवाजिश करें। शुक्रिया।

श्री सभापति: श्री बहादुर सिंह।

वैर में पाले से नष्ट हुई पान की फसल का मुआवजा

श्री बहादुर सिंह (वैर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र वैर, जिला भरतपुर के ग्राम खरैरी, बागरैन, खानखेड़ा व उमरैन के क्षेत्र में पान की फसल बहुत समय से होती चली आ रही है। इन गांवों का किसान पूरी तरह पान की खेती पर ही आश्रित है। इस क्षेत्र में ज्यादातर किसान सीमांत व लघु कृषक की श्रेणी में आते हैं तथा काफी बड़ी मात्रा में भूमिहीन व्यक्ति भी रहते हैं जो किराये पर जमीन लेकर पान की खेती करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस वर्ष जनवरी माह में पड़ी कड़ाके की सर्दी के कारण पान की खेती पूरी तरह से नष्ट हो गई जिसके कारण किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पान की खेती एक बार लगाने पर तीन वर्ष तक पैदावार होती है जिससे इसको लगाने में भी बहुत खर्चा आता है। इस क्षेत्र के किसानों द्वारा सम्बन्धित उप खण्ड अधिकारी को उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की जा चुकी है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सरकार कम जमीन पर व्यापारिक फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए नई-नई योजना चला रही है लेकिन इस क्षेत्र में होने वाली पान की खेती की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राजस्व विभाग द्वारा पान की खेती को गेहूं, चना, सरसों के बराबर का दर्जा दिया जाता है। जबकि पान की खेती करने में लागत मूल्य इन फसलों से कई गुना अधिक आता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि सर्दी से पान की खेती में हुए नुकसान का मुआवजा एवं इस खेती को विशेष दर्जा दिलाए जाने की कृपा करें जिससे इस क्षेत्र में किसानों को राहत मिल सके। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री सभापति: आपने बोल दिया। आपने जो लिखकर दिया है उसके अतिरिक्त अंकित नहीं होगा।

श्री बहादुर सिंह (वैर): ×××

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री बहादुर सिंह (वैर): xxx

श्री सभापति: श्री भगवान सहाय सैनी।

गैर आबादी क्षेत्र में दिये जा रहे घरेलू विद्युत कनेक्शन नियमों में संशोधन

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत घरेलू विद्युत कनेक्शन नीति के संबंध में विशेष उल्लेख।

महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत घरेलू विद्युत कनेक्शनों के बारे में निवेदन है कि विगत एक वर्ष से विद्युत वितरण निगम द्वारा गैर आबादी क्षेत्र में एक डीपी में 5 से अधिक कनेक्शन जारी नहीं किये जा रहे हैं, चाहे डीपी 5 एचपी की हो या 25 एचपी की। विद्युत विभाग का कहना है कि आबादी क्षेत्र में घरेलू विद्युत कनेक्शनों में सिंगल फेस बोरिंग चलाने की संभावना बनी रहती है। विभाग की यह बात कतई सच नहीं है। हर व्यक्ति के पास न सिंगल फेस बोरिंग है और न ही हर व्यक्ति सिंगल फेस बोरिंग चलाता है। यदि ऐसा किया जाता है तो विभाग के पास उपलब्ध विजिलेंस का क्या उपयोग है? क्या विजिलेंस का काम घर बैठकर वीसीआर भरना ही रह गया है? क्यों नहीं, सिंगल फेस बोरिंग चलाने वालों पर कार्यवाही कर पाबंदी लगाएं।

विभाग के पास बड़े-बड़े अनुभवी इंजीनियर उपलब्ध हैं, क्यों नहीं, इस प्रकार की तकनीकी उत्पन्न की जाए जिससे घरेलू विद्युत कनेक्शन से सिंगल फेस बोरिंग चले ही नहीं? आज के आधुनिक युग में एक गांव या ढाणी के किसान व गरीब व्यक्ति को घरेलू विद्युत कनेक्शन भी नसीब नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या किसान व गरीब के बच्चों को रोशनी में पढ़ने का अधिकार नहीं है? यदि है तो विद्युत विभाग द्वारा वर्तमान में घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी करने के नियमों में परिवर्तन करना होगा।

एक गरीब व्यक्ति घरेलू विद्युत कनेक्शन के लिए ट्रांसफार्मर की कीमत जमा करवा कर कनेक्शन लेने में सक्षम नहीं है। अतः माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय से आपके माध्यम से अनुरोध है कि गैर आबादी क्षेत्र में एक डीपी में केवल पांच कनेक्शन जारी करने के नियमों को निरस्त करावें तथा गैर आबादी क्षेत्र में घरेलू विद्युत कनेक्शन मांगने पर विद्युत कनेक्शन अविलम्ब जारी करवाने के आदेश प्रदान करवाने की कृपा करें। सादर।

श्री सभापति: श्रीमती कमला कस्वां।

सादुलपुर-पिलानी मार्ग पर स्थित रेलवे फाटक पर ओवर-ब्रिज का निर्माण

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के सादुलपुर-पिलानी मार्ग (एसएच-13) पर सादुलपुर कस्बे में पिलानी सड़क मार्ग पर एक समपार संख्या 142 स्थित है जहां से होकर दिल्ली-रेवाड़ी-सादुलपुर, हिसार-सादुलपुर, हनुमानगढ़-सादुलपुर एवं चूरू-रतनगढ़-बीकानेर एवं जोधपुर की ओर ब्रॉडगेज की गाड़ियां गुजरती हैं। उक्त समपार सड़क मार्ग की टीवीयू वर्ष 2007 में 159090 थी जो वर्तमान में काफी बढ़ गई है। उक्त रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाये जाने के संबंध में मैंने पूर्व में भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया था लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है।

उक्त रेलवे फाटक से पार दक्षिण की तरफ कालेज, राजकीय चिकित्सालय, आईटीआई आदि संस्थान स्थित हैं। इसके अतिरिक्त देश एवं प्रदेश की महत्वपूर्ण शैक्षणिक नगरी पिलानी, जयपुर, खेतड़ी जाने का भी यही रास्ता है। वर्तमान में पिलानी में मिसाइल निर्माण का कारखाना भी चालू होने जा रहा है जो सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में उक्त फाटक जहां अधिकांश समय बंद रहता है, वहां सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि हनुमानगढ़-सादुलपुर एवं दिल्ली-रेवाड़ी-बीकानेर लाइन ब्राडगेज में परिवर्तित होने एवं तत्पश्चात् इन ट्रैकों पर गाडियों के सम्पूर्ण आवागमन के बाद क्या हालत होगी। स्थानीय कस्बे के गम्भीर रोगी एवं गर्भवती महिलाएं काफी बार फाटक बंद होने के कारण अकाल मौत के ग्रास बन जाते हैं।

अतएव मेरा विशेष अनुरोध है कि जन हित की मांग एवं आवश्यकता को देखते हुए उक्त समपार संख्या 142 पर नियमानुसार ओवरब्रिज बनाये जाने संबंधी प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भिजवाते हुए ओवरब्रिज निर्माण करवा कर अनुगृहित करावें ताकि क्षेत्र की ज्वलन्त समस्या से लोगों को निजात मिल सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: निम्न माननीय सदस्यों से पर्चियां प्राप्त हुईं, पर्ची के माध्यम से निम्न माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति होगी। (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): दुबारा यह गलती नहीं होनी चाहिए।

श्री सभापति: श्री ग्यारसाराम जी कोली। (व्यवधान)

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

बयाना में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के रूप में जो 15 और 16 फरवरी को ओलावृष्टि का तांडव-नृत्य हुआ, उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। विधान सभा क्षेत्र बयाना में दो तहसीलें आती हैं बयाना और रूपवास, बयाना के तकरीबन 25 गांवों में 50-50 ग्राम के ओले पड़े और उससे फसल को नुकसान तो भारी हुआ ही, जिसका प्रतिशत 50 से अधिक है, हजारों पक्षियों की भी मौत हुई। किसान बेसहारा होकर सरकार की प्रतीक्षा कर रहा है। सरकार का दायित्व भी है कि ऐसे आपदा समय में किसान को फसल का मुआवजा दे, लेकिन किसान विरोधी सरकार का इस मामले में कोई भी ध्यान नहीं। आज तीसरा दिन है, किसान सड़क पर आ गये हैं, अपना दुःख रो रहे हैं। लेकिन स्थानीय अधिकारियों से जब पूछा जाता है तो उनका बताना है कि सरकार यह कह चुकी है कि हर तरह से आपको 10 या 15 प्रतिशत ही नुकसान शो करना है। सभापति महोदय, नियम यह है कि किसी गांव विशेष में अगर 60 प्रतिशत या 50 प्रतिशत नुकसान हो जाता है तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन अधिकारी तहसील स्तर पर उसका मूल्यांकन करते हैं, परसेंटेज को डाउन करके 10 या 15 परसेंट बता देते हैं और सरकार इस बात से बच जाती है कि किसानों को मुआवजा मिले। बयाना तहसील के ऐसे पीड़ित गांव जिनमें खराबा 50 या 60 परसेंट है वे हैं- ग्राम दमदमा, कनावर, हरनगर, समोगढ़, सिकंदरा, रंभास, सिंगाड़ा, फटका, नारौली, सातपुरा, संतूकपुरा, बीरमपुरा और तहसील रूपवास के ग्राम लखनपुर, रूतरोली, चटमासी, ढाणाखेली, बिनंदवां दोड़ता, मेड़ता, बिलस्वां, इनमें भारी नुकसान हुआ है। मेरी सरकार से मांग है कि अपनी किसान विरोधी नीति की हठधर्मिता को छोड़े, नैतिकता से प्रजा पर ध्यान दे, अविलम्ब सर्वे करा मुआवजा दिलवाए और क्षेत्र के अधिकारियों को अविलम्ब निर्देश दे कि जनता जो सड़क पर पड़ी हुई है, भुखमरी का शिकार होने के कगार पर है, उनके बारे में सहानूभूतिपूर्वक विचार करे। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री ओम जोशी।

फलौदी में सीवरेज लाइन की स्थापना

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक मात्र नगरपालिका फलौदी शहर की है, मैं आपके माध्यम से हमारी लोकप्रिय सरकार के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि नगरपालिका के 30 वार्ड हैं और उस पूरे क्षेत्र में जल स्तर बढ़ने की निरन्तर शिकायत आ रही है। उसके संदर्भ में जांच हुई और अधिकारियों के माध्यम से यह बताया गया कि जल स्तर बढ़ने का निवारण मात्र सीवरेज से ही सम्भव है। इसलिए फलौदी नगरपालिका क्षेत्र में सीवरेज लाइन के लिए योजना तैयार की गई। उसकी डीपीआर बनी और आरयूआईबीसी से इसके संबंध में पूरी प्रक्रिया की गई लेकिन बजट केन्द्र सरकार से कम आने की वजह से वह योजना स्वीकृत नहीं हो पाई। मेरे फलौदी शहर में पानी का बहाव दक्षिण से उत्तर की ओर है और उस बहाव की वजह से उत्तर क्षेत्र के समस्त गांव, समस्त जो घर हैं, वहां पर यह समस्या ज्यादा बनी हुई है। हालांकि इसके संबंध में सरकार ने सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए कच्ची बस्ती के विकास के लिए आईएचएसडीपी योजना के तहत साढ़े 23 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है और कार्य चालू हो चुका है। इसमें कुछ एरिया सीवरेज से व्यवस्थित हो जाएगा, लेकिन पूरे शहर में सीवरेज की लाइन स्थापित करना आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो यूआईडीएसएसएमटी के तहत साढ़े 23 करोड़ की योजना लम्बित है और जिसके लिए केन्द्र से राशि मांगी गयी है, इनका जो नगरपालिका का हिस्सा होता है, 10 प्रतिशत, नगरपालिका वह हिस्सा देने में सक्षम है। चूंकि यह एक आकस्मिक अति-आवश्यकता है, इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु व्यवस्था करते हुए फलौदी नगरपालिका क्षेत्र में सीवरेज लाइन स्थापित करने के लिए जो योजना लम्बित है, उसकी अतिशीघ्र स्वीकृति करवाने की अनुकम्पा करें। मुझे आशा है कि लोक हित में तुरन्त ही इस आवश्यक मसले में सरकार सकारात्मक फैसला करेगी। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कैलाश चन्द भंसाली। श्री शाले मोहम्मद।

पोकरण में चिन्नू माइनर के शेष खालों का निर्माण

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पोकरण के अन्दर इंदिरा

(श्री शाले मोहम्मद)

गांधी नहर परियोजना में विशेष तौर से चिन्नू माइनर का निर्माण किया गया था। उसमें 2-3 ग्राम पंचायत के लोगों को नहर के पानी से नहीं जोड़ा गया था। वहां के लोगों की जो जमीन थी उसका लाभ उनको नहीं मिल रहा था इसलिए वहां पर चिन्नू माइनर का निर्माण किया गया था। उसका निर्माण होने के 8 सालों के बाद में पिछले साल राज्य सरकार द्वारा 5 खालों का निर्माण किया गया। माइनर के कुल 7 खाले हैं जिनमें से 5 खालों का निर्माण कर दिया गया, लेकिन एक और दो चक आबादी के जो खाले थे उन खालों का आज तक निर्माण नहीं हुआ। उन खालों में से खाला नम्बर एक में ए और बी दो खाले निकलेंगे और उसी प्रकार से सीएडी खाला नं. 2 में भी एक और बी दो खाले निकलेंगे। कुल मिलाकर उस माइनर के चार खाले ऐसे हैं जिनका आज तक निर्माण नहीं किया गया है। जबकि वहां का सर्वे भी पूर्ण हो गया है और उप निवेशन विभाग द्वारा उसकी जमीन का कटान भी कर दिया गया है। वहां पर यह जिन लोगों के लिए बनाया गया था, यदि वास्तविक लाभ उन लोगों को नहीं मिलेगा तो मैं समझता हूं कि जो किसान वहां पर गैर खातेदार हैं, जो वर्षों से वहां पर बैठे हुए हैं, उनको पूर्ण रूप से इस माइनर का फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए चिन्नू माइनर के चक नम्बर एक और दो के ए व बी जो चार खाले हैं, इन खालों का निर्माण अत्यावश्यक है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे उपनिवेशन क्षेत्र में 14 हजार ऐसी फाइलें हैं जो आज तक पैण्डिंग पड़ी हैं। हम चाहते हैं कि जो भूमिहीन लोग हैं उन लोगों को जमीन मिले। यदि इस प्रकार से ये खाले नहीं बनेंगे, चक आबादी को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो जो भूमिहीन लोग हैं, जो वर्षों से उस क्षेत्र में रह रहे हैं, जिनकी प्राथमिकता होनी चाहिए, वो भूमिहीन रह जाएंगे और उस माइनर का किसानों को, वहां के वाशिंदों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपके इन चार खालों में 1300 हैक्टेयर जमीन है, इस 1300 हैक्टेयर में से एससी, एसटी के लिए 30 प्रतिशत रिजर्व है, 30 प्रतिशत विशेष आबंटन के लिए रिजर्व है और 40 प्रतिशत ऐसी जमीन है जो सामान्य आबंटन योग्य है। मैंने पूर्व में भी लिखित में निवेदन किया है कि इन माइनर्स में खालों का निर्माण अत्यावश्यक है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि आप जल्दी से जल्दी सर्वे कराकर इन चारों खालों का निर्माण कराएं। जिनके लिए इस माइनर का निर्माण हुआ है, जो वर्षों से वहां इस कयास में बैठे हैं उनके लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि इन खालों के अन्दर जल्दी से जल्दी पानी आए।

(श्री शाले मोहम्मद)

मुझे यह विश्वास है कि राज्य सरकार इस काम को जल्दी से हाथ में लेगी और पूर्ण करेगी। धन्यवाद।

श्री सभापति: पाइंट आफ इन्फार्मेशन के माध्यम से श्री वासुदेव जी देवनानी।

सूचना

अजमेर नगर निगम की बैठक में दर्शक दीर्घा से आये लोगों द्वारा पार्षदों से मारपीट

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ऐसी एक बात कहने जा रहा हूं अजमेर नगर निगम की जिसने केवल अजमेर नहीं, राजस्थान ही नहीं, देशभर में लोकतंत्र को शर्मसार किया है। लोकतंत्र की हत्या हुई है इसलिए इस सदन में आपके माध्यम से यह विषय लाना चाह रहा हूं। 14 फरवरी को अजमेर नगर निगम की साधारण सभा की बैठक थी। साधारणतया बैठक होती है, यहां भी हो रही है। वहां पर दर्शक दीर्घा भी रहती है, दर्शक दीर्घा में लोग भी आते हैं। वहां पर योजनापूर्वक बैठक से एक घंटा पहले सारे कांग्रेसी और बाहुबली आकर कब्जा कर लेते हैं। तत्पश्चात जहां पर 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बैठते हैं और अभी नये चुनाव के बाद भी जहां पर पार्षद लोग बैठे, उस स्थान पर कांग्रेस के पार्षदों ने कब्जा कर लिया, उनके बैठने के स्थान पर वे बैठ गये। जब हमारे पार्षद, मैं भी वहां पर उपस्थित था, हम उस सदन में गये तो देखते हैं कि सारे कांग्रेसी पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के बैठने के स्थान पर कब्जा कर रखा है। कब्जा करने के बाद हमने मेयर से मांग की कि हमें वहां पर बैठने दिया जाए तो मेयर कहे हुए की अनुसनी कर देता है। हम लोग धरने पर बैठ जाते हैं जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार था। हम कहते हैं कि हमारा स्थान खाली कराओ, पर वो कहते हैं कि जहां जगह है वहां बैठ जाओ। हमारे तीन पार्षद जहां जगह खाली थी, वहां बैठने के लिए आगे बढ़े। एक महिला पार्षद गईं तो तुरन्त ही, दो मिनट के अन्दर दर्शक दीर्घा से कूदकर बाहुबली सदन में आकर हमारे पार्षदों के साथ मारपीट करते हैं। एक महिला पार्षद बैठी हैं, उस महिला पार्षद की चोटी खींचकर उसको वहां पर घसीटा गया। वहां पर एक विकलांग पार्षद था, माननीय सभापति महोदय, मेरे पास ये फोटो हैं, सारे समाचार पत्रों में ये फोटो छपे हैं और मैं यह सदन की टेबल पर

(श्री वासुदेव देवनानी)

भी रखता हूं। यह कैसेट भी मेरे पास है जिसमें सारे फोटो हैं। वहां पर ये एलीमेंट हैं जिनमें से एक ने अभी जिला परिषद के सदस्य का चुनाव लड़ा है सौरभ बजाज और उसके साथ सांवरलाल, योगेन्द्र, शम्सुद्दीन, हेमंत ठोमरे और नवीन मंत्री जो कि सरकारी कर्मचारी है, वो भी कूदकर आये और उन्होंने आकर उस महिला की चोटी पकड़कर उसे घसीटा। सारी गुत्थम-गुत्था हो गई। वैसा दृश्य आज तक कहीं पर भी इतिहास में नहीं हुआ। फिर भी आज मेयर कहता है कि वहां पर कुछ नहीं हुआ और मेरे अधिकारी कहते हैं कि वहां पर हमने देखा ही नहीं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करने की जरूरत है। दो एफआईआर भी दर्ज हुई हैं। एक बात और है कि हमारे पवन बैरवा पार्षद है जो वैशाखी पर चलता है, उसकी बैशाखी पकड़कर गिरा दी और उसके ऊपर जिस प्रकार से अटैक किया गया, मैं समझता हूं कि आज तक हिन्दुस्तान के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। दर्शक दीर्घा से यहां पर कोई पर्चे भी फेंकता है तो आप बुलाकर उसको सज़ा देते हैं। लेकिन वहां पर कूदकर जिस तरह की गुंडागर्दी, जिस तरह का आतंक फैलाया है, मैं समझता हूं कि इस कांग्रेसी सरकार के लिए यह अशोभनीय है। माननीय गृह मंत्रीजी, आप स्वायत्त शासन मंत्री भी हैं, आप जरा देखिये।

यह प्रकरण इसलिए हुआ कि गत 6 महीने पहले भी साधारण सभा की बैठक हुई थी, आपके मेयर चुनाव तो जीत गये लेकिन उनको सदन चलाना नहीं आता है और आते ही दो मिनट में ही बिना कोई प्रस्ताव रखे खिड़की से भाग गये। उनका डर था कि इस बार भी मुझे उत्तर देना पड़ेगा इसलिए एक दिन पहले कांग्रेस के पार्षदों की अपने दल के साथ बैठक हुई और वहां पर यह रणनीति बनाई गई कि हम किस तरह से भाजपा के पार्षदों को भगाएंगे और ठोकेंगे। यह आज तक का विवाद चल रहा था कि इस प्रकार से ठोका गया। भाजपा के पार्षदों के साथ अपमानजनक जातिसूचक शब्दों का वहां पर उल्लेख हुआ जिसके कारण से वो बहुत आहत हैं। वहां की विकलांग समिति ने भी मामला दर्ज कराया है, इस पार्षद ने भी दर्ज कराया है। और भाजपा की जो महिला पार्षद थीं हेमलता शर्मा, हमने तो ये फोटो देखे हैं यहां, माननीय गृह मंत्रीजी, आप इस कैसेट को देख लें, यदि आपके मन में लोकतंत्र के प्रति एक प्रतिशत भी कोई भावना है तो आप इसको देखें और उसके बाद खुद निर्णय करें कि क्या दर्शक दीर्घा से कूदकर इस तरह के लोग आकर हल्ला कर सकते हैं। हल्ला ही नहीं किया, उसे कांग्रेसी पार्षदों ने भी सहयोग

(श्री वासुदेव देवनानी)

किया। टोनी, नरेश सत्यावना, नौरत गुर्जर, सुरेश भडाना, इन्होंने धक्का देकर बैरवा को किस तरह से किया है। इसके अलावा नवीन मंत्री तो वहां पर ड्रग सहायक है, वह सरकारी कर्मचारी है, हाजिरी भरकर आकर दर्शक दीर्घा में बैठता है और कूदकर किस तरह से मारता है, इसकी एक कल्पना की जा सकती है। फिर कहते हैं कि भाजपा पार्षदों के हस्ताक्षर करवाये हैं.... (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, माननीय सदस्य को आपने आन ए पाइंट आफ आर्डर परमीशन दी है। मैं पाइंट आफ आर्डर की तरफ आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा....

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): .....हमारे भाजपा के पार्षदों के वहां हस्ताक्षर तक नहीं करवाये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): उसमें करंट रेफरेंस पर आना चाहिए। पुरानी बातें कहीं से लेकर आ रहे हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह एक इन्फार्मेशन है। माननीय, सच को सुनिये, सच को सुनिये। इस तरह की बात करके मेरे को तो भले ही बिठा दीजिये लेकिन लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। आज पार्षद पिटे हैं। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): रूल 294 को देखा जाए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): .....आज आप जांच करवाएं। मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही आप रद्द करें और पूरी कार्यवाही करें। जो अधिकारी कहते हैं कि हमने देखा नहीं, अब पता नहीं वो आपके दबाव में या किसके दबाव में कह रहे हैं.....

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, रूल 294 को देखा जाए। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ....इसकी जांच करें तब जाकर कोई बात होगी। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपने सूचना का प्रश्न के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर लिया। आपने ध्यान आकर्षित कर लिया, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): सरकार जवाब दे। मैं इनको सदन की टेबल पर रख रहा हूं। ये सारे फोटो और ये सब चीजें मैं रख रहा हूं। यह लोकतंत्र में मेरी बात नहीं है। (व्यवधान) यह न तो वासुदेव देवनानी की बात है, न और किसी की बात है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? (व्यवधान) हां, रख दीजिये। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री वासुदेव देवनानी द्वारा फोटोज व सी.डी.

सदन की मेज पर रखी गईं)

रख दीजिये, रख दीजिये। (व्यवधान) विराजिये। आप विराजिये। आप अपने स्थान पर पधारो।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): उप नेता महोदय, प्रतिपक्ष, आपके माननीय सदस्य उत्तेजना में आ रहे हैं।

श्री सभापति: अधिसूचनाएं। श्री राजेन्द्र पारीक।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, जो पाइंट आफ इन्फार्मेशन के माध्यम से सूचना उठाई गई है...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, जो परम्परा वहां डली है कि बाहर का व्यक्ति अन्दर आकर... (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आप इसका उत्तर दिलवाइये। आप इस पर कार्यवाही का तो आश्वासन दिलवाइये। कार्यवाही का तो आश्वासन दिलवाइये। आप इस पर कार्यवाही का आश्वासन तो दिलवाएं।

श्री सभापति: अधिसूचनाएं। श्री राजेन्द्र पारीक। (व्यवधान) विराजिये, विराजिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): नहीं तो कल विधान सभा में हल्ला हो जाए। (व्यवधान) कल लोक सभा में होगा। कल विधान सभा में होगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

उद्योग विभाग

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार उद्योग विभाग की निम्न दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

(1) अधिसूचना संख्या आरएफसी/एफपीए-23(14) दिनांक 1 जनवरी, 2010 जिसके द्वारा राजस्थान वित्त निगम (स्टाफ) रैगुलेशन, 1958 में कतिपय संशोधन किये गये हैं, एवं

(2) अधिसूचना संख्या आरएफसी/एफपीए-23(2) दिनांक 1 जनवरी, 2010 जिसके द्वारा राजस्थान वित्त निगम के कर्मचारियों को मिलने वाली सेवानिवृत्त व मृतक ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि में संशोधन किया गया है। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): हमारे शहर के नगर निगम में यह जो कृत्य हुआ, ...(व्यवधान) हम असुरक्षित हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री शांती कुमार धारीवाल।

जल संसाधन विभाग

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग की अधिसूचना संख्या 6/पीएमयू/आरएफपीएम/सीएडी/02 दिनांक 9 जून, 2010 जिसके द्वारा राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध में कृषकों की सहभागिता नियम, 2002 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ...मेरे ऊपर भी आक्रमण हुआ है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, पार्षदों को कांग्रेस के माफियाओं द्वारा डराया गया। कांग्रेस के माफियाओं द्वारा पार्षदों को डराया गया और यह कहा गया कि अभी जो सदन के... (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह भू-माफियाओं ने मारा है। भू-माफियाओं ने मारा है, मारा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठिये। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा है। मंत्रीजी के अलावा कोई अंकित नहीं होगा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है, अंकित नहीं हो रहा है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): xxx

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है, अंकित नहीं हो रहा है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): xxx

श्री सभापति: आप विराजिये। अंकित नहीं हो रहा है, अंकित नहीं हो रहा है। आप विराजिये। अंकित नहीं हो रहा है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): xxx

श्री सभापति: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री शांती कुमार धारीवाल।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं :-

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान लोक सेवा आयोग का 59वां वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2008-09

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद-323(2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का 59वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-09, एवं

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के वित्तीय लेखे एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2002-03 से 2006-07

(2) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 35 की उप धारा-4 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के वित्तीय लेखे एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2002-03 से 2006-07.

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): xxx

श्री सभापति: श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं :-

राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड का 32वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-10

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए)(3) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड का 32वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-10,

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 52वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-10

(2) दी वेयरहाउसिंग कारपोरेशन एक्ट, 1962 की धारा 31(II) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 52वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-10, एवं

राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 40वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-09

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए)(3) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 40वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-09.

व्यवस्था का प्रश्न

वार्षिक प्रतिवेदन समय पर आने चाहिए

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी माननीय गृह मंत्री महोदय ने राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के वित्तीय लेखे और अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखे हैं- 2002-03 से 2006-07 के। 2011-12 में हम खड़े हैं, निश्चित तौर से जब अंकेक्षण होता है तो उसमें एक वर्ष, दो वर्ष लग सकते हैं, पर इतने विलम्ब से ये वित्तीय लेखे आना? क्योंकि ये सब जो वित्तीय लेखे सदन में रखे जाते हैं, इनके पीछे मन्तव्य यही है कि माननीय सदस्य इन सब आयोग के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बारे में या जो भी निगम हैं, जिसके भी लेखे आते हैं, उसके बारे में अपना अध्ययन कर सकें कि किस तरह से यह आयोग और ये सारी चीजें काम कर रही हैं। इसलिए मेरा आसन से निवेदन है कि आप निर्देश दें कि 2002-03 से 2006-07 यानी 6-6 वर्ष विलम्ब से अगर लेखे हमारे सामने आएंगे तो हम किस प्रकार से अध्ययन कर पाएंगे, इसलिए आप आसन से निर्देश दें कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं हो।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र पारीक।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं :-

हाईटेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड, जयपुर के वार्षिक लेखे

वर्ष 2009-10

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए)(3) के अन्तर्गत हाईटेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड, जयपुर के वार्षिक लेखे वर्ष 2009-10,

राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2009-10

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए)(3) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-10,

सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 45वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-10

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए)(3) के अन्तर्गत मैसर्स सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 45वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-10, एवं

राजस्थान स्टेट ब्रेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड का पांचवां वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2009-10

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए)(3) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट ब्रेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड का पांचवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-10.

श्री सभापति: श्रीमती बीना काक।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखती हूं :-

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का नवां वार्षिक प्रतिवेदन व लेखे वर्ष 2008-09

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का नवां वार्षिक प्रतिवेदन व लेखे वर्ष 2008-09, एवं

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के वर्ष 2003-04 के लेखों का अंकेक्षण प्रतिवेदन व टिप्पणी

(2) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(4) के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के वर्ष 2003-04 के लेखों की आडिट रिपोर्ट एवं उस पर टिप्पणी।

श्री सभापति: श्री शांती कुमार धारीवाल।

राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड, जयपुर का 26वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-10

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान जल विकास निगम के मेमोरण्डम आफ आर्टिकल के नियम-114 के अन्तर्गत राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड, जयपुर का 26वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: श्री प्रमोद भाया।

राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का दसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2009-10

श्री प्रमोद जैन (भाया) (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए)(3) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का दसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2009-10 सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (संख्या-13)

श्री सभापति: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 13वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 15 फरवरी, 2011 को मध्याह्न पश्चात् 1.45 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 17 फरवरी, 2011 से 23 फरवरी, 2011 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

गुरुवार, दिनांक 17 फरवरी, 2011 शुक्रवार, दिनांक 18 फरवरी, 2011 शनिवार, दिनांक 19 फरवरी, 2011	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद
रविवार, दिनांक 20 फरवरी, 2011 सोमवार, दिनांक 21 फरवरी, 2011 मंगलवार, दिनांक 22 फरवरी, 2011	बैठक नहीं होगी
बुधवार, दिनांक 23 फरवरी, 2011	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 13वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 13वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद। डाक्टर रघु शर्मा।

घोषणा/व्यवस्था

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद के लिए समय का बटवारा

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद के लगभग 15 घंटे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिए समय का बटवारा निम्न प्रकार करता हूं :-

इण्डियन नेशनल कांग्रेस	7 घंटे 37 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	5 घंटे 55 मिनट
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	14 मिनट
जनता दल युनाइटेड	5 मिनट
समाजवादी पार्टी	5 मिनट
लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी	5 मिनट
निर्दलीय	59 मिनट

डाक्टर रघु शर्मा।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय को निम्नांकित रूप में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए :-

(डा. रघु शर्मा)

"इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं।"

सभापति महोदय, पिछले दो साल से राजस्थान में माननीय हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार काम कर रही है आम आदमी के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि इन दो सालों के अन्दर राज्य के विकास के जो मापदण्ड होते हैं, जो आधार तय करते हैं कि राज्य प्रगति की दिशा में कितना आगे बढ़ रहा है, उन सारे मापदण्डों पर हमारी सरकार शत-प्रतिशत खरी उतरी है। माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में अपने राज्य की तस्वीर प्रस्तुत की है। सही मायने में राजस्थान की सरकार ने इन दो सालों के अन्दर राज्य का कायाकल्प करने की दिशा में जो ठोस काम किया है, वह इस अभिभाषण में परिलक्षित होता है। यह आजादी के बाद की हमारी प्रगति का एक इतिहास है।

सरकारें हमारी पार्टी की भी रही हैं, सरकारें सामने वाले लोगों की भी रही हैं और मैं यह नहीं कह सकता कि प्रगति आपने बिलकुल नहीं की, और कि प्रगति हम ही ने की है। प्रगति आपने भी की है। राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम उधर से भी हुआ है, राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम इधर से भी हुआ है। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि एक निश्चित सोच के साथ, इस राजस्थान की मिट्टी के जुड़ाव के साथ, एक संकल्प के साथ, ईमानदारी के साथ जिस तरह की संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सरकार हमारे मुख्य मंत्री ने दी है वह आज इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में परिलक्षित होती है। राज्य की आधारभूत संरचना, राज्य का आधारभूत ढांचा कैसे मजबूत हो, उसके लिए जरूरी है, माननीय सभापति महोदय, कि आप प्रदेश को किस दिशा में ले जा रहे हैं, एक परिकल्पना लेकर सरकार चले। अगर आज विद्युत उत्पादन बढ़ेगा राजस्थान का तो प्रदेश विकास की तरफ जाएगा। अगर हमारे किसानों के खेत में पानी मिलेगा, गांव में बैठे हुए गरीब आदमी को पानी मिलेगा पीने का, अगर हमारी सड़कें दुरस्त होंगी, औद्योगिक निवेश का वातावरण बनेगा, हमारे यहां उद्योग-धंधे लगेंगे, हमारे यहां शिक्षा का वातावरण बनेगा, हमारे यहां पर एक आदमी की भलाई के काम की जो लोग उम्मीद करते हैं एक निर्वाचित सरकार से, उन कामों की दशा की तरफ अगर सरकार के कदम बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम यह मानते हैं कि हमारी दिशा

(डा. रघु शर्मा)

ठीक है। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार में मुख्य मंत्री ने शपथ ली और शपथ लेने के साथ ही, जैसे पिछली बार भी हमने किया था कि हम दो बात नहीं करते कभी भी। हम चुनावी घोषणा पत्र बनाते हैं, आम तौर पर देखा गया है कि जब जनता के बीच में चुनाव के लिए जाते हैं तो चुनाव घोषणा पत्र सामने रखते हैं और जब सरकार में आ जाते हैं, उस चुनाव घोषणा पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने पिछली बार भी राज्य के मुख्य सचिव को घोषणा पत्र की कापी देकर यह कहा कि यह इस सरकार की कार्य योजना का अंग बनेगा और मुझे खुशी है इस बात की कि इस बार भी जब से सत्ता संभाली है हमारे मुख्य मंत्रीजी ने और हमारी सरकार ने, हमारे घोषणा पत्र को हमने आधार बनाकर राज्य के विकास का काम पिछले दो सालों में किया है। माननीय सभापति महोदय, अभी दो जगह शराब दुखांतिका हुई, हमारी भी आत्मा बहुत तकलीफ पाई। राजस्थान एक शांत प्रदेश है, कानून और व्यवस्था की दृष्टि से आज देश के राज्यों में राजस्थान अच्छे राज्यों की गिनती में आता है। यहां पर शराब दुखांतिका नहीं होनी चाहिए। हमारे मुख्य मंत्री ने तो शपथ लेने के साथ ही, विगत सरकार में शराब दुखांतिका में जो लोग भर्ती थे, सबसे पहले काम यह किया शपथ लेने के साथ ही कि आप अस्पताल गये और शराब दुखांतिका के जो लोग अस्पताल में अपना इलाज ले रहे थे, उनको सांत्वना देने के साथ में अपने शासन की शुरूआत की है, इसी में संदेशा छिपा हुआ है सरकार का। और अभी भी क्योंकि मुझे याद है अच्छी तरह से, कोई आलोचना करने के लिए मैं यहां खड़ा नहीं हुआ हूं, घनश्यामजी ने भी कल बहुत सारी बातें कहीं और अन्य माननीय सदस्यों ने बहुत सारी बातें कहीं, हम इस सदन के अंदर आते हैं, अलग-अलग विचारधारा के आधार पर चुनकर आते हैं, यह सही है, हमारा एजेंडा भी अलग-अलग होता है, लेकिन एक एजेंडा जिसके लिए राजस्थान की छह करोड़ जनता हमको एक अधिकार देकर यहां भेजती है, वह एक एजेंडा तो हमारा कामन होगा। आप अपने दिल को टटोल कर, उस पर हाथ रखकर बोलिये, वह एजेंडा तो एक ही होगा। और वह एजेंडा है कि राजस्थान का विकास कैसे हो, कैसे राजस्थान खुशहाल प्रदेशों की श्रेणी में आए, कैसे गरीब के आंसू पोंछे जाए, कैसे गांव और गरीब की दशा में सुधार हो। यह हमारा, हर व्यक्ति का संकल्प यहां होना चाहिए और...

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): शराबबंदी का एजेंडा बना दीजिये, शराबबंदी का।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): शराबबंदी तो अभी मैं आऊंगा थोड़ी देर में। राजस्थान में अगर शराब के मामले में रिकार्ड कोई बने हैं तो, माननीय घनश्यामजी बैठे हुए हैं यहां पर, कम से कम तीन दर्जन जगह सैकड़ों लोग मर गये बुरी तरह से और कोई पानी देने वाला नहीं मिला। हमारे मुख्य मंत्री तो तुरन्त पहुंचे दोनों जगह, प्रभावी कार्यवाही हुई, लोगों को जेल के अंदर डाला गया और आगे की हिदायत दी गई कि इस तरह की गतिविधियां बर्दाश्त नहीं होंगी। लेकिन आपके टाइम में तो कोई पूछने वाला नहीं था। आप तो... (व्यवधान) देखिये, माननीय डीग से आने वाले सदस्य, अगर...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आप लाइन से उतर रहे हो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अगर आप मुझे नहीं बोलने देना चाहते तो वैसे ही बता दीजिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लाइन से उतरो मत। आज स्ट्रेट बोलते चलो आप।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): वह बीच में माननीय विधायक महोदय शेरगढ़ से आने वाले, उन्होंने टिप्पणी की, देखो। मैं आज एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि...(व्यवधान) माननीय, विराजो, विराजो। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): ब्यावर में बीजासराय गांव में मृत्यु हो गई, छह दिन तक पता नहीं लगा...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें आप, विराजें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, यहां राजस्थान की जनता के नुमाइंदे के रूप में हम लोग यहां बैठे हैं। कोई आदमी इंटरप्ट करे, किसी को बोलने नहीं दे, प्रदेश की जनता सारा देखती है हमारी गतिविधियों को, हमको कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हम राजस्थान के विकास के लिए चर्चा करें, यहां पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने का काम अगर जरूरी समझो तो करो, जरूर करो, क्या दिक्कत है? लेकिन आपकी पार्टी को जो टाइम मिला, आप भी बोलना, जो भी आपको लगे। यह आपका धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि सरकार अगर कहीं गलती करे तो आपका दायित्व है। मेहरबानी करके राज्य की जनता से पता तो करिये कि आपका खुद का पिछले दो साल का ट्रैक रिकार्ड क्या रहा है। यह तो पता कर लो।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): अभिभाषण में ये बातें नहीं, आप उनको धन्यवाद दो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): नहीं, मुझे क्या बोलना है, यह तो मेरा अधिकार है, मैडम।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सुनो, भाई, सब।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आज राज्य में हमारी लोकप्रिय सरकार ने, माननीय सभापति महोदय, 18 विभागों को एक किया और 18 विभागों को एक करके राज्य में 10 नवम्बर से लेकर 31 दिसम्बर तक प्रशासन गांवों के संग अभियान चला। और प्रशासन गांव के संग अभियान, कोई माननीय सदस्य कल टिप्पणी कर रहे थे कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाली सरकार है। लाखों की संख्या में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के अभाव में लोग भटकते रहते हैं, उनके काम अटक जाते हैं। आपकी सरकार अगर इसको पूरा कर देती तो हमें करने की जरूरत नहीं थी। यह जो अभियान चला।

(14.48 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, राजस्थान में मैं एक बात कहता हूं, छह करोड़ की आबादी है और लगभग एक करोड़ लोगों को लाभ मिला है। जो विधवाएं गांव में घूम रही थीं, उनको पेंशन का अधिकार नहीं मिला था, उनको पेंशन का अधिकार मिला है। और मैं तो यहां तक कहूंगा, जैसलमेर से आने वाले माननीय विधायक कह रहे थे कि मैं हर कैम्प में गया, जो जागरूक विधायक थे, अभियान चाहे कोई सरकार चलाए, अगर उस अभियान का लाभ गांव और गरीब को मिलता है तो उसमें भाग लेकर अपने क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करना कोई अपराध नहीं है। इसमें कोई कांग्रेस और बीजेपी जिंदाबाद नहीं होती है, यह हमारा धर्म है। जो माननीय विधायक सामने वाली बैंच पर बैठे हैं, जिन्होंने प्रशासन गांवों के संग अभियान में समय देकर गरीब का भला किया है, वे भी साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन सबसे बड़ी साधुवाद की पात्र हमारी सरकार है जिन्होंने सोचा, 18 डिपार्टमेंट को क्लब किया गया। धक्के खाते रहता है आदमी, अलग-अलग। कभी तहसीलदार मिलता है तो एसडीओ नहीं मिलता है, पटवारी मिलता है तो ग्राम सेवक नहीं मिलता है, सरपंच मिलता है तो कोई अधिकारी नहीं मिलता है। जिस तरह से क्लब करके राज्य में छह करोड़ की आबादी में से लगभग 87 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया, मैं तो हमारी सरकार से यह अपेक्षा करता हूं, और आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, इस तरह के अभियान हर साल राज्य में चलने चाहिए ताकि गरीब

(डा. रघु शर्मा)

आदमियों के साथ हमारे चुने हुए नुमाइंदों को बैठने का मौका मिले। जो लोग किसी भी रूप में सेवा करने की भावना रखते हैं, उनको सेवा का अवसर मिल सके। अधिकारी अगर एक टेबल पर बैठेंगे तो हम अधिकारपूर्वक उनके काम उसी दिन सम्पन्न करा सकते हैं। यह हमारे अभियान की जो सफलता है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और हमारी सरकार का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं राजस्थान की करोड़ों जनता की तरफ से जिनको लाभ मिला है, जिनको फायदा मिला है, जमीनों के बंटवारे के मामले निपटे हैं जिनके, जिनको पेंशन का लाभ मिला है। अनेक तरह की सुविधाओं से जो वंचित थे, उनको वे सुविधाएं मिली हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि यह सरकार आम आदमी की सरकार है। यह सरकार गरीब की सरकार है, यह सरकार किसान की सरकार है और इस सरकार का विश्वास गरीब किसान, मजदूर और गांव के अंदर है।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, बिजली के मामले में कोई चीज छिपी नहीं है। क्या हाल था और क्या हाल है? पिछली बार भी, माननीय सभापति महोदय, जब अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार बनी, राजस्थान डेफिसिट स्टेट्स के अंदर आता था। हमारी मांग और आपूर्ति का अंतर इतना था कि हमको खरीदने पर भी बिजली नहीं मिलती थी। चार या पांच घंटे बमुश्किल, घोषणा तो आपके चुनाव घोषणा पत्र में भी 2003 में आठ घंटे बिजली देने की हुई थी, लेकिन मैं कह रहा हूं इस बात को, कि चार से पांच घंटे बमुश्किल आप अपने शासन में बिजली दे पाये और 1998 से 2003 के बीच हमारी सरकार ने भी इस बात को ध्यान में रखा कि जब तक पावर के मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे, राजस्थान प्रगति नहीं कर सकता। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस की सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जब पिछली बार थी, हमने 1850 मेगावाट बिजली का यहां उत्पादन किया। बार-बार यहां बात होती है कि छीजत होती है, ट्रांसमिशन लासेज होते हैं, इसके लिए हमारी सरकार ने राजस्थान के अंदर 400 के.वी., 220 के.वी., 132 के.वी., 33 के.वी. के तंत्र को मजबूत करने का काम किया है। जो काम किया जाता है वह गांव और गरीब में बोलता है। माननीय सभापति महोदय, मैं अगर झूठे गुणगान यहां करूंगा तो मेरी कोई मानने वाला नहीं है। ये जो दो साल थे, ये राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन को समर्पित वर्ष थे हमारी सरकार के और हमारी सरकार ने 2,368 मेगावाट बिजली की वृद्धि उत्पादन में की है

(डा. रघु शर्मा)

इन दो सालों में, यह मैं आज गौरव के साथ इस सदन के अंदर कह सकता हूं।

माननीय सभापति महोदय, सरकार वर्तमान में ही नहीं चला करती है, सरकार भविष्य के लिए भी रूपरेखा बनाती है, कार्यक्रम बनाती है, कार्य योजना बनाती है और मुझे खुशी है इस बात को कहते हुए कि सरकार ने इसमें फ्यूचर प्लानिंग भी रखी है। हमारी मांग कितनी बढ़ेगी आने वाले सालों में, हम उसकी आपूर्ति के क्या प्रयास कर रहे हैं, अगर सरकार के जेहन में यह बात नहीं होगी तो विकास के मायने अधूरे रह जाएंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि 1 हजार 807 मेगावाट राज्य के क्षेत्र में और 810 मेगावाट निजी क्षेत्र में 2011-12 की इस सरकार की प्लानिंग है। इतना ही नहीं, सभापति महोदय, सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो कार्य योजना है उसके तहत 11 हजार 590 मेगावाट क्षमता की 14 परियोजनाओं को हमने स्वीकृति प्रदान कर दी है। आने वाला समय राजस्थान के लिए सुखद है। सरकारें आएंगी, चली जाएंगी लेकिन इतिहास याद रखेगा कि राजस्थान में मूलभूत सुविधाओं को किस सरकार ने, किस नेता, किस मुख्य मंत्री ने आधारभूत मजबूती प्रदान की। इस प्रदेश इतिहास गवाह रहेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि 1 हजार 654 गांवों को हमने विद्युतीकृत किया है इन दो साल के अन्दर, डेढ़ लाख किसानों को कृषि कनेक्शन दिये गये हैं। जब हम लोगों ने सत्ता संभाली थी, 1 लाख 75 हजार किसान विद्युत कनेक्शन की वेटिंग में बैठे हुए थे और आज मैं गौरव के साथ कहना चाहता हूं कि हमने इन दो सालों के अंदर डेढ़ लाख किसानों को कृषि कनेक्शन दिए हैं और 8 लाख 78 हजार घरेलू कनेक्शन भी हमने दिये हैं। हम कनेक्शन नहीं रोक रहे हैं, हमने ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं। 2014 तक के टार्गेट सरकार ने फिक्स कर रखे हैं। यह उपलब्धि हमारी सरकार की रही है। मैं तो यह मानता हूं कि पावर सरप्लस स्टेट बनाने के लिए जो कदम हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उठाये हैं, उसी के फलस्वरूप आज राजस्थान में निवेश आ रहा है, निवेश का वातावरण बन रहा है। विदेशी कंपनियों ने चाहे भिवाड़ी में निवेश किया हो, चित्तौड़ में निवेश किया हो, यह सारा इस अभिभाषण के अंदर डिटेल में है। निवेश का वातावरण राजस्थान में बना है। फ्रेट कारिडोर बन रहा है, 1483 किलोमीटर का फ्रेट कारिडोर, माननीय सभापति महोदय राजस्थान की तकदीर बदल देगा। जहां-जहां से यह फ्रेट कारिडोर गुजरेगा, 46 प्रतिशत हिस्सा प्रदेश का आता है, जहां –

(डा. रघु शर्मा)

जहां से गुजरेगा, पावर प्लांट लगेंगे, वहां पर अनेक तरह की डवलपमेंट की योजनाएं बनेगी, होटल्स लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा...(व्यवधान) आप खड़े हो जाएं, पहले आप बोल लें।

श्री सभापति: मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों तो आप उनको बीच में नहीं टोकें। That applies to both the sections.

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान आये साल अकाल की मार झेलता है। मुझे और आपको, सबको ही जानकारी है, इस सदन को भी, कि राजस्थान में आजादी के बाद अधिकांश समय अकाल पड़ा। अकाल के प्रबंधन में सरकार ने जितना पैसा खर्च किया, अगर हम उसका टोटल जोड़ लें तो राजस्थान के विकास में वह पैसा लगता, अकाल नहीं पड़ता तो हम आज कहां से कहां होते। राजस्थान में बारिश पर्याप्त मात्रा में हो, इसके लिए सरकार ने उद्देश्य बनाकर 'हरित राजस्थान' का नारा दिया और राजस्थान में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया। अब यह अलग बात है कि कितने पौधे लगे, कितने जीवित रहे, कितना हम सफल रहे, लेकिन सरकार का प्रयास है। राजस्थान को अकाल की छाया से मुक्त कराने के दृष्टिकोण से भविष्य की प्लानिंग के रूप में यह कार्यक्रम हमने हाथ में लिया।

इसके अलावा आलोचनाएं बहुत होती हैं, हर कार्यक्रम की आलोचना होगी। जो भी जनहित में कार्यक्रम चलेगा उसकी कमियां ढूंढी जाएंगी और उसकी अच्छाइयों के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम बंद नहीं हो सकते। 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान चला। माननीय सभापति महोदय, हमारे सामने वाली बैंचों से बहुत शिकायतें आती हैं, बहुत हल्ला भी होता है लेकिन मेरा यह मानना है कि जीवन के साथ खिलवाड़, यह मिलावट का जो धंधा है, आज हमारे भी पास कई सारे प्रेशर्स आते हैं, मैं भी सार्वजनिक जीवन में हूं, लोग पकड़े जाते हैं, घी में मिलावट आ रही है, तेल में मिलावट आ रही है, मसाले में मिलावट आ रही है, आटे में मिलावट आ रही है, बेसन में मिलावट आ रही है, और यह कोई एक दिन की बीमारी नहीं है। अगर आप लोग यह कहो कि वर्तमान सरकार में ही यह मिलावट का दौर शुरू हुआ है तो यह बात सच्चाई से परे होगी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सरकार में भी मिलावट है बसपा की, इसको भी दूर करो।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय सदस्य, वह देखिए, मंत्री जी मिलावट कर रहे हैं, सरकार में मिलावट हो रही है।

श्री सभापति: आदरणीय सदस्य, you keep on looking this side. Please don't look in their direction.

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह जो अभियान चला, मैं समझता हूं कि राजस्थान के व्यापक हित में है। क्योंकि जिंदगी से खिलवाड़, आज कैंसर की बीमारी हो रही है, किसी को डायबिटीज, किसी को किडनी की प्राब्लम हो रही है, ये गम्भीर बीमारियां आज हमारे यहां गांव-गांव में फैल गई हैं। अगर मिलावटी चीजें खाएंगे तो हम प्रदेश की जनता के साथ एक आपराधिक कृत्य कर रहे हैं। उस आपराधिक कृत्य को रोकने का अगर हमारी सरकार प्रयास कर रही है, अभियान चलाकर कार्यक्रम कर रही है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। उसके परिणाम आये हैं, लोगों में आज डर पैदा हुआ है कि हम मिलावट करेंगे तो हमारे खिलाफ कार्यवाही होगी। मिलावट के लिए कैसे छूट दी जा सकती है? माननीय सभापति महोदय, राजस्थान का बहुत ज्यादा साल नहीं, हम पढ़ते थे जब विश्वविद्यालय में, तीन विश्वविद्यालय थे- एक उदयपुर, एक जोधपुर और एक राजस्थान विश्वविद्यालय, लेकिन सही मायने में विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय ही था, और विश्वविद्यालय नहीं थे। वे लोकल यूनिवर्सिटीज थीं। उस वक्त हमारे यहां कोई आदमी प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए जाना चाहे तो कर्नाटक जाए, आंध्र प्रदेश जाए, साउथ के स्टेट में जाए या और कोई स्टेट में जाए, हमारे यहां का आदमी बहुत भारी कैपिटेशन फीस देने के बावजूद वहां पर प्रवेश नहीं पाता था। बड़ी मुश्किल से सरकारी मेडिकल कालेजेज में कितनी सुविधाएं थीं और कितनी सीटें थीं, इंजीनियरिंग कालेज कितने थे राजस्थान में, किसी से छिपा नहीं है। पिछली बार भी जब सरकार में थे, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने दरवाजे खोले। दरवाजे खोलने का परिणाम यह निकला कि आज पूरे प्रदेश के अंदर विश्वविद्यालय भी बढ़े हैं, तकनीकी संस्थान भी बढ़े हैं जगह-जगह पर। एमबीए एजुकेशन के लिए, सीए एजुकेशन के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल कालेज में जाने के लिए, नर्सिंग कालेज के लिए हमारे प्रदेश के बच्चों को साउथ इंडिया या कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आज हम हमारे बच्चों को हमारी धरती पर यह सब शिक्षा दे सकते हैं। यही एक प्रगतिशील सरकार की सोच की निशानी है कि अगर हमारे बच्चे कंपीट नहीं कर पाएंगे तो वो इस देश के जो पूरे राज्य हैं, उन्हीं में फिसड्डी रह जाएंगे। कितने ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं बाहर भेजना? आज हमारे घर के अन्दर यहीं रख कर शिक्षा देने की एक

(डा. रघु शर्मा)

व्यवस्था हुई है। 29 विश्वविद्यालयों को नयी स्वीकृति देने का सिलसिला चालू है। इसके अलावा हमारे प्रदेश में आईआईएम, आईआईटी, सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ये तमाम चीजें राज्य के विकास को दृष्टिगोचर करती हैं।

(15.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, श्रमिकों की तरफ ध्यान गया हमारी सरकार का। चारों प्रकार के श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाई हमारी सरकार ने।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): ...(व्यवधान) विश्वविद्यालय का क्या हुआ?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप मेरे जिले में आना।

सभापति महोदय, ई-गवर्नेंस का जमाना है, प्रशासन में चुस्ती लाने के लिए प्रशासन गांवों के संग अभियान चला, सारे कलक्टर्स से सेम डे फीड बैक लेने का सिस्टम चला। हमारा सीएमओ ई-गवर्नेस के माध्यम से सारे प्रशासन से जुड़ा हुआ है। प्रशासन में पारदर्शिता आएगी, प्रशासन को निर्देशित करने के लिए उनको वक्त जाया नहीं करना पड़ेगा। यह काम चल रहा है ग्रास रूट लेवल तक। हमारे ट्रैजरी बैंचेज हैं, हमारे जो एसडीओ हैडक्वार्टर हैं, हमारे तहसील हैडक्वार्टर हैं, अगर आज ये कम्प्यूटर से कनैक्ट होते हैं तो निश्चित रूप से राजस्थान को ट्रांसपेरेंसी के साथ प्रगति के रास्ते पर ले जाने का रास्ता हमारी सरकार ने अख्तियार किया है।

महानरेगा के बारे में इसी अभिभाषण के अन्दर आप देखिये, इसका कुशल प्रबंधन राजस्थान में जिस प्रकार से हुआ, समय पर मजदूरी मिल रही है, पूरी मजदूरी मिल रही हैं। इक्की-दुक्की गड़बड़ियों को छोड़ दें अगर हम, उनमें भी सुधार होना चाहिए, लेकिन राजस्थान के लिए जीवनदायिनी कार्यक्रम सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने दिया है यह महानरेगा कार्यक्रम जिसने गांव के गरीब आदमी की तस्वीर को बदलकर रख दिया है। आज खेतों में काम करने वाला मजदूर नहीं मिलता है, उसकी वजह क्या है? सौ दिन के रोजगार की गारंटी के साथ उसको हम सही तरीके से राजस्थान के व्यापक हित में चैनलाइज कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है। बाड़मेर का उदाहरण दिया गया इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में, जहां पर पानी को स्टोरेज करने के लिए काम हुआ है नरेगा के माध्यम से। मैं समझता हूं कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि नरेगा ऐसा

(डा. रघु शर्मा)

कार्यक्रम आया जिसने न केवल राजस्थान में हरियाली को बढ़ावा दिया, न केवल पीने के पानी की प्राब्लम को साल्व किया बल्कि रोजगार भी प्रदान किया। नरेगा में जो मजदूरी केन्द्र सरकार ने बढ़ाई है, अभी सौ रुपये से बढ़ा कर एक सौ पैंतीस रुपये की है, वो भी स्वागत योग्य कदम है। मैं केन्द्र सरकार का भी आपके माध्यम से आभारी हूं कि उन्होंने नरेगा के मजदूरों के लिए यह राशि बढ़ाई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सवा किलोमीटर की टूट-फूट की स्थिति बनी।

श्री सभापति: आपके यहां तो मजदूरी 17 रुपये ही बढ़ी है, पैंतीस रुपये नहीं बढ़ी है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हां, 117 हो गयी, माननीय सभापति महोदय, मैं करैक्ट कर लेता हूं अपने आपको। लेकिन कई राज्यों में 135 भी हुई है, हमारे यहां 117 हुई है। पंचायती राज को अधिकार दिये हमारी सरकार ने ... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप कृपा करके विराज जाएं, माननीय सदस्य। अगर आसन ने किसी बात को चिह्नित किया है तो इसका मतलब यह नहीं कि बाकी को अधिकार दे दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप चिह्नित करो ही मत।

श्री सभापति: आदरणीय प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, बैठे-बैठे बोलने का आपको अधिकार नहीं है, कृपया आप भी अनुशासन में रहें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस का हमेशा से सत्ता के विकेन्द्रीकरण में विश्वास रहा है और हमें गौरव इस बात का है कि हमारे देश के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने पंचायती राज की स्थापना की जिसके अभी पचास साल पूरे हुए। सोनिया गांधी जी नागौर में आईं और मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की वहां पर राजस्थान में पंचायती राज को मजबूत बनाने के लिए। पिछली बार जब हम सरकार में थे तो 29 विभाग पंचायती राज को दिये ट्रांसफर किये थे हमारी सरकार ने। यह अलग बात है, मैं कोई आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्या कारण रहे, वो तो सामने वाली बैंचों वाले जानें, वो अधिकार वापस छीन लिये गये। हम जब वापस सत्ता में आये तो हमने हमारे उस संकल्प को वापस दुहराया और पांच विभाग मुख्य मंत्रीजी ने वापस पंचायती राज को दिये हैं राजस्थान में।

(डा. रघु शर्मा)

(व्यवधान) यही नहीं, स्थानीय निकायों को मजबूती प्रदान करने के लिए काम किया। महापौर, अध्यक्ष, सभापति ये पहले जिस तरह से निर्वाचित होते थे इनडाइरेक्ट पद्धति से, हार्स ट्रेडिंग की संभावनाएं रहती थीं। हमारी सरकार ने मुझे खुशी है यह कहते हुए कि मेयर के चुनाव हों, सभापति के चुनाव हों या अध्यक्ष के चुनाव हों, सभी जगह डाइरेक्ट पद्धति से आम आदमी वोट डालेगा और जो आम आदमी की पसंद होगा वो ही मेयर बनेगा, वो ही सभापति बनेगा, वो ही अध्यक्ष बनेगा। यह व्यवस्था हमारी सरकार ने की और न केवल व्यवस्था की बल्कि हमने राजस्थान में चुनाव संपादित करके भी दिखा दिये। चुनावों की राजस्थान में स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है, सारे स्थानीय निकाय जिनके पास खुद की कोई आय है नहीं, जिनके पास तनख्वाह बांटने के पैसे नहीं हैं, उनको मजबूती देने के लिए भी चार सौ करोड़ रुपये का हमारी सरकार ने प्रावधान किया है। यह एक शुभ संकेत है प्रदेश के स्थानीय निकायों के लिए। यही नहीं, सहकारिता विभाग में वर्षों से चुनाव नहीं हुए, माननीय सभापति महोदय। इस सरकार का लोकतंत्र में सच्चा यकीन है, हम सत्ता के विकेन्द्रीकरण में यकीन रखते हैं, हमारे मुख्य मंत्रीजी की सोच है कि हर संस्था का चुनाव हो राजस्थान में। हमने अपने दो साल के शासन के अन्दर सहकारिता के चुनाव करा कर दिखाये, डेयरी के चुनाव करा कर दिखाये, शीर्ष संस्थाओं के चुनाव हुए हैं और बचे हुए चुनाव भी आने वाले समय में हम कराके दिखाएंगे। ये चीजें बोलने से नहीं होती हैं, माननीय सभापति महोदय, एक संकल्प होता है अन्दर, एक दर्द होता है अन्दर। जो भी ये संस्थाएं हैं जो राजस्थान की प्रगति में सहयोग करती हैं, उनको हम जिन्दा नहीं रखेंगे, उनको ताकत नहीं देंगे, उनको आक्सीजन नहीं देंगे तो वो संस्थाएं चलेंगी कैसे, लोकतंत्र महफूज कैसे होगा? मुझे गौरव है यह कहते हुए कि किसी सरकार ने सही मायने में राजस्थान में लोकतंत्र को महफूज किया है तो अशोक गहलोत जी की सरकार ने किया है। हमारा जंतर-मंतर यूनेस्को की हैरिटेज लिस्ट में आया है, पर्यटक बढ़ा है राजस्थान के अन्दर। राजस्थान का मूलभूत आधार है पर्यटन। दिल्ली में जो भी पर्यटक आता है वो आगरा और जयपुर जरूर आता है। राजस्थान के पर्यटन मानचित्र को मजबूती प्रदान करने के लिए वैसे मैं यह नहीं कहता कि हमने जो किया है वो बहुत है, क्योंकि अपार संभावनाएं हैं। केवलादेव हमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है, किसने पांचना बांध से पानी छोड़ा वहां? एक राष्ट्रीय धरोहर, पानी की कमी की वजह से जिसका मूल स्वरूप खतरे में

(डा. रघु शर्मा)

पड़ गया। माननीय सभापति महोदय, मुझे गौरव है यह कहते हुए कि हमारी सरकार ने पांचना बांध से पानी छोड़ा और आज वहां भी पर्यटक आ रहे हैं। उसका अस्तित्व बचा है, उसका स्वरूप बचा है और आज पर्यटक वहां आ रहे हैं। यह जो चीज है यह सोच है, यह प्रदेश के समग्र विकास की सोच है। मुख्य मंत्रीजी जोधपुर से हैं, पिछली बार कह रहे थे कि बजट का अधिकांश हिस्सा जोधपुर में दिया है, जबकि यहां राजस्थान के हर हिस्से को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाने का संकल्प है। चाहे उदयपुर है, जोधपुर है, जयपुर है, कोटा है, बीकानेर है, भरतपुर है, हर संभाग के बारे में एक सोच हमारा तय है। इसके अलावा सबसे बड़ी उपलब्धि, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की आर्थिक स्थिति की काया बदल जाएगी, बाड़मेर, जैसलमेर जिनको कोई भी राजस्थान में सज़ा समझते थे, जैसलमेर के माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, मैं आज कहना चाहता हूं कि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार और केन्द्र की सरकार कांग्रेस पार्टी की, तेल दोहन का काम शुरू हो गया। 25 लाख बैरल तेल प्रतिदिन जहां निकल रहा हो, पूरे हिन्दुस्तान का 15 प्रतिशत तेल दोहन हम कर रहे हैं। (व्यवधान) एक लाख पच्चीस हजार बैरल, मैं गलती दुरुस्त कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाख पच्चीस हजार बैरल प्रति दिन तेल, राजस्थान पूरे हिन्दुस्तान के पन्द्रह प्रतिशत हिस्से का दोहन कर रहा है। आने वाला भविष्य चाहे बाड़मेर का हो, चाहे जैसलमेर का हो, राजस्थान का हो, आने वाला भविष्य हमारा सुखद है। रिफाइनरी लगाने के प्रयास हमारी सरकार बराबर कर रही है। रिफाइनरी लगेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, राजस्थान का विकास होगा । कुल मिला कर सडकों का जाल हमने बिछाया, बिजली के उत्पादन को हमने बढाया, राजस्थान के औद्योगिक विकास को बढाया हमने, यहां पर निवेश लेकर आये...(व्यवधान) सभापति महोदय, रिसर्जेंट राजस्थान वालों को पूछता हूं मैं कि इन्होंने रिसर्जेंट राजस्थान के टाइम में कितनी बड़ी-बड़ी घोषणाएं यहां पर कीं, एक भी फलीभूत हुई? जमीन पर उतरी, प्रदेश का कोई पैसा लगा? अख़बार की सुर्खियों में आया, 1 लाख 56 हजार करोड़ के निवेश की घोषणा हो गई। सरकार चली गई और वे निवेश करने वाले भी चले गये। हमारे मन में यह कल्पना नहीं है कि हम बात तो निवेश की करें, मुख में राम और बगल में छुरी वाली बात हम नहीं करते। निवेश के पीछे राजस्थान के किसानों की बेशकीमती जमीन को कौड़ियों के दाम में देने की हमारी मंशा नहीं है। वर्ना बताएं सामने वाले कि वे जो एमओयू हुए, वे जो

(डा. रघु शर्मा)

घोषणाएं हुईं रिसर्जेंट राजस्थान में, कितने उद्योग राजस्थान में लगे, यह आप जरा बता दो मुझे? और कितनी जमीन दी गई, किन-किन उद्योगों को दी गई? माननीय उप नेता महोदय, आप विराजो।

श्री सभापति: आदरणीय सदस्य महोदय, यह अधिकार आपको प्राप्त नहीं है। अगर आपको कोई निवेदन भी भेजना है तो वह आसन के माध्यम से भेज सकते हैं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, यह 2009-10 की ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आपको यह अधिकार किसने दे दिया? आप भी विराज जाओ।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, 2009-10 की हमारी योजना थी 18634 करोड की और 2010-11 की 24076 करोड़ की हमारी वार्षिक योजना बनी है। वार्षिक योजना का आकार भी हमारी सरकार ने बढ़ाया। आगे भी कैसे राजस्थान प्रगति के रास्ते पर चले, तंत्र को मजबूत करने के लिये इस पूरे अभिभाषण में लिखा हुआ है, 765 केवी के पहली बार दो जगह लग रहे हैं अन्ता और फागी में और 400, 220, 132 और 33 केवी के ग्रिड स्टेशन का तो पूरे राजस्थान में जाल बिछ रहा है। आज भी छीजत को कम करने का हल्ला उधर से ज्यादा हुआ था। क्योंकि जब पिछली बार ये सरकार में आये तो यह कहा गया कि बिजली के मीटर करंट मारते हैं, तो साहब आप करंट कैसे कम करोगे। तो इन्होंने कहा कि हम छीजत कम करेंगे। छीजत कम क्या बातों से होती है? छीजत को कम करने के लिये तंत्र का विकास करना पड़ेगा, ग्रिड स्टेशन बनाने पड़ेंगे, जगह-जगह।

राजस्थान में जो निवेश हुआ, उसका जिक्र मैं आपको बताऊं। पुलिस कमिश्नर प्रणाली राजस्थान में दो जगह लागू हुई। जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का संकल्प हमारी सरकार का रहा। मैं तो कई बार यह सोचता हूं कि आजादी के बाद का इतिहास अगर उठा कर देखें तो ज्यादातर समय जयपुर की जनता ने वोट उधर की साइड दिया है, हमें नहीं दिया। लेकिन पिछली बार भी हम जब सरकार में आये, इस शहर का कायाकल्प करने का भागीरथ प्रयास अगर किसी ने किया तो वह हमारी सरकार ने किया। चाहे सड़कें चौड़ी करना हो, चाहे बरामदे खाली करवाने का मामला हो, चाहे कोई भी काम हो, तब भी हमने आपरेशन पिंक चलाया था। बहुत आलोचना की, हमें

(डा. रघु शर्मा)

सरकार से हटना भी पडा, हमारे कम लोग जीते। इस बार वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की दिशा में हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो संकल्प व्यक्त किया, राहुल गांधी जी जब यहां लोक सभा के चुनाव के दौरान आये, तब उन्होंने कहा कि जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाऊंगा। अब यहां मैट्रो ट्रेन आ रही है, रिंग रोड बन रही है, जगह जगह फ्लाई ओवर बन रहे हैं, अंडर पास बन रहे हैं। हमारे यहां पार्किंग की प्राब्लम है, हमारे यहां अतिक्रमण की प्राब्लम है। सभापति महोदय, अब अतिक्रमण हटेगा तो यह देखकर नहीं हटेगा कि यह एक्स का है या वाई का है। अतिक्रमण की कोई जाति नहीं होती है, कोई तबका नहीं होता है, कोई पार्टी नहीं होती है, अतिक्रमण तो अतिक्रमण है। हमारे नगर निगम ने बहुत ईमानदारी के साथ पूरे जयपुर शहर में यह अभियान चलाया, आम आदमी उसकी तारीफ कर रहा है। लेकिन कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभियान शहर के फायदे के लिये है, अभियान से हमारे शहर का स्वरूप निखरेगा और आने वाले समय में और ज्यादा, देशी-विदेशी पर्यटक इस राजधानी में आएंगे।

भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में 2 हजार करोड़ की लागत से होंडा सीएल द्वारा कार उत्पादन की इकाई हमारे दो साल की उपलब्धि है, सभापति महोदय। टपूकड़ा में होंडा मोटर साइकिल और स्कूटर 1100 करोड़ का निवेश कर रहे हैं और वह काम शुरू हो रहा है। सेंट गोबेन ग्लास इंडिया लिमिटेड भिवाड़ी में 1 हजार करोड़ का निवेश कर रहा है। लाफार्ज कम्पनी सीमेंट बनाने का काम चित्तौड़गढ़ में 1600 करोड़ खर्च करके शुरू कर रही है। यह है राजस्थान की प्रगति। कल एक प्रतिक्रिया आई, मैं भी बगल में खड़ा था, यह कहा गया कि यह निष्प्राण सरकार है और निष्प्राण सरकार का यह अभिभाषण पढ़ा गया है। मुझे एक बात बता दो, सभापति महोदय, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से तो कोई किसी को नहीं रोक सकता, खूब देखो, लेकिन उसका अंत यह होता है कि जो आटे का मटका होता है न, उस पर अंत में लात लगती है तो वह फूट जाता है और आटा बिखर जाता है। हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य जब से सरकार गई है, ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। हर रोज यह कह रहे हैं कि हम फिर आ रहे हैं, हम फिर आ रहे हैं। यह काम अभी ढाई-तीन साल बाद होगा और वह भी जनता तय करेगी, आप लोग तय करने वाले नहीं हैं। यह प्रजातंत्र है, कलेजे पर हाथ रखो, दो साल गुजरे हैं, हमने विकास कराया, वह सामने रखा है मैंने। बचा-खुचा अभिभाषण में पढ़ लो और उससे भी काम नहीं

(डा. रघु शर्मा)

पड़े तो यह किताब ले जाना मेरे से, सारे लोगों को बांट दूंगा, इसका ढंग से अध्ययन करना।

श्री सभापति: Are you finished?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): नहीं, सभापति महोदय, 5-7 मिनट और लूंगा। माननीय उप नेता महोदय इस सदन में बहुत वरिष्ठ हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, वह बोल रहे हैं निष्प्राण सरकार है। अब हमारी सरकार उनको कैसे निष्प्राण लग रही है, यह मेरी समझ में नहीं आया। आपकी सरकार जो आपने चलाई, वह प्राणवान सरकार थी और उसका सबूत घनश्याम जी ने भी बराबर दिया, हमारे गुलाब जी भाई साहब बैठे हैं, इन्होंने दिया, राजवी साहब ने दिया। 90-बी का शोर था, वास्तव में आपकी सरकार प्राणवान थी। डीफैक्टो चीफ मिनिस्टर की सरकार थी, किसी का फीत राजस्थान में उतार सकता था डीफैक्टो चीफ मिनिस्टर। इस सरकार में कोई डीफैक्टो चीफ मिनिस्टर नहीं है। इस सरकार में 90-बी का शोर नजर नहीं आता है। सभापति महोदय, हमारी निष्प्राण सरकार बता रही है, हमने 90-बी को पारदर्शी बनाया। ये कहते हैं कि हम निष्प्राण हैं, हमें मंजूर है, लेकिन 90-बी का शोर आपकी प्राणवान सरकार में गूंजता था। आपके डीफैक्टो चीफ मिनिस्टर होता था, मंत्रियों के पसीने छूटते थे, मंत्रियों की लाचारी सामने आती थी, बार-बार कार लौटाई जाती थी। सामुदायिक उत्तरदायित्व की शपथ लेकर सरकार में बैठे मंत्रियों ने बार बार कहा कि मुख्य मंत्री के निर्णय में पारदर्शिता नहीं है। आज हमारे मंत्री मंडल को दो साल हो गये, किसी आदमी ने पारदर्शिता का सवाल नहीं उठाया, सामुदायिक जिम्मेदारी से राजस्थान की सेवा कर रहे हैं। (व्यवधान) और कोई डीफैक्टो चीफ मिनिस्टर नहीं है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री सभापति: आसन की गैर अनुमति से कोई भी सदस्य बोला है तो उसका अंकित नहीं होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): xxx

श्री सभापति: वह भी सही बोल रहे हैं और शायद आप भी सही बोल रहे हैं। लेकिन अंकित वही होगा जो आसन कहेगा।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, गुर्जर आन्दोलन इनके टाइम पर भी हुआ और गुर्जर आन्दोलन हमारे टाइम पर भी हुआ। एक

(डा. रघु शर्मा)

सरकार-सरकार का फर्क बताना चाहता हूं, किस तरह से किसान आन्दोलन हुए उस टाइम पानी की मांग को लेकर। हमारे टाइम में भी आन्दोलन हुए। दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं, कैसे एक शहीद की लाश को लेकर हम बैठे रहे वहां पर। जिस तरह से गोलियां चलीं, सामन्ती सोच का प्रतीक था। राजस्थान में 70 निहत्थे गुर्जरों को मौत के घाट उतारने वाली प्राणवान सरकार आपकी थी। हमारी निष्प्राण सरकार है, हमने न लाठी उठाई, न गोली चलाई और हमने राजस्थान में समाधान करके दिखाया।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): xxx

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): xxx

श्री सभापति: आदरणीय सदस्य, शांति रखिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): फिजूलखर्ची के लिये जाने जाते थे जो लोग, हमने बार-बार उस वक्त भी बातें उठाईं। आज एक गांधीवादी सोच का मुख्य मंत्री है जिसकी सादगी और सरलता का उदाहरण अभी एक माननीय सदस्य खुद ही बोल रहे थे खींवाराम के। क्यों? गये? आपकी मुख्य मंत्री होतीं तो गोली से मरवा देतीं उस खींवाराम को, एक गरीब मेघवाल का बच्चा है वह। अगर उसने आक्रोश से राजस्थान के मुख्य मंत्री की तरफ गुस्सा कर लिया तो मुख्य मंत्री को सहृदयता दिखानी चाहिए। इनके मुख्य मंत्री होते तो खींवाराम जेल में होते या उसको गोली मार दी जाती। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने दूसरे दिन खींवाराम के घर जाकर, वह ऐसी स्थिति में क्यों आया, उसके हालात का जायजा लिया है। यह अपराध नहीं है। हमारी सरकार को निष्प्राण बताने वालों को पूछना चाहता हूं कि इनके अपने इलाके के अन्दर उसी सरकार के वह मंत्री थे, उनको पत्थर चलवाने पर मजबूर क्यों होना पड़ा, अपनी ही मुख्य मंत्री के ऊपर? यह कौनसी सरकार थी आपकी? हमें निष्प्राण बता रहे हो, अपनों को प्राणवान बता रहे हो। हमें ऐसी प्राणवान सरकार नहीं चाहिए। आज यह लोकतंत्र है, बहुत काम करेंगे राजस्थान के विकास के लिये, संकल्प है हमारा, यह दृढ़ निश्चय है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या वापस सरकार में आने का फैसला हमारे पास है या इनके पास है? क्या कहा गया, माननीय सभापति महोदय? कि हम छाती पर पांव रखकर चुनाव जीतेंगे? हमारी हिम्मत नहीं है। निष्प्राण जरुर हैं लेकिन हमारी हिम्मत नहीं है कि हम किसी की छाती पर पांव रखकर चुनाव जीतेंगे। जिन्होंने कहा, उन्होंने भुगत लिया। 6 करोड़ जनता ने कहा कि छाती पर पांव रखकर चुनाव जीतने का सपना राजस्थान में हम

(डा. रघु शर्मा)

साकार नहीं होने देंगे। यह भाषा लोकतंत्र को अपमानित करने वाली भाषा है और कल वाली भाषा, वह भी लोकतंत्र को अपमानित करने वाली भाषा थी। सरकार निष्प्राण नहीं होती है। सरकार अगर निष्प्राण हो जाएगी, माननीय सभापति महोदय, तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इतने अनुभवी आदमी ने कल सहज में कह दिया कि निष्प्राण सरकार है। निष्प्राण व्यक्ति हो सकता है, निष्प्राण संस्थाएं या सरकार नहीं होतीं। संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार के लिये इतनी घटिया टिप्पणी, इसकी उम्मीद मैं नहीं करता था। मैं चाहता हूं, डेढ़ साल से सांप सूंघा हुआ है जिस विपक्ष को, प्रतिपक्ष का नेता नहीं जिनके पास, शर्म आनी चाहिए, +++ राजस्थान में कहां-कहां धरने और प्रदर्शन लगाये आपने, कहां आन्दोलन किया? इस सदन के अन्दर आकर कुछ भी बोल लेंगे और समझेंगे कि हम अपने दायित्व के ऊपर खरे उतर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास 30 साल का है और कांग्रेस पार्टी का सवा सौ साल का इतिहास है। हमें तो बिगड़ते-बिगड़ते सवा सौ साल लगे, आप 30 साल में ही इतना बिगड़ गये कि जो पार्टी आन्दोलन के नाम पर जानी जाती थी, चार बार सत्ता में क्या आ गये, आज एक कार्यकर्ता आपका निकलता नहीं बाहर सड़क पर आपके कहने से। आपकी कमजोरी क्या हमारे से छिपी हुई है? इसलिये एक टैण्ट नहीं लगा। नेता प्रतिपक्ष नहीं हैं और तिवाड़ीजी ऐसी टिप्पणियों से अगर प्रतिपक्ष के नेता बनते हैं तो हम उनकी टिप्पणी को अंगीकार कर लेते हैं। लेकिन अफसोस है इस बात का कि यहां पर किस तरीके से इनके नेता को हटाया गया। किस तरह से 50-60 विधायक गये, दिल्ली में दर-दर की ठोकरें खाते रहे, इनके राष्ट्रीय नेता इनसे मिले नहीं। अपमानित होकर, अपमान के घूंट पीकर यहां आ गये। जिस तरह का वर्टिकल डिवीजन आज के विपक्ष के अन्दर है, कभी मैंने नहीं देखा राजस्थान के इतिहास में। भैरोंसिंहजी ने बरसों तक इस सदन में नेता प्रतिपक्ष के पद को सुशोभित किया है। तब भी विपक्ष होता था, आज का विपक्ष भी हम देख रहे हैं। घनश्यामजी हमसे कोई बात करते हैं, उसी पार्टी का दूसरा आदमी पूछता है, क्या कह रहे थे घनश्यामजी। एक अविश्वास का वातावरण है इनके अन्दर। क्या कीजिएगा? सभापति महोदय, हमें गाली देने से प्रतिपक्ष का भला नहीं होने वाला है। मैं आज कहना चाहता हूं कि इनके प्रतिपक्ष के नेता के चयन को इन्होंने जब सुलझाया नहीं, यह राजस्थान की जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे? मुंगेरीलाल के हसीन सपने देखने की क्या इनकी आथोरिटी है? जो लोग सत्ता से बाहर होने के बावजूद सुधरना नहीं चाहते, वे सत्ता में आकर कैसे सुधरेंगे? इनका अतीत

(डा. रघु शर्मा)

देखा है प्रदेश की जनता ने, इनका वर्तमान देख रही है राजस्थान की जनता और इनका भविष्य संदिग्ध है। मैं इसी के साथ, माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने राजस्थान के विकास की तस्वीर, मुख्य मंत्री महोदय अशोकजी गहलोत के नेतृत्व में, हमारी नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी और मनमोहन सिंहजी के नेतृत्व में राजस्थान का जो चहुंमुखी विकास हम कर रहे हैं, उसकी जो असली तस्वीर सदन के सामने और प्रदेश की जनता के सामने रखी है, मैं उनका कोटि-कोटि आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अलाउद्दीन आजाद।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री सभापति: कृपया शांति बनाये रखें।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय सभापति महोदय, सदन के सामने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। राज्य सरकार राजस्थान के निर्माण के संकल्प को मूर्त रूप देने के लिये सतत् प्रयत्नशील है जिसके परिणाम चहुंओर दृष्टिगोचर हो रहे हैं। सरकार प्रदेश में उत्तरदायी, पारदर्शी और संवेदनशील शासन की अवधारणा के साथ अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी की समस्या का समाधान करते हुए सर्वांगीण विकास की प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। गांव, गरीब व किसान के विकास को जोड़कर प्रदेश को खुशहाली की ओर अग्रसर किया जा रहा है। गांव, गरीब, किसान और आम आदमी के भाग्य की खुशहाली की विकास-यात्रा की बात करने से पूर्व मुझे राजस्थान के गौरवशाली इतिहास की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना होगा। माननीय सभापति महोदय, भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांव की जनता को सत्ता हस्तांतरण के अवसर पर 1959 में नागौर में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था,-''हम देश में लोकतंत्र या पंचायती राज की नींव रखने जा रहे हैं और महात्मा गांधी आज जिंदा होते तो उन्हें कितनी खुशी होती कि इतिहास और भूगोल, दोनों ही दृष्टियों से राजस्थान हिन्दुस्तान

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

का दिल है। इस राज्य के गांवों और नगरों के लोगों द्वारा अपने कंधों पर लोकतंत्र की भारी जिम्मेदारी को उठाने की जिम्मेदारी ली गयी है और इस राज्य की सरकार ने विधान सभा के कानून के जरिये ये जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी हैं जो एक तवारीखी काम है। महात्मा गांधी को यह जानकर बहुत खुशी होती कि यह तवारीखी काम उनकी जन्म तिथि पर राजस्थान से शुरू किया गया है।'' सभापति महोदय, इन्हीं पदचिह्नों पर चलते हुए राजस्थान की सरकार ने महात्मा गांधी की सालगिरह पर पुनः एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ा है। पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिये 5 विभागों को पंचायतों को हस्तांतरित कर दिया है और उनकी सारी सुविधाएं उनको दे दी हैं। आज राजीव गांधी का यह स्वप्न साकार हो गया है जो उन्होंने 73वें संशोधन पर महात्मा गांधी के रामराज और स्वराज की कल्पना की थी।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ×××

श्री सभापति: आप लोग कृपा करके शांति रखें।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): आप सुनते रहिये। मैं आपकी भी सुनूंगा। आप अपनी बात कहियेगा। पढ़ा हुआ नहीं, मैंने बरसों पढ़ाया है।

श्री सभापति: आदरणीय सदस्य, आप आसन की तरफ अपना श्रीमुख करके जो भी बात आपको कहनी हो, कहिये।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): राज्य की जनता को न्याय दिलाने के लिये एक नवम्बर से 31 दिसम्बर तक चलने वाले अभियान में कृषि, पशुपालन, बिजली, चिकित्सा एवं सामाजिक अधिकारिता सहित 18 विभागों के अधिकारी बैठे और उन्होंने बैठ करके कैम्प का जो एक एतिहासिक काम किया, वह राजस्थान के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय है। आज तक आजादी के बाद, 'प्रशासन गांवों के संग', 'प्रशासन गांवों की ओर' और कई तरह के प्रशासन चले, उनसे मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहा हूं। मगर यह एक इस तरह का अभियान था, गरीब की कोई सुनता नहीं था, पूरे प्रशासन के अधिकारियों को, मंत्रियों को, सचिवों को, सारे विधायकों को आदेश दिये गये कि वे जाएं और उस गरीब की समस्याओं को सुलझाने का काम करें। जिन लोगों की कोई सुनने वाला नहीं था, जो चक्कर लगाते थे, उनके लिए एक ऐतिहासिक काम किया गया है। इस अभियान में 5922 कैम्प लगाये गये हैं जिनमें 46 लाख 55 हजार व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। 2 लाख 89

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

हजार 622 नामांतरण खोले गये हैं। 27081 गैर खातेदारों को खातेदारी अधिकार दिये गये हैं। 56718 कृषि जोतों के विभाजन का फैसला किया गया है। 84195 खातेदारों को पास बुक वितरण का कार्य किया गया है। 8 लाख 52 हजार 733 व्यक्तियों के मूल प्रमाण पत्र बनाये गये हैं। मौके पर ही 6 लाख 44 हजार 460 जाति प्रमाण पत्र बनाये गये हैं। 6 लाख 70 हजार 940 जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदान किये गये हैं। कुल 49976 नि:शुल्क भूखण्डों का आबंटन किया गया है। रियायती दर पर 34361 आवासीय भवनों का आबंटन किया गया है।

इतने बड़े पैमाने पर उन गरीबों की जिनका कोई सुनने वाला नहीं था, समस्याओं का निराकरण करने का ऐतिहासिक काम किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इतिहास में पहली बार प्रार्थना पत्र तैयार करने, कागजात तैयार करने, लोगों की समस्या सुलझाने के लिए विशेष आदेश दिये गये थे और यह भी निर्णय किया गया था कि जितने प्रार्थना पत्र लिये जाएं, उन पर रसीदी टिकट नहीं लगाये जाएं। इतिहास में पहली बार। कई सरकारें आईं, कई लोग आये, मगर यह फैसला पहली बार किया गया था।

आपने देखा होगा कि पहले भी 'प्रशासन गांवों की ओर' हुआ करते थे, 'गांवों के संग' हुआ करते थे, मगर अधिकारियों की और उच्च अधिकारियों की इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं हो सकती थी। यह उदाहरण है इतिहास में कि सारे वरिष्ठ सचिव, मुख्य सचिव मौके पर गये और रात को उनको वहां पर ठहरना पड़ा। उसके लिए आपने सुना होगा, करौली का ऐसा इंटीरियर है जिसमें अधिकारी आजादी के बाद में आज तक गये नहीं हैं, वहां पर चीफ सैक्रेटरी गये और छह किलोमीटर लम्बे रास्ते पर जो झाड़ियों और झंकारों से भरा हुआ था, पहाड़ी स्थान था, वहां पर जाकर उन गरीबों के हाल-चाल सुने। यही नहीं, मुख्य मंत्री खुद पहली बार, मैंने सुखाड़ियाजी से लगाकर अशोक गहलोत साहब के साथ में काम किया है, और उससे पहले भी मुझको सारा याद है, मगर पहली बार एक मुख्य मंत्री जिला लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर, तहसील लेवल पर और कैम्प लेवल पर गया, उसने लोगों के हालात देखे, उन लोगों के कार्य करने की तरकीब देखी और उनका निराकरण किया। यह एक वह कदम था जो कदम गुड गवर्नेंस, संवेदनशीलता और पारदर्शिता, जवाबदेही को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने वाला था। चीन के एक बहुत बड़े संत ने इस गुड गवर्नेंस के बारे

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

में वर्षों पहले कहा था, "If there is a King and people get things done without knowing about the King; it is the best type of the Govt. If there is a King and people get things done while knowing about the King; it is a good Govt. If there is a King and people have complaint to get things done, it is a bad Govt. If there is a King and things don't get done even if complaints are made; then it is the worst type of Govt. मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं, Nobody has said better than this about good Governance. मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चाहे हमें बेस्ट या गुड गवर्नेंस के रूप में आदमियों की समस्याओं को दूर करने वाला नहीं कहें, मगर हमें बैड और वर्स्ट किसी सूरत में नहीं कहा जा सकता। इसी आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि पूरे इतिहास को देखकर दूसरी गवर्नमेंट से और दूसरी गवर्नमेंट के मुखियाओं से तुलना की जाए तो आपको कोई ऐसे उदाहरण दिखाई नहीं देंगे। जिन गरीब की हम बात करते थे, गांवों की हम बात करते थे, शोषित की बात करते थे, पिछड़ों की बात करते थे, हमने जाकर उन लोगों की समस्याओं का कैसे निराकरण हो, वह निराकरण किया।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में निःसंदेह पिछले दो वर्षों में आधारभूत संसाधनों का विकास हुआ है, हरे-भरे खेत रहे हैं, किसान खुशहाल बने हैं, औद्योगिक जटिलताओं का सरलीकरण किया गया है, हर वर्ग को अवसर मिला है, शहरी ग्रामीण में नए आयाम जुड़े हैं और चिकित्सा क्षेत्रों का विकास हुआ है, ऐसे विस्तृत रूप से नया राजस्थान बन रहा है। अकेले 'प्रशासन अभियान' में 2010 में 85 लाख से अधिक व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। 65 लाख से अधिक परिवारों को 'मनरेगा' योजना के तहत रोजगार मिला है। 57 लाख से अधिक मरीजों का निःशुल्क इलाज हुआ है। 170, ... (व्यवधान) 1875 किलोमीटर की फसल बीमा में मुआवजा लोगों को मिला है और पहली बार 875 करोड़ रुपये का अकाल प्रभावित लघु एवं सीमांत किसानों को अनाज अनुदान दिया गया है।

यहां पर यह बताना आवश्यक होगा कि खेत में गिरने वाले पानी का संग्रहण करने के लिए जल-प्रबंधन योजना के लिए केन्द्र से पिछली भाजपा सरकार को 350 करोड़ रुपये मिले थे। एक आदमी के खाते में चार हजार रुपये जमा करने थे, सामान्य कृषक के खाते में दो हजार रुपये जमा करने थे। मुझे कहते हुए यह अफसोस है कि एक भी आदमी के खाते में जमा नहीं किया गया और 350 करोड़ रुपया जो किसानों की, गरीबों की जेब में जाना

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

था, लैप्स हो गया। यही पैसा जब अशोक गहलोत सरकार को मिला तो उन्होंने इस पैसे को सौ प्रतिशत खातों में जमा करवाया। यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी।

यहां पर 1 लाख 43 हजार किसानों को खेती विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं। एक लाख शिक्षक, डाक्टर, चिकित्साकर्मी, इंजीनियर, वन-रक्षक, रोडकर्मी, पटवारी और अन्य कर्मचारी रखे गये हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के तहत 50595 आवास निर्माण की योजना प्रक्रियाधीन है और 11590 मेगावाट की 14 विद्युत परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

नया राजस्थान, नया सुनहरा राजस्थान और हरियाला राजस्थान पहली बार आत्मविश्वास के साथ नव-निर्माण की ओर आगे बढ़ रहा है। माननीय सभापति महोदय, अब प्रबंधन हमारा तो किस तरह का रहा, किस तरह की दो साल में उपलब्धियां रहीं, मगर मैं पिछले प्रबंधन की भी कुछ बातें आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के तहत 23814 बसावटों के लक्ष्य के मुकाबले में भाजपा सरकार ने सिर्फ 879 बसावटों में ही किसानों को सुविधा दी। इंदिरा आवास योजना में 88.79 करोड़ की राशि से 47354 आवासों का निर्माण करना था जिसके मुकाबले में वे केवल छह हजार आवासों का ही निर्माण कर पाये। एक बहुत बड़ी राशि वे गरीब लोग जिनको इंदिरा आवास बनाने थे, लेने से वंचित हो गये। हरिजन उत्थान एवं गांवों के विद्युतीकरण में 5 वर्ष में मात्र 391 हरिजन बस्तियों का और 1790 गांवों का विद्युतीकरण किया जबकि गहलोत सरकार के कार्यकाल में 771 हरिजन बस्तियों एवं 2760 गांवों का विद्युतीकरण किया गया।

गहलोत सरकार में उच्च माध्यमिक शिक्षा में 512 व्याख्याताओं को नियुक्ति दी गई थी जबकि भाजपा सरकार में एक भी व्याख्याता को नियुक्ति नहीं दी गई। 'सर्व शिक्षा अभियान' में केन्द्र ने 1 लाख 11 हजार 132 शिक्षकों की नियुक्ति हेतु धन दिया था, उसके विरुद्ध 62459 शिक्षकों की ही नियुक्ति हो सकी।

माननीय सभापति महोदय, महंगाई रोकने की और महंगाई बढ़ाने की भी बात की गई मगर पिछली बार महंगाई रोकने के लिए सरकार ने जो कार्य किया, उसका भी मैं एक उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। जब महंगाई बढ़ती है तो यह तय है कि मूल्यों पर नियंत्रण करने के लिए स्टाक सीमा नियुक्त करनी होती है। मगर उस समय स्टाक सीमा जिंसों की किस तरह से नियुक्त की गई, उसका उदाहरण मैं एक मंत्री के शब्दों में कहना चाहता हूं। बेकाबू होती महंगाई पर नियंत्रण नहीं किया गया तो एक मंत्री ने

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

कहा, जब वे खाद्य मंत्री थे, स्टाक सीमा लागू करने के लिए उन्होंने फाइल मुख्य मंत्री के पास भिजवाई थी, कि मुख्य मंत्री बताएं कि किसके लाभ के लिए उन्होंने इस फाइल पर दस्तखत नहीं किये। ऐसी स्थिति थी। पूर्व मुख्य मंत्री के लिए उनके मंत्री ने खुद उसमें लिखा था।

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के लिए 18 हजार पेयजल योजनाएं उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृत धनराशि का उपयोग ही नहीं किया गया। पांच वर्षों से केन्द्र सरकार ने 85 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए पूरा पैसा दिया, केवल मात्र दस हजार शिक्षकों को नौकरी दी गई।

बाड़मेर में स्थापित होने वाली रिफाइनरी जिसके बारे में मेरे माननीय साथी सदस्य ने बात कही है, इस रिफाइनरी की बात तो बहुत पहले से चल रही थी। सब जानते हैं कि पश्चिम राजस्थान में इस रिफाइनरी के लगने से न केवल इस पश्चिमी राजस्थान के भाग्य बदलेंगे बल्कि लोगों के जीवन में एक नया जागरण आएगा, एक क्रांति का कदम होगा और राजस्थान को भी उसकी आय से लाभ मिलेगा। तत्कालीन मुख्य मंत्री से जब उस रिफाइनरी की बातचीत की तो उन्होंने कहा कि यह रिफाइनरी तो भटिण्डा स्थानान्तरित कर दी गयी है, जबकि उक्त रिफाइनरी का शिलान्यास प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नवम्बर, 1998 में ही कर दिया था। 16 मई, 2007 को सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय में, यह देखिये आप उपलब्धियां शिक्षा में, यह कोई छिपी हुई बात नहीं है, छपी हुई बात है और वह भी सरकार द्वारा दी गयी है, उच्च न्यायालय में दी गयी है, 16 मई, 2007 को सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय में यह हलफनामा पेश किया जिसमें स्वीकार किया कि 3088 शहरी स्कूलों में बिजली, भवन और ब्लैक बोर्ड नहीं हैं। राजधानी जयपुर में 103 स्कूल खुले आसमान में चल रहे हैं, 98 स्कूलों में दरी-पट्टी तक उपलब्ध नहीं हैं और प्रदेश में अब तक सरकारी स्कूलों में शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस अभिभाषण में, जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, गरीब को केन्द्र बनाया गया है। गरीब को केन्द्र इसलिये बनाया गया है कि यहां पर गांधीवादी सोच का मुख्य मंत्री है। गांधीजी के विचार, गांधीजी ने शुरू में ही बहुत पहले जो कुछ भी कहा था उनके शब्दों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त, 1947 को झण्डा फहराते हुए कहा था, "The ambition of the greatest man over

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

generation, Mahatama Gandhi is to wipe every tear from every eye, as long as there are tears and sufferings, our work will not be over.” उसी गरीब की भावना को लेकर, उसी संभावना को लेकर हम योजनाएं बनाकर लोगों की जिन्दगी में खुशहाली लाने की बात कर रहे हैं। मगर यह खुशहाली कब होगी? जब हम फिजूलखर्ची नहीं करेंगे, जब हम जनता की गाढ़ी पसीने की कमाई को लूटमार में खर्च नहीं करेंगे। मैं यहां निवेदन करना चाहता हूं कि जनता के पैसे की लूटमार और फिजूलखर्ची पिछली सरकार ने की। जनता के पैसे की बर्बादी का, लूट का यह आलम था कि मुख्य मंत्री ने 1.5 करोड़ रुपये अपने निवास स्थान पर लगाये, 64 लाख रुपये मंत्रियों के बंगलों पर खर्च करने के लिये लगाये, 47 करोड़ की गाड़ियां खरीदी गयीं और 100 करोड़ रुपये के हवाई जहाज और हैलीकाप्टर खरीदे गये। विचारधारा, नियत और नीति, एक ओर तो गरीबों के भाग्य को बदलने की बात है और दूसरी ओर सामंतशाही सरकार..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): वे 100 करोड़ के हैलीकाप्टर और हवाई जहाज कहां हैं? चेपे जा रहे हो।

एक माननीय सदस्य: आपने तोड़ दिये। बेवजह खर्च कर दिये।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर) : माननीय सभापतिजी, राजस्थान दिवस एक दिन मनाया जाता था, सात दिन मनाना चालू कर दिया। राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की विरासत, राजस्थान की कला और साहित्य के नाम पर पाश्चात्य सभ्यता के फूहड़ नृत्य करवाये गये, अश्लीलता परोसी गयी। यह राजस्थान वीरता, बहादुरी, प्रेम, वैराग्य और साहस के लिये मशहूर है। यह तो वह राज्य है जिसकी संस्कृति दिखायी जानी चाहिये थी। यह तो वह राज्य है जहां यह कहा जाता है कि-

तिल, तलवार, तिलछिया, तिल-तिल ऊपर सीब।
फाला घावा उठसी, क्षण रिक्षेभ नतीब ।।

हे विरहावली गाने वाले चारण, वीरता की बात करना बंद कर दे। मेरे पति अभी युद्ध से आये हैं। तिल-तिल पर इनके खून की बूंद गिर रही है। अगर तूने बहादुरी की बात की तो यह पुनः युद्ध के लिये वापस चले जाएंगे। इस तरह के प्रदेश में हेमामालिनी जैसी को नचाकर लाखों रुपये का पेमेंट किया गया और जनता और गरीबों के खून को चूसकर इस तरह के प्रोग्राम किये गये जिसका कोई जवाब नहीं है।

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

लूणी नदी पर साइफन निर्माण के दौरान ठेकेदार को 72 लाख 39 हजार रुपये का ज्यादा भुगतान कर दिया गया। ठेकेदार से काई के निष्पादन में देरी के कारण 5 करोड़ 30 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति की राशि अभी तक वसूल नहीं की गयी। वन विभाग की ओर से क्षतिपूर्ति ...(व्यवधान) माननीय सभापतिजी, लोग मेरी बात सुन लें, उसके बाद में इनको बहुत मौका मिलेगा। हम भी रहेंगे। मैं पूरे टाइम सुना हूं।

श्री सभापति: कृपया आप लोग शांति से इनकी बात सुनें। अगर उचित लगे तो समय पर आप जवाब भी दे देना, लेकिन अभी इनकी बात शांति से सुनो। (व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर) : भारत सरकार एवं उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करके अपने पास रख ली गयी।

श्री सभापति: आदरणीय, अब आप विराज जाएं।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर) : जनता के पैसे का खुलकर दुरुपयोग किया गया। गरीब को गणेश मानकर सरकार चलाने वालों ने उनके आंसू पोंछने के बजाय उनका उपहास उड़ाया, उनकी मजाक उड़ाई।

श्री सभापति: Will you please conclude now? It is half an hour now.

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय सभापति जी, राज्य की प्रत्येक पंचायत समिति में नरेगा एक ऐसी योजना है, विश्व में इस योजना के मुकाबले दूसरी कोई योजना नहीं है। हम संविधान की बात करते थे और नीति-निर्देशक तत्वों की बात करते थे कि वे कागजी हैं और अधिकार देने के लिये नहीं हैं। मगर हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने पूरे देश में जितने मुख्य नीति-निर्देशक तत्व हैं, उनको अधिकार मानकर कानूनी जामा पहना दिया है। आज इतने बड़े देश में, जहां इतनी बड़ी आबादी है, हर आदमी को रोजगार देने की बात आसान नहीं है। मगर नरेगा ने आकर पूरे ग्रामीण क्षेत्रों की जिन्दगी बदल दी है। कोई आदमी खड़ा होकर यह नहीं कह सकता। ढाणी, गांव में औरतों के पास में पैसा नहीं होता था, उनके शराबी पति जाकर उनको पीटते थे। आज चले जाइये, उनके चेहरों पर खुशहाली नजर आती है। जिधर भी आप जाएंगे, आपको रंग-बिरंगे कपड़े पहने हुए औरतें काम करती मिल जाएंगी। आज उनकी अंटी में पैसा है। महिला सशक्तिकरण के लिये इस योजना ने जो सबसे बड़ा काम किया है, वह पूरे हिन्दुस्तान में एक उदाहरण है जिससे इंकार नहीं किया जा सकता।

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

9168 ग्राम पंचायतों में से 9100 ग्राम पंचायतों का चयन कर 8,547 ग्राम पंचायतों में राजीव गांधी केन्द्र प्रारम्भ कर दिये गये हैं। दिसम्बर, 2008 से 2009 तक 2,378 करोड़ खर्च करके मानव दिवसों का सृजन किया गया है।

हरित राजस्थान के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूं, इन मुख्य मंत्री की सोच यह है कि देश हरा-भरा हो, यह प्रदेश दूसरों के सामने आदर्श हो। अब तक बहुत पेड़ अपन लगाते आ रहे हैं और कई तरह की बातें होती जा रही हैं। मगर इस हरित राजस्थान ने पूरे राजस्थान की शक्ल बदल दी है। आज आप आलोचना कर लीजिये, मगर सरकार ने अब यह तय किया है कि जितने भी चरागाह हैं, उन पर बाउण्ड्री करवाकर पेड़ लगाये जाएंगे और जिन चारागाहों पर कब्जा कर रखा है, उनको छुड़ाया जाएगा और इस तरह से आगे बढ़कर बहुत ही विकास के काम करने की बात की जाएगी।

(15.45 बजे)

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

यह इसमें किया गया है। हमारा उद्देश्य है कि गरीबों को, हर वर्ग के लोगों को, चाहे वह एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., महिला कोई भी हो, उनके जीवन में खुशहाली लाई जाए, उनके जीवन को बदला जाए। आज मैं एक पंक्ति के द्वारा उसको बताना चाहता हूं-

आज हमें केवट पुत्रों को गृह स्वामी बनवाना है,
बाबा रामदेव के थानक को भूमि दिलवाना है,
रैदास कवि की कुटिया को देकर भूमि की सुध लेनी है
और मां शबरी को बेर लगाने के लिये बगिया देनी है,
शहर सड़क पर दीन सुदामा के भी भवन बनवाने हैं,
गांव-गली सिर दान असुधि में पटिया में नाच नचाने हैं,
अवसर है इन झोपड़ी और छप्पर के हाथ लगाने का,
आज आग लगी तो भय है इनकी लपट में आने का।।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर) : मैं आपको अन्त में अपनी बात समाप्त करते हुए कह देना चाहता हूं कि जिस तरह की आलोचना राजस्थान के मुख्य मंत्री और अभिभाषण के बारे में हो रही है, समाचार पत्रों में दे रहे हैं और हम जिस तरह की बात कर रहे हैं, वह एक संवेदनशील व्यक्ति हैं और उनका उद्देश्य, हमारी पार्टी का उद्देश्य यह है..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं महामहिम राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा करते हुए मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित इस राज्यपाल के अभिभाषण का यहां वाचन किया। मैं शुभकामना देना चाहूंगा इस अभिभाषण के प्रस्तावक केकड़ी से आने वाले मेरे मित्र को। बड़े कुंठित मन से इस नीरस और दिशाहीन अभिभाषण पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये। राज्य के मुखिया ने लगातार तीसरी बार उनकी वाक-पटुता के कारण उन्हें कम से कम इस योग्य तो समझा कि वह इस अभिभाषण के प्रस्तावक के रूप में यहां अपने विचार रखें। मुझे अफसोस है कि प्रस्तावक महोदय ने 42 मिनट तक विभिन्न भाव-भंगिमाओं में इस नीरस भाषण के पक्ष में बेबुनियाद ऐसी दलीलें दीं कि उनकी दलीलों का प्रभाव इस सदन में नहीं पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित यह तीसरा अभिभाषण है। लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी हुई सरकार को पांच बार इस सर्वोच्च सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय के मुख से नीतिगत घोषणाएं करवाने का अवसर मिलता है। इस तीसरे अभिभाषण के साथ ही दो बार अवसर और मिलेगा, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार का उत्तरायण पक्ष प्रारम्भ हो गया। उत्तरायण पक्ष में इस नीरस अभिभाषण के प्रस्तावक और समर्थक को मंत्री पद से शायद ही नवाजा जाए। मेरी शुभकामना है।

अध्यक्ष महोदय, आजकल कांग्रेस पार्टी एक काम और कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम। इस प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य है, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का, कि किस प्रकार से आप चापलूसी करें, किस प्रकार आप बड़े नेताओं की चिलम भरें ताकि आप सर्वोच्च पद पर चले जाएं। मुझे अफसोस है कि हमारे मित्र पूर्व मंत्री अमीन खां जी बैठे हैं, बड़े दु:साहस में हिन्दुस्तान के सर्वोच्च पद पर बैठी हमारी राष्ट्रपति महोदया के लिए ऐसी टिप्पणी कर गये कि वह तो मंत्री पद से गये ही, साथ

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में मुख्य मंत्रीजी के पाये और सरकार के पाये भी आपने हिला दिये। मुख्य मंत्रीजी अपनी सफाई देने के लिए अपनी सोनिया माता के दरबार में गये, बैरंग लौटना पड़ा। मैं समझता हूं कि दुबारा जब कभी सदन के अन्दर अभिभाषण का मौका मिलेगा, शायद उन कुर्सियों पर दूसरे बैठे होंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस अभिभाषण के विरुद्ध बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं सोच रहा था कि कहां से शुरू करूं और कहां खतम। समय की मर्यादा भी है और आप भी आसन पर विराजे हैं। इस सरकार का ढाई वर्ष का कार्यकाल, इसको काला कार्यकाल कहूं या अनियमितता से भरा हुआ कार्यकाल कहूं, मैं तो मोटे तौर कर यह कह सकता हूं कि तदर्थ सरकार के निर्णय, लाचार मुख्य मंत्री, बड़बोले मंत्री, भ्रष्टचार के कीर्तिमान, मंहगाई की मार, बेलगाम नौकरशाह, बिजली पानी का संकट, जर्जर कानून-व्यवस्था और थमा हुआ विकास का पहिया, एक भयावह तस्वीर पूरे राजस्थान की बन गयी। शासन के नाम पर एक तमाशा हो रहा है। आज लोग चर्चा करते हैं, आम व्यक्ति यह सोचता है कि जादूगर की जादूगरी में मेरी जेब से निकला हुआ धन कहां जा रहा है। कहां है वह विकास का सपना, कहां है वह पारदर्शिता, कहां है वह जबावदेयता जिनके आधार पर शासन की बागडोर उन्होंने संभाली थी? अध्यक्ष महोदय, इस चालीस पृष्ठीय अभिभाषण को अच्छी तरह से पढ़ा है, और यह भी सही है, कौल एण्ड शकधर ने अपने पेज 197 पर यह लिखा है कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार और जनता के मध्य करार है, राज्यपाल का अभिभाषण पिछले वित्तीय वर्ष की उनकी उपलब्धियां और नये वित्तीय वर्ष में क्या करना है, उसकी कार्य योजना का बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। परन्तु, अध्यक्ष महोदय, इस सरकार का पुराना रिकार्ड रहा है, चाहे राज्यपाल का अभिभाषण हो, चाहे चुनाव घोषणा पत्र हो, चाहे बजट की घोषणाएं हों, घोषणाएं खूब करो ढपोरशंख की तरह करो और घोषणा करके भूल जाओ। यह सरकार का पुराना ट्रैक रिकार्ड है। मैं उन दो अभिभाषणों का जिक्र करना चाहता हूं जो इसी सर्वोच्च सदन में 03 जनवरी, 2009 और 22 फरवरी, 2010 को रखे गये। मैं तो मोटे तौर पर यह कह सकता हूं कि जितने गैर जिम्मेदाराना तरीके से, जितने हल्केपन से अभिभाषण को यह सरकार ले रही है, वह न केवल सदन की गरिमा के खिलाफ है बल्कि एक प्रकार से संविधान का मखौल है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि 03 जनवरी, 2009 यानी दो वर्ष ढाई महीने पहले 24 पृष्ठीय भाषण राज्यपाल महोदय ने यहां पढ़ा, पच्चीस नीतिगत घोषणाएं हुईं। अध्यक्ष महोदय, मैं वह कागज लेकर आया हूं,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आप कहो तो टेबिल कर दूं, उन नीतिगत घोषणाओं में से सिर्फ नौ घोषणाएं पूरी हुई। बाकी सारी घोषणाएं आज अधर में हैं। इसके बाद 22 फरवरी, 2010, फिर 36 पृष्ठीय अभिभाषण पढ़ा गया। तीस वादे किये गये, 21 वादों का पता नहीं। वे 21 वादे कहां गये? चालीस पृष्ठीय इस अभिभाषण में अल्लाह जाने क्या होगा आगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या सैंक्टिटी रह जाएगी? किस बात पर चार दिन हम बहस करेंगे?

03 जनवरी, 2009, अभिभाषण का पृष्ठ संख्या 3 पैराग्राफ 6, इन्होंने इसमें लिखा कि विद्युत उत्पादन बढ़ाकर वर्ष 2009 के अन्त तक कृषकों को मांग पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवा देंगे। यानी प्रतीक्षा सूची शून्य कर देंगे। क्या यह सही नहीं है? मुख्य मंत्रीजी जबाव दें तब बताएं कि फरवरी, 2011 में, आज भी, एक लाख से ज्यादा किसान विद्युत कनेक्शन के लिए लाइन में लगे खड़े हैं। क्या हुआ उस वादे का जिस वादे में कहा गया कि दस हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन करने का पांच साल का हमारा लक्ष्य है। इन्होंने यहां तक कहा, 22 फरवरी, 2010 को पैरा 17 में, कि बिजली की आत्मनिर्भरता के लिए 1320 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्रोजैक्ट बांसवाड़ा और 4780 मेगावाट की छह इकाइयां लगाने के लिए हम सिद्धान्ततः घोषणा भी करते हैं और इसमें कार्यवाही भी करेंगे। क्या हो गया? एक कदम सरकार नहीं चल पायी। सरकार ने एक कदम इसलिए नहीं बढ़ाया कि इस सरकार को दिल्ली की सरकार ने जो कि इनकी है, कोल लिंकेज नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, अब तो छत्तीसगढ़ में बना सकांठा में जो राजस्थान को आबंटित कोल ब्लाक्स हैं, भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने नो-गो एरिया में डाल दिया। यानी अब कोयला मिलना असंभव है। मैं पूछना चाहता हूं, केकड़ी से आने माननीय सदस्य अभी बड़े कसीदे पढ़ रहे थे, क्या यह सही नहीं है कि इसी वर्ष की वार्षिक योजना जिसमें 52 प्रतिशत आपने ऊर्जा में खर्च करने की घोषणा की थी, आपको ढाई हजार करोड़ रुपये किसलिए काटने पड़े? ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार कुछ कर नहीं पायी। बिजली में कोयले की खरीद की बात को लेकर पिछली सरकार पर कई तरह की छींटाकशी की गयी थी, मैं पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, मुख्य मंत्रीजी, क्या कारण है, एक साल तक आयातित कोयले के टेण्डर्स को अधर में रखा गया? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जब पड़ौस के राज्य हरियाणा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल 6300 जी सी वी, ग्रॉस कैलोरोबिक वैल्यू का कोयला 5300 और 5400 रुपये मीट्रिक टन में खरीद रहे हैं, तो राजस्थान में ऐसी क्या बात है कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

6600 जी सी वी, ग्रॉस कैलोरोबिक वैल्यू का कोयला 700 रुपये मीट्रिक टन में खरीदा जा रहा है? कोयले के अन्दर यह कौनसा खेल हो रहा है, यह राजस्थान की जनता भी जानना चाहती है।

यहां बहुत बड़ी बातें चलीं, विद्युत का टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे, विद्युत दरें पांच साल तक नहीं बढ़ाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अप्रैल, 2010 के अन्दर राजस्थान की विद्युत कम्पनियों को नियामक आयोग के सामने याचिका लगानी थी अपनी विद्युत दरों में संशोधन के लिए, बढ़ोतरी के लिए, 90 लाख रुपये इन्होंने बाम्बे की किसी कम्पनी को दिये, याचिकाएं तैयार हो गयीं। नियामक आयोग के सामने याचिकाएं विचाराधीन हैं। इन याचिकाओं में 17 से 22 परसेंट तक विद्युत दरें बढ़ाने की याचिकाएं हैं और फिक्स चार्ज के नाम पर राजस्थान के गरीब से जो पचास यूनिट से ज्यादा बिजली कंज़्यूम करेगा, 80 से लेकर 205 रुपये प्रति माह बढ़ाने की बात भी यह सरकार कर रही है। कह रहे हैं कि हम दरें नहीं बढ़ाएंगे तो फिर याचिकाएं क्यों लगायीं? पिछली बार इन्होंने पैरा 20 में कहलवाया कि राज्य के किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवाएंगे। 22 फरवरी, 2010 को जो बात हुई, आज 17 फरवरी है, एक साल के लगभग का अन्तराल हो गया, एक भी माननीय सदस्य नहीं कह सकते कि उनके कार्यकाल के अन्दर बिजली की पूरी उपलब्धता हुई है।

अध्यक्ष महोदय, मंहगाई की बात तो क्या करें। आपको मालूम है कि मुख्य सचिवों का सम्मेलन हुआ 04 फरवरी, 2011 को, उस सम्मेलन में देश के प्रधान मंत्री कहते हैं, राजस्थान हो चाहे दूसरे प्रदेश हों, हर सूबे की सरकार अपने स्थानीय करों में कमी करे। मंहगाई रोकने का काम अब केन्द्र सरकार का नहीं, प्रदेश की सरकारों का भी है। इसके अलावा इन्होंने वर्ष 2009 में अभिभाषण के पैरा 84 में यह घोषणा की थी कि राजस्थान में जब मंहगाई बढ़ेगी, हम महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। घोषणा पत्र में यह कहते हैं जनता से कि पैट्रोलियम पदार्थों पर करों में रियायत करेंगे। आज यह सदन जानना चाहता है। पिछले एक वर्ष में साढ़े दस रुपये पैट्रोल पर बढ़ा, डीजल आठ रुपये बढ़ गया। आज की तारीख में जो हमारे पड़ोसी सूबे हैं, पंजाब में वैट है 8.8 परसेंट, हरियाणा में 8.8 प्रतिशत और राजस्थान में 28 परसेंट। सरकार ने चुनाव घोषणा पत्र में जो वादा किया था कि हम पैट्रोलियम प्रोडक्ट की दरें कम करेंगे, स्थानीय करों की, क्या सरकार उस वादे को पूरा करना चाहती है?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

देश का प्रधान मंत्री कह रहा है कि स्थानीय करों को कम करो, आपको घोषणा पत्र कह रहा है, आप राज्यपाल महोदय के मुख से कहलवा रहे हैं, पर मंहगाई को रोकने के लिए सरकार की कोई योजना नहीं।

(16.00 बजे)

अध्यक्ष महोदय, आज इस देश के अन्दर एक चीज की बड़ी चर्चा है। सर्वोच्च न्यायालय रोज तीखी टिप्पणी कर रहा है, केन्द्र सरकार के घोटाले सामने आ रहे हैं, टू जी स्पैक्ट्रम हो, कॉमनवैल्थ हो, आदर्श सोसायटी हो, एस बैंड हो, आज रोज चर्चा का विषय बने हैं। मेरा यह कहना है कि यह सरकार इस मामले में अपनी केन्द्र सरकार का अनुसरण कर रही है। सरकार को कहने को तो बड़ा उत्तरदायी, पारदर्शी और संवेदनशील महामहिम के मुख से पृष्ठ एक पर इस बार कहलवाया। सरकार उत्तरदायी जरूर है, पर सरकार उत्तरदायी है अपनी चहेती कम्पनियों के लिये। उनमें से एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक कम्फ्नी है कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन, यह कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन किस की है, इसको पूरा का पूरा राजस्थान जानता है। इस कम्पनी ने 5 मार्च, 2010 को राजस्थान वेयरहाउस कारपोरेशन से एम.ओ.यू. किया, इसकी सब्सिडियरी कम्पनी है, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कागज लेकर आया हूं, शुभम लोजिस्टिक। यह राजस्थान वेयरहाउस कारपोरेशन, राजस्व मंत्रीजी, वो कारपोरेशन है जो 27 साल से लगातार लाभ में चल रहा है। अब तक इसने 1392 लाख का शुद्ध लाभ कमाया, 809 करोड़ की इसकी स्थायी सम्पत्ति है और 480 इसके क्रमिक काम कर रहे हैं। 2009 में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उद्योग रत्न से भारत सरकार ने इसको सम्मानित किया था। इसका प्रतिवेदन जो आज सदन में रखा गया है उसके अनुसार इसकी भण्डारण क्षमता 7.61 लाख मैट्रिक टन है और 2010-11 में भण्डारण क्षमता का 88 परसेंट उपयोग हुआ है। एम.ओ.यू. करके 38 भण्डार गृह जिनकी भण्डारण क्षमता 4 लाख 5 हजार है और जिनका पिछले दस वर्षों का औसत भराव 90 परसेंट था, शुभम लोजिस्टिक को सौंप दिये अध्यक्ष महोदय, आश्चर्य इस बात का है, इसको सौंपने के लिए 29.12.09 को जो बोर्ड आफ डाइरेक्टर की मीटिंग हुई, जिस बोर्ड आफ डाइरेक्टर में हमारे आज के मुख्य सचिव भी थे, उसमें तय किया कि चूंकि वेयरहाउस डवलपमेंट अधिनियम ने पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर वेयरहाउस की गतिविधियों के लिए निजी कम्पनियों का सहयोग लेना प्रारम्भ कर दिया। इस अधिनियम में प्रावधान है इसलिए इस अधिनियम के आधार पर उन्होंने एक एम.ओ.यू. किया स्विस चैनल पर। परन्तु, अध्यक्ष

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महोदय, यह अधिनियम मैं लेकर आया हूं, यह राज पत्र भारत सरकार का है राज पत्र 2203, 25 अक्टूबर, 2010 का, इस 25 अक्टूबर, 2010 के राज पत्र और अधिनियम के बहाने से इन्होंने एम.ओ.यू. कर लिया 29.12.09 को। मेरी समझ में नहीं आया पर जो अधिनियम एग्जिस्टेंस में नहीं हो उसका सहारा लेकर इस तरह का काम करे सरकार, तो इस सरकार की क्या मंशा है, वह सामने आ जाती है। यानी 809 करोड़ की परिसम्पत्तियां 3 करोड़ की बैंक गारंटी पर सरकार सौंप दे एक ऐसी कम्पनी को जो मफत लालजी महणोत की हो, मैं समझता हूं, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। इसी में जो रेवेन्यू शेयर एग्रीमेंट किया है उसमें यह भी कह दिया कि यह शुभम लोजिस्टिक अब वेयरहाउस के जितने गोदाम हैं, उनके सामने कांटे लगाएगी और उससे जो लाभ होगा उसका 80 परसेंट लेगी। मैं समझता हूं, इससे ज्यादा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। सरकार की किसान ऋण राहत योजना जिसमें किसान अपने अनाज को इन वेयरहाउस में रखता है और उसका 75 परसेंट ऋण ले सकता है, उस योजना का क्या होगा? आज वस्तु स्थिति यह है, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान वेयरहाउस कारपोरेशन एक्ट, 1962 के तहत हमारा वेयरहाउस कारपोरेशन जिसका आज प्रतिवेदन रखा है, यह राजस्थान वेयरहाउस कारपोरेशन राजस्थान वेयर हाउस कारपोरेशन एक्ट 1962 के अन्तर्गत है। अध्यक्ष महोदय, इसमें धारा 24 में फंक्शन आफ द स्टेट वेयरहाउस कारपोरेशन में सारा उल्लेख किया गया है, इसके तहत ये कर नहीं सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से पहले वक्ता हैं, साहब।

श्री अध्यक्ष : घड़ी नहीं रुक रही।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): चलने दो घड़ी को और इनको, दोनों को चलने दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर शहर, हमारे मुख्य मंत्रीजी की कर्म स्थली का शहर आजकल कुछ ऐसे करमों के कारण चर्चा का विषय बना है जो कर्म इस सरकार में बैठे लोगों ने किये हैं। वहां दो इंडस्ट्रियल एरिया हैं, एक इंडस्ट्रियल एरिया फेज फोर्थ है, एक एग्रो फूड पार्क, बोरानाडा है। इसी 16.11.10 से

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

18.11.10 के बीच में चार उद्यमियों को 76,500 वर्ग मीटर बिना समाचार पत्रों में विज्ञापन दिये रिजर्व प्राइज के बहाने से 700 रुपये वर्ग मीटर के आधार पर, अपने चार चहेतों को, भू-आबंटन करने का काम इस सरकार ने किया जिसमें सीधा-सीधा सरकार पर 15 करोड़ का घोटाला हुआ। यह भू-आबंटन अध्यक्ष महोदय, जोधपुर स्तर पर नहीं हुआ। रीको भू-आबंटन नियम, 1979 बने हैं, उसकी एक धारा है थ्री डब्ल्यू, जिसके तहत एन.आर.आई., एन.सी.आर. और जयपुर राजधानी क्षेत्र में अगर कोई उद्योग स्थापित करे और 20 करोड़ से ज्यादा उसमें निवेश हो तो उसे अखबारों में विज्ञापन देकर रिजर्व प्राइज पर भू-आबंटन किया जा सकता है। इसको पहले पूरे राजस्थान में लागू किया और फिर इस इंडस्ट्रियल एरिया के अन्दर जोधपुर इंडस्ट्रियल एरिया और एग्रो फूड पार्क, इसमें बिना निविदाएं आमंत्रित किये पहले नीलामी हुई। 2700 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से नीलामी आयी पर इन्होंने 700 रुपये वर्ग मीटर के आधार पर जमीन दे दी, अपने चहेतों को जमीन दे दी। जिस दिन, अध्यक्ष महोदय, जमीन दे रहे थे, 14 आवेदन पत्र लम्बित थे, पर, क्या खुशबू आ रही थी इन चार लोगों के अन्दर जिनको इस तरह भूमि आबंटित की गयी? यह करम है इस पारदर्शी सरकार का। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अनुत्तरित हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने पिछली सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने अजमेर-दिल्ली सड़क पर नॉलेज कारीडोर की चर्चा क्या कर दी, भू-माफियाओं को मालामाल कर दिया। वहां जमीन की रेट गिर गयी, भू-माफियाओं ने जमीन खरीद ली और उसके बाद कह दिया कि इस तरह की योजना सरकार की नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मौजूदा सरकार ने नया जयपुर बसाने की बात कही, 15 अक्टूबर, 2009 जयपुर विकास प्राधिकरण की उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक होती है और घोषणा करते हैं कि 105 वर्ग किलोमीटर के अन्दर नया जयपुर बसाएंगे, ढूंड नदी, झालानी, बांडी, जमवारामगढ़ रोड, जयपुर, जे.एल.एन. मार्ग के बीच में। जे.डी.ए. के एक्ट 39 के अनुसार 15 अक्टूबर की घोषणा पर 27 अक्टूबर को अधिसूचना निकलती है। कोई सरकार के पास सर्वे नहीं, कोई सरकार के पास नक्शा नहीं। अधिसूचना के साथ ही इस 105 वर्ग किलोमीटर में, सिविल लाइन्स से आने वाले माननीय सदस्य, जमीन के भाव गिरने प्रारम्भ हो जाते हैं। उसके बाद चूंकि कुछ नामचीन नौकरशाह की जमीनें इसमें हैं, यह 27 अक्टूबर, 2009 की अधिसूचना और इसके बाद 1 नवम्बर, 2010, यानी एक महीने बाद फिर वही जे.डी.ए. उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक, उसकी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

वो ही मुख्य मंत्री कर रहे हैं, 65 वर्ग किलोमीटर की भूमि अधिसूचित क्षेत्र से बाहर। उसके बाद मजाक की बात यह है, अध्यक्ष महोदय, 1 नवम्बर, 2010 को जे.डी.ए. का निर्णय है, अधिसूचना निकलती है 10 जनवरी, 2011, यानी ढाई महीने बाद और उसके अन्दर दलील यह ली जाती है कि यह जो जमीन पहले अधिकृत कर ली थी, इसमें 26 किलोमीटर के अन्दर जे.डी.ए. ने सरकार के विभिन्न विभागों को और विभिन्न संस्थाओं को आबंटित कर रखी थी, कुछ जगह अवैध बसावट थी और कुछ जगह 90-बी हो चुकी थी। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, अब प्रश्न यह आता है कि पहले इन्होंने जब नया जयपुर बनाने की घोषणा की, उस समय जे.डी.ए. के अधिकारियों ने क्यों नहीं देखा कि कितनी जमीन पहले आबंटित की जा सकती है, कितनी जमीन अनुपयोगी है और कितनी जगह पर 90-बी की हुई है पहले से? मेरा आरोप है सरकार पर कि इसके पीछे करोड़ों रुपयों का भू-माफियाओं को लाभ पहुंचाने का काम सरकार ने किया है।

यही नहीं, स्टेच्यू सर्किल पर सौन्दर्यीकरण का संशोधन प्लान मंजूर किया गया और 15-15 फुट उसमें सरकारी और गैर-सरकारी भवनों की भूमि अवाप्त करने की बात की गयी। उसके बाद उससे भी कदम पीछे खींच रही है सरकार। मेवाड़ मिल्स का मामला हो, पहली घटना है राजस्थान में कि रिजर्व प्राइज से कम पर नीलामी छूट जाए। यह पहली घटना है। इस सदन में मामला उठा, मुख्य मंत्रीजी ने कहा मैं दिखवाऊंगा, जांच कराऊंगा। वह जांच कहां चली गयी, मालूम नहीं पड़ा। चाहे जल महल रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का मामला हो, बिना ग्लोबल टेण्डर के 55,179 वर्ग मीटर एरिया को 1 लाख 85 हजार वर्ग मीटर कर देना, 160 बीघा की मान सागर की झील को मिट्टी डाल कर पाट देना, और अब तो, अध्यक्ष महोदय, ट्रीटमेंट प्लाण्ट के नाम पर एक तरह की बात हो रही है, इस तरह का पोल्यूशन हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस सरकार को मौका लगे तो जिंदल शाह को जमीन देनी हो, भीलवाड़ा शहर के परिधि एरिये के अन्दर 'पहले आओ पहले पाओ' की तत्कालीन नीति का उल्लंघन करते हुए सरकार चाहे जिसको जमीन दे दे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी बेबस हैं। इस सरकार के मुख्य मंत्रीजी 21 नवम्बर, 2010 को अजमेर में आर पी एस सी गैस्ट हाउस में शिलान्यास करने गये, वहां जाकर कहते हैं कि सरकारी भर्ती में दलाल

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सक्रिय हैं। विधिक सेवा अपराधीकरण की सभा में गये, जयपुर में, कहते हैं कि पी एच ई डी और पी डब्ल्यू डी की भांति नरेगा में भ्रष्टाचार न पनप जाए। राज्य के गृह मंत्री 6 अक्टूबर, 2010 को कलक्टर-एस पी कान्फ्रेंस में कहते हैं कि राज्य में इंटेलीजेंस बिलकुल नहीं है, थाने भू-माफिया की दुकान बन गये हैं। जे डी ए की उच्च अधिकार समिति में बैठकर कहते हैं, जे डी ए में ....

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): रेट दस गुना हो गया है। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के चलते कानून व्यवस्था नहीं बची है, यह सरकार अखण्ड भ्रष्टाचार में डूब गयी है। और तो और, अध्यक्ष महोदय, जहरीली शराब पर केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं, इस सरकार के आने के बाद 67 मौतें हो गयीं और मुख्य मंत्रीजी बयान देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जहरीली शराब पर बोलने का अधिकार इसलिए नहीं कि उनके टाइम में 80 मौतें हुईं। यानि जहरीली शराब की मौतों में भी प्रतिस्पर्धा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में आबकारी मंत्री का जिला है, गृह जिला है सीकर, आज आपका जिला भी है, अध्यक्ष महोदय, स्पिरिट की तस्करी के अन्दर पूरे हिन्दुस्तान में एक नम्बर पर जा रहा है। मैसर्स एग्रो बायोटेक इण्डस्ट्रीज लिमिटेड अजीतगढ़, मैसर्स एसटीडी एग्रो इण्डस्ट्रीज रींगस, इन दोनों ने एक-दो नहीं तीन लाख बीस हजार लीटर स्पिरिट का फर्जी परमिट बनाकर पांडिचेरी में भेज दिया। पांडिचेरी में जिस प्रीमियर इण्डस्ट्रीज के नाम पर परमिट बनाया, वहां के डिप्टी कमिश्नर एक्साइज ने कहा कि इस तरह की इण्डस्ट्री नहीं है, तब आंख खुली। जब तीन लाख बीस हजार लीटर की स्पिरिट की तस्करी पांडिचेरी में हो सकती है तो राजस्थान के अन्दर अवैध शराब के निर्माण में कितनी बड़ी भूमिका होगी? आज तक न इन कम्पनियों को ब्लैक लिस्ट किया, न मालिकों के खिलाफ कार्यवाही की, क्योंकि मालिकों के तार कहीं से कहीं जुड़े हुए हैं। मात्र चार-पांच नौकरों के खिलाफ कार्यवाही करके सरकार इसकी इतिश्री करना चाहती है।

यही नहीं, 26 दिसम्बर को अजीतगढ़ में इसी एग्रो इण्डस्ट्रीज पर जो किसानों को देने वाला यूरिया है, उसके ट्रैक्टर को किसानों ने पकड़ा और उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की। मैं यह नहीं कहना चाहता कि तरनाउ के अन्दर राजस्थान का अकाउंट है और मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि भीलवाड़ा में संजय सोनी कौन थे, पर यह जरूर कहना चाहूंगा, पूर्ववर्ती सरकार

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पर शराब की संस्कृति को बढ़ावा देने का आरोप लगाना बड़ा आसान था। आज हो क्या रहा है? बाम्बे की तर्ज पर यह जो रेस्टो-बार संस्कृति है, इसको फैलाने का काम यह सरकार कर रही है। 2007-08 में जयपुर में 9 रेस्टो-बार थे, आज बढ़कर 68 हो गये।

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें, माननीय सदस्य। कृपया समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आज हालत यह हो गयी है....

श्री अध्यक्ष: आपको ध्यान नहीं कितनी देर बोले हो, मेरे सामने घड़ी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के अन्दर कानून व्यवस्था की क्या हालत है, वह बात कहकर एक मिनट में मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: रोहिताश जी, आप शराब के बारे में क्या कह रहे हो?

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): वर्ल्ड क्लास सिटी में तो रात को शराब ही बिकेगी, और होगा क्या?

श्री अध्यक्ष: आपका अनुभव अच्छा है।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): हां, मेरा अनुभव अच्छा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पुलिस का इकबाल समाप्त हो गया, पुलिस की पिटाई आम बात हो गयी।

श्री अध्यक्ष: अब समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इसी सप्ताह पुलिस की जो रिपोर्ट आयी है 2010 की, उसमें कहा गया है कि पिछले एक वर्ष में अजमेर, करौली, बांसवाड़ा में डकैती में 200 परसेंट बढ़ोतरी हुई है, दौसा, धौलपुर, प्रतापगढ़ इनमें 100 परसेंट बढ़ोतरी हुई है डकैती में, लूट में प्रतापगढ़ में 550 परसेंट, सवाई माधोपुर में 225 परसेंट, भरतपुर में 142 परसेंट और मुख्य मंत्रीजी के गृह नगर जोधपुर में हत्याओं में एक वर्ष में 58 परसेंट। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रामेश्वर पुणाव, पिछले महीने अनुसूचित जनजाति पर अत्याचारों की घटनाओं पर समीक्षा करने आये, उन्होंने कहा, यह मैं नहीं कह रहा हूं ......

श्री अध्यक्ष: अब समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आदिवासी उत्पीड़न के मामले में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। गृह मंत्रालय ने चेतावनी दे दी।

श्री अध्यक्ष: श्री महेन्द्र चौधरी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, धौलपुर में नक्सलवाद पनपने की बहुत बड़ी आशंका है।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इसके साथ ही मैं एक मिनट कहकर अपनी बात, दूसरा मिनट ही नहीं लूंगा...

श्री अध्यक्ष: टाइम बहुत हो गया। मैं नाम पुकार चुका।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, एक सैकिण्ड, अजीत सेन हैं योजना आयोग के सदस्य, वह जब यहां राजस्थान में आए, उन्होंने कहा.....

श्री अध्यक्ष: अब आप विराजें, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): विकास के पहलू को देखें तो प्रदेश की स्थिति देश के अन्य राज्यों के मुकाबले में बहुत खराब है। इस सरकार का कोई इकबाल नहीं, सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, विकास के काम ठप्प हैं इसलिए मैं इस राज्यपाल के अभिभाषण का पुरजोर विरोध करता हूं।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): अध्यक्ष महोदय, मैं तेरहवीं विधान सभा के षष्ठम सत्र में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पक्ष में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट।

अनुरोध एवं मांग

मंत्री जिसने पद त्याग दिया है, का वक्तव्य

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 133 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सदन को यह अधिकार प्राप्त है, भारत के महामहिम राष्ट्रपति हो, यहां के माननीय विधायक/मंत्री बनने के बाद भी उनका सारा आचरण, उनका व्यवहार सारे राजस्थान की सम्पत्ति बन जाता है। राजस्थान की जनता का उनके प्रति अधिकार रहता है, सरकार के वह संचालक रहते हैं। वह अपने कार्यकाल में जब काम करते हैं तो उनके कार्यकाल पर हम यहां पर चर्चा करते हैं, लेकिन किसी कारण से, स्वास्थ्य खराब या और किसी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कारणों से जब मंत्री से त्यागपत्र ले लिया जाता है तो उस मंत्री का यह अधिकार होता है कि वह मंत्री अपने त्यागपत्र के बारे में सदन को जानकारी दे और इस सदन का भी अधिकार होता है।

अध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत कारण से कोई त्यागपत्र हो गया हो तो वह तो अलग बात है, लेकिन अगर त्यागपत्र भारत के महामहिम राष्ट्रपति के बारे में कोई बात कहने के बाद हो गया हो, त्यागपत्र इस कारण से हो गया जिससे माननीय मंत्री, वरिष्ठ सदस्य अमीन खां जी रहे हैं हमारे साथ बहुत लम्बे समय तक, हम जानते हैं इनको, वह बार-बार यह कहते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, सरकार कहती है, और माननीय मुख्य मंत्रीजी को महामहिम राष्ट्रपति महोदय से क्षमा मांगनी पड़े, उसमें राजस्थान के सारे सदन की अवमानना होती है, हमको भी प्रताड़ना महसूस होती है। यह सारी परिस्थिति राजस्थान में पैदा हुई, अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं चाहूंगा कि राजस्थान के सभी विधान सभा सदस्यों को, राजस्थान की जनता को यह जानने का अधिकार है कि, श्रीमान अमीन खां जी, आपने महामहिम राष्ट्रपति महोदय का अपमान किया क्या और आपने महामहिम राष्ट्रपति का अपमान किया तो क्यों किया, अगर नहीं किया तो आपको मंत्री पद से क्यों हटाया गया। यह सदन मंत्रीजी से इस बात को जानना चाहता है, राजस्थान की जनता इसको जानना चाहती है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम जानना चाहते हैं इस बात को कि माननीय मंत्री महोदय ने क्यों इस्तीफा दिया। मंत्री महोदय अपने इस्तीफे के बारे में सदन को अवगत कराएं।

श्री अध्यक्ष: विराजें आप।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सही-सही बोलना।

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, वक्फ): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत हो तो ....

श्री अध्यक्ष: प्लीज।

वक्तव्य

मंत्री जिसने पद त्याग दिया है, का वक्तव्य

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, वक्फ): मैं एक ऐसे परिवार से, साधारण ग्रामीण पशु पालक का घर का आदमी हूं जिसने पढ़ाई इस अंगुलि के जरिये जमीन पर गायों में ग्वाला रहते हुए की है और...

श्री अध्यक्षः प्लीज प्लीज, कृपया शांत रहें।

श्री अमीन खां (शिव): पूरी जिन्दगी अपने हाथ से मजदूरी करके आज तक हमने रोटी खाई है। हमने शोषण करके, ठगी करके या तस्करी करके एक दिन भी खाना नहीं खाया है, न किसी ऐसे आदमी के घर खाया है। लेकिन जाने-अनजाने में, इतने हम बुद्धिमान नहीं हैं कि ऐसे शब्द को राष्ट्रपति के नाम से यूज करना नहीं चाहिए था, मेरे से भूल में हुआ। पाली जिला कांग्रेस कमेटी का सम्मेलन था, उस सम्मेलन में कांग्रेसियों में भारी रोष था और कांग्रेसियों ने सरकार के दो साल पर असन्तोष जाहिर किया, तब मैंने इन्दिरा गांधी की उस किताब के अनुसार किचन कैबिनेट का। उस राष्ट्रपति महोदय का हवाला देते हुए मैंने उनकी तारीफ की है, मैंने इन्दिरा गांधी की तारीफ की है। मैंने सोनिया गांधी की तारीफ की है। उस शब्द को कोई बढ़ा-चढ़ा कर, मैंने महसूस किया कि लगातार तीन दिन मीडिया ने पट्टी चलाई तो मेरे प्रति उनकी एक सोची-समझी षड्यन्त्रपूर्ण योजना थी, जिसमें मैं फेल हुआ।

अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के मेरे भाइयों का कुछ भी कहा हुआ, उनको तो माफ करता हूं क्योंकि उनका हमारा विरोध करने का कर्तव्य बनता है भारतीय संविधान की व्यवस्था के अनुसार। लेकिन मेरे साथी एक-दो आदमियों ने यह सारा धंधा किया है राजस्थान के जो मीडिया के अधिकारी हैं जिसका नाम भी बहुत खराब है कातिल। कातिल हमारी जबान में तो कत्ल करने वाले को कहते हैं। इसका यूज किया गया और इससे सारा, तीन दिन मेरे खिलाफ मीडिया से प्रचार हुआ, मेरे को त्याग पत्र देना पड़ा।

त्याग पत्र मेरा मैं अपने आप में वाजिब मानता हूं क्योंकि राष्ट्रपति ने अपनी तौहीन मान ली तो मुझे त्याग पत्र देना अनिवार्य था। माननीय मुख्य मंत्री का तो मैं एहसानमंद हूं, मेरे जैसे आदमी को दूसरा होता तो कोई मंत्री नहीं बनाता। मुख्य मंत्रीजी ने मुझे मंत्री बनाया, दो साल बाकी बचे हैं करीब दो साल मैं मंत्री रह गया। मेरे जैसे गरीब परिवार की हिस्ट्री में एक नाम मंत्री राजस्थान में आना भी मैं बहुत बड़ी इज्जत और फख्र महसूस करता हूं।

कुछ आदमियों ने राजपूत समाज विरोधी मुझे बताया। मेरे बाप-दादा से आज तक राजपूत समाज से हमारे मधुर सम्बन्ध हैं। चुनाव जरूर बी जे पी का उम्मीद्वार मेरे सामने राजपूत लड़ता है लेकिन कुछ आदमी दुनिया में अच्छे होते हैं और कुछ अच्छे नहीं होते। मेरे सामने बाड़मेर के रावत उम्मेद सिंह भी

(श्री अमीन खां)

चुनाव लड़े, जीते। उन्होंने पांच साल में मेरे को अपनी जबान से खराब आदमी नहीं कहा। और पिछले चुनावों में दो मैंने लड़े। उस आदमी की हालत अजीब है जो बी जे पी वाले भी जानते हैं और अधिकांश बी जे पी के लोग भी उसके खिलाफ हैं। उन्होंने राष्ट्रपति भवन को एक जातीयता के हिसाब से इस्तेमाल करके कहा कि राजपूत समाज की इसने तौहीन कर दी। कान भर दिये और राष्ट्रपति को मजबूर करके सोनिया गांधी को कहलाना पड़ा जिससे मुख्य मंत्री को सोनिया गांधी ने इस्तीफे के लिये कहा। मुझे यह आज की तारीख से पक्का विश्वास है और मुझे कोई फिक्र भी नहीं है, सोनिया गांधी ने अपने जवाब में किसी को भी कहा, यह कहा कि इस आदमी को मैं जानती हूं, यह हमारे परिवार के प्रति लायल है लेकिन राष्ट्रपति जी नाराज हैं इसलिये इस्तीफा लेना चाहिये। मैंने इस्तीफा खुशी से दिया।

मैं मीडिया के साथियों को कहता हूं अगर आप में हिम्मत हो, अगर आप में काबलियत हो, अगर आप में कला हो तो करोड़ों रुपये जो खाकर बैठे हैं टैक्स के, करोड़ों रुपयों के घोटाले करके बैठे हैं, उनको फंसा कर देखो। हमारे साथी विधायकजनों ने ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया आप विराजें।

श्री अमीन खां (शिव): मेरे भी निकालने की कोशिश की उसकी कि खाद-बीज भण्डार के अन्दर 1 करोड़ 72 लाख रुपया बकाया है। वृद्धिचन्द जैन जो पूर्व एम एल थे, उन्होंने और मुकेश शर्मा, आई ए एस थे, उसने 1 करोड़ 72 लाख की बकाया बतायी और उस पर कार्यवाही नहीं हुई। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी तो भी उस फाइल को दबाने की कोशिश की है। इन लोगों का कांग्रेस में भी मैनेजमेंट होता है और भारतीय जनता पार्टी के अन्दर भी मैनेजमेंट होता है। लेकिन गरीब का कोई मैनेजमेंट नहीं होता।

आज एक मसला आया होम मिनिस्टर के नाम से। मैं तो उसको भी एक छोटी-सी भूल मानता हूं। कोई गम्भीर खतरे वाली बात नहीं मानता, लेकिन यह कारतूस मेरे शरीर पर होता तो मैं अरैस्ट होता। मैंने जितना जुर्म किया है इतना जुर्म अगर मेरी जगह दूसरे हमारे मंत्री ने किया होता तो यह मीडिया भी कुछ नहीं बोलता। एक लाइन कहकर चुप होता।

मैं सीमावर्ती मुसलमान हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी हिस्ट्री बताता हूं। सन् 1949 में मेरा जन्म देताणी गांव की तहसील शिव में हुआ जो पाकिस्तान की सीमा से मात्र 15 किलोमीटर दूर है। हमेशा मेरे को उस तहसील में कांग्रेस

(श्री अमीन खां)

का कोई सदस्य नहीं बनाता रहा। उस जमाने के वृद्धिचन्द जैन ने पूरे जिले, उस तहसील का दौरा किया। मेरे को कांग्रेस का सदस्य बनाया और मैं कांग्रेस की सदस्यता के कारण वहां से संघर्ष में पिटता रहा। भारत-पाकिस्तान का 1965 का युद्ध हुआ, उस युद्ध के समय भी पहले चुनाव हुआ पंचायत का। शिव में 19 पंचायतें थीं, शिव में जागीरदारों के खिलाफ कोई सरपंच खड़ा नहीं हुआ। वृद्धिचन्द जैन में कहा कि एक जगह खड़ा करो कोई आदमी तो कम से कम इस अवाम को मालूम हो कि वोट पड़ते हैं। मैं चुनाव में पंचायत में खड़ा हुआ, वार्ड पंच बन गया, सरपंच में हार गया। वृद्धिचन्द जैन की वजह से 1965 की लड़ाई के वक्त कुछ लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने मुझे मारने की कोशिश की। गांव में मारने के लिये हथियार भी लेकर आ गये। लेकिन जीवराज सिंह भाटी थानेदार, जो मेजर शैतान सिंह के काके का बेटा, भाई था, वह ग्राम में थानेदार था। वह तत्काल मौके पर पहुंचा, उसने कहा सिचुएशन मैंने सारी मालूम की है, आपको खतम कर देंगे, आप मेरे थाने में बैठ जाओ। मैं एक महीना उस थाने में रहा। उस थानेदार ने मेरे को रोटी खिलायी। अगर वह जीवराज सिंह भाटी नहीं होता तो मैं आज संसार में जिन्दा नहीं रहता। तो मेरे को यह कहते हैं कि यह राजपूत विरोधी है, उस राजपूत ने मेरी जान बचायी है। मैं विरोधी नहीं हूं। हां, गंवार आदमी हूं। इतनी स्वच्छ समझ नहीं है जितनी राजेन्द्र राठौड़ में है या जितनी रघु शर्मा में है, घनश्याम जी में है, गुलाब चन्द कटारिया में है। उनसे हम समझ से बहुत दूर हैं।

हमने यह भी सुना है कि अंग्रेजों ने इस देश का कानून बनाया जिसका नाम आई पी सी है और उस आई पी सी में दफा 302 है। 302 में भी सुप्रीम कोर्ट ने देश में सजाएं उन मुलजिमों को दी हैं जिसका सबूत, बद्यां से मुलजिम मारा गया तो। मैंने जुर्म 323 का किया, अध्यक्ष महोदय, मुझे सज़ा 302 में मिली। इसलिये मैं सभी सदन के सदस्यों से आग्रह करता हूं कि मेरे से कोई गलती है तो आप सभी माफ करो। इस राजनीति की गन्दगी, इस दुनिया के गन्दे व्यवहार से मैं पहले दो साल चुनाव के वक्त भी कह चुका हूं कि भविष्य में हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं।

मीडिया ने बराबर मुझे तस्कर बताया है, पाकिस्तान से मिला हुआ बताया है। और पट्टी उसके दो दिन बाद तक चलायी। एक मैं याचिका आपके यहां दाखिल करना चाहता हूं, कृपया इन्साफ करें।

(श्री अमीन खां)

अन्त में मैं यह कहता हूं, कांग्रेस के आदमियों से न्याय कराना चाहूंगा तो फिर बात उठेगी। गुलाब चन्द कटारिया की एक कमेटी बनाओ जिसमें एक कांग्रेस का एम एल ए आपके सुरेन्द्र जाड़ावत को बना दो सदस्य, एक नरपत सिंह राजवी को बना दो सदस्य, तस्करी की मिल्कियत की मेरी तमाम जांच करा दी जाए, अगर मैं दोषी पाया गया एक परसेण्ट भी तो मैं भारतीय नागरिकता छोड़ दूंगा। नहीं तो, अध्यक्ष महोदय, कमजोर डाली हमेशा टूटती है, ताकतवर चाहे कुछ भी धंधा करे उसको कोई भी पूछने वाला नहीं है, राज चाहे इधर का हो, चाहे उधर का हो।

मैं 1993 में एम एल ए नहीं था, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी। भैरोंसिंह शेखावत के पास कुछ बी जे पी के एम एल ए आये। रासुका में बार्डर पर कुछ लोगों को बन्द कर रहे थे। लिस्ट दी जिसमें सबसे ऊपर मेरा नाम था। तो भैरोंसिंह शेखावत ने कहा, ऊपर वाला नाम हटा दो। तो उन्होंने जिद की। भैरोंसिंह शेखावत ने हरिसिंह सोढ़ा को कहा, वह एम एल थे, कि हरिसिंह जी, जिद मत करो, गरीब आदमी है, मैं इसको अरैस्ट नहीं करना चाहता हूं। अगर ज्यादा जिद करते हो मैं बाड़मेर एस पी को फोन करता हूं, एक टाइम में आपके दोनों के घरों की तलाशी होगी। मुझे यकीन है, उसके घर में राली निकलेगी, आपके घर में पाकिस्तान का सोना निकल सकता है। और फिर मैं नहीं मानूंगा। तब उन्होंने हाथ खड़े कर दिये।

मैं धन्यवाद देता हूं उस मरी हुई आत्मा को जिन्होंने इंसानियत के ऊपर एक गरीब आदमी को पहचाना था। एक बार पाकिस्तान से मेरी बहन आयी। बार्डर जिला प्रतिबंधित है, वहां किसी को परमिट नहीं देते हैं। कलक्टर को स्पेशल पावर है। मैंने भैरोंसिंह से दरख्वास्त की, उन्होंने कलक्टर को कहा कि इनकी बहन को जाने दो। उसने कहा कि सिक्योरिटी वाले ऐतराज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनकी सिक्योरिटी की गारण्टी मैं देता हूं। यह है इन्सान।

अशोक गहलोत ने, उनके साथ सिविल लाइन में क्या व्यवहार हुआ? बड़ा मुकदमा कम से कम 307 दफा आई पी सी का हो सकता था। उस आदमी ने कितनी शालीनता और गांधीवादिता जाहिर की है? उस आदमी ने पाप किया है और उसके घर जाकर 50,000 रुपये की रिलीफ दी है। उनको और भी मदद की है।

(श्री अमीन खां)

यही बात कहते हुए मैं पुनः मीडिया से दरख्वास्त करता हूं कि अगर हिम्मत, ईमान और हौसला है तो गरीबों का पीछा मत करो। मैं मेरे मकान में था और जबरदस्ती मेरे मकान में ये घुसे। कल मैं आया बाबूलाल नागर की गाड़ी में तो उसकी भी पट्टी चला दी, अमीन खां का दिल है अभी तक लाल बत्ती में। मेरा क्या दिल होगा, 60 किलोमीटर पैदल चलने वाला मैं आदमी हूं। दो दिन तक रोटी नहीं मिली है, उस परिवार का मैं आदमी हूं। यह किसान-किसान के नारे लगाते हैं, इन्होंने अपने हाथ से हल नहीं चलाया होगा। मैंने मेरे हाथ से 45 साल की उम्र तक हल चलाया है और उसके बाद में हल छूटा है। आखिर में मैं यही कहता हूं कि राष्ट्रपति महामहिम को अगर कोई तकलीफ हुई है तो पुनः इस सदन के माध्यम से क्षमा चाहता हूं। मेरी नीयत ऐसा उनके प्रति कहने की नहीं थी, कतई ऐसी नीयत नहीं थी। आप सभी ने मेरी बात सुनी इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री महेन्द्र चौधरी।

श्री अमीन खां (शिव): मेरी याचिका पर आप प्रबन्ध करें और एक कमेटी कटारिया जी की अध्यक्षता में इस तस्करी की, जासूसी की तय कर दें, ये जो फैसला करेंगे वह मैं मंजूर कर दूंगा। जय हिन्द, धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री महेन्द्र चौधरी।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, तेरहवीं विधान सभा के षष्ठम सत्र में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी केकड़ी से आने वाले सम्मानीय सदस्य और उसके बाद सवाई माधोपुर से आने वाले सदस्य ने महामहिम के इस अभिभाषण के पक्ष में अपनी बात कही और उसके बाद में तारानगर से आने वाले बहुत ही वरिष्ठ सदस्य ने इस अभिभाषण के विपक्ष में अपनी बात कही। तारानगर से आने वाले सीनियर सदस्य ने इस सदन में एक बात कही माननीय मुख्य मंत्रीजी के लिए कि यह तीसरा अभिभाषण है। जब वह पहले अभिभाषण के विपक्ष में बोल रहे थे तब भी उन्होंने यह कहा था कि आने वाला जो अभिभाषण होगा उस टाइम मुख्य मंत्री कोई और होगा और जब दूसरी बार अभिभाषण पर बोले तब भी उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री कोई और

(श्री महेन्द्र चौधरी)

होगा। आज फिर उन्होंने अपने मुंह से यह कहा कि मुख्य मंत्री कोई और होगा। तो मैं भी एक सदस्य होने के नाते यह कहना चाहता हूं कि आप इतने सीनियर सदस्य हैं, तीन-तीन बार इस विधान सभा में असत्य नहीं बोलें। चौथी बार भी अशोक जी गहलोत ही मुख्य मंत्री होंगे और पांचवी बार भी सदन में अशोक जी गहलोत ही मुख्य मंत्री होंगे।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया और राजस्थान में लोकप्रिय अशोक जी गहलोत मुख्य मंत्री बने। उन्होंने किसानों के हित में निर्णय लिये पिछले दो वर्ष के शासन काल के दौरान। जैसी कि सभी को जानकारी है, इस प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता आज भी बिजली पर आधारित है, बिजली के महकमे में मुख्य मंत्री जी ने सरकार बनते ही स्पष्ट किया था कि पूरे पांच साल किसानों की बिजली के बिल नहीं बढ़ाये जाएंगे। किसानों को लगातार 6 घंटे बिजली दी जा रही है। इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें 1750 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ था। इस सरकार में भी 2 वर्षों में 2368 मेगावाट का बिजली का उत्पादन हुआ है। बिजली के क्षेत्र में चाहे 400 केवी के 5 जीएसएस हों, चाहे 200 केवी के 11 जीएसएस हों, चाहे 132 के 39 जीएसएस हों, चाहे 33 केवी के 559 ग्रिड सब-स्टेशन हों, सब इस सरकार के दो साल के कार्यकाल में बनकर चालू हुए हैं। 1654 गांवों का विद्युतीकरण हुआ है, डेढ़ लाख लोगों को कृषि कनेक्शन मिले हैं। इस सरकार ने वादा किया था कि किसानों को कृषि कनेक्शन दिये जाएंगे, मैं मेरे विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि 2 साल के अंदर डेढ लाख किसानों को कृषि कनेक्शन मिल चुके हैं। 8 लाख 78 हजार किसानों को घरेलू कनेक्शन मिल चुके हैं। इसके अलावा 1152 नये 33 केवी के जीएसएस बनाये जा रहे हैं। यानि बिजली के क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन इस 2 साल के शासन काल के अंदर, इस कांग्रेस की सरकार में हुए हैं।

(16.34 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, अभिभाषण के अंदर नयी जल नीति बनाने की बात कही गयी है, नयी जल नीति में विपक्ष के साथियों से भी सहमति बनाने की बात कही गयी है। आप सब लोगों को जानकारी है, मानसून किस प्रकार का रहा। सरकार बनी थी तब आप में से ही कई लोग क्या-क्या बातें कहते थे कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस आती है तो अकाल आता है। किस प्रकार की

(श्री महेन्द्र चौधरी)

बरसात हुई है, आप लोगों को भी अच्छी तरह पता है। इतनी बरसात। हम भी आज इतने बड़े हो गये हैं, हमने भी अपने जीवन में इतनी बरसात नहीं देखी जितनी बरसात इसी कांग्रेस के, अशोक जी के शासन में हुई है। मावठ की बरसात हो रही है, किसान खुश है, प्रदेश का किसान बहुत खुश है और इससे प्रदेश का जल स्तर भी ऊंचा हो रहा है। आप लोगों को ध्यान है, पिछले टाइम में जब पेयजल संकट आया था तो इसी शासन ने टैंकरों द्वारा पेयजल उपलब्ध लोगों को करवाया था। हैंड पंप ठीक कराये थे, नये ट्यूबवैल बनाये थे। और आज पेयजल के अत्यधिक दोहन को नियंत्रित करने के लिए चिंतित होकर एक कानून बनाये जाने की आवश्यकता महसूस की गयी है, उसके अंदर मैं समझता हूं कि आप लोगों का भी पूरा सहयोग रहेगा।

सभापति महोदय फ्लोराइडयुक्त पानी जहां पर पीते हैं, वहां पर समस्या आ रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी का, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, नागौर जिले का नावां विधान सभा क्षेत्र, जहां पर नमक बनता है, वहां फ्लोराइड का पानी है, मैंने मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया कि मेरे यहां फ्लोराइड का पानी आ रहा है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो मुख्य मंत्रीजी ने बढ़िया मशीनें खारे पानी को मीठा करने वाली मशीनें लगाने के लिए मेरे क्षेत्र को 16 करोड़ रुपये विशेष रूप से दिये। उसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभारी हूं।

सभापति महोदय, इसके अलावा इस अभिभाषण के अंदर गवर्नर साहब ने अपने संबोधन में बताया कि राजस्थान की सरकार हर मायने में चिंतित है। चिकित्सा के मामले में ले लें, पिछली सरकार ने जो बीपीएल परिवार के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उनकी संख्या कम कर दी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने उन लोगों को जिनको भारतीय जनता पार्टी ने बीपीएल से हटा दिया था, स्टेट बीपीएल का दर्जा दिया। मुख्य मंत्री बीपीएल रक्षा कोष योजना से 60 करोड़ रुपये की राशि 2 साल में व्यय हो चुकी है। 63 लाख रोगियों को निःशुल्क इलाज मिल चुका है। इसके अलावा आस्था कार्डधारी परिवार हों, एचआईवी एडस के मरीज हों, वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशनर हों, नवजीवन योजना हो, अंत्योदय अन्न योजना हो या अन्नपूर्णा योजना के लाभान्वितों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा चिकित्सा के मामले में 500 नये चिकित्सा भवन बनाये गये हैं। एक-एक भवन की कीमत दस-दस लाख

(श्री महेन्द्र चौधरी)

रुपये है। वे आज तक नहीं बन पाये थे। राजस्थान की गवर्नमेंट ने यह वादा किया था कि 500 भवन बनेंगे और 500 उप स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण करा दिया गया है जो कि आपकी जानकारी में है। इसके अलावा 108-एम्बुलेंस इस प्रदेश में जहां-जहां जानकारी थी, 214 उपलब्ध करवा दी गयी हैं। सस्ती दवाओं की अनेक दुकानें, जेनरिक दवाओं की दुकानें खुलवा दी गयी हैं।

सभापति महोदय, पूर्व में बता रहे थे प्रशासन गांवों के संग कैम्प, मैं धन्यवाद दूंगा इस विधान सभा में माननीय मुख्य मंत्रीजी को, क्योंकि मैं खुद मेरी विधान सभा क्षेत्र में 55 जो कैम्प लगे थे 55 पंचायतों के अंदर, लगभग उन सभी में गया था। शुरूआती कैम्पों के अंदर जब हम गये थे तो 18 विभाग के अधिकारी वहां थे, वहां पर बीजेपी के लोग कहते थे कि यह कांग्रेस के लोगों का प्रचार का माध्यम है। वे उन मीटिंगों में नहीं आते थे। लेकिन जिस प्रकार आम आदमी को इन कैम्पों का फायदा मिला, जिस-जिस प्रकार से भीड़ उमड़ने लगी, गरीब लोगों को इसकी मदद मिलने लगी। मैं कहना चाहूंगा कि शुरू के कैम्पों में चाहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक या अन्य नेता नहीं आये होंगे, लेकिन अशोक जी गहलोत के द्वारा शुरू किये गये कैम्पों की लोकप्रियता को देखते हुए आखिरी के जो कैम्प हुए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी उनमें शामिल होने लगे। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। इन कैम्पों के अंदर 8717424 लोगों को लाभान्वित होने का अवसर मिला है। गरीब लोगों के नामान्तकरण खुले। सहकारिता विभाग से पास बुक मिली। वृद्ध, विकलांग और जो भी पेंशन के हकदार थे, उनको पेंशन कराने का मौका मिला। ढीले बिजली के तारों को टाइट कराने की बात उसके अंदर उठायी गयी तो उसका भी समाधान हुआ। पानी की समस्या का भी समाधान हुआ। जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र यानि कि कुल मिलाकर प्रशासन गांवों के संग कैम्पों की लोकप्रियता को देखते हुए मुख्य मंत्रीजी ने कैबिनेट के अंदर फिर फैसला ले लिया कि हर वर्ष ये कैम्प होंगे। हर वर्ष ही गांवों के अंदर प्रशासन रहेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम होंगे।

राज्य में कानून व्यवस्था सामान्य रही। विपक्ष के लोग चाहते थे कि फिर जनता में कोई उपद्रव हो, कोई न कोई घटना हो, जिस प्रकार से अभी पूर्व में बताया जा रहा था गुर्जर आरक्षण आंदोलन के मामले में। गुर्जर आरक्षण आंदोलन में जिस प्रकार से हमारे मुख्य मंत्रीजी ने बैठकर बातचीत के जरिये रास्ता अपनाया, वह राजस्थान में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान में समझौते

(श्री महेन्द्र चौधरी)

की एक अनूठी मिसाल बन चुका है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते थे कि यह गुर्जर आरक्षण आंदोलन फिर उसी प्रकार से उमड़े और जिस प्रकार 70 गुर्जर पिछली बार मारे गये थे, उस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो। लेकिन इस प्रकार का नहीं हुआ और मुख्य मंत्रीजी ने बैठकर गुर्जर साथियों से, गुर्जर भाइयों से बैठकर इस बात का समाधान किया, समझौता किया, जो भी एक इतिहास बना है।

पुलिस कमिश्नर प्रणाली जयपुर और जोधपुर के अंदर लागू की गई। पंचायती राज संस्थाओं को 5-5 विभाग दिये गये जिससे आज गांव में बैठा हुआ सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख मजबूत हो गए हैं। 5 विषय उनको हस्तान्तरित किए जा चुके हैं। आज ग्राम सेवकों और कनिष्ठ अभियंताओं के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है, चाहे लोक सेवा आयोग से हो और चाहे जिला परिषद के माध्यम से हो, यह भी चलायी जा रही है।

महान प्रधान मंत्री रहे हुए राजीव गांधी जिन्होंने इस देश के 18 साल के नौजवान को वोट डालने का अधिकार दिया था, उनके नाम से राजीव गांधी सेवा केन्द्र खोले गये, आई टी केन्द्र खोले गये, हर पंचायत समिति पर 25 लाख रुपए से भवन बनाये गये और हर पंचायत हैडक्वार्टर पर 10-10 लाख रुपए का एक भवन बनाया गया जिसमें पूरे देश में हमारा राजस्थान अग्रणी रहा है। राजस्थान की सराहना की जा रही है पूरे देश में इन भवनों को बनाने के मामले में। इससे फायदा होगा, इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में एक सूचना क्रांति आएगी, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, यह बात भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के बारे में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 चालू किया जा रहा है। बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से 50 हजार शिक्षकों के जो पद रिक्त पड़े हैं, वे इसी वर्ष भर जाएंगे। अल्पसंख्यकों में शिक्षा प्रसार के लिए आवासीय बालिका छात्रावास मुख्य मंत्रीजी ने जयपुर में शुरू किया है। 5 जिलों में आईआईटी खोलने की स्वीकृति दी है चाहे जयपुर हो, अलवर हो, श्रीगंगानगर हो, जोधपुर हो या नागौर हो। मदरसों में कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा दिया है। 200 मदरसों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों की भांति मान्यता प्रदान की है। 51 हजार बालिकाओं को साइकिल वितरण का काम किया है। एससी, एसटी, अल्पसंख्यकों, ओबीसी वर्ग की 470 बालिकाओं को इन्दिरा गांधी प्रियदर्शिनी पुरस्कार से नवाजा गया है।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

नरेगा योजना जो सोनिया गांधीजी, राहुल गांधीजी, मुख्य मंत्रीजी की योजना है, महात्मा गांधी नरेगा योजना के माध्यम से राजस्थान के अंदर बाड़मेर जिले को पुरस्कृत किया गया है। वहां 44 हजार टांके आज पानी से भर गये हैं। टांके, डिग्गियां, खेळ, तालाब इस वर्ष जो बरसात हुई है, उस पानी से भरे हैं और वहां जल स्तर ऊपर आया है। किसानों के खेतों के कुओं के अंदर भी जल स्तर ऊपर आया है।

वृद्ध, विधवा, नि:शक्त जनों को दी जाने वाली पेंशन में वृद्धि की गई है। चैक पोस्टों को समाप्त कर दिया गया है। पत्थर, रेत, बजरी, ईंट को वैट से मुक्त कर दिया गया है और वाणिज्य कर विभाग की 2 हजार चैक पोस्टों को इस प्रदेश से सम्पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है।

नई खनिज नीति लागू की गई है। हरित राजस्थान योजना लागू की गई है। राजस्थान में पर्यावरण नीति जारी की जा चुकी है। प्लास्टिक कैरी बैग्स पर 1 अगस्त, 2010 से पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। हिन्दुस्तान में कोई भी सरकार 2 रुपए किलो गेहूं नहीं दे सकती है, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस की सरकार, राजस्थान की अशोकजी गहलोत की सरकार ने बीपीएल परिवार के गरीब के हक को देखते हुए एक महीने के अंदर 25 किलो गेहूं वह भी 2 रुपए प्रति किलो देने का प्रबन्ध किया है। यह बहुत बड़ा, ऐतिहासिक निर्णय है, इससे पूरे राजस्थान के अंदर बीपीएल और स्टेट बीपीएल के 36 लाख 57 हजार लोग हर रोज लाभांवित हो रहे हैं। 275 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता इसके अंदर दी जा चुकी है। इसकी मानिटरिंग के लिए सरकारी कर्मचारियों की मौजूदगी के अंदर 15 से 21 तारीख के बीच राशन वितरण करने की प्रक्रिया चालू की गई है।

क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से 194 नए जीएसएस, 86 मिनी सुपर मार्केट, 159 मिनी बैंक खोले गए हैं। पशुपालन किसान के रोजगार का साधन है। गरीब, लघु एवं सीमांत कृषकों का यह रोजगार का साधन है। पशुपालन और पशुपालकों की संख्या को देखते हुए पशु धन विकास की नीति बनाई गई है। राज्य में पहली बार 'पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वार' योजना में 47 हजार से अधिक शिविर लगाए गए हैं और 28 लाख से ज्यादा पशुपालक इनमें उपचार से लाभांवित हो चुके हैं। राज्य के अंदर 285 उप केन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया गया है। 85 नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले गए हैं। 67 उप केन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में

(श्री महेन्द्र चौधरी)

क्रमोन्नत किया गया है और 75 पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया गया है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर 5187 ढाणियों और मजरों को सड़कों से जोड़ने के लिए 3354 करोड़ रुपए की योजना के प्रथम चरण में 1833 कार्यों की स्वीकृति हमें मिल चुकी है। मास्टर प्लान लागू किए जा चुके हैं। मैट्रो व रिंग रोड का कार्य जयपुर में चालू हो चुका है। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के परिवारों को कम लागत पर मकान उपलब्ध करवाने के लिए मुख्य मंत्रीजी ने योजना चलाई है।

राजस्थान की पदक जीतने वाली कृष्णा पूनिया हो चाहे बजरंग ताखर हो, सबको राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने खेलों के माध्यम से राजस्थान का नाम करने के लिए उनके यहां राजस्थान आने पर अच्छे पुरस्कारों से सम्मानित किया है। उसके लिए भी हम उनके बहुत-बहुत आभारी हैं।

सरकार एक लाख लोगों को रोजगार देना चाहती है, 1 साल के अंदर एक लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। 50 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। सरकार ने तय कर लिया है कि हर कलक्टर और हर एस डी एम प्रति माह दो बार क्षेत्र का दौरा कर रात्रि चौपाल लगाए, रात्रि विश्राम वहां करे और लोगों की जन सुनवाई करे। किसानों को एक मुश्त राशि जमा करवाने पर ब्याज माफी की सुविधा भी दी जा रही है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समअप करें।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): कुल मिलाकर इस अभिभाषण में निर्धन, एससी, एसटी, और अल्पसंख्यकों के आर्थिक उत्थान की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। निर्धन परिवारों को ज्यादा से ज्यादा आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 4 लाख 35 हजार आवासीय भूखण्डों के पट्टे भी इस सरकार के माध्यम से उपलब्ध करवाए गए हैं। माननीय सभापति महोदय, एक बार पुनः आपने मुझे समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री सभापति: डा. जसवन्त सिंह यादव।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने सरकार की कैबिनेट द्वारा तैयार किए गए अभिभाषण को पढ़ा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय सात बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय सात बजे तक के लिए बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय सात बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की कैबिनेट का तैयार किया हुआ अभिभाषण महामहिम राज्यपाल महोदय ने पढ़ा, मैं उसके विरोध में यहां खड़ा हुआ हूं। पक्ष के कुछ साथी हमारे उप नेता के लिए कह रहे थे कि उन्होंने इसे प्राणहीन अभिभाषण बताया है। यह तो उप नेता की शालीनता थी, अगर जनता से पूछा जाए और जनता इसमें और अलंकार जोड़ दे तो दिशाहीन, प्राणहीन अभिभाषण ही नहीं, प्राणहीन सरकार भी है। सरकार के पास कोई कामकाज है नहीं, कोई दिशा है नहीं। सरकार ने यह समझ लिया कि अब हमारे जाने के दिन आ गए हैं, हमारे जाने की शुरूआत हो चुकी है। पक्ष के लोग बोले तो ऐसा लग रहा था कि राजस्थान में तो कोई समस्या बची ही नहीं है, सारी समस्याओं का समाधान हो गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पक्ष के विधायकों की तो सारी समस्याओं का समाधान हो गया, इनकी तो जाने की तैयारी हो गई, लेकिन गरीब जनता को बचाने के लिए, राजस्थान को बचाने के लिए सरकार कुछ ध्यान दे, कुछ करे। सरकार ने बहुत ज्यादा अपना ढिंढोरा पीटा कि हम संवेदनशील शासन देंगे, उत्तरदायी, पारदर्शी देंगे और गरीबों के लिए शिक्षा के लिए, जनसंख्या के लिए काम करेंगे। अगर सरकार कोई बात कहती है, अपनी उपलब्धि गिनाती है, हर चौपाल पर चर्चा है, कि क्या हो गया है इस मुख्य मंत्री को, इस सरकार को? इस चीज को उपलब्धि गिन रहे हैं? आज यह तीसरी बार का अभिभाषण है, सरकार अपनी उपलब्धि

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

डंके की चोट गिनवाती कि हमने राजस्थान से भ्रष्टाचार खतम कर दिया, हमने राजस्थान में जनसंख्या पर अंकुश लगा दिया, हमने राजस्थान में नौजवानों को नौकरी दे दी तब तो कोई बात थी। राजस्थान से अराजकता खतम कर दी, तब तो लगता कि सरकार की कोई अपनी उपलब्धि है। मुख्य मंत्रीजी आज कहते हैं, संवेदनशील सरकार है। क्या संवेदनशील सरकार है? कानून नाम की कोई चीज राजस्थान में नहीं है, अधिकारी मंत्रियों की नहीं मानते, इस राजस्थान को तो, मंत्री खुश होते हैं, सही मायने में अधिकारी अपनी मनमर्जी से चला रहे हैं। यहां के मंत्रियों का तो कोई अता-पता ही नहीं है, किसी भी तरह की प्रशासन में उनकी पकड़ नहीं है, पकड़ खतम हो चुकी है। इसका मुख्य कारण है, हर अधिकारी के पास जाकर बैठो, हम विपक्ष के लोग बैठते हैं तो वे एक ही बात कहते हैं कि आप मानो या न मानो, सौ परसेंट अगली बार आपकी सरकार आएगी, कांग्रेस के तो मुश्किल से 20-30 आदमी गलती से जीतकर आ जाएं। यह बात आम आदमी के जहन में हैं और आम प्रशासनिक अधिकारी कहने लग गया है। अब हमारे भाई कहते है कि मुंगेरी लाल के सपने। ये मुंगेरी लाल के सपने नहीं हैं। आपके पास 2 साल का समय है, आप संभल जाओ, जनता की नब्ज को पहचानो कि जनता क्या चाहती है। जनता में क्या चर्चा है, पता तो आप सब को भी है, पर अपनी हकीकत को आप कहें कैसे? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ऐसा कोई महकमा नहीं है जिसमें कि भ्रष्टाचार न हो। इसी तरह कानून-व्यवस्था की बात कहते हैं, पता नहीं किसको कानून-व्यवस्था मानते हैं? पहला अभिभाषण पढ़ा तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वसुंधरा जी पर अभिभाषण में आरोप लगाया कि महिलाओं की चेन छीन ली जाती थी, उसको पढ़कर देखो। आज तो हालत यह है कि महिलाओं की चेन की बात तो छोड़ो, महिलाएं ही बेचारी गायब हो जाती हैं। थानों के अन्दर पुलिस की महिलाओं से बलात्कार होते हैं, पुलिस की महिलाएं मरती हैं, चाहे जहां पुलिस पिट रही है। और खुद मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि एसएचओ जब किसी थाने पर जाता है तो 10 दिन काम करता है, उसके बाद सारे के सारे चोर-डकैतों से मिल लेता है। और कि एसएचओ को पता होता है, किसने चोरी की, किसने जेब काटी, किसने बलात्कार किया, किसने डकैती की। ये मुख्य मंत्री के भाषण हैं, मुख्य मंत्री क्या कहना चाहते हैं इस प्रदेश को? इसी तरह से आप कहीं भी चले जाइए, राजस्थान में जब तक इन तीन चीजों पर हम काम नहीं करेंगे- जनसंख्या वृद्धि को नहीं रोकेंगे, भ्रष्टाचार को नहीं रोकेंगे, हम राज को सही नहीं चलाएंगे, तब तक राजस्थान

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

की जनता का भला होने वाला नहीं है। बाल-विवाह रोजाना हो रहे हैं, हम भी जाते हैं, देखते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। सब फैक्ट्रियों में हड़ताल हो जाती है पर इस जनसंख्या वाली फैक्ट्री में न तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई अड़चन है, न उसमें कभी हड़ताल होती है, दमादम बच्चे पैदा होते हैं। कैसे आप राजस्थान को कंट्रोल कर लोगे? यह भ्रष्टाचार ही खतम नहीं होगा, कैसे आप कर लोगे?

अब आप कहते हैं नरेगा की बात, सारे कह रहे हैं, नरेगा के अन्दर बहुत काम हो रहे हैं। तो, भाई, फिर 35 परसेंट इसमें कमी क्यों आ गई? आपने पीएमजीएसवाई की सड़कें नरेगा में दे दीं, कब बनेंगी, कैसे बनेंगी? मजदूर मिलते नहीं हैं, किसी जिले में मजदूर नहीं मिलते। मेरे जिले के अन्दर यह हाल है, अभी मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि राजीव गांधी सेवा केन्द्र बनाये जा रहे हैं, पूरे जिले में 478 पंचायतों में एक बनकर तैयार हुआ है, एक। और आपके कार्यकाल में बाकी बनेंगे भी नहीं, सारा नरेगा का काम ठप हो गया। कह रहे थे कि मंत्रीजी ने डंडा चलाया था। भाई, ऐसा डंडा किस काम का जिससे आपके काम ही ठप हो गये? आपका काम ही नहीं हो रहा, विकास ही रुक गया। पीएमजीएसवाई की सड़कें जो महीने, दो महीने, चार महीने में जुड़ जानी चाहिए थीं, आज तीन साल से एक ही बात कही जा रही है कि इतने किलोमीटर पीएमजीएसवाई सड़कें बनेंगी। बनेंगी कब? इनको करेगा कौन? मजदूर मिलते नहीं, करने वाला कोई है नहीं। इनकी क्वालिटी ठीक रहेगी नहीं और इससे सारा नाश हो जाएगा।

अब आप किसान की बात करते हैं कि किसानों को बिजली दे दी और हम बिजली के अन्दर आत्मनिर्भर हो रहे हैं। पर मेरा निवेदन है आपके माध्यम से मंत्रीजी से, इस सरकार को कहने के लिए, कि आप बिजली बढ़ाओ, बिजली का उत्पादन बढ़ाओ, राजस्थान खुशहाल होगा, पर कभी आपने देखी है राजस्थान के किसानों की हालत? दो-तीन महीने तक सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर नहीं थे और बेचारे ए.ईएन., जे.ईएन. यह कहते थे कि, साहब, ऊपर अधिकारी को यह बात कहो। और अधिकारी यह कहता कि और ऊपर बात करो, ऊपर वाले कहते थे कि मंत्री से बात करो। आखिर में यह जवाब मिलता था कि, साहब, कम्पनी को पेमेंट नहीं हो रहा है, सामान नहीं मिल रहा है। आपने आंकड़ों में तो दे दिये कनेक्शन, लेकिन फिजिकली क्या वे कनेक्शन लग गये, इंस्टाल हो गये? आज एक ट्रांसफार्मर का तार खराब हो जाता है,

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

फसल बोई जाती है, लाने के लिए कोई जगह नहीं होती, डोले पर चलने के लिए जगह ही नहीं होती, फसल को तोड़ा नहीं जा सकता, किसान टैक्निकल है नहीं, कितने एक्सीडेंट्स से लोग मर गये? 50 बार मंत्रीजी को, मुख्य मंत्री जी को मैंने खुद ज्ञापन दिये हैं कि एक ट्रांसफार्मर का तार खराब हो जाता है तो किसान को मुख्यालय ले जाना पड़ता है जो सम्भव नहीं है। पर इधर किसी का ध्यान नहीं है, दो-दो महीने तक ट्रांसफार्मर नहीं मिले। वसुंधरा सरकार में 48 घंटे में ट्रांसफार्मर मिल जाते थे, करो न मुकाबला इस चीज का। इस आंकड़े को देखो। आज आपके राज में दो-दो महीने तक ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे हैं, कहां चले गये ट्रांसफार्मर? किसान को मिलते हैं तो जले हुए भेज दिये जाते हैं क्योंकि उसके अन्दर भ्रष्टाचार है। जला हुआ ट्रांसफार्मर होता है, बेचारा किसान उसको देखता है कि लगे कि नहीं लगे। फिर कहते हैं कि इसकी सील तोड़ दी है। तो इस चीज को जब तक नहीं रोकेंगे, किसान का भला नहीं हो सकता।

अब बहुत बड़ा प्रचार किया जा रहा है, अभिभाषण में एक प्रचार है, प्रशासन गांवों के संग, इसमें एक और बुरा काम कर दिया। क्योंकि अधिकारी तो जानते हैं कि कैसे सरकार को घुमाया जा सकता है, इनके कंट्रोल में ही नहीं हैं। कि, साहब, जिसके यहां सबसे ज्यादा सर्टिफिकेट बने हैं, उनको प्रशंसा पत्र और दे दिये। इससे आगे भी अब काम नहीं होगा, क्योंकि कैम्प लगेंगे, कैम्प में प्रशंसा पत्र मिलेगा तो वे काम क्यों करेंगे? पर यह तो पूछो, एक बार तो सोचते कि आप जिसे उपलब्धि कह रहे हो, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र दो साल से उन लोगों को नहीं मिले, पर आपके प्रशासन ने किया क्या? जाति प्रमाण पत्र दो साल बाद मिल रहा था तो आपका प्रशासन दो साल तक करता क्या रहा? आप इसको उपलब्धि कहते हो? यह सरकार के लिए शर्म की बात है कि दो साल तक का काम सरकार ने प्रशासन गांवों के संग किया। वह इसलिए किया कि मुख्य मंत्रीजी और इनके मंत्री लोग जानते हैं कि हमारी सरकार के अधिकारी निकम्मे हैं, काम करना नहीं चाहते, किसी बात को मानना नहीं चाहते। इस बात को आप हाई-लाइट कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही है?

दूसरी बात, बहुत ढिंढोरा पीटा था कि रात को 8 बजे दारू की दुकानें बंद कर दी जाएंगी। 10 रुपये दो और चाहे जितनी बोतल ले आओ, 9 बजे, 10 बजे चाहो जितनी ही। तो वह भ्रष्टाचार और बढ़ गया, नकली दारू का धंधा बढ़ गया। उसका रिजल्ट क्या निकला? आप कल्पना करते हो एक मुख्य मंत्री

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

जी यह कहते हैं कि बीजेपी के राज के अन्दर इतने लोग मरे थे, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि राजस्थान का तो क्या हाल हो रखा है, कि जब मुख्य मंत्री के गृह जिले में स्मगलिंग हो रही है, खराब दारू मिल रही है, नकली दारू मिल रही है और लोग मर रहे हैं। अगर कोई ढंग का मुख्य मंत्री होता तो इस्तीफा दे देता कि मैं अपने जिले को नहीं संभाल सकता तो राजस्थान को क्या संभालूंगा। और घोषणाएं करते हैं कि बीजेपी के राज में इतने मर गये, इसलिए हम तो मारेंगे। (व्यवधान) तो इतने मारने के बाद सुधरेंगे ये तो। कितनी नकली दारू रोज पकड़ी जा रही है? वह हमारे बैठे हुए हैं आबकारी मंत्रीजी, मंत्री का यह रूतबा होना चाहिए कि एक बार आदेश के बाद हिम्मत नहीं पड़े कि एक पव्वा भी, एक बूंद भी अवैध शराब मिल जाए। जहां जिस थाने में मिल जाए, जिस आबकारी थाने में मिले, उसको तुरन्त सस्पैंड करके लाइन हाजिर कर दे। दो दिन यह काम कर लें, अगर तीसरे दिन बिकनी बंद हो जाए तो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो, साहब, पांच मिनट भी नहीं बोला।

श्री सभापतिः 10 मिनट हो गये, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): प्रापर बात कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं।

श्री सभापतिः सभी माननीय सदस्य प्रापर बात ही करेंगे।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): यह काम की बात है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मंत्रीजी हैं, आबकारी मंत्री भी हैं, वैसे तो काम तो सही कर रहे हैं। एकल खिड़की की बात कह रहे थे कि, भाई, कारखाने में नकली दारू बन रही है। काम तो ठीक कर दिया, दोनों को मिला दिया। क्यों पकड़ा जाए जब कारखानों में नकली दारू बनने लग गई तो? उद्योग मंत्री ने उद्योग को बढ़ावा दे दिया, नकली दारू भी हो गई। पर आप एक बार देखिए कि जब उद्योग की बात करते हैं, इस राजस्थान में जीने का हक सब को है, गरीब को भी है, किसान को भी है, मजदूर को भी है, सरकारी कर्मचारी को भी है, आप केवल उद्योगपतियों की तिजोरी भरने के लिए उनको वह जगह देते हैं। जहां पर उनको सुविधाएं होती हैं। आप उद्योग को बढ़ावा दो,

(17.00 बजे)

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

निवेश लाओ, राजस्थान का विकास करो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उद्योगपति को जहां दो पैसे मिलते हैं, वह वहां जाता है। रेगिस्तान के अन्दर जैसलमेर आखिरी हिस्सा है और सौर ऊर्जा की वहां ज्यादा सम्भावना है तो वहां पर उद्योगपतियों ने लाइन लगा रखी है, नम्बर नहीं आ रहा है। निवेश तो करेगा अगर उसको माहौल सही मिले। कहीं पर भी करा लो। आज ये कहते हैं कि हम घोषणा पत्र के अनुसार चल रहे हैं। सभापति महोदय, शायद इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती, कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह लिखा था कि हम एक बीघा भी उपजाऊ जमीन किसान की नहीं लेंगे, किसान को नहीं उजाड़ेंगे, उनकी मर्जी के बिना कहीं भी हम उनकी जमीन को अधिग्रहण नहीं करेंगे। पर यह कर क्या रहे हैं? पूरे अलवर जिले की, जो कि दिल्ली के नजदीक है, उद्योगपतियों को सहूलियत है, बड़े लोग हैं, बड़े लोगों के आधार पर सरकार चल रही है, आज किसान की उपजाऊ जमीन को लिया जा रहा है और वो भी कौड़ियों के भाव पर। उनको उसके बदले मिल क्या रहा है? दूषित वातावरण मिल रहा है। आप वह काम कर देंगे कि कश्मीर और बिहार इस राजस्थान को बनाकर छोडेंगे। एक भी स्थानीय नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है। जो करोडों रुपये की जमीन है उसका 6-7 लाख रुपये बीघा के हिसाब से अधिग्रहण हो रहा है। वह अलवर जिले की वो उपजाऊ जमीन है कि पूरे राजस्थान में उससे ज्यादा उपजाऊ जमीन नहीं है। पर कोई देख ही नहीं रहा है क्योंकि उद्योगपतियों का डंडा उस पर है और वो सरकार की मदद करते हैं। अगर थोड़ा-सा भी सरकार में दम है, सरकार यह सोच सकती है कि हर आदमी को जीने का हक है, तो कम से कम उन किसानों को भी जिंदा रहने दो, उनके बच्चों को भी जीने का हक दे दो जिनकी उपजाऊ जमीन है। उनके पास दूसरा कोई साधन नहीं है। अगर दम है तो इतना काम करके दिखा दो कि हम उद्योगपतियों को सारी सहूलियत देंगे, ईमानदारी से उनकी मदद करेंगे पर उन उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार मिल जाए। उनको वो घुसने नहीं देते हैं। वो बाहर खड़े रहते हैं, रोते हैं। उनके पास कोई साधन नहीं बचा है। अब आखिर क्या होगा? अलवर जिले के थानों के अन्दर सबसे ज्यादा जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, वो ग्राफ क्राइम का बढ़ता जा रहा है। उसका मुख्य कारण यह है कि नौजवान बेरोजगार होता जा रहा है, उसके पास जीने के लिए कोई साधन नहीं बचा। तो अपने जीने के लिए वो फिर करेगा क्या? कहते हैं न कि हक नहीं मिले तो लूट सही। माननीय उद्योग मंत्रीजी, मेरा आपसे आग्रह है कि बच्चे आपके भी हैं, बच्चे मेरे भी हैं, हर आदमी को जीने का हक है,

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

उन किसानों को बचा लो जिनकी भूमि को उद्योगपतियों के लिए अधिग्रहण कर रहे हो। यह आपकी उपलब्धि नहीं है, यह राजस्थान को विनाश की तरफ ले जाने की गति है। नहीं तो देख लेना, अगर कुछ दिनों तक ऐसा ही हाल रहा, इसी तरह से किसानों को मजबूर करते रहे, उनकी जमीनें हड़पते रहे, तो यह होगा कि राज नाम की कोई चीज नहीं बचेगी और पता नहीं कितने उग्रवादी पैदा हो जाएंगे। यह मेरा आपसे आग्रह है, विनती है।

सड़क की बात कहते हैं कि इतने किलोमीटर सड़क बना दी। क्या नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे से गुजारा हो जाएगा? राजस्थान की कोई ताकत है, राजस्थान की कोई रीढ़ है तो जो गांव में बैठा आम आदमी है, वह है। आप किसी एक गांव में जाकर देख लो कि वहां की सड़कों की क्या हालत है। आप वहां पर चल नहीं सकते। अभी कल ही मैं पढ़ रहा था कि एक एम्बुलेंस एक महिला को लेने आई तो उसकी रास्ते में ही झटकों से डिलीवरी हो गई। क्या यह सरकार के लिए शर्म की बात नहीं है? सड़कों की जर्जर हालत हो रही है। क्वालिटी इतनी गंदी लग रही है कि कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। केवल एक काम हो गया कि यह तो बंटवारा हो गया कि मुख्य मंत्री जोधपुर के हैं तो वो समझते हैं कि राजस्थान जोधपुर में ही है। और दूसरे कोई मंत्री जहां के हैं, वो समझते हैं कि वह वहां के ही हैं। पर कभी इन मंत्रियों को यह तो पूछो कि गांवों के अन्दर गये हो क्या, गावों की हालत देखी है क्या, वहां की सड़कों की हालत देखी है क्या। वहां की सड़कों की हालत देखो, क्वालिटी नाम की कोई चीज नहीं है। आज के अख़बार में भी छपा हुआ है, जयपुर शहर के बारे में भी छपा हुआ है कि यह हालत है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि एक दिन पैचवर्क हुआ और दूसरे दिन जरा-सी बारिश में सारी उखड़ गई। उन्होंने फोटो तक दिखाई है। सरकार को थोड़ा तो लिहाज आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, ऐसी हमारी हालत होती जा रही है। पहले दिन कहा था कि अवैध खनन बन्द करा देंगे। क्या हुआ? दुगने बढ़ गये। अब तो यह हालत हो रही है कि आपके अधिकारी पिट रहे हैं, कर्मचारी पिट रहे हैं, अभी हमारे तिजारा में पिटे, पर सरकार के जूं भी नहीं रेंगती। 10 हजार ट्रक निकल रहे हैं केवल चन्द पैसों के लिए।

हरित राजस्थान की बात करते हैं, घोषणा कर दी कि इतने पौधे लगाये, पर किसी ने जाकर देखा? आपने इतना पैसा पानी की तरह बहाया,

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

सड़क के दोनों तरफ पौधे भी लगाये चाहे नरेगा में? एक पौधा नहीं है। अगर मेरे यहां पर एक पौधा सरकार दिखा दे, कोई मंत्री दिखा दे तो चाहे जो सज़ा भुगतने को तैयार हूं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी कौन देखभाल करे? अब कहते हैं कि हम एक करोड़ पौधे और खरीदेंगे। इससे बड़ा और क्या भ्रष्टाचार का नमूना होगा? भ्रष्टाचार की और क्या परिधि होती है? आपने जो पहले पौधे लगाये उनमें एक पौधा नहीं बचा, उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है कि पौधे कहां गये। खड्डे खुद गये और उन पौधों का यह हाल हुआ कि जहां खड्डे खुदे वहां दो दिन बाद उनके बिल बन गये, वाउचर उठ गये, पैसे उठ गये। अब उनके अन्दर जोत हो जाएगी तो फिर वो खड्डे भी नहीं बचेंगे। उसको देखेगा कौन? यह तो 2-4 ढंग के से मंत्री हैं जिनके पीछे यह सरकार चल रही है, नहीं तो हालत यह हो रही है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, समअप करो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ...हमारे खाद्य मंत्रीजी ने शुद्ध का युद्ध ढिंढोरा पीट दिया, रोजाना टेलीविजन और अखबारों में दे दिया। पर, भाई, रोजाना जहां जाते हैं, जहां किसी डीएसओ को मंथली नहीं मिलती वहीं पर अशुद्ध मिल जाती है। जब इतना आपका डंडा है, इतनी आपकी पकड़ है, इतना आपका कानून है तो एक साल में रुक जाते। डेढ़ साल में रुक जाते, दो साल में रुक जाते। पर आज जहां भी देखते हो, जिस चीज को पकड़ते हो वहीं पर अशुद्ध मिल गया। जब अशुद्ध मिल गया तो आपका कानून किस बात का है? इसका मतलब तो यह हुआ कि आपका लेना-देना होता है वहां शुद्ध और आपका लेना-देना नहीं होता वहां अशुद्ध। नहीं तो सरकार का अपना रुतबा होता है, सरकार की एक कल्पना होती है, सरकार का एक आदेश होता है और उस आदेश को हर आदमी मानता है।

स्वास्थ्य की बात कर लो, अभी हमारे भाई कह रहे थे कि इतने वो बना रहे हैं। बनाकर भी क्या करोगे, जो अस्पताल हैं, इन दो साल के अन्दर मेरे जिले में ही जहां के हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी अभी हैं नहीं, उन्हीं की हालत बूचड़खाने जैसी बनी हुई है। उनमें एक डाक्टर नहीं है, कोई स्पेशलिस्ट डाक्टर नहीं है, कोई दवाइयां नहीं हैं। दवाइयों की तो यह हालत है कि +++ मैंने पत्र भी लिखा है माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि आपकी अपनी सरकार का, अपने स्वास्थ्य मंत्रालय का ढंग देखना है +++ इससे बुरी हालत गांवों की है।

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

महिलाओं की बात करते हैं कि हमने कलेवा खिला दिया। कलेवा से महिलाओं की जिन्दगी बचेगी? महिलाओं की जिन्दगी तो तब बचेगी जब स्पेशलिस्ट लेडी डाक्टर लगाओगे, अगर दम है तो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समअप करो आप।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): वहां स्पेशलिस्ट डाक्टर बिठाओ, वहां साधन दो, वहां दवाइयां दो, वहां पर सफाई का बजट रखो तब जाकर बात बनेगी।

पीने के पानी की यह हालत है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपनी बड़ाई करते रहो। चाहे जितनी मुख्य मंत्री की चिलम भर लो, बचे हैं वो उनकी सब भरें, क्योंकि दो साल बचे हैं, आगे इनको कुछ लेना-देना नहीं। जो मंत्री बन जाए वो ठीक है, नहीं तो फिर मंत्री रहेगा नहीं। एक मंत्रीजी ने साहस करके अपनी बात कही थी, उसने सीधी भाषा में कही थी, पर एक मिनट में उसको कत्ल कर दिया। सीधी कही थी न, महामहिम जी के बारे में उनका मन खराब नहीं था, उसकी तो बात ही कुछ और थी। पर अब चिलम भर रहे हैं कि पता नहीं किसका नम्बर आ जाए। आपका एक का भी नम्बर नहीं आएगा। कम से कम बचे हुए यह तो कह दो कि हमारी सुनने वाला कोई नहीं था। कांग्रेस का एक-एक एमएलए जब अकेले में मिलता है तो यह कहता है कि आगे आपकी सरकार आएगी। तो जब जनता यह कह रही है, यह कह रहे हैं, यह तो पिछली बार भी आते अगर हमारी ही पार्टी के आपस में नहीं लड़ते तो। जनता ने तो कतई बीजेपी के राज को बुरा नहीं बताया। यह तो आपसी लड़ाई के कारण राज चला गया, इसमें आपकी कोई उपलब्धि नहीं है। जनता तो यह कहती है कि हमने वसुंधरा जी जैसा राज न देखा है न देखेंगे।

एक माननीय सदस्य : अब राजीनामा हो गया क्या?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): राजीनामा हुआ या नहीं हुआ, पर अब तो ये लट्ठ भी बजावें न तब भी जनता जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी को, उसकी नीतियों को जिताएगी। बार-बार राहुल गांधी की बात करते हैं, मैं एक बात कहूंगा कि गहलोत जी ने खींवाराम जी को 50 हजार रुपये घर आकर दिये और गांधीगीरी दिखा दी। खाक गांधीगीरी दिखा दी? आपके लट्ठ मारने आ गया और आपने यह नई परिपाटी और चला दी। अब सारे राजस्थान में यह बात पहुंच गई कि जो मुख्य मंत्री को पीटेगा उसको 50 हजार रुपये मिलेंगे। अब आपकी मानवता का पता लग जाएगा कुछ दिनों में। यही ढोंग

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

राहुल गांधी जी ने किये कि कहीं बिहार में गरीब की झोंपड़ी में जा रहे हैं, कहीं परात ढो रहे हैं। पर हुआ क्या? चार कंधे जीतकर आये हैं। जनता बावली नहीं है, जनता रिजल्ट चाहती है चाहे जितना कर लो। माननीय उप नेता ने तो इसको प्राणहीन कहा है, मैं तो कहता हूं कि यह दिशाहीन है, प्राणहीन है। सरकार का कोई विजन नहीं है, सरकार का कोई आइना नहीं है, सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है और ऐसे अभिभाषण का मैं कठोर विरोध करता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: विराजिये। सम-अप करें, माननीय सदस्य। श्री पानाचन्द मेघवाल।

श्री पानाचन्द (बारां-अटरू): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद चल रहा है, मेरे सीनियर सभी लीडर्स आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं, मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहूंगा, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का शासन था और वसुन्धरा देवी राजस्थान की मुख्य मंत्री थीं। हम उस जिले से प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां से उन्होंने पांच बार लोक सभा में प्रतिनिधित्व किया और वहीं से राजस्थान की मुख्य मंत्री बनीं और उनका पुत्र सांसद बना। राजेन्द्र सिंह जी यहां पर नहीं हैं, वह सड़कों के बारे में बता रहे थे। कोई धर्म के बारे में बता रहे थे। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री सम्माननीय गहलोत साहब का, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे लोकप्रिय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री सम्माननीय प्रमोद जैन भाया साहब का। आज भाजपा के नेता बात करते हैं धर्म की और नीति की, मैं पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान आप लोगों ने कितने धार्मिक स्थानों को सड़कों से जोड़ा जहां पर हजारों दर्शनार्थी जाते हैं? मेरे सामने जो प्रतिद्वन्द्वी लड़े थे, उनको आर.एस.एस. का कट्टरपंथी कहा जाता है मदन दिलावर, जो हर चुनाव की शुरुआत करता था देवनारायण जी से। और मेरे साथी सदस्य हैं भाई राजावतजी और भाई बिरलाजी, हाड़ौती का प्रसिद्ध स्थान देवनारायणजी, जहां पर हर शनिवार को 20,000 यात्री दर्शनों के लिए आते हैं, हर चुनाव का वहां से आगाज करते थे। वसुन्धराजी वहां से चुनाव का आगाज करती थीं, मुख्य मंत्री रह गईं, सब कुछ रह गईं लेकिन उनके कार्यकाल में एक पत्थर वहां पर नहीं लग सका। लेकिन हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री का शासनकाल आते ही, दो साल के कार्यकाल में उसी जगह को चार-चार तरह से सड़कों से जोड़कर इतना बढ़िया काम किया है जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है।

(श्री पानाचन्द)

बात करते हैं सड़कों के विस्तार की, भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री थे, उनको याद नहीं था कि प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत हम किन गांवों को जोड़ें। इन्होंने केवल गांवों को जोड़ा लेकिन गांवों में, ढाणियों में निवास करने वाले उन दलितों को, उन एस.सी. की बस्तियों को, उन एस.टी. की बस्तियों को छोड़ दिया जहां पर इस देश का असली हकदार व्यक्ति रहता है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री सम्माननीय प्रमोद जैन भाया और हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा 5,000 से अधिक ढाणियों और मजरों को प्रधान मंत्री सड़क योजना से जोड़कर उनकी स्वीकृति दिलवाई गयी है और उनका कार्य मौके पर चालू करवाया गया है।

आज बात करते हैं दलितों के विकास की। (व्यवधान) 5,000 से अधिक ढाणियों और मजरों को जिस प्रकार से दो साल के शासनकाल में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। राजेन्द्र सिंह जी यहां पर विराजमान हैं, भारतीय जनता पार्टी के शासन में जब वह पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री थे, छबड़ा के अन्दर एक थर्मल पावर प्रोजैक्ट का उद्‌घाटन करने गये थे, वसुन्धराजी मुख्य मंत्री थीं, और इनको बारां से उस थर्मल प्रोजैक्ट तक पहुंचने में तीन घंटे का समय लगा था। रास्ते में मैं इनसे मिला था। मैं पूछना चाहूंगा कि कौनसी सड़कों का डवलपमेंट आप लोगों ने करवाया? मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी का कि इन्होंने शासनकाल में आते ही 122 करोड़ रुपये स्वीकृत करके उसका कार्य चालू करवाया। चाहे जयपुर से कोटा की बात कीजिये, कोटा से झालावाड़ की बात कीजिये या अन्य देव स्थानों की बात कीजिये, चाहे गांव को गांव से जोड़ने की बात कीजिये, जिस प्रकार से दो साल के शासनकाल में अशोकजी के नेतृत्व में राजस्थान में सड़कों का विस्तार हो रहा है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है।

बात कीजिये किसानों के हित की, आज पूरे राजस्थान में पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। जब राजस्थान की जनता ने आपको सत्ता संभलाई थी, आप मदहोशी में और सामंतवादी व्यवस्था में सब कुछ भूल गये। आपने कितने चैक डैम बनवाये, कितने आपने डैम बनवाये, कितनी नहरों का निर्माण करवाया? मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे मुख्य मंत्रीजी का कि उन्होंने जल नीति बनवाकर छोटी नदियां हों चाहे बड़ी नदियां हों, उन पर चैक डैम बनवाने की जिस प्रकार से बात की है, जल को रोकने की नीति बात की है वह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी देन है।

(श्री पानाचन्द)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के माध्यम से संस्था के द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन की बात कीजिये तो दो लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये अनुदान देने की योजना बनाई गई। असहाय, विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन जो आपके शासनकाल में 300 रुपये मिलती थी, उसको बढ़ाकर 500 और 750 रुपये हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी द्वारा किया गया। राजस्थान में जो असहाय विकलांग हैं, जो दर-दर की ठोकरें खाते थे, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने प्रशासन गांवों के संग के तहत पूरे राजस्थान में असहाय और निःशक्त लोगों का चिह्नीकरण करवाया, उनका एक स्टाक रजिस्टर बनवाया पहली बार कि राजस्थान में ऐसे कितने असहाय लोग हैं, कितने विकलांग लोग हैं और उनके लिए क्या योजना बनाई जा सकती है। प्रशासन गांवों के संग के बारे में अभी बता रहे थे कि दो साल के शासन में जब कुछ नहीं हुआ तो प्रशासन गांव के संग चालू करवाकर उसमें यह कार्य करवाया गया। मैं पूछना चाहूंगा कि आप भी पांच साल शासनकाल में रहे, आप इस प्रकार की नीति बना सकते थे, अपने शासनकाल में इस प्रकार का काम आपने क्यों नहीं करवाया? एक मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए व्यक्ति को चक्कर काटने पड़ते हैं, उसके 200-500 रुपये खर्च होते हैं। हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत जो गांव में निवास करने वाले हैं, किसान के बेटे हैं, वह जानते हैं कि एक कागज को तैयार करने में कितना समय लगता है। उसी का परिणाम है कि प्रशासन गांव के संग में 52 दिन पूरे प्रशासन को गांव के चौपाल पर एकत्रित किया गया और सुबह से शाम तक उस गांव में निवास करने वाले चाहे गरीब व्यक्ति हों, चाहे मजदूर हों, व्यापारी हों, उनकी जो भी समस्या थी, उसका हल वहीं मौके पर करवाकर बहुत बड़ा काम किया है। राजस्थान के 86 लाख लोगों को उसमें लाभ हुआ है।

जो बिजली की बात करते हैं, अभी एक सदस्य बोल रहे थे कि वसुन्धराजी के राज में 48 घंटे में ट्रांसफार्मर मिलते थे। मैं पूछना चाहूंगा, आप रिकार्ड उठाकर देख लीजिये पिछले पांच साल का और दो साल का। राजस्थान में हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी के किये गये वादों के अनुसार कि किसानों को सात घंटे बिजली देंगे, तो वही बिजली पूरे राजस्थान में किसानों को दी जा रही है। रात के समय सिंगल फेस की लाइट पूरी आम जनता को दी जा रही है। आपके शासनकाल में तो 6-6 महीने तक किसानों को ट्रांसफार्मर नहीं मिलते थे। 24 घंटे तो क्या, 24 दिन में लाइट ठीक नहीं होती थी।

(श्री पानाचन्द)

आज पंचायती राज की बात करते हैं। तिवाड़ीजी भी यहीं हैं, पंचायती राज में यह कहते हैं सशक्त बनाने का, लेकिन पंचायती राज को सशक्त बनाने का जो मूल उद्देश्य है और उसमें पूरा काम किया तो हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री ने किया। आज गांव की चौपाल पर बैठकर वहां का सरपंच, वहां का प्रधान और वहां का जिला प्रमुख जो गांव की मूलभूत समस्याएं होती हैं चाहे वह शिक्षा, चिकित्सा से संबंधित हो या आंगनबाड़ी से संबंधित हो या समाज कल्याण से संबंधित हो, सारी समस्याओं का बैठकर वहीं पर समाधान करवाने में सक्षम हैं।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत बता रहे थे कि हमारे जिले में अभी एक ही राजीव गांधी सेवा केन्द्र बना है। मैं चैलेंज करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, आप बारां जिले का रिकार्ड उठाकर देखिये, वहां पर राजीव गांधी सेवा केन्द्र का जिस प्रकार से डवलपमेंट किया गया जहां गुणवत्ता है, जहां क्वालिटी है, आप स्वयं जाकर देखें, आप सराहना करेंगे इस कार्य की। आप सराहना करेंगे हमारे लीडर्स की जो इस योजना को लेकर आये हैं। आज गांव में निवास करने वाला मजदूर भी अपने आप में गौरव महसूस कर रहा है कि जिस सरकार को हमने चुना है उस सरकार ने उसके प्रति ईमानदारी और जितनी निष्ठा से काम किया है कि आज उसके बेटे को दो जून रोटी मिल रही है।

मुख्य मंत्री सहायता कोष या स्टेट बी.पी.एल. की बात करें, आपके शासनकाल में बी.पी.एल. का सर्वे करवाया गया, आपके चहेतों ने और आपके मंत्रिमण्डल के लोगों ने अधिकारियों पर इस प्रकार से अंकुश लगाया कि कांग्रेस के एक भी व्यक्ति को बी.पी.एल. में लिया गया तो आपकी खैर नहीं है। परिणति क्या हुई? कि आज पूरे राजस्थान का दलित, पूरे राजस्थान का गरीब आप लोगों को दुआ तो क्या, बद्दुआ दे रहा है और उसकी परिणति यह है कि आप विपक्ष में बैठे हैं। हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री ने जब चुनावी घोषणा पत्र लाया गया तो यह घोषणा की थी कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई तो हम बीजेपी के शासनकाल में जो बी.पी.एल. से छोड़े गये थे, उनको स्टेट बी.पी.एल. का दर्जा देंगे या अन्य योजनाओं में उन लोगों को लाभ देंगे। आज वे दुआ दे रहे हैं। किसी भी परिवार में अगर कोई बीमार हो जाता है, उसके लिए चाहे एक लाख रुपये की बात हो चाहे एक रुपये की बात हो, नि:शुल्क उसका इलाज हो रहा है। बात स्टेट बी.पी.एल. की और बी.पी.एल.

(श्री पानाचन्द)

की नहीं है, उसके साथ अन्य भी, चाहे कुष्ठ रोग का हो चाहे एड्स रोग का हो या अन्य किसी भी बीमारी का हो, उसका नि:शुल्क मुख्य मंत्री सहायता कोष से इलाज हो रहा है।

वसुन्धराजी जहां निवास करती हैं, वहां की जनता पिछले 10 सालों से पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रही है। हमारे क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजना परवन वृहत् सिंचाई परियोजना जिस पर आज वसुन्धराजी वक्तव्य देती हैं और उस टाइम जाकर उसकी शिला पट्टिका पर असत्य नेम प्लेट लगाकर आईं, आज वहां की जनता उनसे पूछना चाहती है कि वे परियोजनाएं कहां गईं। अहमदी परियोजना कहां गई जो किशनगंज की है? चाहे वहां की कोई योजना हो उन्होंने शिलापटिट्का लगाई हुई है। इनका हाइटेक एक प्रोग्राम था, पूरे जिले की पट्टिकाओं को एक स्थान पर एकत्रित करना, वहीं स्वयं के द्वारा पर्दा हटाना और उसके बाद अधिकारियों के द्वारा जाकर उस जगह पर लगाना। इनके द्वारा लगाई गई एक-एक पट्टिका का अवलोकन अगर करवाया जाए तो एक भी पट्टिका वहां पर नहीं मिलेगी, वहां पर कोई काम नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे मुख्य मंत्रीजी ने हाड़ौती की जनता की समस्या को ध्यान में रखते हुए पहले बजट में चार करोड़ पैंसठ लाख रूपये परवन परियोजना का सर्वे करवाने के लिए स्वीकृत किये। आज भी हम मुख्य मंत्री महोदय से मिले हैं, हाड़ौती के कांग्रेस के सारे एमएलए और मंत्री उनसे मिले और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि हाड़ौती की जो महत्वपूर्ण परियोजना है, उसको निश्चित रूप से मैं स्वीकृत करके दिखाऊंगा। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, विपक्ष को बताना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता ने जिस लोकप्रिय मुख्य मंत्री को चुना है, वह आने वाले दो साल नहीं, आने वाले साठ साल तक राजस्थान में शासन करेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री राव राजेन्द्र सिंहजी। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आदरणीय सभापति महोदय, जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु संघीय प्रजातंत्रीय प्रणाली के अंदर प्रदेश को विधान सभा जैसे सदन की गरिमा प्रदान की गयी है, श्रद्धेय महामहिम के श्रीमुख से अभिव्यक्त किया हुआ वह सारा वक्तव्य जिसमें इस प्रदेश की दिशा और दशा को प्रतिबिम्ब करने के संवैधानिक कर्तव्य का निर्वाह करने हेतु शब्दों के उच्चारण से, समस्त भाव और भावनाओं से इस प्रदेश को ओत-प्रोत करने का

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

जो उन्होंने सत्कर्म किया है, बहुत दुःख से मैं अभिव्यक्त करना चाहता हूं कि जिस शब्द और शब्दावली और व्याकरण का पुट उन्होंने दिया, उसमें सब कुछ था लेकिन सत्यता का अभाव था और इस सत्यता के अभाव के कारण जो कुछ भी उनके श्रीमुख से उच्चारित हुआ, वह शब्द एक ध्वनि मात्र रह कर इस सदन में प्रतिबिम्ब के रूप में गूंजा है। शब्द को शब्दावली प्रदान करने के पीछे भाव और भावनाओं की आवश्यकता होती है। शब्द को शब्दावली और व्याकरण के साथ प्रतिपादित करने के लिए उसके पीछे वह भावना होती है जो किसी देश की दिशा को किसी एक निश्चित आयाम तक पहुंचाने का कर्तव्य और प्रतिबिम्ब पैदा करती है। मैं आज आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, यह एक परम्परा-सी हो गई है कि जो कुछ भी इस सदन में कहा जाता है वह कुछ गिने-चुने मापदण्डों के आधार पर कहा जाता है। मैं किसी बात का कटाक्ष नहीं करना चाहता, कोई भी जन-प्रतिनिधि सरकार, जन-प्रतिनिधि स्वरूप में यहां तक आई हुई सरकार कभी भी जनता से विमुख नहीं हो सकती। हर सरकार प्रयत्न करती है कि जनता के कष्टों का हम निराकरण करें लेकिन कष्टों का निराकरण सिर्फ शब्दों से या कागजों पर लिखे हुए स्याही के अंकों से नहीं होता। जनता के कष्टों का निराकरण होता है जब स्वयं जनता इस बात को महसूस करे और महसूस कर अपनी कार्यशैली से अपनी भावनाओं को आम जन के बीच लाकर उसको उद्वेलित करे। ऐसा कोई प्रमाण दो वर्ष के इस सरकार के अन्तराल में हमें तो देखने को नहीं मिला। कुछ बातें आप लोगों ने पाठ्यक्रम के माध्यम से, मैं इस अभिभाषण को पाठ्यक्रम इसलिए मानूंगा कि संविधान की अनिवार्यता है कि एक अभिभाषण होना चाहिए, जैसे किसी भी परीक्षा की अनिवार्यता होती है कि पाठ्यक्रम के माध्यम से परीक्षा होनी चाहिए। तो आज यह सदन की भी परीक्षा है कि जिस पाठ्यक्रम को उद्‌घोषणा के स्वरूप में अभिभाषित किया गया है उसमें शब्दों का परिलक्षित परिणाम क्या होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, क्योंकि यह प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में प्रतिस्पर्धा के अनुरूप आचरण करने वालों को, जो उत्कृष्ट परिणाम जनता के बीच में प्रेषित करता है उसको, जनता अलंकृत करती है।

मैं आज आपके बीच में राजस्थान के स्टेटिस्टिक्स के वे फैक्ट्स और फाइल्स पेश करना चाहूंगा जो इस बात को आप लोगों के बीच में प्रदर्शित करेंगे। 1997 और 98 का मैं आपको एक उदाहरण पेश करना चाहूंगा। 1997

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

और 98 के अंदर जिस वक्त पूर्ववर्ती सरकार ने अपनी सत्ता सौंपी उस वक्त राजस्थान की नैट इनकम का कंट्री की नेशनल जीएसबीटी में 78 प्रतिशत हिस्सा था। हमारी स्वयं की नैट पर कैपिटा, हमारी स्वयं की नैट वर्थ आल इण्डिया की नैट वर्थ की 78 प्रतिशत थी। जिस वक्त 02-04 में आपने हमें सत्ता सौंपी, उस वक्त वह गिर कर 62 प्रतिशत हो गई थी। इस बात को शायद आप लोग इनकार करें कि यह बात असत्य है। इस बात की सत्यता की आप परिकल्पना नहीं कर सकते लेकिन मैं प्रोस्पैक्ट्स आफ राजस्थान, राजस्थान चैलेंजेज के कुछ इश्यूज आपके बीच में प्रेषित करना चाहूंगा सेंटर फार मानिटरिंग इण्डियन इकोनोमी के माध्यम से और इकोनोमिक स्टेटिस्टिक्स जो कि राजस्थान डिपार्टमेंट के स्वयं के हैं। वे यह बात कहते हैं, "During the year 1997-98, the per capita GDP of Rajasthan was about 78% of the national average. It further declined to 62% in the year 2003-04." अगर हम यहां बैठकर इस बात की परिकल्पना करें कि इस देश और इस प्रदेश के आम नागरिक को खुशहाल बनाना है तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके स्वयं के नेशनल सर्वे, संयुक्त राष्ट्र संघ के भुखमरी के सर्वे के जो आंकड़े आये हैं वे भी मैं आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहूंगा जहां राजस्थान को उन्होंने इस दर्जे में डाला है। आपके तीन सर्वेक्षण हुए हैं- सुप्रीम कोर्ट के आधार पर जस्टिस वधवा कमीशन का सर्वे हुआ, अर्जुन सेन गुप्ता ने स्वयं का सर्वे किया और युनाइटेड नेशन ने ग्लोबल हंगर इंडैक्स का सर्वे किया। इस सर्वे के अंदर राजस्थान प्रदेश में 22 फीसदी जनसंख्या का वह हिस्सा है जो दो वक्त की रोटी यानि पचास रूपये प्रति दिन के आंकड़े से भी नीचे कमाता है। अगर 22 प्रतिशत आज की जनसंख्या का हम हिस्सा करें तो जिस वक्त राजस्थान प्रदेश बना था वह कुल उतना था, 22 प्रतिशत जितना आज बनता है। उस वक्त पूरे राजस्थान की जनसंख्या उतनी थी। आज 63 वर्ष के प्रजातंत्र के इतिहास के बाद में हम और आप यह महसूस करते हैं, चाहे किसी भी सरकार ने कितने भी कीर्तिमान क्यों न कर दिये हों लेकिन 1947 में जितने लोगबाग थे उतने लोगबाग तो आज पचास रुपये रोज की रोजी-रोटी भी नहीं कमा सकते। हम चिंतित हैं जब तक दो वक्त का खाना किसी के पेट में पहुंच नहीं पाये। चाहे किसी की भी सरकार रही हो, प्रजातंत्र के नाम पर हम चाहे कितनी ही दुहाई क्यों न देते हो, चाहे हम कितनी ही सीट जीत-जीत कर परिणाम क्यों न पैदा करते हों, आज भी 22 प्रतिशत का मतलब यह हो गया

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

कि कम से कम भी नहीं तो डेढ़ करोड़ लोगबाग राजस्थान में ऐसे हैं जिनको सुबह से शाम की रोटी के भी लाले हैं। अगर इस पचास को सौ रुपये कर दें जिसको हम यह कहते हैं कि दो डालर कर दें तो दो डालर करने के बाद में 63 फीसदी राजस्थान की जनता किसी न किसी ऐसे कष्ट को भोग रही है। ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, आदरणीय सभापति महोदय, ये आंकड़े स्वयं के हैं। क्योंकि हमारा सर्वोच्च दल और हमारी सरकार की जो चेयरपर्सन हैं, वह स्वयं इस बात को कहती हैं, यह बात मैं सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के आधार पर कहना चाहता हूं, "SC report jolts Sonia's anti-hunger scheme." सर, इस कष्ट को दूर करने के लिए पूरे देश को 22 हजार एक सौ करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। पूरी नरेगा की जो राशि है वह 41 हजार करोड़ है इस देश की, उस 41 हजार करोड़ में से तीन हजार करोड़ इससे पहले वाले वर्ष में और 2800 करोड़ इस वाले वर्ष में राजस्थान में आये हैं। अगर पूरे डिफेंस बजट को आधा कर दें तब भी यह राशि पूरी नहीं होती क्योंकि डिफेंस बजट एक लाख बयालीस हजार करोड़ का है, इसको आधा कर दें तब भी 46 हजार करोड़ रुपये बनता है। अगर इस राशि का निवेश केन्द्र और प्रदेश दोनों नहीं करेंगे, तब तक चाहे अमराराम जी बैठकर प्याज के बारे में बात कर लें, आप और हम बैठकर ओलावृष्टि के बारे में बात कर लें, गरीब की झोंपड़ी में तो अभी भी दीया जलता है। फ्लोटोसेंट लैम्प के आधार पर वहां अगर आप ट्यूब लाइट जलाना चाहते हैं तो ट्यूब लाइट तो दूर रही, अभी तो उसके पेट की आग को बुझाने की व्यवस्था भी आप में नहीं है।

आदरणीय, चाहे राजनीतिक दलों के महामंत्री हों, चाहे प्रदेश के अध्यक्ष हों, चाहे राष्ट्र के अध्यक्ष हों, सब इस बात का बखान करते हैं कि कैसे किसी दलित की झोंपड़ी तक गये, उस दलित की झोंपड़ी में बैठकर एक रात उन्होंने बिताई और दलित की झोंपड़ी में एक रात बिताने के बाद में उनको महसूस हुआ कि यह कितना गरीब और कितना कष्टदायक जीवन व्यतीत कर रहा है। आदरणीय, 63 वर्ष बाद में राजनीतिक दलों के महामंत्रियों को इतनी सुध आई कि उनको संसद से गरीब के घर तक पहुंचने में 63 वर्ष लग गये, उस गरीब की गरीबी हटाने में कितने वर्ष लगेंगे, यह आपकी और मेरी कल्पना के परे है। 63 वर्ष के अंतराल में हमारे वैज्ञानिकों ने इस पृथ्वी से चन्द्रमा तक का सफर पूरा कर लिया लेकिन कोई भी सरकार गरीब के घर के रास्ते का सफर अभी तक भी पूरा नहीं कर पाई। एक रात बिता कर हम उनके

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

आंसू पोंछने की कोशिश करते हैं लेकिन हृदय रो-रो कर अब तो उनकी आंखों में आंसू भी नहीं आते हैं। वह आंसू भी इसलिए बचा कर रखता है कि कहीं से अमराराम जी आएंगे और यह कहेंगे कि आंदोलन करना है तो आंसू पसीने के रूप में हम देंगे। और कभी प्रकृति अगर रूठ गई तो काश्तकार परिश्रम कर करके अपने पसीने की नमी से इस वसुंधरा को मजबूर कर देगा कि कम से कम तू तो मुझको अन्न का दाना दे। राज रूठ गया है लेकिन राम नहीं रूठा और राम ने न रूठने के प्रकृति के स्वरूप में हमें बरसात तो दे दी। राज्य अपनी पीठ थपथपा रहा हो तो एक अलग बात है। प्रकृति प्रवृत्ति में बदल गयी लेकिन राज्य की प्रवृत्ति में अभी तक कुछ हमको देखने को नहीं मिला है। मैं इस विषमता के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, अभी बहुत-सी बातें हो रही थी। मंत्रिमण्डल में से एक उद्योग मंत्रीजी भी यहां विराजे हुए हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): ...(व्यवधान) पूरा महकमा आपके हवाले कर दूं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं इस समय इस बात का, मंत्री महोदय, आपसे उत्तर नहीं चाहूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस पर मनन करें। निवेश के लिए मेरे साथी, मेरे मित्र केकड़ी से आने वाले सम्मानीय सदस्य कह रहे थे, लेकिन सर, आप ही के यहां से आरटीआई के स्वरूप में हमने यह इन्फार्मेशन ली है, कि दिसम्बर 2008 से लगाकर मार्च, 2010 तक कितने तो आपके पास में इण्डस्ट्रीज के प्रपोजल आये, उनमें से कितने आपने पास किये, कितने लग गये और आज क्या है। तो, आदरणीय, आपके पास में आये ही 16 प्रपोजल हैं और 16 प्रपोजलों में से सिर्फ एक पास किया हुआ है। बाकी का क्या हुआ, यह तो मुझे मालूम नहीं है। अब आप इसे अगर निवेश कहते हैं तो आप जानें, वर्ना यह आपके स्वयं का दिया हुआ प्रमाण पत्र है।

एक अभी, आदरणीय, शुद्ध के लिए युद्ध वाला बहुत बड़ा प्रकरण चल रहा था। अब मुझे यह तो नहीं मालूम लेकिन मैं आपको एक सर्कुलर का जिक्र करना चाहूंगा। 24 जनवरी, 2001 को नई दिल्ली से अर्द्धशासकीय पत्र निकला, जितने बैरल पाइन्ट्स हैं जिन बैरल पाइन्ट्स पर पैट्रोलियम उत्पाद की बिक्री होती है चाहे केरोसिन के रूप में होता हो, चाहे डीजल के रूप में होता हो, तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिए गए थे। अब आप और हम सब बैठे हुए हैं, बैरल पाइन्ट बंद हो गये हैं क्या? अगर किसी को इस बात के लिए जरा

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

भी अगर यह हो कि मैं गलत कह रहा हूं तो मैं उस चिट्ठी का क्रमांक नम्बर बताता हूं- डीओ/एनओपी-14011/6/2001 और साइन करने वाले हैं एस विजय राघवन। साफ लिखते हैं – "Further it has been brought to the notice of this ministry that in some cases the State Government have even given licenses for operating such firms and retail outlets which is in contravention to the provisions of Motor Spirit High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution & Prevention of Malpractices) Act, 1998."

सर, अभी सुबह-सुबह तो एक गृह मंत्री के बारे में बात की थी, अगर इस सर्कुलर की बात करें तो यह पूरी की पूरी सरकार ही इस गैरकानूनी धंधे में लिप्त है।

इसके अलावा भी, आदरणीय, मेरे को आप फर्मा देना जब मुझे कनक्लूड करना हो, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि हम सबने यह बात स्वीकार की कि जिस वक्त हमारी सरकार थी उस वक्त भी बिजली की आवश्यकता थी, पर जितनी होनी चाहिए उपलब्ध नहीं थी। हम से ज्यादा बार इनका सौभाग्य रहा कि इन्होंने सरकार चलाई और दो बहुत बड़े-बड़े नाम इस पूरे अभिभाषण में लिये। एक तो सीडीएम (क्लीन डवलपमेंट मैकेनिज्म) जिसको कार्बन क्रेडिट के लिए ये लोग बना रहे हैं, और दूसरा आपने नाम लिया कि हम सब दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्री कारिडोर लाएंगे। बहुत-से लोग बाग़ ने बात की। दिल्ली-मुम्बई कारिडोर कहां से लाएंगे, यह भी किसी को मालूम है? आज की तारीख में डीएमआईडीसी का अगर आप पूछें कि स्टाफ नैटवर्क क्या है तो वहां सिर्फ एक आदमी का स्टाफ है। पूरे डीएमआईडीसी ने अपना जितना भी काम है, आउटसोर्स कर रखा है। एग्रीमेंट वह आपसे कर रहा है और आप डीएमआईडीसी को गवर्नमेंट आफ इण्डिया मानते हैं। यह डीएमआईडीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। आप 40 से 46 किलोमीटर लैंथ का 46 प्रतिशत निवेश डीएमआईडीसी के नाम पर करना चाहते हैं। उद्योग मंत्री, आप तो खुद विराजे हुए हैं यहां, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि डीएमआईडीसी के पास में टैक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है चाहे आईटी से रिलेटेड कोई मैटर हो, एयरपोर्ट से रिलेटेड कोई मैटर हो, रेलवे से रिलेटेड कोई मैटर हो, किसी इलेक्ट्रोनिक उद्योग से रिलेटेड कोई मैटर हो, जिसका आपको वह है न एज आन अथोरिटी और इन्टरनेशनल कांस्टीट्यूशनल लेवल पर? आप कोई हो तो जवाब दे दें। जिसका स्वरूप एकमात्र नौकर वह भी आईएएस किसी डैपुटेशन पर आया हुआ हो, उसको आपने पूरी की पूरी धरोहर सौंप रखी है। आप यह

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

बात मानते हैं कि इस इण्डस्ट्रियल कारिडोर के डेढ़-डेढ़ सौ किलोमीटर दूर तक हम हब्स तैयार करेंगे। आपके पास गोचर भूमि तक तो रही नहीं, हब्स कहां से तैयार करोगे? काश्तकार की जमीन को अख्तियार कर आप तैयार करोगे? आप कहते हो, रेवेन्यू नहीं आया हमारे पास में, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं आपको कोल लिंकेज का तो पर्यावरण विभाग ने मना कर दिया कि कोल लिंकेज के साथ में अगर आप थर्मल प्लांट लगाते हैं तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। कोल आप इम्पोर्ट करिए। मुझे यह बात बताइए कि आप अगर उनको ठोक कर यह पूछते कि जो हमारा आयल दोहन हो रहा है, आज केयर्न और ओएनजीसी यह बात कह रही है कि जितने हमारे पास में कुएं हैं इससे दुगनी क्षमता का दोहन कर सकते हैं, कम से कम उस एनवायरमेंट मंत्री को यह तो कहते कि यह दोहन करने की हमको आज्ञा तो दो। अगर यह आज्ञा दे देते तो इस वर्ष में आपका 1 हजार करोड़ से ऊपर का निवेश और हो जाता। 1 हजार करोड़ ऊपर का निवेश ही नहीं होता, आपको रेवेन्यू होती रायल्टी की। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं क्योंकि आपके बगल में पर्यावरण मंत्री बैठे हैं, आपका जो एक्चुअल है, इस साल आपका अगर वास्तविक दोहन होता तो आपको 1700 करोड़ से ऊपर मिलने चाहिए। अब आप यह कहेंगे कि यह केन्द्र से संबंधित मामला है, तो आप जाने, आपकी क्या बात है। जिस वक्त आयल रिफाइनरी की कल्पना की थी उस वक्त ऑयल रिफाइनरी की लागत आ रही थी 17 से 19 हजार करोड़, आज ऑयल की रिफाइनरी अगर आप खुद ही लगा दोगे न, तब भी 25 हजार करोड़ रुपए लगेंगे। लेकिन आपको तो 1200 करोड़ की मैट्रो चलानी है। अगर आप रिफाइनरी लगा दोगे तो एक लाख आदमियों को सीधी नौकरी मिल जाएगी। बाड़मेर के अंदर रिफाइनरी भी आएगी, आपके निवेश से आएगी, लेकिन अगर आप वहां निवेश कर दोगे तो मैट्रो रेल कैसे चलेगी? मैट्रो रेल में एयरकंडीशन डब्बे के अंदर किसको आप घुमाओगे, यह तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जिस वक्त हमने इसका डीपीआर बनाया था, इसी मैट्रो कंपनी के पब्लिक रिलेशन आफिसर ने यह कहा था कि जयपुर में अब नहीं अगले बीस वर्ष तक भी मैट्रो के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। मैट्रो की लागत मालूम है आपको, कितनी आती है? अगर एलीवेटेड चलता है तो 110 करोड़ प्रति किलोमीटर और अगर अण्डर चलेगा तो 230 करोड़ प्रति किलोमीटर और दो लाख आदमियों की जरूरत है प्रति दिन This way, that way. तब जाकर इसकी इकोनोमिक्स आएगी। खुद यहां रोडवेज मंत्री विराजे हुए थे, शायद पधार गये, इनकी बसें ही आठ हजार आदमियों को ढोती हैं।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

इतने ही कम हैं तो दो लाख रातों रात तीन वर्ष में पैदा कहां से करोगे? या तो समाज कल्याण विभाग को बंद कर दो अगर आपने यही ठान रखी है कि दो लाख आदमियों को पैदा करके मैट्रो रेल चलानी है। यह सारा का सारा आंकड़ा मिथ्या है...(व्यवधान) मैं एक बार फिर निवेदन कर रहा हूं, आदरणीय, मैट्रो का वह 9 किलोमीटर के पैच का आंकड़ा दे रहा हूं, राजस्थान में बस चल रही है उसका आंकड़ा नहीं। मैट्रो सिर्फ महात्मा गांधी अस्पताल या सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया से हार्ट आफ सिटी में आएगी। वो बाड़मेर नहीं जा रही है, झालावाड़ भी नहीं जा रही है, सीकर भी नहीं जा रही है। वो आपके सिविल लाइन को भी टच करती हुई जाएगी। आठ हजार तो बीआरटीएस का वो आंकड़ा है जो इस पर प्लाई करता है और बीआरटीएस में हम यह मानते हैं कि मैट्रो जैसा ही कस्टमर या कम्प्यूटर प्लाई करेगा। ये आंकड़े हैं मैंने आरटीआई के माध्यम से लिये हैं। आप ही का डिपार्टमेंट है, आप ही की मैट्रो रेल है आप ही के ये आंकड़े हैं, दोनों विभाग आपके हैं इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं।

एक बात मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं, स्पिरिट के बारे में जो मैंने अभी निवेदन किया कि ये कैसे पैट्रोल पम्प का है और कैसी चीज का है, अगर आपको रेवेन्यू बढ़ानी है, आप मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ सदस्य हैं आज भी आपने पैट्रोल पम्प लगाने को सब्सिडाइज क्यों कर रखा है? आपको मालूम है क्या कि पैट्रोल पम्प लगाने के लिए कन्वर्जन चार्जेज सब्सिडाइज्ड हैं? यह लॉ उस वक्त बना था जब दूरदराज के गांवों के इलाकों में पैट्रोल पम्प नहीं होते थे। यह तब बना था जब आपने बैरल पाइंट बनाये थे। बैरल पाइंट पर डिस्पेंसिंग यूनिट ढंग से शुद्ध चीज नहीं दे सकती थी तब एक लॉ आया था, तब आपने सब्सिडाइज किया था कि अगर कोई सिनेमा हाल एंटरटेनमेंट के लिए बनाएगा तो हम सब्सिडाइज करके देंगे, पैट्रोल पम्प लगाएगा तो सब्सिडाइज करके देंगे। अब तो कंपनियां खुद लगा रही हैं, बड़े-बड़े लगा रही हैं दो-दो बीघा के अन्दर, आप उनसे कम से कम कन्वर्जन का रेवेन्यू तो वसूल करें। आपने अब तक क्यों सब्सिडाइज कर रखा है? पूरा का पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट का लवाजमा लेकर बैठे हैं, ये आये दिन आम आदमी पर टैक्स लादते रहते हैं, इनको यह नहीं मालूम? उनकी नाक के नीचे बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बड़ी-बड़ी आयल कंपनियां जो आपसे कह रही हैं कि हमको कन्सेशन दो तो हम रिफाइनरी लगाएंगे, आपका दिया हुआ कन्सेशन जो ले सकते हैं, वो तो वापस ले लो। रेवेन्यू का मामला है। मैं यह नहीं कह रहा कि आप रेवेन्यू

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

अर्न करें, न करें, लेकिन मुझे आपकी माली हालत तो ऐसी लगती है कि आपको रेवेन्यू तो अर्न करनी पड़ेगी।

आदरणीय, हालांकि मैं समय आपसे ज्यादा ले रहा हूं लेकिन एक बात मैं बहुत सत्यता से आपके बीच में प्रकट करना चाहता हूं कि हम एनर्जी स्टावडर्स स्टेट हैं, हमको एनर्जी की आवश्यकता है। अब आप कहेंगे कि आपने जिक्र कर दिया। लेकिन आपने एक चीज का जिक्र नहीं किया कि आपके और केन्द्र के बीच में न्यूक्लियर एनर्जी का करार भी हुआ है, परमाणु रियेक्टर आप लगाना चाहते हैं। आपका एक परमाणु रियेक्टर तो रावतभाटा में लगा हुआ है, वहां से आने वाले हमारे दो सम्माननीय सदस्य भी यहां हैं। अब आप यूरोपियन टेक्नोलोजी पर रियेक्टर लगा रहे हैं। ऐसा ही रियेक्टर महाराष्ट्र में जैतपुरा में लगने जा रहा है और पूरी वहां की जनता उस रियेक्टर के खिलाफ है। मैं यह नहीं कहता कि न्यूक्लियर एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, न्यूक्लियर एनर्जी को अगर आप सिविल एनर्जी में इस्तेमाल कर रहे हैं, पोकरण-1 और पोकरण-2 राजस्थान की नहीं पूरे देश की सिक्योरिटी का मामला था इसलिए राजस्थान ने स्वीकार किया कि इसके चाहे पर्यावरण पर कितने भी दुष्परिणाम क्यों न हो लेकिन राजस्थान की और राष्ट्र की अखंडता का सवाल है। राजस्थान के चरित्र में यह बात नहीं थी कि इस बात पर उंगली उठाता इसलिए राष्ट्र के हित में हमने उस पोकरण ब्लास्ट स्वीकार किया कि हमारी सैन्य शक्ति बढ़े। लेकिन अगर आप बिजली पैदा करने के लिए न्यूक्लियर रियेक्टर ला रहे हैं तो न्यूक्लियर रियेक्टर ही नहीं ला रहे हैं, न्यूक्लियर पदार्थ का वेयरहाउस सिर्फ एक जगह है वो हैदराबाद में है, आपके मुख्य मंत्रीजी यह बात भी कर रहे हैं कि एक वेयरहाउस राजस्थान में भी खोलेंगे। पर मैं इतिहास बता देना चाहता हूं, वर्ल्ड इन्फार्मेशन सर्विस आन एनर्जी एक बहुत बड़ी संस्था है जिसने यह लिखा है कि रावतभाटा का जो न्यूक्लियर रियेक्टर है वो लगा था 1973 में और पोकरण फर्स्ट ब्लास्ट हो गया था 1974 में । आप रियेक्टर कनाडा से लेकर आये थे, जब आपने 1974 में ब्लास्ट कर दिया तो वहां से सर्विस का जो आपका कांट्रेक्ट था, रखरखाव का, वो फेल हो गया। ढाई सौ बार तो दस वर्ष में वो बंद हो गया। बंद क्यों होता है? या तो उसमें कोई लीकेज हो जाता है या उसके टरबाइन में सीपेज आ जाता है। सीपेज आ जाता है, का मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैवी वाटर सीपेज कर जाता है। कहां जाता है? रावतभाटा में। रावतभाटा का पानी

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

कहां जाता है? किसी किसान के कुए में। किसान के कुए का पानी कहां जाता है? या तो आपके खलिहान में जाता है या पीने के काम आता है। आदरणीय, वाइस (WISE) की रिपोर्ट है जो 92-93 में इन्होंने दी जिसे 1993 की तत्कालीन सरकार ने उदयपुर सीएमएचओ को भेजा और चित्तौड़गढ़ सीएमएचओ को भेजा। दोनों की रिपोर्ट आयी। वह रिपोर्ट कहां पड़ी हुई है, आज तक नहीं मालूम। हम पर्यावरण सुधार की सीडीएम के माध्यम से बात तो कर रहे हैं लेकिन हम आम जनता को कम से कम यह भरोसा भी दिलाएं कि अगर रियेक्टर लगे और एनर्जी के लिए लगे तो आम आदमी के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होने देंगे। पूरे परीक्षण के साथ में, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, उनकी हैल्थ की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हम करेंगे।

आखिरी चीज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप तस्करी की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। आदरणीय उद्योग मंत्री महोदय, आपकी नाक के नीचे हो रहा है काम जिस जिले से आप पधारते हैं। अजीतगढ़ का आप अभी उदाहरण दे रहे थे, एक रींगस में भी है। किस नंबर से एफआईआर है, किस ट्रक से गयी है, पैसा लेने वाला फर्जी, परमिट बनाने वाला फर्जी। जहां से पैसा आया, जिस खाते में गया, मध्य प्रदेश में, वो फर्जी। आदरणीय, मैं यह तो नहीं कहना चाहता कि सरकार भी फर्जी, मगर यह चीज कम से कम आपकी नाक के नीचे न हो, कम से कम आपके गृह जिले में तो न हो। अपना घर सुधार कर, जिला सुधार कर हम प्रदेश सुधारने की बात तो करते हैं लेकिन इस बात का तो आप दिलासा दिलाइये कि ऐसा करने वाले किसी भी आदमी को, ट्रस्ट को, संस्था को, कंपनी को, समूह को हम नहीं बख्शेंगे। अगली बार आप यहां अवतीर्ण हों और कुछ बात अपने श्रीमुख से फर्माएं तो कम से कम इस बात की तो आप पुख्ता व्यवस्था करिये कि सही को सही मिलेगा, वर्ना अमीन खान जैसे कई लोगबाग धराशायी हो जाएंगे।

मैं आखिरी में एक बात और आपसे निवेदन करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आदरणीय, बहुत बात हो गयी कि हमारा बजट कैसा होना चाहिए। आपका कानून आपको तीन चीजों के लिए बाध्य करता है। जिस वक्त हमारी स्वास्थ्य नीति बनी थी, 2002 में केन्द्र ने उसको पारित किया, 2003 में आपकी सरकार थी, आपने उसको स्वीकार कर लिया। उसमें साफ लिखा था कि राजस्थान के जीएसटीवी का तीन परसेंट हिस्सा हम स्वास्थ्य

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

सेवाओं में देंगे या अपने बजट का सात परसेंट हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं में देंगे। आप बार-बार कह रहे हो कि पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है। यह तो एक्ट है आपका। आप कल को एजुकेशन एक्ट लाना चाह रहे हैं, एजुकेशन एक्ट तो आप तब लाओगे न जब आपकी शिक्षा नीति बनाओगे। 1994 से सीएजी चिल्ला-चिल्ला कर कह रही है, कंपट्रोलर एंड आडिटर जनरल, कि राजस्थान की कम से कम एजुकेशन पालिसी तो बनाओ। वर्ना कैसे सर्व शिक्षा अभियान को पूरा करोगे? अब तो केन्द्र ने भी कानून बना दिया। आप शिक्षा नीति बना नहीं पाये, आपको जो पैसा खर्च करना था वो नहीं कर पाये। आपकी हालत यह है कि आपके बच्चों में से 51 प्रतिशत बच्चे या तो कुपोषित हैं या तो वो स्टंटेड हैं या वो वेस्टेड हैं या वो बीएमआर रेशो में नहीं हैं। हद तो तब हो गयी जब कुछ दिन पहले किसी एक ब्लड डोनेशन कैंप में मैं गया, जितनी बच्चियां, आदरणीय सभापति महोदय, वहां ब्लड डोनेट करने आयी थीं, एक को भी उन्होंने ब्लड डोनेशन लायक नहीं माना। सारी एनिमिक थीं, उनका हीमोग्लोबिन वीक था। हमको 6 करोड़ जनसंख्या दिख रही है राजस्थान की, तो वो कोई बहुत स्वस्थ जनसंख्या नहीं है। मेरा मकसद न तो किसी की आलोचना करना था न मेरा मकसद किसी के मन को दुखाना था, मेरा कार्य सिर्फ इतना-सा था कि वास्तविकता से हम सब साक्षात्कार करें और आम आदमी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए ऐसा कुछ काम करें जिससे उसके आंसूं न आएं, कम से कम एक बार वो मुस्करा तो दे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री करण सिंह राठौड़।

श्री करणसिंह (छबड़ा): आदरणीय सभापति महोदय, राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पक्ष में मुझे बोलने का मौका मिला...

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): मन से नहीं बोल रहे हैं।

श्री करणसिंह (छबड़ा): बिलकुल मन से बोलूंगा, आप सुनते रहना। मैंने विपक्ष के तीन वरिष्ठ नेताओं के भाषण सुने, उनमें राव राजेन्द्र सिंह जी साहब का जो स्पीच था उसमें कुछ दम नजर आया, बाकी धूल में लट्ठ नजर आया। मेरे वरिष्ठ भाई तारानगर से आने वाले राजेन्द्र सिंह जी राठौड़ और बहरोड़ से आने वाले दोनों की स्पीच को मैंने गंभीरता से सुना है, मगर जो कुछ आपने सरकार के खिलाफ बोलने का प्रयास किया, उसमें कोई खास दम

(श्री करणसिंह)

नहीं था। अभी आपकी सुस्ती मिटी नहीं, आपने जिन बिन्दुओं पर ध्यानाकर्षण करके और हमारे मुख्य मंत्रीजी को हमारी सरकार को घेरने का जो प्रयास किया है, उसमें अभी आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। हमारे मुख्य मंत्री जी की सोच, हमारी सरकार की सोच और इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर जो तथ्य प्रकट किये गये हैं उनके अनुसार हमारी पालिसी हमारी नीति गांव, गरीब और असहाय जिसको आज तक किसी ने नहीं पूजा है उसको पूजने की किया है। गरीब की झोंपड़ी की बात चली तो पिछले पांच वर्ष के शासन में मुख्य मंत्रीजी ने गरीब की झोंपड़ी में जाकर आंसू पोछने का प्रयास किया हो तो वह भी रिकार्ड आप साबित कर दें। हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब पिछली गवर्नमेंट के समय में शाहबाद जाकर सहरियाओं के बीच दीवाली मनाते हैं। अभी हमारे साथी शिवाराम के घर चले गये, वह भी आपको अच्छा नहीं लगा। किसी दुर्घटना में हमारे मुख्यमंत्री जी शोक प्रकट करने जाते हैं, वह आपको अच्छा नहीं लगता है। किसी मौत-मरण में हमारे मुख्य मंत्रीजी बैठने जाते हैं, वह भी आपको अच्छा नहीं लगता। हमारी सरकार जमीन से चलती है, और, राठौड साहब, आपकी सरकार हवाई जहाज से चलती थी, आपकी सरकार हैलिकाप्टर से चलती थी। आपकी सरकार रैंप पर चलती थी और हमारी सरकार सड़क पर चलती है। इसलिए आपने जितने भी आरोप लगाये हैं कि चापलूसी, जय सोनिया माता कहते हैं, हम सोनिया माता कहते ही नहीं हैं। हमारी सोनिया गांधी नेता हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं ...(व्यवधान) आप तो पुराने नेता हो, यह अलग बात है। ये आपके संस्कार हैं, यह हमारे संस्कार नहीं हैं। आपके नेताओं ने आपके मुख्य मंत्री को माता मानकर पूजा की थी, उससे चापलूसी सिद्ध हुई। उसको दुर्गा का रूप दिया। हमारे नेताओ ने किसी को, सभापति महोदय, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कृपया व्यवधान नहीं करें, हमारे नेताओं ने माता नहीं माना है, हमने सोनिया को नेता माना है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अगर मंत्री बनना है तो मान लो, नहीं तो अमीन खान वाला हाल हो जाएगा।

श्री करणसिंह (छबड़ा): ...(व्यवधान) पूरे मंत्रियों ने मुख्य मंत्री की तस्वीर लगा कर दुर्गा माता मान कर पूजा की थी। दुर्गा माता की पूजा करने वालों ने राजस्थान में जो भ्रष्टाचार मचाया और जो गोलियां चलाईं, जो

(श्री करणसिंह)

अराजकता का माहौल बनाया। जनता का आप पर से विश्वास हट चुका था। अभी राव राजेन्द्र साहब बोल रहे थे कि जनता को राजा पर विश्वास होना चाहिये और राजा को जनता पर विश्वास होना चाहिये। उस समय न राजा को जनता पर विश्वास था और न जनता को राजा पर विश्वास था। राजा को लोग ढूंढते रहते थे, राजा मिलते नहीं थे और आप लोग मस्त रहते थे। राव राजेन्द्र साहब और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठे हैं, इनका दम घुटता था। आने वाले समय में भी आपका दम घुटेगा, अच्छे लोगों का दम घुटेगा। भवानी सिंह जी की पगड़ी चमकती रहेगी, मगर दूसरों का दम घुटेगा। कांग्रेस के शासन में, हमारे मुख्य मंत्रीजी के शासन में हमारी पगड़ी नहीं चमकती है, हम गांव और गरीब की सेवा करने के उद्देश्य से राजनीति में आये हैं। हमारे मुख्य मंत्रीजी की सोच गांधीवादी है। इसलिए आज आपने जो-जो आरोप लगाये हैं, वे कहीं फिट नहीं होते।

मैं एक-एक पाइंट पर बात करना चाहता हूं। आप विद्युत क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। विद्युत की उत्पत्ति आपके समय में क्या हुई? आपने किसानों की जमीनें कौड़ियों के भाव में ले लीं। मेरे छबडा में भवानी सिंह जी से मैंने कहा, इन्होंने प्रयास भी किया उस समय इसके लिये मैं उनकी तारीफ करता हूं। मुख्य मंत्रीजी से मिलाने का प्रयास किया। किसानों को क्या मुआवजा दिया आपने, 35 हजार रुपये बीघा। अभी बहरोड से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे कि अलवर में किसानों की जमीन जा रही है, गरीब लुट रहे हैं। हमने गरीब को लुटने ही नहीं दिया, अभी हमने जमीनें लीं कहां? हमने जमीनें ली हैं तो ढाई लाख, तीन लाख रुपये किसानों को मुआवजा दिया है जो इतिहास में आज तक किसी ने नहीं दिलाया है। न किसानों को लुटने दिया, न गरीब को लुटने दिया है। आपने गरीब को लूटा भी है और भ्रष्टाचार की जो लूट मचाई है, वह तो बात ही अलग है। हम तो 90-बी जानते ही नहीं थे कि 90-बी क्या होती है। हम तो विधायक बनने के बाद पहचानने लगे कि 90-बी क्या होती है। मैं अपनी बात को पाइंट-टू-पाइंट करूंगा, यह बिजली की बात मैंने कर दी अब 90-बी की बात कर रहा हूं। भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, कांग्रेस में एक आदमी की हिम्मत नहीं है जो भ्रष्टाचार कर दे। हमारे कांग्रेस का कल्चर नहीं है भ्रष्टाचार करने का और हमारे कांग्रेस में अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो आप दो साल में प्रकट कीजिए। आपके मंत्री लोग, आपकी पार्टी के लोग 5-5 हजार करोड के भ्रष्टाचार आरोप लगाते रहे, हमारे किसी नेता ने और आपने आज तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): कल प्रधान मंत्री जी ने खुद प्रेस कांफ्रेस में माना है कि भ्रष्टाचार हुआ है।

श्री करणसिंह (छबड़ा): आप इसीलिए उधर जाकर बैठ गये। पर आपका भविष्य खतरे में ही है। भ्रष्टाचार के मामले में हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे कांग्रेस के विधायक परेशान हैं, आप क्या बात करते हो। हमारे कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है अगर कोई भ्रष्टाचार करता है, हमारे मुख्य मंत्रीजी उसको सस्पैंड कर देते हैं। इसलिए आपको कहीं बोलने का अधिकार नहीं है। आपके चरित्र में और हमारे चरित्र में रात-दिन का अंतर है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): कितने सस्पैंड किये अब तक, यह तो बता दो?

श्री करणसिंह (छबड़ा): मैं जो बोल रहा हूं उसका जवाब आप देते रहना। पंचायती राज को मजबूत हमने किया। एक असहाय, अनाथ बच्चा जिसके मां-बाप नहीं होते थे, जिसका बाप मर जाता था और मां नाते जाती थी, उसको पेंशन किसने दी? किसने उसको पालने की कोशिश की? दो रुपये किलो गेहूं किसने दिये है, गांव के गरीब को कच्चे मकान बनाने के पट्टे किसने दिये हैं? गांव के आदमी को आजादी से लेकर आज तक कभी मकान का पट्टा नहीं मिला यह हमारे मुख्य मंत्रीजी ने सोचा है। इसलिए भू माफिया और पूंजीपति लोग हमसे नाराज है और आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादातर उसमें इन्वाल्व हैं। इसलिए मैं आप सब से निवेदन करना चाहता हूं, हमारी सरकार पर कोई एलिगेशन नहीं है। आपने जितने भी पाइंट बोले हैं, शुद्ध के लिये युद्ध, क्या आप मिलावट का सामान खिलाना चाहते हो? क्या आप काम नहीं करना देना चाहते हो? शुद्ध के लिये युद्ध करने से जनता को कितना आराम मिला। एक चोरी करने वाले, मिलावट करने वाले पर अंकुश हुआ, या तो हम काम ही नहीं करें। आपके राज में उन लोगों ने खुली लूट मचाई, उसको ठीक करने में हमें समय लग रहा है। आप एक-एक पाइंट को उठा कर हमसे बात कीजिए, आपका मामला कहीं भी फिट नहीं होता हमारे सामने । आपके कटारिया जी और तिवाड़ी साहब बैठे हैं इनका सिर उस समय शर्म से नीचे होता था, आज कम से कम सिर ऊंचा करके तो बैठे हुए हैं। (व्यवधान) उसकी बात भी हम करेंगे, पिसाई की रेट का ठेका भी आपके लोगों ने ले रखा है। (व्यवधान)

मैं अभिभाषण पर बोल रहा हूं, हमारे मुख्य मंत्रीजी के द्वारा 10 नवम्बर से प्रशासन गांवों की ओर जो अभियान चलाया गया, उसमें पूरे गांव

(श्री करणसिंह)

और गरीब जनता का विश्वास जागा है कि हमारी कोई सुनने वाला आया है। उसके आप परिणाम देखिए। अभी लोग बोल रहे थे कि आपने जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया, जाति प्रमाण पत्र बनाया। एक निःशक्त आदमी, लूला लंगड़ा पहले डाक्टर के पास जाता था, फिर तहसीलदार के पास जाता था फिर उसका सर्टिफिकेट बनता था, वह महान पुण्य का काम हमने किया है। सारे लूले-लंग, नि:शक्तजनों का सर्टिफिकेट बना कर उनके कल्याण की बात की है। आपने कभी इन बातों को सोचने का प्रयास नहीं किया है। आपके भी कोई ऐसा होगा उसका भी सर्टिफिकेट हमने ही बनाया है, पहले नहीं बन पाया उसका सर्टिफिकेट। सारे कल्याण के काम हमने किये और सारे उलटे-सीधे काम आपने किये। अभी जनता भूली नहीं इन चीजों को। हमने गांव के उत्थान के लिये ... (व्यवधान) हां विकलांग कह दो, नि:शक्तजन कह दो और आपमें कोई हो तो वह बता दो। शराब के लिये हमने नीति में परिवर्तन किया, आपके समय में क्या हाल था शराब का? सारे बड़े-बड़े बदमाश, भू-माफिया जो शराब के थे, उलटे सीधे काम करते थे। हमने उस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया, वह आपको बुरा लगा क्योंकि आपकी शराब संस्कृति थी। पहले क्या होता था? रैंप शो, पुष्कर में डांस होते थे, हमारे दो साल की सरकार में ऐसा कुछ हुआ क्या। एक भी बुरा काम आप मुझे बता दें, मैं आपसे सब तरह से बहस करना चाहता हूं। अभी आपने हमारे अमीन खान जी के बारे में सुना इतने वर्षों तक मंत्री रहने के बाद इतना ईमानदार आदमी आप में कोई हो तो बता दो मुझे। हमारे यहां कांग्रेस कल्चर के ऐसे आदमी बैठे हुए हैं जिनका आजादी के प्रति और देश भक्ति के प्रति रग-रग में प्रेम भरा हुआ है। आपने न आजादी देखी न आजादी के प्रति आपका योगदान रहा है, इसलिए आपकी राष्ट्र भावना हो ही नहीं सकती है। आप तो मंदिर और मस्जिद के माध्यम से दंगा करा कर सत्ता में आना चाहते हैं और अभी सत्ता में नहीं होने के कारण आप अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। गुर्जरों की कितनी बहन-बेटियों का, मांओं का सिंदूर गया? कितनी बहनों की कोख खाली हुई है? हमारे मुख्य मंत्रीजी ने गुर्जर आंदोलन को जिस तरह निपटाया, वह इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा- न गोली चलाई, न लाठी चलाई, न डंडा चलाया और आपके बीजेपी के कार्यकर्ता गुर्जरों में घुस कर आंदोलन को बिगाड़ने के लिये हिंसा फैलाना चाहते थे जिसको हमारे मुख्य मंत्रीजी ने सहजता से निपटाने का प्रयास किया। इसको कहते हैं राजा। राजा विक्रमादित्य, राजा अशोक। अब आप किसी को भी

(श्री करणसिंह)

राजा बना दोगे तो काम नहीं चलेगा। राजा के गुण होने चाहिये, राजा संस्कारित होना चाहिये। अगर राजा संस्कारित नहीं होगा तो प्रजा डूब जाएगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान) चक्रवती अशोक है या राजा अशोक है।

(18.00 बजे)

श्री करणसिंह (छबड़ा): राजा संस्कारित होगा, राजेन्द्रजी राठौड़ साहब, तो ही राज चलेगा। अगर राजा संस्कारित नहीं होगा तो प्रजा डूब जाएगी। हमारा राजा संस्कारित है, गांधीवादी है, सिद्धान्तवादी है। हमारी भी वाजिब बातों को मानते हैं, वर्ना हमको भी डांट लगाते हैं। आपके यहां राजा कहां था? राजा का पता नहीं, प्रजा बेचारी ढूंढती रहती थी। पता नहीं, क्या हाल था। 8 पी.एम. और वह सब भूल गये, वे सारी बातें। उनको बार-बार कुरेदने से कोई मतलब नहीं है। अभी आपको जोर से बोलने का कोई अधिकार नहीं है, अभी आपकी स्थिति बनी नहीं। आप कह रहे हो कि ब्यूरोक्रेट्स हावी हैं, मंत्रियों की सुनते नहीं हैं। आपके टाइम पर क्या हाल था कटारिया साहब का, जो मिनिस्टर बैठे हैं? घनश्याम तिवाड़ीजी का क्या हाल था। वह सेज के लिये रोते रहे, जमीन लेते रहे। क्या हुआ सेज का? एक तो चीज आप बता दें हमको कि आपकी क्या उपलब्धि रही है। आपकी उपलब्धि रही है भ्रष्टाचार, अराजकता और भय। मेरे छबड़ा क्षेत्र के अन्दर गरीबों को असत्य मुकदमों में फंसाया जाता था, लोग डरते थे। मैं भवानीसिंहजी को चुपचाप फोन करता था, थोड़ी मदद करो, यार। तो इनसे थोड़ी बात करके बचता था मैं। राजेन्द्रजी राठौड़ साहब की मेहरबानी थी नहीं उस टाइम पर। सरकार किसी की आए, किसी की जाए, हमें अराजकता और भय पैदा नहीं करना चाहिए। पूरे राजस्थान में भय था। बल्कि बी.जे.पी. के नेता भी भय से डरा करते थे। प्रहलाद गुंजल का क्या हाल किया? जगन्नाथ वर्मा का क्या हाल किया? कई नेताओं को निपटा दिया 2-5 लोगों ने। मजे लेने वाले मजे लेते रहे। कटारिया साहब भी डरे। इसलिये आप सबकी स्थिति वह है। मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि कई तरह के मुद्दे और भी लोग बोलेंगे। मुझे प्रसन्नता है हमारे मुख्य मंत्रीजी पर, गर्व है मुझे इस सरकार पर और मेरे विधायक बनने पर मुझे खुशी है कि मैंने आज तक ऐसी कल्याणकारी योजनाएं कभी नहीं देखीं। हो सकता है, कुछ कमियां हों, जैसा राव राजेन्द्रसिंहजी ने कहा है कि आज भी गांव के गरीब के पास आटा नहीं होता है। तो है, उसको टाइम लगेगा, सुधारना पड़ेगा हमको, सोचना

(श्री करणसिंह)

पड़ेगा। अभी अनिवार्य शिक्षा कानून बन गया है। कल उसका लोगों ने विरोध किया है। अनिवार्य शिक्षा कानून बनने से आपको मालूम है, क्या होगा? 2-3 साल बाद जाकर देखिये, हर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप होगा। केन्द्र से पैसा आएगा। आपके घनश्याम तिवाड़ीजी ने कहा है कि उस कमेटी में मैं भी था और मैंने इसमें साइन किये हैं। मैंने प्रपोजल दिया है उसका। आपके लोग वहां विरोध कर रहे थे। तो झूंठ-मूठ विरोध करने का कोई महत्व नहीं है। राजनीति करने वाले सारे लोग अपने सीने पर हाथ रखकर देखें, कौन आदमी कितना दमदार है और किसके क्या हालात हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 2-3 सालों में हम आ जाएंगे।

श्री करणसिंह (छबड़ा): आपका तो मालूम है। आपकी भी हालत क्या थी? आपने जो काम किये, वे लिख आये हो, आप बेटी को पास करवाने के लिये गड़बड़ की जो। सारे पाप में उलझ गये। सिर्फ 2-4 आदमी बचे थे, कटारियाजी और आपके तिवाड़ीजी, बाकी सब लोगों का क्या हुआ? आपका ठीक-ठाक मामला था, पर बाद में गड़बड़ कर दी आपने। मैं मुख्य मंत्रीजी के द्वारा, सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का और इस अभिभाषण का जोरदार समर्थन करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि जो हमारी जन कल्याणकारी नीतियां हैं, उनका आप समर्थन करें, सहयोग करें, ऐसी सरकार आपको मिलने वाली नहीं है, इसी प्रकार आपका समय निकल जाएगा। जय हिन्द, धन्यवाद।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): आप ऐसे ही सरकार चलाते रहें, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री भवानीसिंहजी राजावत।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): भवानीसिंहजी, आपकी तो बिलकुल कड़ी खराब कर दी इन करणसिंहजी ने। जो मिलावट का नमूना आप दोनों की राजनीति का पता चला है, आने वाला समय आपके लिये बहुत कठिनाई वाला होगा।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय सभापति महोदय, जैसी इस सदन की परम्परा है उस परम्परा के अनुरूप महामहिम राज्यपाल महोदय ने सरकार की भावनाएं और हम सबको भ्रमित करने वाला अभिभाषण इस सदन में पढ़ा और हमारे बीच में रखा। आज जब से वाद-विवाद शुरू हुआ है तब से हम सभी इस निरर्थक अभिभाषण पर चिन्तन, मनन और मंथन कर

(श्री भवानी सिंह राजावत)

रहे हैं। इस बात का विश्लेषण भी कर रहे हैं कि सरकार की कथनी और करनी में कितना अन्तर है। केकड़ी से आने वाले माननीय विधायक रघुजी ने कुछ पाने के लिये बहुत महिमामण्डन किया सरकार का। लेकिन कथनी और करनी हम सभी सदस्यों के बीच में है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मैं तो देने वालों में हूं इधर। यह हैसियत आपकी बनेगी नहीं इस राजनीतिक जीवन में।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): सभापति महोदय, यह विश्लेषण करना इसलिये भी आवश्यक है कि अभिभाषण का दस्तावेज, सरकार की इच्छा -शक्ति का आईना होता है। माननीय सभापति महोदय, यह जानना आवश्यक है कि अब तक सरकार ने क्या किया और सरकार की भावी योजनाएं क्या हैं। इसलिये यह एक महत्वपूर्ण विजन डाकूमेंट है। इस अभिभाषण पर हम सार्थक वाद-विवाद कर रहे हैं और यह लोकतंत्र की और इस सदन की स्वस्थ परम्परा भी है। लेकिन यथार्थ के धरातल पर खड़े होकर अगर हम आत्मचिंतन करते हैं और सरकार की दिशा और दशा पर ईमानदारी से कहीं विश्लेषण करते हैं तो सरकार की दिशा और दशा, सभापति महोदय, यहां पर बैठे कुछ लोगों को छोड़कर सबको निराश करने वाली है। दो साल पहले भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो राजस्थान निरन्तर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए उन्नति के शिखर पर पहुंचा, वह राजस्थान आगे बढ़ता हुआ ठहर क्यों गया, रुक क्यों गया, यह बात आज सभी के मन-मस्तिष्क को झकझोरती है। दो साल पहले के शासन में तत्कालीन मुख्य मंत्री और राजस्थान की लोकप्रिय जननायिका आदरणीय वसुंधराजी ने जो पहले का इनका शासन था, कांग्रेस शासन था, कंगाल शासन था, उस कंगाली के कलंक को राजस्थान के माथे से धोकर, राजस्थान के माथे पर जो खुशहाली का चंदन लगाया, पूरे राजस्थान में उसकी खुशबू फैली। देश और दुनिया में राजस्थान का नाम आलोकित हुआ। माननीय सभापति महोदय, जो नरेगा योजना आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गयी है, उसी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में पूरे हिन्दुस्तान में राजस्थान अव्वल आया। चिकित्सा या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण विकास का क्षेत्र हो या ऊर्जा और विद्युत का क्षेत्र हो, पूरे देश में हम अग्रणी रहे। शैक्षणिक जगत में तो, पूर्व शिक्षा मंत्री घनश्यामजी भाई साहब बैठे हैं, पहला उदाहरण है आजादी के बाद राजस्थान का कि शैक्षणिक जगत में क्रांति का सूत्रपात करते हुए हमें राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड मिला, पुरस्कार मिला। निवेश की बात कर रहे थे

(श्री भवानी सिंह राजावत)

केकड़ी से आने वाले माननीय विधायक रघुजी, उनकी पोल खोली माननीय विधायक राव राजेन्द्रसिंहजी ने।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): कहां पोल खोली?

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): निवेश पहली बार राजस्थान की धरती पर हुआ तो रिसर्जेण्ट राजस्थान में एक लाख 62 हजार करोड़ के निवेश का एम.ओ.यू. हुआ, राजस्थान में औद्योगिक क्रान्ति का सूत्रपात हुआ। निवेश करने वाले उद्यमी और व्यवसायी जो आतुर थे यहां पर उद्योग लगाने के लिये, व्यवसाय चलाने के लिये, आज वे पलायन करके क्यों जा रहे हैं राजस्थान की धरती से? यह चिन्ता का विषय है पूरे राजस्थान के लिये। माननीय सभापति महोदय, कौन जिम्मेदार है उसके लिये। राजस्थान जो प्रगति के पथ पर ऊंचा चढ़ा था, कहीं शिखर पर था, आज लुढक कर नीचे आ गया। यह ठहराव क्यों आ गया और यह राजस्थान रुक क्यों गया। यह विकास ठप्प क्यों हो गया। एक ही आवाज आती है, राजस्थान को रोका है तो सत्ता में बैठे लोगों ने रोका है, कांग्रेस सरकार ने रोका है। पूरे हिन्दुस्तान में जहां राजस्थान का नाम आलोकित था, आज राजस्थान का कहीं नाम नहीं है। कई प्रदेश जो हमसे पिछड़े हुए थे, वे प्रदेश आगे बढते जा रहे हैं, हम पिछड़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा कोई अगर जिम्मेदार है तो सरकार के मुखिया, राजस्थान के मुखिया, राजस्थान के मुख्य मंत्री जिम्मेदार हैं।

माननीय सभापति महोदय, कदम-कदम पर लाचारी, बेबसी, असहायता प्रगट करना। मनोबल गिरता है, सत्ता में बैठे लोगों का भी गिरता है और राजस्थान का भी मनोबल गिरता है। भ्रष्टाचार, केन्द्र में तो इनकी सरकार में है ही। बड़े-बड़े घोटाले आज तक नहीं हुए, हिन्दुस्तान दुनिया में आज घोटालों के देश के रूप में जाना जाने लगा है। 2-जी स्पैक्ट्रम घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला और अब तो इसरो का घोटाला, दो लाख करोड़ का घोटाला। भ्रष्टाचार से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा है। माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान में भ्रष्टाचार की बेल अमर बेल होती जा रही है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री कहते हैं, फख्र से कहते हैं कि हां, भ्रष्टाचार है। प्रशासन में भ्रष्टाचार है। शासन में भ्रष्टाचार है। यहां तक स्वीकार करते हैं कि अब तो नरेगा जैसा भ्रष्टाचार सार्वजनिक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) में भी आ गया है। अफसोस होता है। चकित होता है पूरा राजस्थान उनके इन बयानों को पढ़कर, उनके इन उद्गारों को सुनकर।

(श्री भवानी सिंह राजावत)

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने एक बार तो ऐसी लाचारी प्रकट की कि पूरा राजस्थान चकित रह गया। कहने लगे कि निजी अस्पताल मौत बांटते हैं। निजी अस्पतालों में मरीज को मौत के बाद भी वेंटिलेटर पर डाल दिया जाता है। यहां तक ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, वह कहते हैं कि मरीज के परिजनों को लाश भी बिना पैसे लिये नहीं दी जाती। अभी जब शराब दु:खांतिका हुई, शराब दु:खांतिका के बाद राजस्थान की जनता को लगा था कि कोई कठोर कार्यवाही होगी। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने जो उद्गार प्रकट किया, उन्होंने कहा, वह कहने लगे कि शराब माफियाओं से हमारी पुलिस मिली हुई है। किसकी पुलिस है? यह राजस्थान की पुलिस है या पाकिस्तान की पुलिस है? पुलिस किसके अधीनस्थ आती है? सरकार के अधीनस्थ आती है। मुख्य मंत्री, गृह मंत्री के अधीनस्थ आती है। लेकिन जिस तरह का बयान देते हैं, जनता भी ऐसे ही हो जाती है । माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री राजस्थान के मुखिया हैं, देश के सबसे बड़े प्रांत के मुख्य मंत्री हैं, सत्ता की ताकत राजस्थान की जनता ने उनके हाथों में दी है, क्यों नहीं कार्यवाही करते हैं? क्यों नहीं कानून बनाते हैं? अपराधियों की नाक में नकेल क्यों नहीं डालते हैं? और अभी इनके ही एक विधि सम्मेलन में कहने लगे कि अब तो पैसे वाला आदमी ही जिंदा रह सकता है। मैं भी वकील नहीं कर सकता, वकील बहुत फीस लेते हैं। कौन रोकता है मुख्य मंत्रीजी के हाथों को? कानून बनाओ, कठोर कानून बनाओ। भू-माफियाओं को पकड़ो। शराब माफियाओं को पकड़ो। कहीं अगर कोई डाक्टर मौत बांट रहा है, कोई निजी अस्पताल मौत बांट रहा है तो उन अस्पताल को, आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास पूरा तंत्र है, आप क्यों नहीं रोकते हो? उसको क्यों नहीं पकड़ते हो?

अब तो, माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी की लाचारी और बेबसी को देख कर उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी भी वही भाषा बोलने लग गये। सच्चाई को उजागर करने लगे हैं, सच्चाई को उगलने लगे हैं। शासन की असफलता को सरे आम बताने लगे हैं। यह बहुत शर्म की बात है इस राजस्थान के लिए। गृह मंत्रीजी यहां पर नहीं बैठे हैं, गृह मंत्रीजी ने अपनी अकर्मण्यता की पोल पूरे राजस्थान के बीच में खोली, कहने लगे कि हमारे इंटेलिजेंस फेल्योर है। और यहां तक ही नहीं, चौका दिया पूरे राजस्थान को यह कहकर कि हमारे थाने भू-माफियाओं के अड्डे हैं। महामहिम राष्ट्रपति पर

(श्री भवानी सिंह राजावत)

अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने वाले और आज गलती स्वीकार करने वाले अमीन खां साहब ने भी सच्चाई उगली, इन्होंने कहा कि मेरे बाड़मेर में दुर्घटना को हत्या में पुलिस बदल देती है। और गिर्राज सिंह मलिंगा ने तो उनसे भी दस कदम आगे जाकर, कहा कि धौलपुर में हमारा राज नहीं, डकैतों का राज चलता है। माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से इस शासन की सफलता के गुणगान हमारे भाई करण सिंहजी कर रहे थे, भाई रघुजी कर रहे थे लेकिन शासन की सच्चाई यथार्थ के धरातल पर आकर खड़ी हो रही है, यह पूरा राजस्थान जान रहा है कि शासन क्या है।

माननीय सभापति महोदय, आज महंगाई के कारण राजस्थान में गरीब भुखमरी के कगार पर खड़ा है। आज किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। बिजली की बातें कर रहे थे, बिजली के आकड़े दे रहे थे। विद्युत उत्पादन की आधी इकाइयां बंद पड़ी हैं। किसान को जब बिजली की आवश्यकता थी तब बिजली नहीं मिली। किसान को जब पानी की आवश्यकता थी तो पानी नहीं मिला। किसान खाद मांगने गया तो जोधपुर की धरती पर लाठियां मिलीं। बीज नकली मिला। बाजरे का नकली बीज मिलने से तबाह हो गया किसान। पानी-बिजली के आकड़े देते हैं हमारे विपक्ष के भाई लेकिन बिजली की सच्चाई यह है राजस्थान की धरती पर पहली बार क्रांतिकारी सूत्रपात हुआ, 34 हजार गांवों में 24 घंटे बिजली। आज एक चौथाई गांवों में भी 24 घंटे बिजली नहीं है। पानी के लिए हा-हाकार है। गर्मी दूर है लेकिन अभी से बूंद-बूंद पानी के लिए हजारों गांव तरस रहे हैं। कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। नंगा नाच पूरे राजस्थान की धरती में हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, अब तो जेल में जेलर भी सुरक्षित नहीं है। जेल में जेलर की हत्या हो जाना, थाने में महिला कांस्टेबल के साथ बलात्कार हो जाना और बलात्कार महिला कांस्टेबल के साथ कोटा की धरती पर चेटक में सामूहिक बलात्कार थाने में हो जाना, कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं इस राजस्थान की धरती पर। विकास की जहां तक बात है, हमारे सत्ता में बैठे भाई महिमा-मंडन करते हुए, गुणगान करते हुए विकास की तस्वीर पेश कर रहे थे लेकिन आंखें खोल कर देखो, विकास राजस्थान की धरती पर कहां हो रहा है? 24 हजार करोड़ की वार्षिक योजना लेकर आये थे लेकिन 24 हजार करोड़ की वार्षिक योजना दृढ़ इच्छा-शक्ति के साथ क्रियान्वित नहीं कर पाए। 24 हजार करोड़ की वार्षिक योजना का 40 प्रतिशत पैसा भी आप खर्च नहीं

(श्री भवानी सिंह राजावत)

कर पाए, विकास कहां राजस्थान की धरती पर नजर आएगा? विकास दर भारतीय जनता पार्टी के राज में जहां 6.99 प्रतिशत थी, आज केवल 2.51 प्रतिशत विकास दर इस राजस्थान की धरती पर आपके राज में रह गई है।

भाजपा जब सरकार में थी तब राजकोषीय घाटा नहीं होकर 1653 करोड़ रुपये सरप्लस था, अब दो वर्ष में 5000 करोड़ घाटे की स्थिति आपकी सरकार ने खड़ी कर दी है और नरेगा का बहुत ढिंढोरा पीट रहे हो, लेकिन नरेगा के बारे में धारण बन गई हिन्दुस्तान में कि नरेगा में अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं है तो राजस्थान में है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है कहीं हिन्दुस्तान में तो राजस्थान में भ्रष्टाचार है। नरेगा के मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी के शासन में जबकि पूरे जिले नरेगा में नहीं थे, 2554 करोड़ रुपये की मजदूरी वितरित की गयी, अब पूरे जिले शामिल होने के बावजूद पिछले अक्टूबर माह तक केवल 1797 करोड़ रुपये मजदूरी मजदूरों को मिली है।

आज विद्यालय अध्यापकों के लिए तरस रहे हैं। अस्पताल डाक्टर, नर्स और कम्पाउंडर के लिए तरस रहे हैं और पंचायतें ग्राम सेवक और पटवारी के लिए तरस रही हैं। माननीय सभापति महोदय, आज सच्चाई यह है कि 1 लाख 33 हजार पद खाली पड़े हुए हैं। बात कर रहे थे 'प्रशासन गांवों की ओर' की, पांच-पांच पंचायत में एक-एक पटवारी। पांच-पांच पंचायत में एक-एक ग्राम सेवक कार्यभार देख रहे हैं। 'प्रशासन गांवों की ओर' में तो जिस तरह से सभी सदस्य कह रहे हैं, केवल विकलांग प्रमाण-पत्र, केवल जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र। 'प्रशासन गांवों की ओर' में लाखों किसानों ने जो ट्रेसपासर है, खातेदारी अधिकार के लिए, नियमन के लिए आवेदन किया लेकिन 10 प्रतिशत किसानों को भी खातेदारी का अधिकार नहीं मिला। कैसा 'प्रशासन गांवों की ओर' आपका?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, दो मिनट में समाप्त करूंगा। बहुत बड़ी योजना लाना बहुत दूर की बात है। विकास के बड़े आयाम स्थापित करना बहुत दूर की बात, मृग-मरीचिका नजर आती है लेकिन आपने जो योजनाएं चल रही थीं, राजस्थान के हित में जितनी योजनाएं चल रही थीं, उन योजनाओं को भी बंद कर दिया। महिला भामाशाह सशक्तिकरण योजना जिसमें

(श्री भवानी सिंह राजावत)

50 लाख महिलाओं के खाते में 1500-1500 रुपये जमा हो गये, आपने उस योजना को बंद कर दिया, जो योजना महिलाओं को सम्बल देने वाली थी। हमने योजना बनाई थी कि पंचायतों में राशन के किट आ जाएं ताकि कोई गरीब आदमी भूखा नहीं सोए, भूख से कोई मर नहीं जाए। आपने उस राशन किट योजना को बंद कर दिया। हमने रोजगार मेले लगाये, आपने रोजगार मेले बंद कर दिये। हमने किसानों की सुविधा के लिये किसान भवन बनवाये, आपने किसान भवन बनाना बंद कर दिया। निर्मल घाट योजना महिलाओं के लिये थी, आपने उस योजना को बंद कर दिया। हमने बेरोजगार युवकों को, पढ़े-लिखे नौजवान लोगों को जब तक रोजगार नहीं मिल जाए, बेरोजगारी भत्ता देना शुरू किया। आपने उस बेरोजगारी भत्ते को बंद कर दिया। माननीय सभापति महोदय, यह दर्द और पीड़ा इस राजस्थान की जनता की है बहुत अरमान संजोकर, आशा और विश्वास के साथ, अपेक्षा के साथ सत्ता की बागड़ोर आपको सौंपी थी, लेकिन आपने राजस्थान की गरीब जनता के अरमानों को बेदर्दी से कुचल दिया। जनता में विद्रोह है। आपने देखा, सभापति महोदय, राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री के पास जब फरियाद लेकर खींवाराम गया तो खींवाराम का धैर्य का बांध टूट गया। यह पूरे राजस्थान की स्थिति है। जहां भी मंत्री जाते हैं तो जन सुनवाई से दूर भागने लगे हैं। और खींवाराम को मानसिंह रूप से विकलांग बता दिया जाए। लेकिन खींवाराम समस्या से पीड़ित था।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त करूंगा। एक और नई परम्परा शुरू कर दी, माननीय मुख्य मंत्रीजी खींवाराम के ससुराल चले गये। खींवाराम ने अपराध किया था। अब यह धारणा बनेगी राजस्थान की जनता की कि झापट मारने से, हाथ उठाने से सुनवाई होती है, काम होता है और 50 हजार रूपये भी मिलते हैं। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री यहां पर बैठे हैं, सम्मान के साथ कहना चाहता हूं किअब राजस्थान की जनता की यह धारणा बनने लगेगी कि ऐसे काम नहीं होगा, काम तो हाथ उठाने से होगा। यह गलत परम्परा को हम जन्म दे रहे हैं। जिस तरह का विद्रोह, आक्रोश राजस्थान की जनता में है, आपने दु:ख, दर्द और पीड़ा में जनता के आंसू नहीं पोंछे, जनता के साथ न्याय नहीं किया तो राजस्थान की जनता मिस्र की तरह सड़कों पर आ जाएगी और जिस तरह से मिस्र के राजा को कुर्सी छोड़कर भागना पड़ा, पांच साल का सपना छोड़ दो, पांच साल पहले राजस्थान की जनता आपको सत्ता से उखाड़कर फेंकेगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप सम-अप करो।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): चार पंक्तियां मेरे सत्ता पक्ष के भाइयों को समर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा-

उठा आवाज यूं सर डालने से कुछ नहीं होगा,
सर कटी लाशों पर चादर डालने से कुछ नहीं होगा,
परिन्दों! जाओ, अपना हक मांगो समन्दर से,
घड़ा खाली है, कंकर डालने से कुछ नहीं होगा।

धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री शंकरलाल बैरवा।

श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन): सभापति महोदय, आज राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रशंसा करता हुआ राजस्थान के संवेदनशील मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत साहब को बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि दो साल के कार्यकाल के अंदर जितना कार्य कराया, उसके लिये उनकी जितनी प्रशंसा करूं, उतनी कम है। प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाकर गरीब काश्तकार, गरीब मजदूर, बीपीएल परिवार को घर बैठे गंगा पहुंचाई और उन लोगों को सारा का सारा फायदा तुरन्त प्रभाव से शिविरों के द्वारा पहुंचाकर कार्य निपटाया गया। आज हमारे सभी सदस्यों ने जो बताया, वह बिलकुल सही है कि जितना कार्य दो साल के अंदर अशोकजी गहलोत की सरकार के कार्यकाल में किया गया, उनकी तुलना में देखा जाए, पूर्व की सरकार का आंकड़ा और इनका आंकड़ा मिलाएं तो मैं यह कहना चाहूंगा कि दो साल के अंदर इनके सारे आंकड़ों को पार कर गये।

मैं यह कहना चाह रहा हूं कि इन शिविरों के द्वारा चाहे नामान्तरकरण का हो, गैर-खातेदार को खातेदारी दिलाई गई। बंटवारा किया गया, इन्द्राज दुरूस्ती के सारे फैसले किये गये, विद्युत के कृषि कनेक्शन दिलाये गये। बीपीएल के सारे घरों में जिनके कनेक्शन नहीं थे, उन सबके कनेक्शन कराये गये। मुझे सबसे बड़ी खुशी तो इस बात की है कि मुख्य मंत्रीजी ने हमारे विधान सभा क्षेत्र में दो एस.डी.एम. कोर्ट खोली, 78 ग्राम पंचायतों में राजीव गांधी सूचना केन्द्र बनवाये गये और छात्राओं की जितनी संख्या थी उतनी साइकिलों का वितरण किया गया।

(श्री शंकर लाल बैरवा)

गर्मी के समय में जब पानी की समस्या आई, उस समय हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जिस जगह ट्यूबवैल की जरूरत थी, उस जगह ट्यूबवैल खुदवाये, जिस जगह हैण्डपम्प की जरूरत थी, उस जगह हैण्डपम्प लगवाये और जिस जगह पर टैंकरों की जरूरत थी, गांव-गांव और ढाणी-ढाणी के अंदर टैंकरों के द्वारा पानी की सप्लाई की गयी, लेकिन किसी प्रकार से हमारी जनता को तकलीफ नहीं आने दी। मैं कहना चाहूंगा और मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहूंगा कि इस कार्यकाल के अंदर बीपीएल परिवार एवं काश्तकारों को, गरीब मजदूरों को किसी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं आई- चाहे विधवा पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो। काश्तकारों के बैंक के जो क्रेडिट कार्ड बनाये थे, वे भी सारे के सारे शिविर में बनाये गये। मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत की यह सोच थी कि हमारी सरकार में कोई इंसान किसी भी प्रकार से दु:खी नहीं रहे, कोई इंसान भूखा नहीं सोये। बल्कि कोई पशु-पक्षी भी हमारी सरकार में भूखा नहीं रहेगा, यह इनकी सोच है। जितनी इनकी सोच है, उतना कार्य अभी तक दो साल में करके दिखलाया है और जनता इस समय बिलकुल संतुष्ट है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है।

मुख्य मंत्री सहायता राशि के जो चैक हैं, पहले मैं जिला परिषद सदस्य था और राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, उस समय मैं देखता था कि एक विधवा अपने चैक के लिये हर आफिस की ठोकरें खाती थीं। आज कपासन जाना पड़ेगा तो कल चित्तौड़ जाना पड़ेगा, वह दर-दर की ठोकरें खाती थी। लेकिन आज सी.एम. साहब के टाइम में हमारे कपासन के अंदर तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि तहसीलदार उस महिला को खुद घर जाकर चैक देते हैं। इस आशा के साथ में कि हमारी सरकार की तरफ से कोई परेशानी नहीं है और किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आने देंगे, जय भारत, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री रामहेत सिंह यादव (अनुपस्थित) श्री केसाराम चौधरी जी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, दिनांक 15 फरवरी को तेरहवीं विधान सभा के इस सत्र में महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा इस गरिमामय सदन में जो अभिभाषण पढ़ाया गया, वह उस गरिमामय पद पर विराजमान व्यक्ति की शोभा के बिलकुल विपरीत था। सरासर असत्य का पुलिन्दा या दस्तावेज था। नये राजस्थान के निर्माण में राजस्थान सरकार सतत् प्रयत्नशील है, इसका मतलब मुख्य मंत्रीजी के उस बयान से साफ

(श्री केसाराम चौधरी)

जाहिर हो जाता है, उन्होंने कहा कि अधिकारियों को मालूम होते हुए भी वे चोर, लुटेरे और भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार नहीं करते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि राजस्थान में सरकार किस तरह की चल रही है। यह सरकार जो चल रही है उससे मुख्य मंत्रीजी खुद ने पीड़ा व्यक्त की है। मुख्य मंत्रीजी खुद यह मानते हैं कि चोर और लुटेरे खुलेआम घूमते हैं, उनको नहीं पकड़ सकते। तो ऐसी सरकार राजस्थान में क्या विकास करेगी और क्या उन्नति करेगी। वह साफ जाहिर है।

प्रदेश में नकली नोटों का कारखाना, शराब के कारखाने और मिलावट में अव्वल नम्बर पर कैसे बने, वह आपके सामने साफ जग जाहिर है। डेयरी के दूध के सैम्पल सभी पास हुए तो अधिकारियों का निलम्बन किस बात के लिए किया गया? अगर जयपुर की डेयरी में दूध नकली नहीं पाया गया तो उनको निलम्बित क्यों किया गया? कहीं न कहीं दाल में काला नजर आता है। आखिरकार उनको या तो आप बहाल करेंगे या दोषी पाएंगे। यह सरकार की पूर्ण विफलता का द्योतक है।

आपने अपने घोषणा पत्र में किसानों को आठ घंटे बिजली देने की बात कही थी, क्या आपने किसानों को आठ घंटे बिजली दी? किसानों को आठ घंटे की बजाय साढ़े छह घंटे सात घंटे बिजली दी गयी जिससे इस साल अच्छी बरसात हुई थी और कुओं में पानी होते हुए भी वे अपनी उस खेती को सिंचित नहीं कर सके। आपने आठ घंटे का कहकर किसानों की बुवाई करवा दी और उनकी फसल आज सूख रही है। आपने यह घोषणा की थी कि बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे लेकिन आप बिजली की दरें निश्चित रूप से बढ़ा रहे हैं। नियामक आयोग के पास विद्युत वितरण निगमों ने अपनी रिपोर्ट्स भेज दी हैं रेट बढ़ाने के लिए। एग्रीकल्चर में 13 पैसा प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की मांग की गयी है। फार्म हाउस के लिए 65 पैसा और इसी तरह से चौबीस घंटे आपूर्ति के लिए 45 पैसा प्रति यूनिट बढ़ोतरी होगी। फ्लैट रेट, बिना मीटर के 19 रुपये प्रति हार्स पावर बढ़ोतरी और हरा चारा के लिए 40 रुपये प्रति हार्स पावर की बढ़ोतरी की डिमाण्ड करके नियामक आयोग को भेजा है। नियामक आयोग में सुनवाई के लिए कोई जाता है तो सबसे पहले सौ रुपये का कागज खरीदो। हम नियामक आयोग में कई बार सुनवाई के लिए गये मगर नियामक आयोग कभी भी इस बात को सुनने को तैयार नहीं है कि वह किसानों की दरें नहीं बढ़ाए। रेट बढ़ाने का आपने एक काम किया है। सरकार उस पैसे को भरेगी।

(श्री केसाराम चौधरी)

इस तरह से रेट बढ़ती जाएगी। अगली साल कम्पनियां फिर रेट बढ़ाएंगी। इस तरह से बढ़ती हुई रेट्स हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? यह सरकार कब तक इस घाटे की पूर्ति करेगी? यह जो घाटा होगा, उसकी पूर्ति कहां से करेंगे। इसका इसमें कहीं खुलासा नहीं किया गया है।

प्रशासन गांवों के संग अभियान केवल ग्रामीण जनता का ध्यान मंहगाई, भ्रष्टाचार और बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था से हटाने हेतु चलाया गया। मारवाड़ विधान सभा क्षेत्र की 76 ग्राम पंचायतें थीं, उनमें से 60 ग्राम पंचायतों के कैम्पों में मैं उपस्थित हुआ। 27 ग्राम पंचायतें देसूरी तहसील की थीं, उसमें नियमन, अलाटमेंट उद्‌घोषणा करके विधिवत रूप से किये गये मगर उसी तरह से 47 ग्राम पंचायतें जो मारवाड़ जंक्शन की थीं, उनमें किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। आप कहते हैं कि प्रशासन गांवों के संग अभियान में कुल 87 लाख 17 हजार 424 लोगों को राहत दी गयी, ये आपने आंकड़े बताये हैं। अगर इन आंकड़ों में से मूल निवास प्रमाण-पत्र के 16 लाख 33 हजार 737 जाति प्रमाण पत्र के 12 लाख 90 हजार 973 तथा जन्म- मृत्यु प्रमाण-पत्र के 14 लाख 48 हजार 220, इस प्रकार कुल 43 लाख 72 हजार 950 के आंकड़े को निकाल दें तो फिर काम क्या रह गया? तो फिर लोगों ने नया निवास किया? क्या पहले जातियां थीं ही नहीं? केवल इतना-सा काम करके यह दिखाया। जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र और जन्म—मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। आजकल जमीनों के आपसी बंटवारे की स्थिति हो गयी है इसलिए जो आंकड़े बताये गये, वे बिलकुल गलत और निराधार बताये गये हैं। आपने न तो नियमन किया और न ही अलाटमेंट किया और न ही नक्शों में तरमीम की गयी। जो जैसी स्थिति में था, उसी स्थिति में है। तरमीम और सैटलमेंट हुए करीब तीस साल हो गये। अगर आज के नक्शे का और मूल नक्शे का मिलान किया जाए तो समझ में ही नहीं आता कि यह नक्शा ओरिजिनल है या जमीन बदल गयी है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि वापस सैटलमेंट करवाकर जिस तरीके से बंटवारा हो गया है, वास्तविक नक्शा बनना चाहिए। मेरा निवेदन है कि इस तरह की कार्यवाही की जाए। मैं यह मांग करता हूं कि सैटलमेंट करवाया जाना चाहिए।

राज्य में कानून और व्यवस्था बिलकुल अस्त-व्यस्त हो गयी है। सरकार और गुर्जरों के बीच सोची-समझी साजिश थी जिसको जनता ने भुगता।

(श्री केसाराम चौधरी)

आरक्षण के लिए सभी दलों को विचार करना पड़ेगा अन्यथा हर समाज अलग-अलग आरक्षण की मांग करने लग जाएगा। कल मुसलमान सड़कों पर आये हैं। आने वाले समय में ब्राह्मण आएंगे। आने वाले समय में राजपूत आयेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी दलों को मिलकर सोचना चाहिए कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में देश के लिए खतरा नहीं बन जाए।

पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए आपने पांच विभाग पंचायती राज को सुपुर्द किये हैं, मगर इसके पहले भी सोलह विभाग पंचायती राज को सुपुर्द थे, उसका आपने रिजल्ट देख लिया। अभी आपने पांच महकमे पंचायती राज को दिये हैं और आपने भर्ती के भी अधिकार दिए हैं, क्या आर पी एस सी सही ढंग से भर्ती नहीं कर सकती? क्या जिला परिषदें पक्षपात और भेदभाव नहीं करेंगी? क्या इस तरह व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी? इस तरह चलाना मुश्किल हो जाएगा। अनुदान के साथ स्वयं की आय बढ़ाने हेतु कर लगाने के लिए आपने एक समिति का गठन किया है, मगर समिति ने क्या रिपोर्ट दी, उस समिति की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जानी चाहिए। महात्मा गांधी नरेगा योजना में कोट-सोलंकियान, शिवगंज, जैतारण और कई जगहों पर, पूरे राजस्थान में जगह-जगह पर भ्रष्टाचार हो रहा है। उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपने केस तो बनाये मगर आज दिन तक न तो चालान पेश किये और न ही रिकवरी निकाली। नरेगा में पैंतीस-पैंतीस लाख की रिकवरी निकली, पर क्या सरपंचों और ग्रुप सचिवों से आप वसूल कर पाएंगे? मुझे तो समझ में नहीं आता कि नरेगा में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, वह कैसे रुकेगा। इस विषय में कोई न कोई ठोस उपाय करने चाहिए।

गुणवत्ता के बारे में मेरा निवेदन है कि नरेगा में जो कुछ होता है, उसकी गुणवत्ता का कभी भी अवलोकन नहीं करवाया गया। कार्य इतने घटिया तरीके से हो रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। मारवाड़ जंक्शन जाने वाली स्टेट हाई-वे की पटरियों को एक साल पहले नरेगा में खोदकर डाल दिया, बरसात का पानी भरने से वह सड़क अस्त-व्यस्त हो गयी। एक साल हो गया, वह सड़क अधूरी पड़ी है।

श्री सभापति: समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। बाड़मेर में एक लाख पच्चीस हजार बैरल कच्चे तेल का उत्पादन हो रहा

(श्री केसाराम चौधरी)

है। भारतीय जनता पार्टी के राज में यह तेल मिला। बहुत बड़ी उपलब्धि मिली मगर रिफाइनरी लगाने के लिए जो प्रयास करने चाहिए, अभी कई बार आ रहा है कि एम.ओ.यू. पर दस्तखत हो रहे हैं, दस्तखत हुए या नहीं हुए, इसको भी स्पष्ट करना चाहिए। बाड़मेर में रिफाइनरी लगनी चाहिए ताकि राजस्थान में जो कच्चे तेल का उत्पादन हो रहा है उसकी रायल्टी से राजस्थान का कल्याण हो सके।

पिछले वर्ष से टैंकरों से पेयजल उपलब्ध कराने की जो बात कही गयी है, सभापति महोदय, उसका पेमेंट आज दिन तक लोगों को नहीं हुआ। मारवाड़ जंक्शन के एस.डी.ओ. ने सात दिन पहले पेमेंट किया मगर जो महिला सरपंच थीं उनको कहा है कि खुद आये बिना चैक नहीं दूंगा। ऐसा एस.डी.ओ. भ्रष्ट एस.डी.ओ. जो महिलाओं को चैक देने के लिए भी, टैंकरों के पानी का चैक देने के लिए भी ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप समअप करो। श्री भगवान सहाय सैनी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): बस दो मिनट में ही, दो मिनट बोलने का मौका दें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप विराजो। विराजो अब आप।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय द्वारा सदन में दिये गये अभिभाषण पर डा. रघु शर्मा ने अभिभाषण के प्रति अपना आभार व्यक्त किया जिसका अनुमोदन श्री अलाउद्दीन आजाद साहब ने किया, मैं भी अभिभाषण पर राज्यपाल महोदय का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने सरकार की दो वर्ष में कल्याणकारी योजनाओं द्वारा उपलब्धियों की तस्वीर सदन में अभिभाषण के माध्यम से रखी।

माननीय सभापति महोदय, दो वर्ष में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से राजस्थान का समुचित विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य राजेन्द्रजी राठौड़, डा. जसवंत सिंहजी, केसारामजी, राव साहब ने अपनी बात बतायी और इसका विरोध प्रकट किया। विपक्ष का काम है विरोध प्रकट करना, जनता ने इनको विपक्ष में भेजा है तो विरोध ही प्रकट करेंगे। यदि विपक्ष को खिचड़ी की जगह हलवा भी खिला दें तो कहेंगे कि हलवा अच्छा नहीं है। इनका धर्म है विरोध प्रकट करने का, तो विरोध प्रकट करेंगे।

(श्री भगवान सहाय सैनी)

माननीय सभापति महोदय, इनको इनका पिछला कार्यकाल याद नहीं आ रहा। 90-बी, हमारे करण सिंहजी राठौड़ साहब ने सही कहा कि 90-बी के बारे में जनता जानती ही नहीं थी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिसम्बर, 2003 में बनी, 2004 में 90-बी के एक लाख रुपये से रेट चालू हुई, 2004, 05, 06, 07 में होते-होते पाँच लाख पहुंच गयी, तब पता चला 90-बी क्या होती है।

सेज का जो भ्रष्टाचार है, सब को पता है। सेज के बंटवारे में तत्कालीन मंत्री महोदय तिवाड़ी साहब ने गाड़ी भेज दी थी और गुप्त आवास कर लिया था, यह जग जाहिर है।

गुर्जर आन्दोलन में 70 मौतें महारानी ने करवायीं। अभी हमारे मुख्य मंत्रीजी अशोकजी गहलोत जिस शालीनता के साथ गुर्जर आन्दोलन से निपटे और एक योजना बनायी जिससे जहां पहले 70 मौतें हुई थीं, एक भी कहीं मौत नहीं हुई, कहीं लाठी भी नहीं उठी।

घड़साना में किसान आन्दोलन में पानी मांगा तो गोलियां चलायीं। टोंक जिले में पानी मांगने पर गोलियां चलायीं, हत्याएं हुईं। बंगले पर एक करोड़ रुपये से अधिक रुपये खर्च किये। गाड़ियां 47 करोड़ रुपये में खरीदी, हमारे करण सिंहजी राठौड़ सही कह रहे हैं कि इनकी महारानी हैलीकाप्टर, हवाई जहाज और हवाई सपनों में चलती हैं और रैम्प पर दौड़ती हैं। हमारे मुख्य मंत्रीजी शालीन और सादगी से रहते हैं, यह उदाहरण आपके सामने है। (व्यवधान)

आप लोग कह रहे हैं, आपका नम्बर आएगा तब आप कहना, डाक्टर साहब।

प्रशासन गांवों के संग अभियान में 87 लाख लोगों को फायदा हुआ। केसारामजी कह रहे थे और यादव साहब कह रहे थे कि दो साल तक क्या सरकार सो रही थी, प्रशासन गांवों के संग अभियान में 5 लाख 18 हजार नामान्तरण खुले जिसमें 4012 नामान्तरण मेरे चौमूं विधान सभा क्षेत्र में खोले। सरकार सो नहीं रही थी, सरकार जागी है।

पिछले पांच साल में भारतीय जनता पार्टी के शासन में नामान्तरण और राजस्व रिकार्ड की दुरुस्ती करने में इतना भ्रष्टाचार था कि किसान कराने में सक्षम नहीं था। जैसे ही कांग्रेस का शासन आया, और प्रशासन गांवों के संग

(श्री भगवान सहाय सैनी)

अभियान लागू हुआ, बिना किसी रिश्वत के लेन-देन के नामान्तरण खुले। 5 लाख 18 हजार नामान्तरण खुलना बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी के पांच साल के शासन का रिकार्ड उठा कर देख लें, इसमें तीन लाख नामान्तरण भी नहीं खुले हैं जबकि कांग्रेस शासन में 5 लाख नामान्तरण खुले। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: चौमूं बाइपास बना लिया?

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): वो तो बना लिया। (व्यवधान)

1,18,135 कृषि जोतों का जो तकासमा हुआ यह ऐतिहासिक निर्णय है। एक लाख से अधिक तकासमा होना बहुत बड़ी बात है। तकासमे कराने के लिए किसान इधर-उधर फिरते हैं, दस-दस साल न्यायालय में लग जाते हैं, एक दिन में तकासमा हो गया। इसी तरह से राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती हुई 1,47,000 की। राजस्व रिकार्ड में 50-50 साल से पिताजी का नाम, दादा का नाम गलत चलता आ रहा था, उनकी दुरुस्ती की गयी जिससे किसान को काफी फायदा हुआ है।

महत्वाकांक्षी योजना महानरेगा में आज राजस्थान में मजदूरी नहीं मिलने वाली कोई समस्या नहीं है। हर व्यक्ति जो मजदूरी करना चाहता है उसको मजदूरी मिल रही है। हर ग्राम पंचायत में आई.टी. केन्द्र का निर्माण व हर पंचायत समिति में आई.टी. मुख्यालय केन्द्र का निर्माण करवाया जा रहा है।

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान राजस्थान की जनता के लिए वरदान साबित हुआ है। लोग जहर खा रहे थे। जो लोग उनकी सिफारिश करते हैं, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो चल रहा है उसको गलत बता रहे हैं, वो लोग उनसे मिले हुए हैं। यह एक बहुत अच्छी योजना है। शादियों में, फंक्शंस में नकली मावा, नकली दूध आता था, उस पर पाबंदी लगी है और आज राजस्थान की जनता को अच्छा खाने के लिए मिल रहा है। यह बहुत अच्छा अभियान है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मावा तो आपके चौमूं में ही पकड़ा गया।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): वह आपके टाइम बनता था, अब नहीं बनता।

(श्री भगवान सहाय सैनी)

वृद्ध एवं निशक्तजन के लिए पेंशन स्वीकृति हेतु परिवार के कमाने योग्य सदस्य की आयु 20 से बढ़ा कर 25 की गयी। 75 वर्ष के ऊपर वाले को 750 रुपये प्रति माह पेंशन देने का निर्णय लिया गया। निकाय प्रमुख के सीधे चुनाव कराये जाने का प्रबन्धन किया गया, क्योंकि जब मैम्बर जीत कर आते थे तो खरीद-फरोख्त का डर रहता था, उसको मुख्य मंत्रीजी ने खतम किया। महिलाओं के लिए 50 परसेंट आरक्षण का प्रावधान भी इसमें किया। इंदिरा आवास योजना अन्तर्गत 1,33,146 आवास महिलाओं के नाम स्वीकृत किये गये।

बी.पी.एल. महिलाओं के प्रथम प्रसव पर सरकार द्वारा पांच किलो देशी घी की उपहार योजना चालू की गयी। एस.सी. जाति के बी.पी.एल. परिवारों की कन्याओं के लिए विवाह के समय राज्य सरकार 10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि और यदि मैट्रिक है तो 15 हजार और बी.ए. है तो 20 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देना चालू किया, बी.पी.एल. के कई परिवारों को इससे फायदा पहुंचा है।

शहरी क्षेत्रों में बी.पी.एल. परिवारों को मात्र 2500 रुपये में विद्युत कनेक्शन देने सम्बन्धी आदेश 6 फरवरी, 2009 को जारी किये गये जिसकी क्रियान्विति होकर हजारों लोगों को इसके कनेक्शन दिये गये हैं। बी.पी.एल. परिवारों को दो रुपये किलो गेहूं और गाड़िया लुहार, बंजारा जातियों को प्रशासन गांवों के संग कैम्पों में नि:शुल्क पट्टा और आवास बनाने के लिए उनको 50 हजार रुपये दिये गये। यह एक बहुत बड़ी योजना है, इससे हजारों लोगों को कैम्पों में फायदा हुआ है।

बी.पी.एल. परिवारों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा 29 जनवरी, 2009 से प्रदेश में लागू की गयी। कांग्रेस के पूर्व शासन में भी यह चालू की गयी थी लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दी थी जो 29 फरवरी, 2009 से पुन: चालू हुई। अन्य गरीबों को गम्भीर रोगों में उपचार के लिए सहायता हेतु परिवारों की वार्षिक आय जो 24,000 थी, बढ़ा कर 40,000 की गयी और स्टेट बी.पी.एल. आस्था कार्ड, एचआईवी एड्स और अन्य हैं, विकलांग पेंशनधारी हैं इन लोगों को भी इस योजना में शामिल कर इस योजना का लाभ दिया जा रहा है।

(श्री भगवान सहाय सैनी)

विद्युत उत्पादन को प्राथमिकता दे रहे हैं, गत दो वर्षों में उत्पादन क्षमता में 2368 मेगावाट की वृद्धि की गयी है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में 11,590 मेगावाट क्षमता की 24 परियोजनाओं को इस सरकार ने स्वीकृति दी है। जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, मैट्रो का निर्माण कार्य चालू है। राव साहब कह रहे थे कि जनता कहां से आएगी। इतने प्राइवेट साधन चल रहे हैं कि बसों में बैठने की जगह ही नहीं मिलती, मैट्रो चलेगी तो जयपुर की जनता को इससे काफी राहत मिलेगी। उप नगरीय लो फ्लोर बसें चालू की गयी हैं, ये बहुत अच्छी बसें हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) चौमूं से जयपुर, बस्सी से जयपुर, कालवाड़ से गोनेर लो फ्लोर बसें चालू की हैं, बहुत सफल हो रही हैं।

ब्रिज/अण्डरपास बनाये जा रहे हैं। एन.एच. 8 में 6 लेन व एन.एच. 11 जयपुर से रींगस-सीकर को फोर लेन बनाया जा रहा है। चौमूं बाइपास का काम इसी सरकार ने चालू करवाया है जो तीन-चार महीने में तैयार हो जाएगा। जब आप लोग सीकर की तरफ जाओगे तो बड़े आराम से जाओगे, आपको चौमूं में जाम नहीं मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण पढ़ा है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और माननीय अशोकजी गहलोत ने दो साल में जो राजस्थान का विकास किया है ईमानदारी से, भारतीय जनता पार्टी के जैसे भ्रष्टाचार के जैसे नहीं, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हरिसिंहजी रावत।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के मन लुभावने बजट भाषण पर आज मुझे कुछ बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की 13वीं विधान सभा के षष्ठ सत्र का परसों दिनांक 15.02.2010 को महामहिम राज्यपाल माननीय श्री शिवराजजी पाटील के अभिभाषण से आगाज हुआ, जिसे सुन कर मैं अगर इसे मुंगेरी लाल के सपने कहूं तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 8 बजे तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय 8 बजे तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 8 बजे तक बढ़ाया गया।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, मुंगेरीलाल के हसीन सपने सुनते-सुनते यह तीसरा बजट हो गया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कई माननीय सदस्यों को बोलना है, आठ बजे तक का जो समय बढ़ाया है वह भी कम पड़ेगा, इसलिए थोड़ा-सा ...

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, अभी तो श्रीगणेश ही नहीं हुआ, अभी से आप टोक रहे हो मेरे को। अभी तो शुरु भी नहीं हुआ।

श्री सभापति: हां आप चालू करें।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, आज इस राजस्थान में क्या हालत हो रहे हैं, राजस्थान की छोड़िये, मैं देश की बात करूं, जिस देश का प्रधान मंत्री यह कहे कि मैं तो मजबूर हूं यह देखिये लाचार हूं और जिस देश के खाद्य मंत्री वित्त मंत्री अगर यह कहे कि हमारे हाथ में नहीं है इस मंहगाई को कम करना तो लानत है ऐसे लोगों को। मैं सोचता हूं उनको तो तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ-साथ उनकी माई जिनको ये मदर इण्डिया कहने लग गये, इटली की मैडम, उनके ये सब गुलाम हो गये। आज हालत यह है कि उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। कभी बोलते थे, राहुल बाबा के चक्कर में पड़े हैं, कोई सोनिया मैडम के चक्कर में है और इन मैडमों

(श्री हरिसिंह रावत)
के चक्कर में इस देश का बंटाधार कर दिया। मंहगाई देखिये, भ्रष्टाचार चारों तरफ है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जो सदस्य यहां मौजूद नहीं है...

श्री हरिसिंह रावत (भीम): चारों तरफ हा-हाकार मचा हुआ है ... (व्यवधान) श्रवणजी, हमें बोलने दो न।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं बता रहा हूं, जो सदस्य यहां मौजूद नहीं है, इस सदन का सदस्य नहीं है, उसकी चर्चा नहीं होती है। (व्यवधान) आप सीनियर हो, नये वालों को तो हम समझा देंगे।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): आज देखिये, मिलावट, भ्रष्टाचार, धोखा–धड़ी आज क्या-क्या नहीं हो रहे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपना जो अभिभाषण है, उस पर बोलें। आप यह क्या-क्या बोलते जा रहे हैं? जो इस सदन के सदस्य ही नहीं हैं उनके लिए आप ऐसी टीका टिप्पणी करेंगे, फिर व्यवधान होगा।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): दूसरे सदस्य बोले जब तो आपने नहीं टोका ...(व्यवधान) अभिभाषण पर जब दूसरे सदस्य बोल रहे थे तब तो आपने टोका नहीं, ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): इस समय आप आसन पर विराजमान हैं।

श्री सभापति: आप विराजो, माननीय सदस्य, आप विराजो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय सदस्य ने बोलना शुरु किया उससे पहले ही ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): मैं आज इस देश की क्या स्थिति है, इसके बारे में बता रहा हूं। आज चारों तरफ भूख, भय, भ्रष्टाचार, बलात्कार क्या-क्या नहीं हो रहा। उसके बाद भी संवेदनशील सरकार कहने वाले लोग अपना तो बोलते हैं कि हमारे यहां अमन चैन है, अमन चैन किस चीज का है, मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं? चारों तरफ बलात्कार, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, बेइमानी हो रही है, उसके बाद भी वाहवाही लूट रहे हैं और जश्न मनाये जा रहे हैं।

(श्री हरिसिंह रावत)

सभापति महोदय, आज शिक्षा की दृष्टि से देखिये, शिक्षा को ये कहां ले जाना चाह रहे हैं? 2003 की बात बताना चाहता हूं, मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे सिन्धियाजी थीं, उन्होंने सबसे पहले सौ दिन का एक कार्य दिवस बनाया। सौ दिन के कार्यकाल में मुझे क्या-क्या करना है, उन्होंने अंकित किया और उसी के अनुरूप उन्होंने सर्वप्रथम शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य इन पांच चीजों को लिया क्योंकि गांव की जनता के लिए चीजें निहायत जरूरी हैं। सभापति महोदय, उसके अन्तर्गत गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में स्कूल खोले, जहां स्कूलें क्रमोन्नत करनी थीं, स्कूलें क्रमोन्नत कीं, जहां कालेज की जरुरत थी, कालेज खोले वो करते-करते हमारा टाइम पूरा हो गया लेकिन हम शिक्षकों की भर्ती नहीं कर सके, लेकिन इस सरकार ने आते ही सत्यानाश कर दिया। निकम्मी सरकार, भ्रष्ट सरकार, इन्होंने आकर पहले एक साल तो रट्टा लगाया कि हम आर पी एस सी के थ्रू शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं, एक साल निकाल दिया। दूसरा जब बजट आया तो बोल रहे हैं कि हम पंचायती राज को देने वाले हैं। जब पंचायती राज को दे दिया तब बोलते हैं कि हम अभी भर्ती करेंगे। फिर एक साल का बजट पेश कर दिया। तो मैं तो बोलता हूं, आज जो युवा वर्ग पढ़ा-लिखा है, जो शिक्षित है, बी ए, बी एड किया हुआ है, जिनके मां बापों ने बड़े हसीन सपने देखे हैं, कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, बी ए बी एड किया हुआ अध्यापक बनेगा, आज जब वह बच्चा 21 साल का हो गया है, एक कहावत है मारवाड़ी में, अरे बेटा तू जीवतो रह्यो जद थ्हारी शादी कर दूं। कहने का मतलब है कि मुख्य मंत्रीजी, शिक्षा मंत्रीजी, जब 21 साल का जवान हो गया पढ़ लिखकर, तो खाली मन-लुभावन वादे करते रहे और दो साल निकाल दिये। तीन साल भी निकाल देंगे लेकिन शायद एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं करेंगे। सभापति महोदय, आप भी गांव से आते हैं गांवों के हालात आपको मालूम होने चाहिए, सात-सात सौ बच्चों पर, दो-दोसौ बच्चों पर एक एक शिक्षक, दो-दो शिक्षक हैं, शिक्षकों की हालत देखिये, अभी तो जनगणना चालू कर दी, कोई योजना चालू कर दी तो वो बच्चे जिस स्कूल में दो-दो मास्टर हैं, अगर वे जनगणना करने लग जाएंगे, और कोई कार्य में व्यस्त हो जाएंगे तो उन बच्चों का भविष्य क्या होगा?

मैं सभी विधायक महोदय से कहना चाहता हूं, इन अधिकारी बंधुओं से, कि क्या आपके बच्चों को ऐसे स्कूलों में पढ़ायेंगे जहां पर दो-दो शिक्षक हैं? बड़े शर्म की बात है। मेरा तो शिक्षा मंत्रीजी से, मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि

(श्री हरिसिंह रावत)

आप तत्काल शिक्षकों की भर्ती कीजिए ताकि जो बेरोजगार हैं उनको रोजी-रोटी मिले और बच्चों का भविष्य सुधर सके।

सभापति महोदय, मेरे ग्रामीण क्षेत्र में आज हालात हो गये कि गांव-गांव में स्कूलों में ताले लग रहे हैं, लेकिन आपके शिक्षा मंत्रीजी के जूं तक नहीं रेंग रही। मेरा तो निवेदन है कि शिक्षकों की भर्ती करिये। आज पूरे राजस्थान का आंकड़ा देखें तो दो लाख आठ हजार शिक्षकों की कमी है और मुख्य मंत्रीजी बोल रहे हैं कि मैं पचास हजार भर्ती करूंगा। करूंगा मतलब कब? न तो नौ मण तेल होगा न राधा नाचेगी। किसी जमाने में कहा करते थे कि हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया था और विश्व गुरु कहलाता था लेकिन आज इस विश्व गुरु की हालत यह हो रही है। हमारी नीति क्या बन रही है। कल हमें एक नीति के बारे में बताया था, शिक्षा नीति, कि हम घर-घर में बच्चे -बच्चे को पढ़ाएंगे? क्या खाक पढ़ाएंगे? पहली से लेकर आठवीं तक के बच्चों को बोला कि इनको ऐसे ही पास कर दो ताकि उनमें कम्पीटिशन की भावना खतम हो जाएऔर जो शिक्षक हैं वे निठल्ले हो जाएं। यह अगर देश की हालत रही तो वे दिन दूर नहीं जब वह देश वापस गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाएगा।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मुख्य मंत्रीजी को बताना चाहता हूं कि आज प्रत्येक विद्यालय में देखें तो स्कूलों में कमरे नहीं हैं, कहीं जाइये तो चारदीवारी नहीं है, कहीं शिक्षक नहीं है, ऐसी हालत में क्या बच्चे पढ़ पाएंगे? तो मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि तत्काल शिक्षकों की भर्ती करें।

दूसरा मेरा निवेदन है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जो सरकार ने चला रखे हैं, वहां गरीब असहाय बच्चियां पढ़ती हैं, उन स्कूलों को अगर आठवीं से लेकर बारहवीं तक क्रमोन्नत कर दें तो काफी बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, इतनी जल्दी घण्टी मत बजाइये। मुझे बहुत कुछ बोलना है।

दूसरी मैं नरेगा की बात करना चाहूंगा, नरेगा मतलब यह देश मरेगा। नरेगा की आज हालत यह है कि इस नरेगा की वजह से भारतवर्ष का नागरिक नपुंसक होने जा रहा है। कारण, कि अगर आज कहीं मजदूरी के लिए कोई

(श्री हरिसिंह रावत)

बुला ले तो वह नहीं आएगा, अगर कोई फैक्ट्री में बुला ले तो नहीं आएगा, खेतों में काम करना है तो खुद के खेतों में काम नहीं करेगा, क्योंकि नरेगा में तो फ्री में काम करना है, खाली चार घण्टे ही वहां ड्यूटी देनी है और पैसे मिल जाएंगे। मैं तो निवेदन करना चाहूंगा, नरेगा के अन्तर्गत आप ठोस काम करवाइये, परमानेंट असैट्स बनवाइये जिससे जनता का या देश का भला हो सकता है। खाली मिट्टी ढोने से या मिट्टी डालने से देश का भला होने वाला नहीं है। मेरा तो निवेदन यह है कि नरेगा के अन्तर्गत पक्के कोई काम करेंगे। या चाइना नीति के अनुसार, कि हर घर में जो आदमी जिस तरह का सक्षम है उस टाइप का उसको कार्य का प्रशिक्षण दिया जाए तो शायद यह जनता के लिए अच्छा रहेगा।

दूसरा, इसके अन्दर कई कुरीतियां हैं आए दिन भ्रष्टाचार हो रहा है लेकिन आज दिन तक कोई ठोस निर्णय नहीं कर पाये। सभापति महोदय, नरेगा के अन्तर्गत जो काम करने वाले मजदूर हैं, उनको पैसे लेने के लिए, मजदूरी लेने के लिए भटकना पड़ता है। इसके लिए हमारी पूर्ववर्ती सरकार की मुख्य मंत्रीजी ने एक योजना बनाई थी जिसका नाम था भामाशाह महिला सबल योजना, उसके अन्तर्गत हर गांव, ढाणी में एक बी टी एफ खोला जाए ताकि जब भी कोई जरूरत पड़े...(व्यवधान)

(19.00 बजे)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समअप करो आप। समअप करो माननीय सदस्य आप।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, क्या आप...(व्यवधान)

श्री सभापति: समअप करो। माननीय सदस्य, समअप करो। मैं आपको जितना समय दे सकता हूं, मैंने आपको दिया है। माननीय सदस्य, समअप करो, मेरा निवेदन है आपसे।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, मुझे कुछ बोलने दीजिये, अभी मुझे बहुत कुछ बोलना है, मैं तैयारी करके आया था। कोई मतलब नहीं है इसका।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सभी को बोलना है। फिर आप या तो सभी तय कर लें और रात को 11 बजे तक, 12 बजे तक चलाएं। मुझे क्या तकलीफ है? चलाएं। आप सब माननीय सदस्य कर लें तय।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): चलने दो, फर्क क्या पड़ता है? साल में एक ही बार तो मौका मिलता है अपनी फोटो छपाने का।

श्री सभापति: जिस विषय पर कई माननीय सदस्य बोल चुके हैं उन्हीं सब्जैक्ट को रिपीट करते जाएं, उन्हीं शब्दों को रिपीट करते रहेंगे तो कोई अर्थ नहीं रहेगा। माननीय सदस्य, मेरा निवेदन इतना-सा है, कोई नवीन विषय हो, आप बोलिये तो सदन को भी लाभ होगा। इसलिये आपको...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, आज मैं चिकित्सा के बारे में बोलना चाहता हूं कि चिकित्सा की क्या हालत है। आज मेरे क्षेत्र में डाक्टर्स की बहुत कमी है। हमारी पूर्व सरकार ने भीम और देवगढ़ दो सी एच सी हैं उनको क्रमोन्नत किया था, क्रमोन्नत किये दो साल हो गये लेकिन आज एक भी विशेषज्ञ नहीं है। मेरा विधान सभा क्षेत्र कम से कम 150 किलोमीटर हाइवे पड़ता है जिसमें आए दिन दुर्घटनाएं होती है, मौतें होती हैं, लेकिन वहां 108 एम्बुलेंस नहीं मिली। खाली इसलिये कि पक्षपात। जहां कांग्रेस के विधायक थे, जहां इंटीरियर में जरूरत थी वहां तो इन्होंने 108 दे दी, लेकिन जहां नेशनल हाइवे नम्बर-8 है, जहां 150 किलोमीटर की परिधि में मेरा क्षेत्र पड़ता है वहां एक भी एम्बुलेंस नहीं दी, न एक भी डाक्टर लगे हैं। डाक्टर भी अगर लगे हैं तो तत्कालीन को हटा दिया गया। सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं। पूरे राजस्थान में डाक्टर्स की कमी है, नर्सेज की कमी हैं तो तत्काल उनके पदों को भरा जाए ताकि राजस्थान की जनता जो चिकित्सा से महरूम हो रही है, उसको चिकित्सा सुविधा मिल सके।

सभापति महोदय, आपने समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री गजेन्द्र सिंह शक्तावत (अनुपस्थित) श्री मंगलाराम गोदारा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वैसे मुझे पता है कि आप इस पर कोग्निजेंस नहीं लेंगे पर परम्परा जिस प्रकार टूट रही है उन सबके अन्दर यह हो रहा है। अभिभाषण पर बहस चल रही है, बहुत महत्वपूर्ण मामला है, एक। आम तौर पर मुख्य मंत्री रहते हैं। नहीं रहते हैं तो कहीं अन्दर से सुनते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं। मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं, फिर मुख्य मंत्रीजी के सचिवालय के कोई भी वरिष्ठ अधिकारी बैठकर इस सारी प्रक्रिया को नहीं सुन रहे हैं, नहीं ले

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

रहे हैं, सारी बातें आप नोट करें। मुझे इसका जवाब नहीं चाहिये सरकार से भी, आपसे भी। लेकिन इन परम्पराओं का जितना हम ह्रास करेंगे उतना ही हमारे सदन के प्रति जनता की आस्था कम होगी और हमारी आस्था कम होगी इसलिये इसका ध्यान जरूर रखना चाहिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आपकी भावना का पूर्ण ध्यान रखा जा रहा है, माननीय उप नेता महोदय।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): एक भी सीनियर अधिकारी यहां पर बैठे नहीं हैं। एक भी आप में से मंत्रीजी और दूसरे लोग नोट नहीं कर रहे हैं। सदस्यों की भावना आप मुख्य मंत्री....

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): जब प्रत्युत्तर की बात आएगी, आपको एक-एक बात का जवाब दिया जाएगा।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय धारीवालजी, आप हाउस को मिसगाइड कर रहे हो, ट्रांसफर की चिट्ठी दिखा रहे हो।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पक्ष में बोलना चाहता हूं। राज्य सरकार नये राजस्थान के निर्माण के संकल्प को मूर्त रूप देने के लिये सदैव प्रयत्नशील है। उत्तरदायी, पारदर्शी, संवेदनशील शासन...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री करणसिंह (छबड़ा): मैं आपको अवगत कराने आया हूं...(व्यवधान)

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): गांव, गरीब और किसान को विकास से जोड़ा। विद्युत के सम्बन्ध में पिछले पांच साल में मेरे हिसाब से कनेक्शन तो दिये हैं किसानों को, बाकी पिछली सरकार में मेरे विधान सभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा ट्यूबवैल्स हैं। 27,000 ट्यूबवैल्स हैं, उसके बावजूद भी 33 केवीए के दो जी एस एस बने। किसानों में हाहाकर मचा हुआ था और लाइट कभी 4 घण्टे, कभी 3 घण्टे, कभी 2 घण्टे हालत किसानों की बड़ी बदतर थी। और जैसे ही हमारी सरकार आयी, माननीय गहलोत साहब मुख्य मंत्री बने और बनते ही इन्होंने बिजली को प्राथमिकता दी और पांच साल तक बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे, यह घोषणा की। उसके बाद 33 केवीए के मेरे यहां 12 जी एस एस बनकर तैयार हो चुके हैं, 4 जी एस एस बनने बाकी हैं। 132 केवीए के 2

(श्री मंगलाराम गोदारा)

जी एस एस बने मेरे यहां, 220 केवीए का 1 जी एस एस प्रस्तावित है। बिजली के क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्रीजी का यह सोच है। किसान के प्रति जो पूर्ववर्ती सरकार ढिंढोरा तो पीटती रही कि हम खूब बिजली दे रहे हैं। पानी मांगा तो लाठियां दी, गोली दी, बाकी कहीं भी बिजली लेकिन पानी की व्यवस्था कुछ नहीं थी। मेरे को यह कहते हुए खुशी है कि हमारी सरकार ने, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो काम किसान के लिये और किसान वर्ग के लिये किये, शायद आज तक किसी ने भी नहीं किये। चाहे प्रशासन गांव के संग की बात हो। प्रशासन गांव के संग में खूब काम हुए हैं- चाहे पट्टों की बात हो, किसान के खेत की बात हो, चाहे बंटवारे की बात हो, चाहे मार्ग की बात हो। यह एक महत्वपूर्ण काम था। पिछली सरकार ने कैम्प तो लगाये। प्रशासन गांवों के संग कैम्प लगाये, कैम्प में खाली नगाड़े, ढोल बजाकर गांव को इकट्ठा करके वाहवाही पर काम कुछ नहीं हुआ और इस सरकार ने जो राजस्व कैम्प गांवों में चालू किये हैं, उस टाइम लोगों की यह भावना थी कि काम कम होंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप समय...

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): बाकी काम होने लगे तो किसान, गरीब, मजदूर का चाहे बी पी एल कार्ड बनाना है, चाहे किसी का राशनकार्ड बनाना हो, चाहे कोई भी काम हो, सारे काम चाहे रात को 10 बजे हों, जिस पंचायत में कैम्प लगाया उसमें पूरा काम हुआ है। कोई काम पैंडिंग नहीं रहा। उसके बाद में तहसील स्तर पर, पटवार सर्कल स्तर पर कैम्प लगे पीछे, उनमें भी खूब काम हुआ है। मैं सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। बी पी एल का हो, गरीब को मुख्य मंत्री बी पी एल, स्टेट बी पी एल योजना से जोड़ करके जितना काम मुख्य मंत्रीजी ने किया है मेरे हिसाब से किसी ने नहीं किया। चिकित्सा की बात हो, प्रशासन गांव के संग की बात हो, 87 लाख 17,424 लोगों को राहत मिली। नामांकन, कृषि जोत, विभाजन, बंटवारे के बारे में सारे काम कैम्पों में हुए हैं।

कानून व्यवस्था पिछली सरकार में, मैं बात दोहराना नहीं चाहता हूं। गुर्जर आन्दोलन हुआ, इसमें शांतिपूर्वक जिस तरीके से सुलटारा किया है, पूरे भारत के अन्दर मुख्यमंत्री की प्रशंसा हुई। विपक्ष के पास कोई कहने के लिये शब्द नहीं है। मुख्य मंत्रीजी जो काम कर रहे हैं, जैसे अभी खींवाराम वाली घटना हुई, मुख्य मंत्रीजी ने जो परिचय दिया अपने गांधीवादी होने का यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इतना होने के बावजूद भी छोटी-छोटी बात लेकर सदन में आ जाते हैं और सामने हो जाते हैं। बाकी मुख्य मंत्रीजी ने जो काम किया,

(श्री मंगलाराम गोदारा)

मुख्य मंत्रीजी ने जो परिचय दिया वह इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा..(व्यवधान) डाक्टर साहब सुनते रहो। 50,000 रुपये की बात नहीं है... (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): मार-मार कर तो खाल उधेड़ दी उसकी और बाद में 50,000 दे दिया तो क्या हो गया? पुलिस ने उसको पीटा.. (व्यवधान)

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): 50,000 रुपये की बात नहीं है.. (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): उसकी इतनी पिटाई बनी है, इतनी पिटाई बनी है कि आज तक सूज रहा है वह। एक बार देखो आंखों से। पुलिस ने उसको पीटा और उसको उगलवाया, अन्दर क्या है, तब जाकर पता लगा कि यह तो गांव का गरीब आदमी है।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): आप वहां थे क्या? आप वहां थे क्या?

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): आप मेरे साथ चलो। अगर उसकी चमड़ी-चमड़ी नहीं उधेड़ रखी हो तो आपको 1 लाख दूंगा 50,000 की बजाय। क्या बात करते हो आप!

श्री सभापति: विराजो आप।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): उस आदमी को इतना पीटा है कि कैसे की यह घटना। इतना पीटा है कि...(व्यवधान)

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): ऐसा है कि अगर चमड़ी उधेड़ी होती तो आप उसको उठाकर ले आते। आप बाकी नहीं रहने देते। अगर उसके कहीं हाथ भी लगा हुआ होता तो आप यहां सदन में ले आते उसको। गृह मंत्रीजी के बैग में भूल से कारतूस चले गये, उसमें भी पूर्व गृह मंत्रीजी वक्तव्य देने के लिये खड़े हो गये और घेरने की तैयारी करने लगे।

भूलवश अगर कोई कारतूस चला गया किसी के पास।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): कारतूस की जरूरत नहीं है, इनकी तो जबान ही कारतूस है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान)

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): कारतूस चला गया ...(व्यवधान) उस मुद्दे को भी आपने खूब उठाया। अगर उस आदमी के हाथ के या कहीं भी चोट लगी होती तो आप उसको सदन में ले आते और पूरे राजस्थान को आप जगा देते कि इस मुख्य मंत्री ने यह किया है गरीब आदमी को बहुत पीटा है और बहुत मारा है। आपको बोलने के लिए जगह नहीं है, 50 हजार की बात नहीं है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समअप करो आप।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को अक्षय ऊर्जा में कुशल कार्यों के लिए जीटीवी प्रोजेक्ट ईसा पावर एवार्ड 2009 के अन्तर्गत प्रथम पुरुस्कार प्रदान किया गया। दूसरा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विभिन्न विकल्पों को बढ़ावा देने हेतु इंडिया पावर एवार्ड 2009, 17 अक्टूबर, 2009 को प्रदान किया गया। राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम को 28 जनवरी, 2010 को 220, 132 केवी किशनगढ़ सब स्टेशन ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समअप करें।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): छबड़ा से ढहरा 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन के कार्य को समय से पूर्व करने पर प्रदान किया गया। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो कार्य हाथ में लिये गये, वे उसी टाइम अवधि में बल्कि टाइम से पहले किये गये। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोकजी गहलोत को जगह-जगह एवार्ड से सम्मानित किया गया। सभापति महोदय, आपने मुझे टाइम दिया, मैंने मेरी बात कही, धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री फूलचन्द भिंडा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापति महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा सदन में रखे गये अभिभाषण के विपक्ष में कुछ तर्कों के माध्यम से यह साबित करूंगा कि वर्तमान सरकार ने अपने झूठे आंकड़े देकर महामहिम राज्यपाल महोदय से +++ बुलवाया है। पहली पंक्ति में प्रस्तावना में लिखा है कि उत्तरदायी, पारदर्शी और संवेदनशील ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, संशोधन करवाया जाए ...(व्यवधान)

श्री सभापति: यह उचित नहीं है शब्द, इसको पूरा एक्सपंज कर दिया जाए।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मैं +++ शब्द को वापस लेता हूं, असत्य शब्द कहलवाया गया।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आपने दुबारा कह दिया।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): हां, दुबारा कह दिया उसको भी असत्य, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उत्तरदायी प्रशासन और पारदर्शी प्रशासन की बात है, इसमें कहा गया, शासन की अवधारणा के साथ अशिक्षा और गरीबी, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अशिक्षा दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये? दो साल में एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं खोला गया जबकि केन्द्र बार-बार कह रहा है कि हमारे पास पैसे पड़े हैं, ले जाइए। एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं खोला। किस आधार पर अशिक्षा हटाना चाहते हैं? कौनसा कदम आपने उठाया है। काफी सदस्य ऐसे हैं जब 2000 वाला आपका टर्म था उसमें एक जश्न का माहौल था राजस्थान में कि डूंगरपुर को हमने शत-प्रतिशत साक्षर कर दिया। अब 2011 के आंकड़े आएंगे तब आइना देख लेना कि अशिक्षा की क्या स्थिति है। असत्य आंकड़ों के आधार पर सदन में साबित करना चाहते हो कि हमने बहुत कुछ किया है। अशिक्षा तब दूर होगी जब गांव, ढाणियों में एक किलोमीटर के एरिये में जो बालक जा नहीं सकते, वहां शिक्षा की व्यवस्था करोगे, वहां प्राथमिक विद्यालय खोलोगे। इसके पहले जो सरकार थी उसने 36 हजार स्कूलें खोली थीं। आपने केवल 1920 स्कूलें खोली हैं। उसका अनुपात तय कर लीजिये। आप अशिक्षा बढ़ाना चाहते हैं या शिक्षा बढ़ाना चाहते हैं?

सभापति महोदय, जहां तक गरीबी की बात है, दूसरा मुद्दा है अवधारणा के साथ गरीबी, मैं पूछना चाहता हूं कि 6 रुपये 80 पैसे के गेहूं की कीमत और उसमें आपने लागत जोड़ी पिसाई की 2 रुपये 37 पैसे, यह वर्ल्ड रिकार्ड है। यह गिनीज बुक में लिखने वाली बात है कि केवल पिसाई की लागत 34.8 प्रतिशत आपने तय की है। आपने सदन में यह घोषणा की है कि हमने ऐसा कर दिया। अन्न सुरक्षा योजना में आपने 2 रुपये 37 पैसे वसूल किये, यह भी शर्म की बात है कि गरीबों से 2 रुपये 37 पैसे उन अमीरों को आपने दिलाये जिन्होंने करोड़ों रुपये कमा लिये। एक दैनिक पत्र ने लिखा है कि उसके अंतर्गत जो दावे किये गये जो 27 करोड़ रुपये का, 27 लाख करोड़ का तो काला धन विदेशों में चला गया आपके शासन में। लेकिन 27 करोड़ का घोटाला पिछले डेढ़ साल में केवल पिसाई में हो गया। इस कारण से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिसाई का घोटाला हुआ है, उसकी जांच की

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

जाए और वसूल किया जाए। उसके अगले साल जो टेंडर हुआ वह 1 रुपये 40 पैसे का हुआ, यह जो 97 पैसे का गबन है, इस पैसे को कहां ले जाया गया? यह किसकी जेब में चला गया, यह एक तरह से जांच का विषय है।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से बेरोजगारी की बात है, तीसरा बिन्दु बेरोजगारी है। आपने कहा है कि अनुबंध के सहित हमने 40 हजार लोगों को रोजगार दिया है। जो विद्यार्थी मित्र हटाये हैं, जो शिक्षा कर्मी हटाये हैं उनको माइनस करिये और उसके बाद कितने होते हैं, आप अंदाजा लगाइये कि आपने बेरोजगारी के मामले में क्या किया है।

इसी प्रकार से आपने कहा है समस्या समाधान के लिये, आपने गांव के लिए क्या किया है? एक भी गांव को आपने प्रधानमंत्री सड़क योजना में पिछले डेढ़ साल में नहीं जोड़ा और आप घोषणा कर रहे हो कि हम 3 हजार करोड़ रुपये ला रहे हैं। अभी पिछले दिनों भायाजी ने एक मीटिंग बुलायी थी सम्भाग की, उसमें कांग्रेस के बंधुओं ने यह कहा कि हमें बड़ी-बड़ी दूरबीन दे दीजिये कि राजस्थान में सड़कों का काम कहां चल रहा है। दूरबीन दो जिससे कि हम देख सकें। यह सदस्यों ने कहा सम्भाग की बैठक में। यह आइना है आपका कि गांव के लिये आप कितने प्रभावी तरीके से काम कर रहे हो।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से गरीब के लिये महंगाई कितनी बढ़ी? प्याज 80 रुपये तक चला गया। आप गरीब की बात करते हो, चीनी 45 रुपये तक चली गयी। गांव और गरीब की आप बात करते हो, किस आधार पर दावा करते हो? यह प्रस्तावना ही अपने आप में असत्य है। मैं आपके माध्यम से दो पंक्तियां कहना चाहता हूं, सौ फूल भी धरती पर उगाये जा सकते हैं, जहां एक फूल भी उचित देखभाल के अभाव में मुरझा जाता है। यह आप पर लागू होता है। ये दो पंक्तियां आप याद रखिये। यह पूरे मंत्रिमंडल को याद करना चाहिये कि आज जो हमारे प्रशासक हैं वे राज कर रहे हैं और मंत्रियों की क्या स्थिति है।

सभापति महोदय, पारदर्शी की बात करते हो, संवेदनशील की बात करते हो। आज अजीतगढ़ के थाने की बात उठायी थी एक सदस्य ने, आठ लोगों ने रेप किया था घर में जाकर और थाने वाले यह कह रहे हैं, हमारा डी.आई.जी. कह रहा है कि अभी हम तय करेंगे कि बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ है। बलात्कार की पीड़ा में वह बालिका बेहोशी की स्थिति में एस.एम.एस.

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

में भर्ती है। आप देख लीजिये, हमारे गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, गृह मंत्री किस रूप में करना चाहते हैं।

सभापति महोदय, नरेगा की बात कर रहे थे, एक संस्था है राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथारिटी, कह रही है, छठे अंक के पृष्ठ 158 पर, महानगर के भ्रष्टाचार में अनोखा मामला, ऐसा टाइटल है उसमें। वह कहती है कि राजधानी के 70 किलोमीटर पर विराट नगर पंचायत समिति के गांव छापड़ा कलां में चार व्यक्तियों के जो चार साल पहले मर गये, उनके नाम से नरेगा में कार्ड बना और उसके कारण से एफ.आई.आर. लाज हुई, नाम लिखा गया उसमें। जब एफ.आई.आर. लाज करायी, तो गृह मंत्रीजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शिवा ने एफ.आई.आर. लाज करायी, उस पर पुलिस ने एफ.आर. लगा दी। कोर्ट ने उस एफ.आर. को खोला। इसका इतना मेरे पास में पुलिंदा है। छापड़ा पंचायत में 15 लोग ऐसे हैं जो विदेश में रहते हैं, 15 लोग ऐसे हैं जो मर चुके हैं, लेकिन वे भी नरेगा में काम करते हैं। वहां पर आपने सरपंच को दोषी इसलिए नहीं ठहराया क्योंकि वह कांग्रेस का सदस्य है। यह किस प्रकार का न्याय आप करते हैं, किस प्रकार की संवेदना आप व्यक्त करते हैं, किस प्रकार की पारदर्शिता आप लाना चाहते हैं।

सभापति महोदय, पर्यावरण और खनिज नीति की बात आपने की, कल अख़बार में छपा है कि मंत्री के क्रैशर चल रहे हैं आबादी में। मंत्री के बेटों के नाम खान अलाट हो गयी। आप कौनसे खनन की बात करते हो? वहां आया कि विवेकाधीन कोटा खतम हो गया। अगर विवेकाधीन कोटा खतम हो गया तो यह किस आधार पर अलॉट हो रहा है? किस प्रकार का आप प्रयोग कर रहे हैं? ये स्थितियां बन रही हैं। पारदर्शी शासन की जो प्रस्तावना आपने छापी है, इसका मैं खंडन करता हूं। यह प्रस्तावना गलत है। पारदर्शी प्रशासन नहीं है, संवेदनशील प्रशासन नहीं है। अगर होता तो इस प्रकार की स्थितियां नहीं होतीं।

सभापति महोदय, आपने कहा कि गुर्जरों को हम विशेष प्रोत्साहन दे रहे हैं। विशेष योजना ला रहे हैं। 6 आईटीआई वहां खोल रहे हैं। मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं वहां 10 पंचायतें रैगुलर गुर्जर समाज की हैं। लेकिन वहां सरकारी आईटीआई नहीं है। वहां कोई सामुदायिक केन्द्र नहीं है। अभी यहां मंगलारामजी कह रहे हैं कि इनके यहां फीडर बना दिये, मेरे तो 10 पंचायत गुर्जर बहुल हैं, वहां 2 फीडर हैं। इस कारण से बिजली की ट्रिपिंग होती रहती

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

है। वे चिल्लाते रहते हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इस सदन में कहा गया कि आपके 4 फीडर बनाएंगे, लेकिन एक भी फीडर नहीं बना।

माननीय मंत्रीजी उसी क्षेत्र से आते हैं। आप किस आधार पर यह घोषणा कर रहे हैं कि विशेष तबकों को हम ऐसा दे रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं? आप बिजली का दावा कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने भूमि पूजन किया जिस कारखाने का, उसमें कितनी यूनिट बिजली पैदा की? एक यूनिट पैदा नहीं की, जीरो यूनिट पैदा की है, जीरो यूनिट।

आप बालिका शिक्षा की बात करते हैं, दो साल की बात करते हैं, आपने पिछले दो साल में एक भी लड़कियों का स्कूल न प्राइमरी खोला, न मिडिल खोला, न सैकण्डरी खोला, न सीनियर सैकण्डरी खोला। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, ऐसा भी युग था, वह बालिका शिक्षा का स्वर्ण युग था जब गुलाब चन्दजी शिक्षा मंत्री थे। लड़के और लड़कियों की 200 स्कूल खोलते थे तो केवल लड़कियों की 200 हर साल खोलते थे। 200 नहीं खोलते थे, 237 खोलते थे। हरेक पंचायत समिति में एक लड़कियों का विद्यालय और एक सह शिक्षा का विद्यालय दसवीं का बनता था, बारहवीं का बनता था। आप उस युग को याद करो। इस कारण से बालिका शिक्षा का प्रोग्राम आपने बना तो दिया लेकिन एक लड़कियों का स्कूल आपने नहीं खोला, एक लड़कियों का स्कूल प्रमोशन नहीं किया। लड़कियों के एक विद्यालय में आपने विज्ञान विषय नहीं खोला, वाणिज्य विषय नहीं खोला। आप किस आधार पर दावा करते हैं कि आपने बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया? हमने जो खोले हैं, आप अनुमान लगाओ, मैं तो आपसे विश्वासपूर्वक कहता हूं, आप सदन को बताओ कि हमने यह काम किया, इतने लड़कियों के स्कूल खोले, बारहवीं के इतने खोले, दसवीं के इतने खोले, आठवीं के इतने खोले। मैं कह रहा हूं, आप शिक्षा मंत्रीजी को कहिए कि आपको भारत सरकार पैसा दे रही है, जितने विद्यालय खोलो, उतने देंगे। आपने 50 हजार पद खाली रख छोड़े हैं, केन्द्र से पैसा नहीं मिल रहा है? हण्डरेड परसेंट मिल रहा है आपको।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समअप करें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वही बात कह रहा हूं, जो इनका कच्चा चिट्ठा है। झूठ शब्द को बदलकर असत्य कहना पड़ा, असत्य ही आप बोल रहे हैं। बिलकुल प्रमाणित कर रहे हैं कि यह असत्य है। इन्होंने कुछ किया नहीं और टाइटल

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

और छाप दिया। इन्होंने कहा कि 'सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:' लेकिन मैं कहता हूं, केवल एमएलए ही नहीं मंत्री और अधिकारी भी, इनका सर्वांगीण विकास हो रहा है, और किसी का नहीं हो रहा है।

इतना ही नहीं सामाजिक न्याय के लिए आपने कहा। सामाजिक न्याय में क्या-क्या अत्याचार होते हैं, मैं एक उदाहरण दूंगा। माननीय मंत्रीजी, कि आप कितने संवेदनशील हैं। एक एससी का डाक्टर, दंत चिकित्सक, पीजी किया हुआ, राजस्थान का एक लड़का, उसको पीजी आपकी सरकार ने करवाया है, उसके बाद उसको किक लगाया तिजारा, तिजारा से किक लगाया टोंक, एकमात्र पीजी किया हुआ लड़का, दंत चिकित्सक, यह संवेदनशीलता है। यह एससी, एसटी के प्रति सरकार की संवेदनशीलता है। उस डाक्टर को चक्कर कटा रहे हैं जो पीजी है, राजस्थान में दंत चिकित्सक है, पीजी है, मैं आपको आईना दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से उसको उत्पीड़ित कर रहे हैं। (व्यवधान) मैं दु:खी नहीं हूं।

आपने प्रधान मंत्री सड़क योजना की बात की है, आपने पूछा सब एमएलएज से? उसमें सब क्लाज लिखा हुआ है, एमपी और एमएलए को दिखाकर उनके सघन आबादी के क्षेत्र हैं, उनकी लिस्ट बनाकर भेजिए। कितने लोगों से पूछा गया? कितने लोगों से पूछकर यह कहा गया कि 5177 ढाणियां हैं, आप बताइए? कितने लोगों से पूछा गया कि आप बताइए? कितने लोगों से पूछा गया। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब पूछा ही नहीं गया तो कैसे प्रस्ताव गए हैं, कैसे प्रस्ताव वहां से आएंगे, किस प्रकार से विकास होगा? व्यवधान मैं एक बात दावे से कर रहा हूं, मैं तो उनसे पूछ रहा हूं कि किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, आपकी कितनी ढाणियों के प्रस्ताव बनाए हैं, आप बता दीजिए?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समअप करें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मैं समअप कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय से यह जो अभिभाषण पढ़वाया गया है, यह असत्य है, कोरा है। महाकवि जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां मैं एक रूपक के रूप में कह रहा हूं, 'ऊपर जलता नीचे हिमता, ए डगर, तुझे जड़ कहूं या चेतन। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार'।

श्री सभापति: श्री ओम जोशी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह बड़ी पीड़ा थी, आपने ध्यान ही नहीं दिया, इनकी बात पर। जवाब तो दिलवाओ। आप तो पीड़ा में थे, आपकी पीड़ा का कोई जवाब ही नहीं आया।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): जवाब आपके पास है ही नहीं। आप भी संभाग की बैठक में क्या पीड़ा व्यक्त कर रहे थे, वह यहां नहीं कहना चाहते?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप मेरी एक बात सुनो।

'सदियों के बाद उतरा गहरे पानी में,
वतन की प्यास बुझा कर रहेंगे।
जो सिर झुके नहीं झुकाए गए थे,
उन सिरों को ऊंचा उठा कर रहेंगे,
जो जाति और धर्म के नाम पर जीतते थे,
उनको हराकर रहेंगे।
जिन घरों में सदियों से अंधेरा था,
उन घरों में चिराग जला कर रहेंगे।'

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा हमारी सरकार के तीसरे अभिभाषण को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया, एक-एक चित्रण सदन के सामने रखा गया। जो तस्वीर रखी, वह विकास की, उपलब्धियों की तस्वीर दृष्टिगोचर रही। विपक्ष के विद्वान सदस्यों द्वारा कई तर्क और वितर्कों के माध्यम से यह बात साबित करने की कोशिश की गई कि जो अभिभाषण रखा गया है उसकी उपलब्धियां वास्तविक उपलब्धियां नहीं हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि यह तीसरा अभिभाषण है, प्रथम अभिभाषण के समय भी विपक्ष का दृष्टिकोण यही था, द्वितीय अभिभाषण के समय भी ये इसी बात को लेकर चल रहे थे। जब जनता ने हमें चुनकर भेजा तो हम सदन में आए और जब-जब चुनाव हुए, हमें जनता के सामने जाना पड़ा। लोक सभा के चुनावों में गये, नगरपालिकाओं के चुनावों में गये, पंचायतों के चुनावों में गये और जनता ने जो भी बात इन्होंने अभिभाषण के समय रखी, बजट के समय रखी, उन सब बातों को नकारते हुए हर समय कांग्रेस के पक्ष में मतदान करके अपनी पुष्टि जाहिर की कि राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त करती है।

(श्री ओम जोशी)

माननीय सभापति महोदय, इस दस्तावेज में किसी भी एक ऐसे वर्ग को नहीं छोड़ा गया है जिसकी पीड़ा हो, उसके निवारण का प्रयास नहीं किया गया हो। चाहे वह किसान हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे महिला हो, चाहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के भाई हों, चाहे विशेष पिछड़े वर्ग के लोग हों, हमारे अल्पसंख्यक भाई हों, कर्मचारी हों, पेंशनर्स हों, स्वतंत्रता सेनानी हों, युवा हों, महिलाएं हों, बीपीएल के पीड़ित लोग हों, इन सभी को, हर वर्ग को, हर जाति के व्यक्ति को राहत प्रदान करने की कोशिश की गई है।

माननीय सभापति महोदय, चुनाव लगातार होते रहे, सरकार जिस त्वरित गति के साथ काम करना चाहती थी, वे ज्यादा नहीं हो पाए, क्योंकि बंधन था आचार संहिता का। पर माननीय मुख्य मंत्रीजी के दिल में एक पीड़ा थी, एक कसक थी, एक ललक थी, वह चाहते थे कि सरकार जनता के सामने जाए और जनता के सामने जाकर, जनता के साथ बैठकर उनकी पीड़ा को सुने और उनके काम निपटाए। एक ऐसा नया त्रिवेणी संगम पैदा किया गया, प्रशासन गांवों के संग अभियान के द्वारा, प्रशासन को गांवों में भेजकर, जनता, जन प्रतिनिधि और जन सेवक तीनों ने एक साथ में बैठकर एक-एक समस्या के निवारण के लिए, शत प्रतिशत निवारण के लिए प्रयास किए। मुझे यह बात कहते हुए खुशी है, माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं साधुवाद देना चाहता हूं, इसकी प्रशंसा हो रही है। नए राजस्थान के निर्माण में सामान्य तौर की समस्याएं थीं, करीब 1 करोड़ लोगों की समस्याओं का निवारण कर उन्हें लाभांवित किया गया है, इसके लिए वह वास्तव में साधुवाद के पात्र हैं।

माननीय सभापति महोदय, जो शुचिता, जो साधुता, जो मानवीयता हमारे मुख्य मंत्रीजी में है, वह बिरले ही देखने में मिलती है। चाहे विपक्ष खींवाराम की घटना को लेकर आज कुछ भी कह दे, हमारे विपक्ष के कई विद्वान माननीय सदस्य बैठे हैं, वे मन में यह जानते हैं कि कल माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा खींवाराम के संदर्भ में जो निर्णय किया गया, उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए उसके ससुराल में जाकर उसके बच्चों को सम्भाला गया और जो गांधीवादी दृष्टिकोण से सहृदयता जताई गयी है वह अपने आप में अनुपम है, अलौकिक है, अनुकरणीय है। ऐसा राजनीति में बहुत ही कम होता है। माननीय सदस्य चौधरी साहब बता रहे थे कि अगर खींवाराम के साथ किसी प्रकार की कार्यवाही करते, किसी प्रकार की उसके प्रति कोई पुलिस की कार्यवाही करवाते तो यही हमारे माननीय सदस्य इस वैल में आकर

(श्री ओम जोशी)

बैठते, धरने लगाते और सदन को नहीं चलने देते। आज उनको माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा लिये गये निर्णय के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए।

इस अभिभाषण में गांव का ख्याल रखा गया है, हमारा राजस्थान गांवों में बसता है। गांवों में बसने वाले राजस्थान की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वह पानी की सुविधा हो, चाहे सड़क की सुविधा हो, चाहे बिजली की सुविधा हो, चाहे चिकित्सा की सुविधा हो, चाहे शिक्षा की सुविधा हो, वह कैसे उपलब्ध हो, यह हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी के जहन में है, चिंतन में है, मनन में सदैव व्याप्त रहती है। वह कोशिश करते हैं कि आम आदमी का भला कैसे हो, आम आदमी की पीड़ा को हमारी सरकार किस तरीके से निपटाए। हमेशा जब भी कोई फैसला करते हैं तो वह फैसला एक वृहत दृष्टिकोण लिये हुए होता है, एक दूरदृष्टि लिये हुए होता है, एक दूरगामी परिणाम देने वाला होता है। उस फैसले के जो परिणाम मिलते हैं, वे आम आदमी के भले के परिणाम होते हैं, गरीब आदमी के भले के परिणाम होते हैं और गांव के भले के परिणाम होते हैं, काश्तकार के लिए भले के लिए परिणाम होते हैं, उनको मूर्त रूप देने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने केवल मात्र बात नहीं की, इन दो सालों में कई नीतियां बनाई उन नीतियों के माध्यम से यह साबित करने की कोशिश की कि कैसे क्रियान्विति की जाएगी। केवलमात्र भाषण देकर, केवलमात्र बात रखकर टालने की बात नहीं की गई। हमारी नई जल नीति बनी, नई औद्योगिक विकास और निवेश नीति बनी, हमारी नई खनिज नीति बनी। कई आयोग बने, नवगठित अल्पसंख्यक मामलात का विभाग बना, राजस्थान के पर्यावरण की नीति बनी, राजस्थान राज्य आवीजिका मिशन बना और राजस्थान गरीबी उन्मूलन परियोजना स्थापित हुई, कृषि प्रसंस्करण व कृषि प्रोत्साहन के लिए नीति बनी, पशुधन विकास की नीति बनी और राज्य बाल अधिकार आयोग का गठन किया गया। ऐसे कई काम थे जिनको आधारभूत रूप से धरातल पर करने के लिए जो ठोस एक व्यवस्था चाहिए थी, उसको माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्थापित किया।

संविधान के 13वें संशोधन के तहत हमारी जो ग्राम पंचायत है, वह मूल हमारी गांव की कड़ी है। गांव की पंचायत पूरे अधिकारयुक्त हो, पूरे अधिकारों का विकेन्द्रीकरण हो, यह दृष्टिकोण हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी का रहा। 23वें संशोधन के पश्चात् जो अधिकार पंचायतों को जाने चाहिए थे, 2

(श्री ओम जोशी)

अक्टूबर, 2010 को हमारे देश की नेता माननीय सोनिया गांधीजी ने नागौर के अन्दर यह घोषणा की थी कि पंचायती राज को सशक्त किया जाएगा और उसी घोषणा के तहत राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने 5 विभागों का अधिकार विधिवत् रूप से ग्राम पंचायतों को और जिला परिषद् को सुपुर्द कर दिया। यह कोई बहुत छोटी उपलब्धि नहीं है। यह वह अधिकार की बात है, जो आप अपने घर का जब मुखिया होते हो, आप अपने बच्चे को अपनी आलमारी की चाबी नहीं सौंपते हो, इस तरह से अधिकार देकर और ग्राम पंचायतों को मजबूत करना अपने आप में बहुत महत्व रखता है। ग्राम पंचायतों को ई-गवर्नेंस देने के लिए, वर्तमान में जो आईटी का उत्थान है, जो राजीव गांधी का सपना था, उससे सीधा संबंध स्थापित करने के लिए राजीव गांधी सेवा केन्द्रों की स्थापना का संकल्प लिया गया। उसी संकल्प के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत के केन्द्र पर एक-एक राजीव गांधी सेवा केन्द्र निर्मित हो रहा है और पंचायत समिति स्तर पर 25 लाख रुपये की लागत से राजीव गांधी सेवा केन्द्र स्थापित हो चुके हैं। माननीय सभापति महोदय, हालांकि इस दस्तावेज में इतनी उपलब्धियां हैं, जिनका कि घंटों-घंटों और कई दिनों तक अगर उल्लेख किया जाए तो भी उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा संक्षेप में कि जो हम धरातल पर बैठे हुए, गांव में बैठे हुए लोग, पश्चिमी राजस्थान से आने वाले लोग जो महसूस करते हैं, मेहरबानी करके उसको उद्घाटित करने दीजिए, जो कि राजस्थान की सभी जनता के लिए उपयोगी है।

माननीय सभापति महोदय, पीडीएस सिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रयास किये गये, दो रुपये किलो गेहूं अगर बीपीएल के व्यक्ति को मिलता है तो यह छोटी उपलब्धि नहीं है, 15 तारीख से लगाकर 21 तारीख तक निश्चित रूप से राशन की दुकान पर राशन मिलेगा, इस व्यवस्था को आज राजस्थान की जनता सराह रही है। गरीब आदमी जिसके पेट का निवाला राशन के माफिया खा जाते थे, आज वह गरीब का निवाला उस गरीब को मिल रहा है। यह उपलब्धि आज हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की।

एक बहुत बड़ी मांग थी, पिछले विधान सभा सत्रों के दौरान आई थी, कृषि बीमा की राशि कई जगह पर उपलब्ध नहीं की गई थी, माननीय मुख्य मंत्रीजी बहुत ही अहम निर्णय करते हुए राजस्थान का हिस्सा देकर केन्द्र सरकार से प्रयास करके फसल बीमा की राशि 740 करोड़ रुपये सीधे

(श्री ओम जोशी)

काश्तकारों के खाते में जमा करवाने का काम किया वह हमारे खाते में बहुत बड़ी उपलब्धि है और आज भी यह किसान महसूस करता है कि कितनी उनको राहत मिली है। आदान अनुदान की राशि लघु और सीमांत कृषक को 4 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर दी गई, वह भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। सामूहिक विवाहों की बात हो, उसमें अनुदान देने की बात हो, सब को शिक्षा देने की बात हो, एक बहुत बड़ा नारा दिया गया था और उस नारे को बहुत ही हल्के से लेने की कोशिश की गई थी। आज महसूस किया जा रहा है कि पानी बचाओ, बिजली बचाओ और सब को पढ़ाओ। यह नारा मुख्य मंत्रीजी का एक सतही नारा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करें।

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, थोड़े पांच मिनट तो देंगे बोलने के लिए, अभी तो चालू किया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, पर्याप्त समय दिया है आपको। (व्यवधान)

श्री ओम जोशी (फलौदी): बालिकाओं को किस तरीके की शिक्षा मिले, अभी हमारे एक माननीय सदस्य फरमा रहे थे कि एक भी सैकण्डरी स्कूल नहीं खोला गया। मेरे विधान सभा क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय के 8 सैकण्डरी स्कूल इस साल क्रमोन्नत हुए हैं। जीएसएस का मैं बिजली के क्षेत्र में निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री ओम जोशी (फलौदी): बिजली के क्षेत्र में निवेदन करना चाहता हूं कि किसी जमाने में हीरापुरा में एक बहुत बड़ा जीएसएस हुआ करता था, 400 केवीए का जीएसएस हीरापुरा, जयपुर में हुआ करता था, आज हमारे सुदूर गांव बड़ला में, मेरे विधान सभा क्षेत्र के बड़ला गांव में 400 केवीए का जीएसएस चल रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करें। (व्यवधान)

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, पर्यटन की दृष्टि से कितनी संवेदनशीलता के साथ खींचन और खेजड़ली, खेजड़ली गांव जो पर्यावरण के लिए प्रसिद्ध है जहां पर सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसके महत्व को समझा और, खींचन और खेजड़ली को पर्यटन केन्द्र घोषित किया। अलसीसर, बिचून बस्ती, भूरी पहाड़ी और

(श्री ओम जोशी)

झालों का गूढ में भी पर्यटन केन्द्र घोषित किये गये, यह कोई कम उपलब्धि नहीं है।

चिकित्सा के क्षेत्र में एम्बुलेंस का जाल बिछाया, सब जगह एम्बुलेंस दी गईं, हां मैं मानता हूं कि कुछ जगह पर चिकित्सकों की कमी रही, यह मैं मानता हूं कि कुछ जगह शिक्षकों की कमी रही, लेकिन माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कमी है माननीय मुख्य मंत्रीजी सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं और यह बता रहे हैं कि 50 हजार शिक्षकों की भर्ती करके इस सत्र तक उनकी पूर्ति कर दी जाएगी। डाक्टरों की भर्तियां चल रही हैं, नर्सेज की भर्ती चल रही है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करो आप।

श्री ओम जोशी (फलौदी): एक सबसे बड़ी उपलब्धि आई आई टी की स्थापना की है। पूरे देश में जो गिनी-चुनी 5-6 आईआईटी हैं, आज जोधपुर में भी आई आई टी अपने अस्थाई कैम्पस में चालू हो चुकी है, यह राजस्थान के लिए गौरव की बात है। यह राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि उदयपुर में भी आई आई एम, स्थापित हुआ है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब सम-अप करें।

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष जिसके द्वारा गांव का गरीब आदमी, जिसके द्वारा बीपीएल का आदमी, जिसके द्वारा स्टेट बीपीएल का आदमी, जिसके द्वारा आस्था का आदमी, एचआईवी एड्स का आदमी, एक वृद्ध आदमी विधवा डिसएबल्ड, नवजीवन का आदमी, अन्नपूर्णा योजना का आदमी, अन्त्योदय का आदमी, एक ऐसा आदमी जो निःशुल्क, चिकित्सा की आवश्यकता महसूस करता है, उसको निःशुल्क चिकित्सा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। मैं समझता हूं, यह देश में अपने आप में अनूठी योजना है, जो कि राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री.....

श्री सभापति: अब सम-अप करें, माननीय सदस्य।

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय अशोक गहलोतजी के द्वारा की गई और और इसके ऊपर अब तक...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब सम-अप करो।

श्री ओम जोशी (फलौदी): 60 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं, आप चूंकि सम-अप करने की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं हमारे सम्माननीय विपक्ष से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि केवल मात्र छिद्र मत ढूंढो, केवल मात्र आलोचना के लिए आलोचना मत करो, हकीकत को स्वीकार करो। अगर आप हकीकत को स्वीकार करेंगे तो जनता में आपकी पैठ बढ़ेगी, अन्यथा जो आप सभी स्वप्न देख रहे हैं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करो अब आप।

श्री ओम जोशी (फलौदी): मैं माननीय विपक्ष से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सदैव सरकार के अच्छे कामों के लिए रचनात्मक सहयोग, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं को पूरा करने में अपनी भागीदारी निभाइये।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता सिंह। माननीय सदस्य, अब सम-अप करो आप। धन्यवाद। माननीय सदस्य हो गई बात।

श्री ओम जोशी (फलौदी): जब प्रशासन गांवों की ओर गया तो आलोचना करने की कोशिश की गई। लेकिन मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि हमारे बाबूसिंह जी जैसे विपक्ष के सदस्य गांवों में जब गये थे, उनको महसूस हुआ कि क्या-क्या लाभ मिलता है....

श्री सभापति: श्रीमती अनिता सिंह।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मैं तो खड़ी हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो आप।

श्री ओम जोशी (फलौदी): सामाजिक सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

श्री सभापति: हां, विराजो। अब विराजो आप।

श्री ओम जोशी (फलौदी): आपने मुझे समय दिया और मुझे टोकने की भी बहुत कोशिश की, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): माननीय सभापति महोदय, इस राज्य सरकार का गठन 2008 में हुआ, तब से लेकर अब तक यह तीसरा अभिभाषण हम सबने सुना। इसको पढ़ने के बाद यह महसूस भी किया कि राजस्थान के गांव का गरीब और किसान अपने आपको बहुत ठगा-सा महसूस कर रहा है। दो वर्षों से सरकार यहां महामहिम राज्यपाल महोदय से सरकार के विभिन्न विभागों की विवेचना और उनके कार्यों की समीक्षा इत्यादि करवा रही है। सरकार महामहिम राज्यपाल को भी अंधेरे में रखती है, उनसे यह जो

(श्रीमती अनीता सिंह)

अभिभाषण पढ़वाया है, यह वास्तविकता से भी परे है और मैं सदन में इसका विरोध करती हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि राजस्थान इस देश में भू-भाग की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है और पीने का पानी इस जमीन की सतह पर पहले ही कम था और अब दिन-पर-दिन कम होता जा रहा है। स्थिति बहुत नाजुक है, स्वच्छ पानी हमारे क्षेत्र में अपर्याप्त है। जल नीति के रूप में नई नीति तो बनाई है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के नाम पर इस पर कोई काम नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूं कि विधान सभावार कितने हैण्डपम्प, कितनी रीजनल स्कीम्स, कितने पम्प एण्ड टैंक योजना, पानी पिलाने की कितनी योजनाएं इस वर्ष बनाई हैं, वो विधान सभा में जरूर रखें। मैं कहना चाहती हूं कि जो भी योजनाएं इस सरकार ने पीने के पानी की बनाईं वो हमारी जो पिछली वसुंधरा राजे की सरकार थी उसके 10 प्रतिशत के बराबर भी नहीं बनाईं। मैं तो अपने क्षेत्र के विषय में कहना चाहती हूं कि जो उस समय मंत्री थे सांवर लाल जी, उन्होंने मेरे क्षेत्र में पनिहारिन योजना को लेकर बहुत बड़ा बजट दिया था। वो भी आज तक इस सरकार ने पूरा बनाकर नहीं दिया, उसको पूरा नहीं किया। न वहां पर टैंक खुदे न वहां पर पम्प की व्यवस्था की और बस ऐसे ही धीरे-धीरे चलते जा रहे हैं और वो आज भी अधूरी पड़ी है। मैं यह कहना चाहती हूं कि इस सरकार ने एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों के लिए सिंगल फेस की बहुत सारी योजनाएं बनाईं, लेकिन वो भी हमारे विधान सभा क्षेत्र में 20 कीं तो उनमें से मुश्किल से 7 और 8 आज तक ये लगा पाये हैं। आज की यह जो सरकार है, इसकी अगर बात करें तो स्कूल में तो अध्यापक नहीं हैं, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, गांवों में रात में अगर बच्चे पढ़ना चाहें तो घर के लिए बिजली नहीं है, अस्पतालों में बीमार होकर जाएं तो वहां पर डाक्टर नहीं हैं और सड़कों की तो क्या बात करें कि सड़कों पर तो गड्ढे ही गड्ढे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि इस बार बरसात में सड़कों की इतनी बदतर हालत हुई है, इतनी क्षतिग्रस्त हो गई हैं कि उन सड़कों के बारे में रोज अखबारों में छपता है, हर जगह कहीं न कहीं कोई बात आती रहती है। सड़कों की बात जो यह कर रहे हैं कि हमने यह कर दिया, वो कर दिया, मैं पूछना चाहती हूं कि विधान सभा में बताएं कि कितनी ग्रामीण सड़कें इन्होंने बनाईं, कितनी एमडीआर में बनाईं, कितनी पीएमजीएसवाई में बनाई, कितनी आरआईडीएफ में बनाईं, कितने स्टेट हाइवे बनाये, कितने नेशनल हाइवे बनाये। इन सब में जो सड़कें बनी हैं और अब

(श्रीमती अनीता सिंह)

तक पुरानी जितनी सड़कें हैं उन सब में गड्ढे ही गड्ढे हैं। रोज अखबारों में हम पढ़ते हैं कि इतने लाख रुपये इन गड्ढों को ठीक करने के लिए सैंक्शन हो गये हैं, लेकिन जब भी वहां से गुजरते हैं, हमेशा गड्ढों में से ही गाड़ियां गुजरती हैं।

सभापति महोदय, कानून व्यवस्था की बहुत सारी बातें अभिभाषण में कहलवाई गई हैं, कानून व्यवस्था के विषय में मैं आपसे कह दूं कि पिछले महीने खुद डीजी साहब हमारे भरतपुर जिले में आये थे और उन्होंने अपने भाषण में इस बात को कहा था कि भरतपुर में हालात बिगड़ रहे हैं, यहां पर मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर ट्रॉली, जीप-कार की रोज चोरी-लूट की घटनाएं होती है। हम उस क्षेत्र से आते हैं जहां पर हर दूसरे दिन गौहत्या के मुकदमे दर्ज होते हैं। मैं, माननीय सभापति महोदय, आपसे कहना चाहती हूं कि हमारे जिले में कानून व्यवस्था को संभालने वाले आईपीएस, आईएएस जब सड़कों पर खुद पिटते हैं तो वो किसी और की क्या रक्षा करेंगे?

एक बात और इस अभिभाषण के अन्दर कहनी चाहिए थी, आम आदमी की, ग्रामीण की, गरीब की बात। हम कहते हैं कि राजनीति में हम इसलिए आये हैं कि गरीब को गणेश मानकर उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। लेकिन जब गरीब की बात करते हैं तो हम महंगाई की बात नहीं करते। केन्द्र सरकार रोज अखबारों के माध्यम से यह सूचना देती रहती है कि महंगाई जो कम करनी है वो राज्य सरकारों का काम है लेकिन उसके बाद भी सरकार ने अपने अभिभाषण के अन्दर महंगाई को कम करने के लिए कोई भी टैक्स कम करने की बात इसमें नहीं की। महंगाई से गरीब परिवारों को रोज जूझना पड़ता है। समय की मांग भी है कि राज्य सरकार भारी टैक्सों की कमी करके जनता को राहत दे। जिस प्रकार से, जिस वेग से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसी वेग से महंगाई भी बढ़ती जा रही है। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा इस सरकार से कहना चाहती हूं कि महंगाई के मुद्दे पर जनता गुस्से में आकर सड़कों पर भले ही कम उतर रही हो लेकिन लोगों के भीतर ही भीतर गहरी नाराजगी सुलग रही है, अगले चुनाव में इस आग का असर दिखेगा तभी इन लोगों को पता लगेगा कि हम लोगों ने कितने अच्छे काम किये और कितने नहीं किये।

सभापति महोदय, मैं निवेदन कर देना चाहती हूं शिक्षा के विषय में, स्कूलों की इतनी खराब स्थिति है कि आम गरीब को, किसान को दु:ख पाकर

(श्रीमती अनीता सिंह)

अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में भेजना पड़ता है। आज जितने सरकारी स्कूल हैं उनमें ड्राप-आउट हो रहा है, उनसे रोज बच्चे बाहर निकल रहे हैं। निकलने का कारण है कि वहां पर एक भी अध्यापक नहीं है जो उनको पढ़ा सके। सरकारी स्कूलों की बात करते हैं तो आप बात करते हैं कि हमने इतनी स्कूलें खोलीं, हमने इतनी सीनियर सैकण्डरी कीं, हमने इतनी सैकण्डरी की लेकिन इतनी सीनियर सैकण्डरी और सैकण्डरी करने के बाद भी अगर आप वहां पर अच्छे अध्यापक नहीं लगाएंगे तो वहां पर बच्चे पढ़ने कैसे जाएंगे? पर फिर उनको निजी विद्यालयों की ओर बढ़ना पड़ेगा। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जितने भी सीनियर सैकण्डरी और सैकण्डरी स्कूल हैं, वहां पर अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत का एक भी टीचर नहीं है जो 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चों को पढ़ा सके।

मैं निवेदन कर देना चाहती हूं कि राजस्थान की धरती पर सूखे की मार और ओलावृष्टि का प्रकोप प्राकृतिक आपदा के रूप में समय-समय पर आता रहा है। अभी दो-तीन दिन पहले भी प्राकृतिक आपदा पड़ी, ओलावृष्टि हुई, फसलों का नुकसान हुआ। उसके बाद किसान के लिए जो वर्तमान समय है उसमें लागत मूल्य प्रति हैक्टेयर बहुत ज्यादा है क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। मुआवजे की बात करें तो जो 50 साल पहले फसलों पर मुआवजे मिला करते थे, वो ही मुआवजे आज हमको मिल रहे हैं। तो, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि आप सरकार से कहें कि मुआवजा आज की वर्तमान दर से करें ताकि किसान को मुआवजा पूरा मिले। प्रशासन इसका सही आंकलन करे। किसान इतनी बदहाल स्थिति में है कि न ऋण चुका पाता है न परिवार का पोषण कर पा रहा है। उस किसान को पूरा मुआवजा मिले।

सभापति महोदय, बिजली की बहुत सारी बातें यहां पर आईं, मुझसे पहले भी बहुत सारे वक्ताओं ने कहीं, मैं यह कहना चाहती हूं कि परमाणु बिजली का सपना दिखा-दिखा कर करार करने वाली जो कांग्रेस सरकार है, इसने लोगों की जिन्दगी में अंधेरा कर दिया है। अंधकार में रहना और बिना खाये सो जाना इस प्रदेश की जनता का जीवन दर्शन बन गया है। आजादी के बाद आम आदमी का आज जो दौर है वह सबसे कठिन दौर है, कि उसके लिए सरकार कुछ कर नहीं पा रही है और महंगाई के बोझ से वो डूबा जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर देना चाहती हूं कि पिछली सरकार ने बजट भाषण में योजना बनाई थी मोक्ष धाम योजना

(श्रीमती अनीता सिंह)

और मोक्ष धाम योजना में कहा था कि 10 प्रतिशत अगर जनता जमा कराएगी तो हम उसमें 90 प्रतिशत पैसा दे देंगे। मैंने उस भुलावे में आकर मेरी जनता से 14.50 लाख रुपये जमा करवाये लेकिन आज तक उसमें एक भी सैंक्शन जारी नहीं हुई। हमने यहां आकर पूछा कि इसकी सैंक्शन क्यों नहीं आ रही है तो पता लगा कि इस योजना का नाम तो रख दिया लेकिन इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक पैसा भी नहीं रखा, इसलिए यह योजना यूं ठप्प हो गई।

आपने एक नवजीवन योजना चलाई उन लोगों के लिए जो शराब बनाने का काम करते थे। उनके लिए, नवजीवन योजना का आपने प्रचारित किया लेकिन पूरे राजस्थान में नवजीवन योजना में एक भी व्यक्ति को आपने लाभ नहीं दिया। सिर्फ उसमें किताब में दिखा दिया और किताब को पढ़वा दिया लेकिन उसमें एक पैसा भी आपने आज तक किया नहीं।

अभी बहुत सारे कांग्रेस के बंधु इस बात को कह रहे थे कि हमने बिना लाठी के यह कर दिया। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं, सभापति महोदय, आपके द्वारा कि आपने गुर्जरों को बिना कुछ दिये पटरी से उठा दिया। उसके लिए आप धन्यवाद मांग रहे हैं। आपने समझौते में से 9वीं अनुसूची की बात को पूरा गोल कर दिया, उसके लिए आप धन्यवाद मांग रहे हैं। वसुन्धरा राजे की सरकार ने पांच प्रतिशत के आरक्षण का विधेयक बनाया, उस पर आपने इम्प्लीमेंटेशन में इतने रोड़े अटकाये, विधेयक का वो हश्र किया कि उसको हाई कोर्ट में पटक दिया। उस पर गुर्जर, रैबारी, बंजारा समाज अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहा है। इसके लिए आपको धन्यवाद मिलेगा, जरूर मिलेगा। जब आप चुनाव में जाओगे उस समय आपको इसका धन्यवाद मिलेगा। मैं कहना चाहती हूं। सभापति महोदय, बहुत सारी बातें हैं, हरित राजस्थान की बात है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब सम-अप करो आप।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): सिर्फ दो मिनट में कर रही हूं सभापित महोदय। हरित राजस्थान योजना के अन्दर आपने बता दिया कि इतने सारे पौधे पूरे राजस्थान में लगाये। मैं सभापति महोदय, आपसे निवेदन कर देना चाहती हूं कि आप कोई कमेटी बनाएं विधायकों की, कांग्रेस के दो विधायक लीजिये, भारतीय जनता पार्टी के दो विधायक लीजिये और एक इनका लीजिये, उसके बाद पवनजी को लीजिये और इन पांच विधायकों को पूरे प्रदेश में जो

(श्रीमती अनीता सिंह)

जिंदा पौधे हैं, उनके निरीक्षण के लिए भेजिये तो आपको पता लगेगा कि आपके पांच प्रतिशत पौधे भी जिंदा नहीं हैं। आपने पूरा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया और इस किताब में लिखा दिया कि हमने लाखों पौधे लगा दिये, हमने हरित राजस्थान बना दिया।

हमारे कांग्रेसी बंधु बहुत जोर से कहते हैं कि हमने विधवा, विकलांग और वृद्धावस्था पेंशन में बहुत काम किया है। मैं निवेदन कर देना चाहती हूं, मैंने आंकड़े लिये हैं इस सरकार से कि मेरे जिले के अन्दर 2008-2009 ...

श्री सभापति: माननीय सदस्या, अब सम-अप करो।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): एक लास्ट पाइंट है। 2008-2009 में जितने आवेदन आये थे उसमें से 95 प्रतिशत आवेदन मंजूर हुए थे, विधवा, वृद्धावस्था और विकलांग पेंशन दी गई थी। लेकिन उसके बाद 2009-2010 के अन्दर जितने आवेदन आये, उसमें से केवल 45 प्रतिशत आपने स्वीकृत किये, बाकी अस्वीकृत कर दिये। यह आपकी परफार्मेन्स है विकलांगों को, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन देने में।

भ्रष्टाचार की बहुत सारी बातें होती हैं, केन्द्र के बारे में रोज अखबारों में पढ़ते हैं। माननीय सभापति महोदय, आप ध्यान करेंगे, हमारे यहां पर नरेगा के अन्दर एक एस.डी.एम. थे, उन्होंने 77 लाख रुपये का एक फर्जी एन.जी.ओ. को पेमेंट कर दिया। उसके बाद जब मैंने इसकी शिकायत की मंत्री महोदय को और मुख्य मंत्रीजी को, तो उन्होंने इसको मेरे यहां से हटा तो दिया लेकिन उसका प्रमोशन करके उसको जालौर ए.डी.एम. लगा दिया। मैं निवेदन कर देना चाहती हूं कि भ्रष्टाचारियों को यह सरकार पनाह देती है और ईमानदारी से काम करने वालों को सज़ा देती है। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का मैं पुरजोर समर्थन करती हूं। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार आम आदमी, गरीब आदमी और सभी वर्गों के लिए अच्छा काम कर रही है, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है और प्रदेश उत्तरोत्तर तरक्की की ओर बढ़ रहा है। हमारी सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कृत-संकल्प है। 10.11.2010 को इस राज्य सरकार द्वारा 52

(श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ)

दिवसीय प्रशासन गांवों के संग अभियान ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आयोजित किया गया। माननीय मुख्य मंत्रीजी इस प्रशासन गांवों के संग अभियान की मानिटरिंग करने के लिए स्वयं गांवों में गये। इसमें नामान्तरण, विधवा पेंशन, पालनहार योजना, नि:शक्तजनों को नि:शुल्क पास, पहचान पत्र, प्रमाण-पत्र बनाये गये। इसके लिए राजस्थान की ग्रामीण जनता माननीय मुख्य मंत्रीजी की आभारी हैं। राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की 10,000 रुपये पेंशन बढ़ाकर प्रति माह कर दी है। राजस्थान सरकार ने कानून और व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। गुर्जर समाज के द्वारा आरक्षण की मांग का समाधान शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक ढंग से किया गया। बिना लाठी और गोली के इस समस्या का समाधान माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कर दिया है, यह मुख्य मंत्रीजी की संवेदनशीलता का परिणाम है।

13वें संविधान संशोधन के अनुरूप माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सत्ता का विकेन्द्रीकरण करते हुए पंचायती राज संस्थाओं को पांच विभाग सौंपकर ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को अधिकार सम्पन्न बनाया है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र की जनता माननीय मुख्य मंत्रीजी की और राजस्थान सरकार की बहुत-बहुत आभारी है।

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत राज्य सरकार 50,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है, इससे शिक्षकों की कमी दूर होगी। अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को ग्रामीण सेवा में गांवों में भेज देंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी की समस्या का समाधान हो जाएगा जिससे ग्रामीण क्षेत्र की शैक्षिक व्यवस्था सुचारु रूप से चल सकेगी।

राज्य सरकार ने निर्धन परिवारों को आवास मुहैया कराने के उद्देश्य के अन्तर्गत 4.35 लाख परिवारों को आवासीय भूखण्ड एवं पट्टे उपलब्ध करवाये।

नवगठित अल्पसंख्यक मामलात विभाग पूरी तरह सक्रिय हो गया है। वक्फ बोर्ड, राज्य मदरसा बोर्ड और हज कमेटी के प्रशासनिक दायित्व नये विभाग के पास आ गये हैं। अल्पसंख्यक विभाग के सारे विभाग एक ही जगह होने से अल्पसंख्यकों की कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने में अच्छा रहेगा। पांच जिलों- जयपुर, अलवर, गंगानगर, नागौर में अल्पसंख्यक आई.टी.आई. खोलकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों शिक्षा के प्रति जुड़ाव करने का अच्छा कदम है, इसका मैं स्वागत करती हूं। पंजीकृत

(श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ)

2,970 मदरसों में कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा और 3,500 मदरसा शिक्षा सहयोगियों की भर्ती प्रारम्भ कर दी गयी है।

पर्यावरण नीति भी बनाई है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और राजस्थान की सरकार ने, हम उसका स्वागत करते हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, कई माननीय सदस्यों को और विचार व्यक्त करने हैं, सदन का समय मेरी प्रार्थना है और मेरा प्रस्ताव है कि सदन का समय आधा घंटे और बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: जो बाकी रह जाएंगे, कल बोल लेंगे, माननीय सचेतक जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आधा घंटे में क्या है?

श्री सभापति: कई माननीय सदस्य हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, आधा घंटा, आधा घंटा। सभापति महोदय, सिर्फ आधा घंटा।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): राज्य सरकार ने पेयजल की गम्भीर समस्या को मद्देनजर रखते हुए 12,884 करोड़ रुपये की बड़ी योजना स्वीकृत की है। शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने से राज्य में सबको शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल होगी। कक्षा आठवीं तक की परीक्षा में बोर्ड की परीक्षा समाप्त कर दी गई है और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 51,000 बालिकाओं को साइकिल वितरण योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है।

3,354 करोड़ रुपये की प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। साथ ही परिवहन विभाग ने 238 ग्राम पंचायतों में परिवहन सेवा को चालू किया है। उप नगरीय सेवा के लिए लो-फ्लोर बसें भी चलाई गई हैं। उसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। लो-फ्लोर बसें उप नगरीय क्षेत्रों में अच्छी सेवाएं दे रही हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, आधा घंटा सदन का समय बढ़ा दें। हम तो सिर्फ 15 मिनट मांग रहे हैं।

श्री सभापति: कल बोल लेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, सिर्फ 15 मिनट। कल बहुत सारी ब्याह-शादियां हैं इसलिए प्रार्थना है, सभापति महोदय। हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं आसन से। मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप 15 मिनट बढ़ा दें।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): एकल खिड़की योजना के तहत सभी 244 उपखण्डों को ई-गवर्नेंस योजना से जोड़ा गया है ताकि सुगम प्रणाली से अनिवार्य रूप से कार्य हो सके। राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी ने जिलों का दौरा कर, रात्रि विश्राम कर जन सुनवाई के निर्देश दिये। माननीय मुख्य मंत्रीजी का यह एक सराहनीय कदम है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समय पूरा हो रहा है, अब कल बोल लेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आसन को अधिकार है, आसन को सर्वोच्च अधिकार है इसलिए प्रार्थना है कि आप सिर्फ 15 मिनट के लिए समय बढ़ा दें, सभापति महोदय।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): मुख्य मंत्रीजी ने, हमारी सरकार ने राजस्थान के विकास के लिए नये आयाम स्थापित किये हैं। माननीय सदस्य, मैं चार पंक्ति में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। जब आप लोग बोलते हैं तो मैं नहीं बोलती हूं। अब आप कृपया सुनिये।

(20.00 बजे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): समय बढ़ा दें, साहब।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): अंत में, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करो ।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): अभी तो परिन्दे ने एक उड़ान भरी है।

पंखों का इम्तिहान बाकी है।

जीती है चंद बाजी।

अभी तो सारा आसमान बाकी है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो आप। जो माननीय सदस्य बोलने से वंचित रह गये हैं उन्हें कल समय दिया जाएगा।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 18 फरवरी, 2011 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.01 बजे शुक्रवार, 18 फरवरी, 2011 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

कोटपूतली तहसील का जिला स्तर में क्रमोन्नयन

7. श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

गत पांच वर्षों में कोटपूतली को जिला बनाने के संबंध में सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? सरकार अब कोटपूतली को कब तक जिला बनाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 18/03/06 से राज्य में नवीन जिलों के गठन एवं पुर्नगठन के प्रस्तावों पर विस्तृत परीक्षण कर नये जिले स्थापित किये जाने के संबंध में रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाने हेतु अध्यक्ष, राजस्व मण्डल अजमेर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था।

जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों द्वारा तहसील कोटपूतली को जिला बनाने की मांग किये जाने पर उक्त समिति को जयपुर जिले के कस्बे कोटपूतली, शाहपुरा, सांभरलेक के भी प्रकरण अग्रेषित किये गये थे। कोटपूतली को जिला बनाने के बारे में उक्त समिति ने अभी तक कोई अभिशंषा नहीं की है।

वर्तमान में जनगणना 2011 के प्रक्रियाधीन होने के कारण जिलों, तहसीलों, कस्बों तथा ग्रामों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार/सीमाओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा दिनांक 31/3/2011 तक प्रतिबन्धित किया हुआ है।

भीलवाड़ा जिले में महानरेगा कार्यों की प्राप्त शिकायतों का निस्तारण

8. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि महानरेगा के तहत स्वीकृत कार्यों में जेसीबी मशीन का उपयोग करने का प्रावधान है? यदि नहीं, तो उक्त कार्यों में जेसीबी मशीन का उपयोग करने पर किस प्रकार की कार्यवाही का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) दिनांक 1 जनवरी, 2009 से जनवरी, 2011 तक जिला भीलवाड़ा में महानरेगा के तहत स्वीकृत कार्यों में किस-किस पंचायत के विरूद्ध जेसीबी मशीन के

(श्री शिवजीराम मीणा)

उपयोग की शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उक्त शिकायतों का निस्तारण किस प्रकार किया गया? शिकायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जो कार्य मानव श्रम से सम्भव नहीं हैं उस कार्य को मशीनों से करवाया जा सकता है। यदि ऐसे कार्य जो कि मानव श्रम के द्वारा किये जा सकते हैं एवं उन पर मशीनों का उपयोग किया जाता है तो दोषी व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने तथा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के अनुरूप अधिनियम की धारा 25 के तहत कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है।

(2) दिनांक 01 जनवरी, 2009 से अब तक महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत 9 शिकायतें प्राप्त हुई। इन शिकायतों का विवरण एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

म. गा. नरेगा योजना के तहत जे.सी.बी. से कार्य कराने से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों का विवरण

क्र. सं.	शिकायतकर्ता का नाम	ग्राम/ग्रा. पं./पं. स.	शिकायत का विवरण	जांच का निष्कर्ष
1	2	3	4	5
1.	किशोर कुमार बैरवा, कोगेरा इकाई अध्यक्ष	किशनगढ़, कोटड़ी	नरेगा कार्य पर जेसीबी से ग्रेवल खुदाई के संबंध में।	तहसीलदार कोटड़ी से पत्रांक नरेगा/09/427 दिनांक 9.9.09 से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निरस्त की गई।
2.	ग्रामवासी झडोल	झडोल, रायपुर	1. नया एनीकट से रिसाव बाबत। 2. वाटर स्ट्रक्चर निर्माण कार्य 11 पंचायत द्वारा रपट की नींव की खुदाई जे.सी.बी. मशीन द्वारा करवा दी गई है। के संबंध में।	विकास अधिकारी रायपुर के पत्रांक 2619 दिनांक 14.02.11 से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण निरस्त किया गया।
3.	समस्त ग्रामवासी, बागोलिया	बागोलिया, रायपुर	नरेगा श्रमिकों का कार्य जे.सी.बी. से करवाने के विरूद्ध कार्यवाही बाबत् ।	विकास अधिकारी रायपुर के पत्रांक नरेगा/2010-11/46 दिनांक 23.04.10 से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण निरस्त किया गया।
4.	समस्त ग्रामवासी, गुरलां	गुरलां, सुवाणा	ग्राम पंचायत गुरलां द्वारा नरेगा कार्यों पर जे.सी.बी. मशीन द्वारा अनाधिकृत नींव खुदाई का फर्जी मस्टररोल भरने बाबत् ।	अधिशासी अभियंता जिला परिषद् के जांच दिनांक 16.01.09 से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण निरस्त किया गया।

1	2	3	4	5
5.	छोटुलाल गुर्जर नि. कनेछन कलां	कनेछन कलां, शाहपुरा	ग्राम नया सरसुन्दा प. कनेछनकलां में नरेगा में जे.सी.बी. मशीन का उपयोग किया जा रहा है, जांच हेतु।	विकास अधिकारी शाहपुरा के पत्रांक नरेगा/2010-11/1208 दिनांक 14.02.2011 से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण निरस्त किया गया।
6.	शिवजीराम मीणा विधायक महोदय, जहाजपुर	गन्धेर, जहाजपुर	नरेगा में जे.सी.बी. कार्य करवाने पर भी कानूनी कार्यवाही नहीं करने बाबत् ।	विकास अधिकारी पंचायतसमिति जहाजपुरके पत्रांक 1669 दिनांक 12.02.2011 से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण निरस्त किया गया।
7.	भवानी सिंह कानावत	कोटडी	पंचायत समिति कोटडी परिसर में निर्माणाधीन राजीव गांधी सेवा केन्द्र जे.सी.बी. का प्रयोग करने के सम्बन्ध में।	पेड़ के ठुंठ की गहराई अधिक होने के कारण ठुंठ निकालने के लिए कन्टजेन्सी मद में Unforseen खर्च में श्रम/सामग्री के अन्तर्गत जे.सी.बी. हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।
8.	दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित खबर	कोटडी	कोटड़ी भीलवाड़ा मार्ग पर सड़क निर्माण कार्य में जे.सी.बी. के प्रयोग के सम्बन्ध में।	विकास अधिकारी पंचायत समिति कोटड़ी के पत्रांक 240 दिनांक 30.06.2010 से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण निरस्त किया गया।
9.	राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में प्रकाशित खबर	कोटडी	ग्राम सुरजपुरा के निकट सड़क चौड़ी करने के कार्य पर जे.सी.बी. का प्रयोग के सम्बन्ध में।	अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग मण्डल पत्रांक2226 दिनांक31.08.2010 से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण निरस्त किया गया।

शेखावाटी क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना

9. श्री पेमाराम (धोद) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा गत दो वर्षों में कितने राजकीय विश्वविद्यालय कहां-कहां खोले गये?

(2) क्या सरकार शेखावाटी क्षेत्र में शेखावाटी विश्वविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा विगत दो वर्षों में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय 13 मई, 2010 को बीकानेर में खोला गया है।

(2) जी हां। सरकार द्वारा शेखावाटी विश्वविद्यालय खोलने का प्रकरण प्रक्रियाधीन है। प्रक्रिया पूर्ण होने पर शेखावाटी विश्वविद्यालय खोला जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न संख्या-10

(स्थगित)

जयपुर थार ग्रामीण बैंक द्वारा किसान क्रेडिट कार्डधारी किसानों का बीमा

11. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार को जयपुर थार ग्रामीण बैंक द्वारा बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने वाले किसानों का बजाज आलियांज-लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा जबरन बीमा करवाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उन पर सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2002 से किसान क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी के माध्यम से दुर्घटना बीमा करवाये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो कितनी-कितनी प्रीमियम राशि किसान, सरकार व बैंक को आनुपातिक रूप से देनी पड़ती है?

उत्तर

(1) जी हां। शिकायत संबंधित बैंक को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दी

(कृषि मंत्री)

गई है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना भारत सरकार तथा नाबार्ड की योजना है, अत: इस योजना का संबंध राज्य सरकार से नहीं है।

(2) जी हां। नाबार्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य में वर्ष 2002 से किसान क्रेडिट कार्ड योजनान्तर्गत ओरियन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी के माध्यम से दुर्घटना बीमा करवाए जाने का प्रावधान है। इस हेतु रुपये 10/- बैंक द्वारा तथा रुपये 5/- कृषक द्वारा प्रीमियम राशि एक वर्ष हेतु वहन किए जाते हैं।

राजकीय चिकित्सालय बून्दी में सीटी स्कैन मशीन की स्थापना

12. श्री अशोक डोगरा (बून्दी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पं. बृज सुन्दर शर्मा राजकीय चिकित्सालय बून्दी में वरिष्ठ/कनिष्ठ विशेषज्ञ, चिकित्सा अधिकारी व नर्सिंग स्टाफ के कुल कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? वर्तमान में इन पदों के विपरीत कितने कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार बून्दी के ए श्रेणी चिकित्सालय में सीटी स्कैन मशीन मय रेडियोलोजिस्ट एवं न्यूरो फिजिशियन के लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजकीय जिला चिकित्सालय बून्दी में चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

जी हां। वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ, नर्सिंग अधीक्षक (प्रथम) एवं नर्स श्रेणी (प्रथम) के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर यथासंभव प्राथमिकता/आवश्यकता अनुसार भरे जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को यथासंभव प्राथमिकता/आवश्यकता अनुसार स्थानान्तरण से भरे जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी (पीजी हड्डी रोग एवं मेडिसन) के रिक्त पदों को उक्त विशेषज्ञता के चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध होने पर यथासंभव प्राथमिकता/ आवश्यकता अनुसार भरे जायेंगे।

नर्स श्रेणी द्वितीय के 903 पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग से

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

702 अभ्यार्थियों की सूची प्राप्त हो चुकी है, लेकिन एस.बी. सिविल रिट पिटीशन 10866/2010 तनुज वैष्णव बनाम राजस्थान में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा नियुक्ति पर स्थगन आदेश जारी किया हुआ है।

(2) आगामी वित्तीय वर्षों में राजकीय जिला चिकित्सालय बून्दी में सी.टी. स्कैन मशीन उपलब्ध करवाये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

राजकीय जिला चिकित्सालय बून्दी में वरिष्ठ विशेषज्ञ एवं कनिष्ठ विशेषज्ञ (रेडियोलोजी) के पद स्वीकृत हैं जिन पर उक्त विशेषज्ञता वाले चिकित्सक प्राथमिकता/आवश्यकतानुसार यथा संभव भरे जायेंगे।

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन आने वाले किसी भी चिकित्सालय में न्यूरोफिजिशियन का पद स्वीकृत नहीं होने के कारण राजकीय जिला चिकित्सालय बून्दी में भी न्यूरोफिजिशियन का पद स्वीकृत कराया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट-अ

राजकीय जिला चिकित्सालय बूंदी में चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का संख्या विवरण निम्न प्रकार है

पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	1	—	—
वरिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	-	1	—
वरिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग)	1	-	1	—
वरिष्ठ विशेषज्ञ (बाल रोग)	1	1	—	—
वरिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र रोग)	1	1	—	—
वरिष्ठ विशेषज्ञ (हड्डी रोग)	1	1	—	—
वरिष्ठ विशेषज्ञ (रेडियोलोजी)	1	-	1	—
वरिष्ठ विशेषज्ञ (निश्चेतन)	1	1	—	—
वरिष्ठ विशेषज्ञ (पेथोलोजी)	1	-	1	—

1	2	3	4	5
वरिष्ठ विशेषज्ञ (ईएनटी)	1	-	1	—
कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	2	2	—	—
कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	3	2	1	—
कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग)	2	1	1	—
कनिष्ठ विशेषज्ञ (बाल रोग)	1	1	—	—
कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र रोग)	1	-	1	—
कनिष्ठ विशेषज्ञ (निश्चेतन)	2	1	1	—
कनिष्ठ विशेषज्ञ (हड्डी रोग)	1	1	—	—
कनिष्ठ विशेषज्ञ (ईएनटी)	1	—	1	—
कनिष्ठ विशेषज्ञ (रेडियोलोजी)	1	1	—	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी पद विरूद्व कार्यरत है।
कनिष्ठ विशेषज्ञ (पेथोलोजी)	1	—	1	—
कनिष्ठ विशेषज्ञ (मनोरोग)	1	1	—	कनिष्ठ विशेषज्ञ बाल रोग पद विरूद्व कार्यरत है।
कनिष्ठ विशेषज्ञ (रति रोग)	1	1	-	कनिष्ठ विशेषज्ञ सर्जरी पद विरूद्व कार्यरत है।
कनिष्ठ विशेषज्ञ (फोरेंसिक मेडिसन)	1	-	1	
कनिष्ठ विशेषज्ञ (दन्त)	1	1	1	चिकित्सा अधिकारी दन्त पद विरूद्व कार्यरत है।

1	2	3	4	5
उप नियंत्रक	1	1	-	-
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	3	3	-	—
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	1	1	-	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी पद विरुद्ध कार्यरत है।
चिकित्सा अधिकारी	24	9	15	-
चिकित्सा अधिकारी (पीजी सर्जरी)	3	3	-	2 पद के विरूद्ध चिकित्सा अधिकारी कार्यरत है
चिकित्सा अधिकारी (पीजी हड्डी रोग)	3	2	1	चिकित्सा अधिकारी पद विरूद्ध कार्यरत है।
चिकित्सा अधिकारी (पीजी मेडिसन)	2	—	2	-
नर्सिंग अधीक्षक (प्रथम)	1	—	1	-
नर्सिंग अधीक्षक (द्वितीय)	2	2	—	-
नर्स श्रेणी (प्रथम)	20	18	2	-
नर्स श्रेणी (द्वितीय)	67	51	16	-
महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	7	7	—	-

महानरेगा योजना में केन्द्र से प्राप्त राशि से निर्मित स्थाई सम्पत्तियां

13. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वित्तीय वर्ष 2009-10 व 2010-11 में केन्द्र सरकार द्वारा महानरेगा के लिए कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई, आवंटित राशि में से अब तक किस-किस मद में कितनी-कितनी व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत विगत दो वर्षों में व्यय की गई राशि में से कितनी राशि से स्थाई सम्पत्तियों का निर्माण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में केन्द्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत क्रमश: रुपये 594264.49 लाख तथा रुपये 278882 लाख का आवंटन किया गया है।

केन्द्र सरकार द्वारा जारी एवं इसके संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा जारी राशि, कुल राशि में से वर्ष 2009-10 के दौरान अकुशल श्रमिकों के भुगतान हेतु राशि रुपये 393050.44 लाख, अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिकों के भुगतान हेतु राशि रुपये 16905.72 लाख, सामग्री पर राशि रुपये 145442.24 लाख तथा प्रशासनिक एवं प्रबन्धन पर राशि रुपये 11507 लाख अर्थात कुल राशि रुपये 566905.40 लाख का व्यय हुआ है।

वर्ष 2010-11 के दौरान दिनांक 11.02.2011 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार अकुशल श्रमिकों के भुगतान हेतु राशि रुपये 194525.11 लाख, अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिकों के भुगतान हेतु राशि रुपये 8422.96 लाख, सामग्री पर राशि रुपये 45196.26 लाख तथा प्रशासनिक एवं प्रबन्धन पर राशि रुपये 10106.30 लाख अर्थात कुल राशि रुपये 258250.62 लाख का व्यय हुआ है।

(2) योजना का मुख्य उद्देश्य काम की मांग करने पर रोजगार उपलब्ध कराना है। विगत दो वर्षों में व्यय की गई सम्पूर्ण राशि से योजनान्तर्गत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कुल अनुमत कार्य सम्पादित कराये गये हैं। जिसका श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

परिशिष्ट-क

DETAIL OF WORKS UNDERTAKEN UNDER MAHATMA GANDHI NREGS, RAJASTHAN

Activity	Status		2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6
Water Conversation and Water Harvesting	Completed	No.	14361	10935	2861
		Exp.	39521.0212	37126.78	14065.93
	On going	No.	18888	18181	22699
		Exp.	99739.1948	73296.82	42062.5
	Total Expenditure		139260.216	110423.6	56128.43
	% Expenditure		22.98	19.25	20.31
Drought Proofing (Afforestation and Tree Plantation and Other Activities)	Completed	No.	2092	2118	972
		Exp.	4676.521	5853.87	1450.7
	On going	No.	3071	6712	8435
		Exp.	13966.093	21600.84	14123.71
	Total Expenditure		18642.614	27454.71	15574.41
	% Expenditure		3.08	4.79	5.64
Micro Irrigation Works (Minor Irrigation Canals and Other Activities)	Completed	No.	3295	2718	1201
		Exp.	8498.233	7338.15	3387.75
	On going	No.	3440	4154	6209
		Exp.	17625.572	18519.7	12463.65
	Total Expenditure		26123.805	25857.85	15851.4
	% Expenditure		4.31	4.51	5.74
Individual Benificiary Works	Completed	No.	60681	46008	12759
		Exp.	17389.04	22962.15	6995.46
	On going	No.	50396	27732	27211
		Exp.	35509.04	22945.17	8891.89

1	2	3	4	5	6
Individual Beni-ficiary Works	Total Expenditure		52898.08	45907.32	15887.35
	% Expenditure		8.73	8.00	5.75
Renovation of Traditional Water Bodies (Desilting of tanks/ponds/old canals/ traditional open well etc)	Completed	No.	7104	7811	2770
		Exp.	25139.842	27212.56	8003.79
	On going	No.	17776	14769	20441
		Exp.	72197.1541	68917.68	44280.27
	Total Expenditure		97336.996	96130.24	52284.06
	% Expenditure		16.06	16.76	18.92
Land develop-ment (Plantation, Land leveling & Other Activities)	Completed	No.	2148	1965	1012
		Exp.	2779.29	3251.67	8433.46
	On going	No.	6065	4112	6116
		Exp.	7836.387	10404.73	12550.29
	Total Expenditure		10615.677	13656.4	20983.75
	% Expenditure		1.75	2.38	7.59
Flood Control and Protection (Drainage in Water Logged Areas, Construction and Repair of Embankment)	Completed	No.	809	787	324
		Exp.	2205.87	3542.12	345.74
	On going	No.	1091	2182	1953
		Exp.	5696.75227	9875.23	4766.32
	Total Expenditure		7902.62227	13417.35	5112.06
	% Expenditure		1.30	2.34	1.85
Rural Connectivity	Completed	No.	15401	19909	4123
		Exp.	59176.646	83355.42	15115.36
	On going	No.	35160	33099	33110
		Exp.	193992.446	157493.71	67351.22

1	2	3	4	5	6
Rural Connectivity	Total Expenditure		253169.092	240849.13	82466.58
	% Expenditure		41.78	41.98	29.85
Any Other Activity (approved by MORD)	Completed	No.	4	0	99
		Exp.	10.508	0	520.1
	On going	No.	48	55	5632
		Exp.	55.97	13.18	11500.19
	Total Expenditure		66.478	13.18	12020.29
	% Expenditure		0.01	0.00	4.35
	G. Total Expenditure		**606015.581**	**573709.78**	**276308.3**

कुलपति कोर कमेटी द्वारा अनुशंषित सिफारिशें

14. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तत्कालीन मा. कुलाधिपति ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए कुलपति कोर कमेटी का गठन किया था, जिसका राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति को समन्वयक बनाया गया था? यदि हां, तो इस कोर कमेटी ने राज्य सरकार को ग्रांट बढ़ाने के लिए क्या सिफारिश की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा इस कोर कमेटी की सिफारिश के अनुरूप ग्रांट बढ़ाने की कार्यवाही की गई? यदि हां, तो विभिन्न विश्वविद्यालयों की कितनी-कितनी ग्रांट बढ़ाई गई व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। कोर कमेटी द्वारा ग्राण्ट बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को कोई सिफारिशें नहीं की गयीं।

(2) कोर कमेटी द्वारा सिफारिशें राज्य सरकार को नहीं भेजी गयी हैं। अत: राज्य सरकार के स्तर पर कोर कमेटी की सिफारिशों के अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

बीज उत्पादन एवं अनुसंधान हेतु बहुराष्ट्रीय कम्पनी से अनुबंध

15. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष राज्य में बीज उत्पादन एवं अनुसंधान के लिए किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी से अनुबंध किया गया है? यदि हां, तो कब और कितनी अवधि का?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त कम्पनी ने राज्य की प्रयोगशालाओं, कृषि विश्वविद्यालयों के अनुसंधान केन्द्रों एवं राज्य के कृषि फार्मों का प्रयोग बीज विकास के लिए किया है और विकसित बीजों पर कम्पनी का पेटेंट है? यदि हां, तो कम्पनी ने अब तक कौन-कौन से बीज विकसित किए और उन्हें किस दर पर बेचा जा रहा है?

(3) क्या विकसित बीजों के फेल हो जाने की कोई घटना सरकार की जानकारी में आई है? यदि हां, तो क्या संबंधित किसान को सरकार अथवा कम्पनी की ओर से मुआवजा दिया गया है? यदि हां, तो किस-किस को, कितना-कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में निजी कम्पनियों के साथ कृषि क्षेत्र में संभावित साझेदारी (नवीन किस्मों का विकास, बीज उत्पादन एवं कृषि तकनीकी हस्तान्तरण) हेतु सैद्वान्तिक सहमति प्राप्त करने की दिशा में सात कम्पनियों यथा- मैसर्स पायोनियर सीड प्रा.लि., मैसर्स मोनसेन्टो इण्डिया लि., मैसर्स कंचन ज्योति एग्रो इण्डस्ट्रीज, मैसर्स कृषिधन सीडस लि., मैसर्स डीसीएम श्रीराम कन्सोलिडेटेड लि., मैसर्स जे.के. एग्रीटिंग्स जेनेटिक्स लि. एवं मैसर्स एडवान्टा इण्डिया लि. के साथ माह जुलाई से सितम्बर, 2010 के मध्य समझौता विवरण पत्र (एमओयू) किये गये हैं। समझौता विवरण पत्र (एमओयू) की अवधि एक से तीन वर्ष की है। मैसर्स डीसीएम श्रीराम कन्सोलिडेटेड लि. एवं मैसर्स मोनसेन्टो इण्डिया लि. के समझौता विवरण पत्र (एमओयू) में अवधि का उल्लेख नहीं है। इस संबंध में विभिन्न संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाता है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही आगामी कार्यवाही की जावेगी।

(2) कोई कार्यवाही नहीं हुई।

(3) कोई कार्यवाही नहीं हुई।

चौमूं में सैटेलाइट चिकित्सालय की स्थापना

16. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में स्थित सैटेलाइट चिकित्सालयों की अपेक्षा सी.एच.सी. चौमूं में रोगियों की संख्या अधिक है?

(2) क्या यह भी सही है कि चौमूं सी.एच.सी. में प्रसूति व आउटडोर मरीजों की संख्या राज्य के अन्य कस्बों से काफी अधिक है।

(3) जयपुर स्थित सभी सैटेलाइट चिकित्सालयों व महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट स्थित तथा अन्य राजकीय चिकित्सालयों, जयपुर शहर में तथा चौमूं सी.एच.सी. में गत दो वर्षों में प्रतिवर्ष डिलेवरियां व आउटडोर का विवरण सदन की मेज पर रखें। तथ जयपुर स्थित सैटेलाइट चिकित्सालयों में मरीजों की संख्या नगण्य है? यदि हां, तो क्या सरकार जयपुर स्थित किसी भी एक सैटेलाइट चिकित्सालय को चौमूं स्थानान्तरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन आने वाले जयपुर शहर में स्थित सैटेलाइट अस्पतालों एवं अन्य अस्पतालों से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौमूं (जयपुर) के गत दो वर्षों के आउट डोर रोगियों की संख्या का तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के वर्ष 2009 के आउटडोर रोगियों की संख्या के अनुसार अधिकतर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौमूं का आउटडोर अधिक है।

जी नहीं। जयपुर में स्थित सैटेलाइट अस्पतालों एवं अन्य अस्पतालों में मरीजों की संख्या नगण्य नहीं है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन आने वाले जयपुर शहर में स्थित सैटेलाइट अस्पतालों एवं अन्य अस्पतालों से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौमूं (जयपुर) के गत दो वर्षों के आउटडोर रोगियों की संख्या का तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

जी नहीं। जयपुर में स्थित किसी भी सैटेलाइट चिकित्सालय को कस्बा चौमूं में स्थानान्तरित किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौमूं में 30 शैय्याऐं स्वीकृत थीं। वित्तीय वर्ष 2010-11 में उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 30 से 50 शैय्याओं में क्रमोन्नत कर दिया गया है। इसलिए उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भी सैटेलाइट अस्पतालों

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(न्यूनतम 50 शैय्याऐं) के समान ही शैय्याऐं स्वीकृत हो गयी हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2010-11 में चौमूं में ट्रोमा इकाई स्थापित करने एवं इसके भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की गयी है।

(3) जयपुर शहर में स्थित राजकीय सैटेलाइट अस्पतालों, महिला अस्पताल सांगानेरी गेट एवं अन्य राजकीय अस्पतालों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौमूं (जयपुर) के गत दो वर्षों के आउटडोर रोगियों एवं डिलेवरियों की संख्या विवरण परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

परिशिष्ट-अ

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन आने वाले जयपुर शहर में स्थित सैटेलाइट अस्पतालों एवं अन्य अस्पतालों से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौमूं (जयपुर) के गत 2 वर्षों के आउटडोर रोगियों की संख्या का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है

चिकित्सा संस्थान का नाम	**वर्ष 2009 (जनवरी 2009 से दिसम्बर 2009)**	**वर्ष 2010 (जनवरी 2010 से दिसम्बर 2010 तक)**
	आउटडोर रोगियों की संख्या	**आउटडोर रोगियों की संख्या**
राजकीय सैटेलाइट अस्पताल बनीपार्क जयपुर	108039	127940
राजकीय सैटेलाइट अस्पताल सेठी कॉलोनी जयपुर	117677	127911
राजकीय जयपुरिया अस्पताल जयपुर	192073	205827
राजकीय हरबंक्श कांवटिया अस्पताल जयपुर	276706	294095
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौमूं	**120851**	**107174**

परिशिष्ट-ब

जयपुर शहर में स्थित राजकीय सैटेलाइट अस्पतालों, महिला अस्पताल सांगानेरी गेट एवं अन्य राजकीय अस्पतालों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौमूं (जयपुर) के गत दो वर्षों के आउटडोर रोगियों एवं डिलेवरियों का संख्या विवरण निम्न प्रकार है

चिकित्सा संस्थान का नाम	वर्ष 2009 (जनवरी 2009 से दिसम्बर 2009)		वर्ष 2010 (जनवरी 2010 से दिसम्बर 2010 तक)	
	आउटडोर रोगियों की संख्या	डिलेवरियों की संख्या	आउटडोर रोगियों की संख्या	डिलेवरियों की संख्या
राजकीय सैटेलाइट अस्पताल बनीपार्क जयपुर	108039	102	127940	105
राजकीय सैटेलाइट अस्पताल सेठी कालोनी जयपुर	117677	138	127911	120
महिला अस्पताल सांगानेरी गेट जयपुर	59713	11894	80363	12528
राजकीय जयपुरिया अस्पताल जयपुर	192073	696	205827	829
राजकीय हरबंक्श कांवटिया अस्पताल जयपुर	276706	487	294095	836
राजकीय जनाना अस्पताल जयपुर	110159	17360	122123	16592
सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर	1098832	—	1139417	—
सर पमद् पत मात एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान जयपुर	155618	—	181784	—
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौमूं	**120851**	**5935**	**107174**	**5399**

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रतापगढ़ तहसील की ग्राम पंचायतों में प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 में काश्तकारों से प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण

1. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 के अन्तर्गत पंचायत मुख्यालयों पर आयोजित शिविरों के दौरान कितने काश्तकारों के नामान्तरण के आवेदन प्राप्त हुये और प्राप्त आवेदनों में से कितने प्रकरणों में नामान्तरण निरस्त किये गये? तहसील प्रतापगढ़ व अरनोद का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अभियान के अन्तर्गत कितने गैर खातेदार कृषकों द्वारा खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिये आवेदन किये गये तथा कितने खातेदारों को अधिकार पत्र जारी किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अभियान में तहसील प्रतापगढ़ व अरनोद के कृषकों के खातेदारों की भूमि पर अतिक्रमण के कितने प्रकरण प्राप्त हुए व कितने प्रकरणों पर 90-बी की कार्यवाही की जाकर कृषकों को खातेदारी अधिकार दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) तहसील प्रतापगढ़ की ग्राम पंचायत मनोहरगढ़ बसाड़ अमलावत, लुहारिया, अचलपुर के कितने ऐसे आदिवासी कृषक हैं, जिनका राजस्व भूमि पर 40 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा है तथा वे कृषि कार्य कर रहे हैं? सरकार द्वारा प्रत्येक काश्तकार से कितनी-कितनी राशि बतौर जुर्माना अब तक वसूल कर ली गई है? क्या सरकार ऐसे कब्जाधारी कृषकों को खातेदारी अधिकार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) तहसील प्रतापगढ़ की विभिन्न पंचायतों के शिविरों में कितने ऐसे आवेदन प्राप्त हुये हैं, जहां अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषि भूमि आबंटियों को मौका कब्जा नहीं दिया गया तथा कितने ऐसे कृषक हैं जिनकी कृषि भूमि पर अन्य कृषकों ने जबरन कब्जा कर रखा है? सरकार द्वारा शिविरों में ऐसे कितने कृषकों को अपने खाते की जमीन का कब्जा दिलाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 के अन्तर्गत शिविरों में तहसील प्रतापगढ़ में 2157 तथा तहसील अरनोद में 1102 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। सभी आवेदन

(राजस्व मंत्री)

पत्रों का निस्तारण किया जाकर नामान्तरकरण निर्णित किये व किसी भी आवेदन में नामान्तरणकरण निरस्त नहीं किया गया।

(2) उक्त अभियान के अन्तर्गत तहसील प्रतापगढ़ में 1226 एवं तहसील अरनोद में 231 गैर खातेदार कृषकों के आवेदन प्राप्त हुए। उक्त सभी कृषकों को खातेदारी अधिकार दिये गये।

(3) उक्त अभियान में तहसील प्रतापगढ़ व अरनोद में कृषकों की खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण का प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ एवं 90-बी की कार्यवाही नहीं की गई। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धारा 90-बी के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

(4) प्रतापगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत मनोहरगढ़, बसाड, अमलावत, लुहारिया, अचलपुर के किसी आदिवासी कृषक का 40 वर्षो से राजस्व भूमि पर कब्जा होने का दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध होने का प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

सिवायचक भूमि पर कब्जे के प्रकरणों को पात्रतानुसार नियमन किये जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक 6(7)राज-4/77/2 दि. 11.1.2008 जारी किया हुआ है जिसकी प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(5) प्रतापगढ़ तहसील की पंचायतों के शिविरों में ऐसा कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है कि अनुसूचित जाति व जनजाति के कृषि भूमि का आबंटियों को मौके पर कब्जा नहीं दिया गया हो या ऐसे कृषक जिनकी कृषि भूमि पर अन्य कृषकों ने जबरन कब्जा कर रखा हो। अत: सूचना शून्य है।

परिशिष्ट "क"

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक प. 6(7)राज-4/77/2 जयपुर, दिनांक : 11.1.2008

समस्त संभागीय आयुक्त, राज.।

समस्त जिला कलक्टर, राज.।

आदेश

इस विभाग के आदेश संख्या क्र. 6(7)राज-4/77/15 दि. 16.01.2001 के क्रम में सिवायचक भूमियों पर दि. 15.7.94 तक कृषि हेतु किये गये अतिक्रमणों को नियमन करने के निर्देश जारी किये गये थे। अब राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि नियमन की तिथि दि. 15.7.94 को बढ़ाकर दि. 1.1.2000 कर दिया जाये।

1. राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 20 में अतिक्रमणों को नियमन करने का प्रावधान है। उपखण्ड अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सरकार के विशिष्ट या सामान्य अनुदेशों के अधीन अतिक्रमी को बेदखल करने के बजाय उसे नियमित कर दे बशर्ते कि वह भूमिहीन है तथा उसके पास समस्त भूमि जिसमें अतिक्रमित भूमि भी सम्मिलित है, नियमों में दी गई सीमा से अधिक नहीं हो। भूमिहीन व्यक्तियों द्वारा राजकीय कृषि भूमि पर किये गये अतिक्रमणों के मामलों को निम्न शर्तों पर नियमित किया जायें :-

   (i) नियमन के समय प्रीमियम या शास्ति नहीं ली जाय किन्तु जिस अवधि में भूमि पर अवैध कब्जा रहा हो उस अवधि का भू राजस्व वसूल किया जायेगा।

   (ii) व्यक्ति के पास कुल भूमि जिसमें नियमित की जाने वाली भूमि भी सम्मिलित है, 4 हैक्टेयर असिंचित भूमि से अधिक न हो।

   (iii) अतिक्रमित भूमि राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 में उल्लिखित आवंटन के लिये प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में नहीं आती हो।

2. निम्न भूमियों का नियमन नहीं किया जायेगा :—

   (i) राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियां,

   (ii) चरागाह, ओरण, जोहड़, पायतन, नदी, तालाब के पेटे श्मशान, कब्रिस्तान व मन्दिरों की भूमियां,

   (iii) डी.बी. सिविल रिट पीटिशन नं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट आफ राजस्थान व अन्य निर्णय दिनांक 2.8.2004 में वर्णित भूमियां,

   (iv) वन विभाग के नाम दर्ज भूमियां,

   (v) किसी उद्देश्य हेतु अवाप्तिशुदा भूमियां, राजकीय उपक्रम या राजकीय विभाग की भूमियां,

   (vi) वायुयानों के उतराई स्थल के रूप में सीमांकित भूमियां,

   (vii) राज. वन अधिनियम 1953 (अधिनियम सं. 53 सन् 1953) की धारा 8 के अधीन संघटित ग्राम्य वनों के लिये आरक्षित भूमियां,

   (viii) किसी ग्राम की आबादी के समीप अथवा साथ लगी हुई छोटे बाड़ों या खलिहानों के लिए आरक्षित भूमियां,

   (ix) भूमियां जो—

      (a) पांच लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर के तीन मील की परिधि में,

(b) दो लाख या इससे अधिक किन्तु पांच लाख से कम जनसंख्या वाले किसी पालिका/कस्बे के दो मील की परिधि में,

(c) एक लाख या इससे अधिक किन्तु दो लाख से कम जनसंख्या वाले किसी कस्बे के एक मील की परिधि में,

(d) किसी भी अन्य नगरपालिका की सीमा में,

(e) किसी रेल्वे की हदबन्दी से एक सौ गज की दूरी के भीतर या

(f) किसी राजपथ अथवा पक्की या कंकरीट सड़क के मध्य से दोनों ओर 50 गज की दूरी के भीतर स्थित भूमियां।

(x) राज. भू राजस्व (लवण क्षेत्र आवंटन) नियम, 2007 के अधीन लवण क्षेत्रों के रूप में घोषित भूमियां,

(xi) भूमि आवंटन के किन्हीं विशेष नियमों के अधीन, आवंटन हेतु आरक्षित भूमियां, और

(xii) स्थानीय निकायों की शहरी व पेराफेरी क्षेत्रों में स्थित सरकारी भूमि।

ह./-
(ललित कोठारी)
प्रमुख शासन सचिव, राजस्व

ग्राम मानपुरा माचेड़ी (जयपुर) की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की जांच

2. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ग्राम मानपुरा माचेड़ी, तहसील आमेर, जिला जयपुर की सरकारी जमीन खुर्दबुर्द करने की शिकायत प्राप्त होने पर जांच करवाई गई है? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जांच में कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये एवं उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सरकारी जमीन खुदबुर्द करने की शिकायत नहीं होकर सरकारी जमीन के सीमांकन के संबंध में राजस्व अधिकारियों की भूमिका संबंधी जांच करवाई गई थी। जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

(2) प्रथम दृष्टया हल्का पटवारी मानपुरा माचेड़ी को दोषी मानकर निलम्बित किया गया था।

जिला कलक्टर जयपुर द्वारा जांच कराये जाने पर उपखण्ड अधिकारी आमेर, तहसीलदार आमेर एवं हल्का पटवारी को संयुक्त रूप से दोषी पाये जाने पर उनके विरूद्ध दिनांक 11.2.2011 को नियम 16 सीसीए के तहत आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र तैयार कर संयुक्त रूप से विभागीय जांच की कार्यवाही हेतु कार्मिक विभाग को भिजवाये गये हैं।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तालेड़ा (बूंदी) उप तहसील का तहसील स्तर में क्रमोन्नयन

3. श्री अशोक डोगरा (बून्दी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उप तहसील को पूर्ण तहसील बनाने के क्या-क्या मानदण्ड हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बून्दी जिले की उप तहसील तालेड़ा को पूर्ण तहसील का दर्जा देकर डाबी को उप तहसील बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अधिनियम एवं नियमों में नवीन तहसील के मानदण्ड निर्धारित नहीं हैं। क्षेत्र विशेष की भौगोलिक स्थित, आम जनता की सुविधा एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के मध्यनजर नई तहसीलों के सृजन पर विचार किया जाता है। वर्ष 1992 में मजिठिया कमेटी द्वारा निम्न मानदण्ड अवश्य सुझाये गये थे-

राज्य के सामान्य क्षेत्र में नई तहसील खोलने के लिये कम से कम 40 पटवार वृत्त एवं इसी अनुपात में भू.अ. निरीक्षक वृत्त होना, रेगिस्तानी क्षेत्र में 30 पटवार वृत्त एवं पहाड़ी क्षेत्र हेतु 20 पटवार वृत्त होना अति आवश्यक है।

इसी प्रकार राज्य के सामान्य क्षेत्र में नई अति. तहसील खोलने हेतु 25 पटवार वृत्त एवं इसी अनुपात में भू.अ. निरीक्षक वृत्त होना, रेगिस्तानी क्षेत्र में 15 पटवार वृत्त होना आवश्यक है।

इसी प्रकार राज्य के सामान्य क्षेत्र में नई उप तहसील खोलने हेतु 15 पटवार वृत्त एवं इसी अनुपात में भू.अ. निरीक्षक वृत्त होना, रेगिस्तानी क्षेत्र में 10 पटवार वृत्त एवं पहाड़ी क्षेत्र में 8 पटवार वृत्त होना आवश्यक है। प्रति परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

(2) वित्तीय वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 में तहसीलों के गठन/क्रमोन्नत हेतु कोई वित्तीय प्रावधान नहीं किया गया है। जनगणना 2011 के प्रक्रियाधीन होने के कारण भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा नवीन राजस्व इकाइयों के गठन तथा सीमाओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को प्रतिबन्धित किया हुआ है। अत: इस संबंध में अभी कोई विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

परिशिष्ट "अ"

Taking above factors into consideration the committee felt that in normal circumstances, the following criteria should be fulfilled for consideration of new units :-

(1) (a) For an independent tehsil with a regular Tehsildar and full complement of staff, there should at least be 40 Patwar circles with corresponding number of Girdawar circles.

(b) For a sub-Tehsil with an Additional Tehsildar in command, the number of Patwar Circles should be a minimum of 25 with corresponding number of H.R. circles.

(c) For Sub-Tehsils in charge of Naib-Tehsildars there should be a minimum of 15 Patwar circles, with corresponding number of ILR circles.

(d) As the ILR circles criterion vis-à-vis the number of Patwar Circles may be varying, it was felt that criterion need be linked with ILR circles.

(2) Generally, there should not be 2 officers of equivalent rank namely two tehsildars in the same tehsils. If this is inevitable, the areas should be clearly defined geographically and the Addl. Tehsildar in charge of a sub-Tehsil should be invested with maximum powers of a Tehsildar and as far as possible given necessary complement of staff.

(3) New Tehsils should not be established from out of jurisdiction of the neighbouring Tehsils but it should be made out from the existing patwar circles in the concerned Tehsil.

(4) There should be proper consideration of individual cases in respect of concentration of scheduled castes and tribes in area, communication facilities, geographical conditions, etc.

Since the State has varied geographical conditions and in view of the need to provide some area norms, relaxation in respect of criterion No. 1 was considered essential. However, even here, 4th criterion was considered administratively desirable. Accordingly, in the desert areas, the above norms were reduced to 30, 20 & 10 Patwar Circles for creation of regular tehsil, sub-tehsil with an Additional Tehsildar and a sub-tehsil, respectively. Peculiar consideration in respect of tribal areas' concentration of a schedule castes and

tribes, hilly areas and size of the holding can further warrant a reduction in the norms which were suggested to be 20,15 and 8, depending on individual cases. Mines, industries, forests, encroachment, urbanisation, proximity to border and geographical distances can further dilute the criteria.

कोटपूतली में कस्टोडियन भूमि पर कब्जेधारी काश्तकारों को भू-आवंटन

4. श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में कस्टोडियन की कितनी भूमि है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कस्टोडियन भूमि पर वर्षों से काश्तकारों का कब्जा है तथा किसान लगातार खेती करते आ रहे हैं? यदि हां, तो किसानों का नाम एवं खसरा नम्बर सहित तथा कब से कब्जा है का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इस कस्टोडियन भूमि को कब्जाधारी किसानों के नाम परिवर्तन कर पट्टा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में कुल 12 राजस्व ग्रामों में 1188.93 हैक्ट. कस्टोडियन भूमि है। ग्रामवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि कस्टोडियन की इस भूमि पर वर्षों से काश्तकारों का उप कृषक के रूप में कब्जा है तथा 1519 किसान खेती करते आ रहे हैं। राजस्व रिकार्ड में उप कृषक के रूप में संवत् 2005 से काबिज चले आ रहे हैं। जिसका विवरण संलग्न है।

(3) निष्क्रान्त (कस्टोडियन) कृषि भूमि के निस्तारण एवं पूर्व के आबंटियों को खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु परिपत्र क्रमांक एफ. 1(15) राजस्व/पुनर्वास/2009 दिनांक 06.10.2009 (प्रति संलग्न) के द्वारा समस्त जिला कलक्टर्स को निर्देश दिये हुये हैं, परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम दतवास (निवाई) का उप तहसील में क्रमोन्नयन

5. श्री कमल बैरवा (निवाई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री कमल बैरवा)

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र निवाई के ग्राम दतवास जिसकी जनसंख्या लगभग 12500 है तथा निवाई शहर से डामरीकृत सड़क से जुड़ा हुआ है, को उप तहसील बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

वित्तीय वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 में तहसीलों के गठन/क्रमोन्नत हेतु कोई वित्तीय प्रावधान नहीं किये जाने एवं जनगणना 2011 के प्रक्रियाधीन होने के कारण भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा नवीन राजस्व इकाइयों के गठन तथा सीमाओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को प्रतिबन्धित किया हुआ है। अत: इस संबंध में अभी कोई विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

बी.पी.एल. परिवारों को खाद्य सामग्री का वितरण

6. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में बी.पी.एल. परिवारों को किस-किस दर पर किस-किस जिले में कितना-कितना गेहूं, चावल, आटा तथा दालों का वितरण किया गया? वस्तुवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सभी वस्तुओं को किस दर से किन-किन फर्मों से क्रय किया गया? वस्तुवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल परिवारों को प्रतिमाह कुल 52461 मै. टन (नियमित) गेहूं 25 किलो प्रति परिवार 2/- रु. किलो के हिसाब से, अतिरिक्त विशेष तदर्थ योजना में 5/- रु. प्रतिकिलो की दर से ग्रामीण क्षेत्रों में 5 किलो प्रतिमाह 5 माह के लिए गेहूं तथा 7/- रु. प्रतिकिलो की दर से सभी संभाग मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय पर 10 किलो पैकेट में प्रतिमाह 3 माह के लिए आटा वितरण के लिए 93210 मै. टन एकमुश्त माह अक्टूबर से मार्च, 2011 हेतु तथा 93210 मै. टन जनवरी, 2011 से जून, 2011 हेतु आवंटन किया गया है एवं वितरण जारी है। जिलेवार आवंटन की सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

केन्द्र सरकार से इस योजना में बीपीएल परिवारों हेतु चावल का आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

राज्य सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में बीपीएल परिवारों सहित सभी श्रेणी के परिवारों को 13.50/- रुपये प्रतिकिलो की दर से प्रति राशनकार्ड 2 किलो (दो माह में एक बार) के हिसाब से प्रथम चरण में 5774 मै. टन मटर दाल आवंटित की गई, जिसका वितरण किया जा चुका है। द्वितीय चरण में 11056 मै. टन मटर का आवंटन किया गया, जिसका वितरण जारी है, जिसका जिलेवार विवरण परिशिट-2 पर संलग्न है।

(2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गेहूं एवं चावल भारत सरकार से आवंटन किया जाता है तथा राज्य सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम से उठाव कर वितरण करवाया जाता है। किसी फर्म से क्रय नहीं किया जाता है। पीली मटर भारत सरकार द्वारा नियुक्त भारत सरकार के उपक्रम एन.सी.सी.एफ. के माध्यम से प्रथम चरण में 19500/- रु. प्रति मै. टन की दर से 6276 मै. टन एवं द्वितीय चरण में 18745/- रु. प्रति मै. टन की दर से 12460 मै. टन मटर का आयात किया गया है। भारत सरकार द्वारा उक्त अधिकृत उपक्रम के अतिरिक्त अन्य किसी फर्म से क्रय नहीं किया गया है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-7

(स्थगित)

बांगड़ चिकित्सालय पाली में अनुबन्धित कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान

8. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बांगड़ चिकित्सालय, पाली में गत छह वर्षों में अस्पताल प्रशासन एवं मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के माध्यम से अनुबंध पर व ठेकेदार के माध्यम से एवं अस्थाई तौर पर किस-किस श्रेणी के किस-किस कर्मचारी ने कितने-कितने समय कार्य किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कर्मचारियों को प्रतिदिन कितने-कितने वेतन/मजदूरी का भुगतान किया गया? वर्गवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

(3) उक्त अवधि में राज्य सरकार द्वारा किस-किस अवधि में क्या-क्या न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त अस्पताल में उक्त अवधि में ठेकेदार को कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि में करवाये जाने का ठेका कब-कब दिया गया? संबंधित निविदाओं की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान अनुबंध एवं ठेके पर लगाये श्रमिकों को किया गया? क्या सरकार कम भुगतान की गई मजदूरी की अंतर की राशि का भुगतान इन कर्मचारियों को करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(6) क्या सरकार भविष्य में अनुबंध या ठेकेदार द्वारा कराये जाने वाले कार्यों पर न्यूनतम मजदूरी दिये जाने हेतु कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) राजकीय बागड़ चिकित्सालय, पाली में गत छह वित्तीय वर्षों में अस्पताल प्रशासन एवं राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी तथा एजेन्सी के माध्यम से अनुबंध (संविदा) पर लगाये गये कर्मचारी एवं उनके द्वारा किये गये कार्य की अवधि का विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

ठेकेदारों को उक्त चिकित्सालय की सफाई का ठेका दिया जाता है। उसमें सफाई के लिए कर्मचारी ठेकेदार के द्वारा ही रखे जाते हैं और अस्पताल प्रशासन द्वारा ठेकेदार को ही भुगतान किया जाता है।

(2) राजकीय बागड़ चिकित्सालय, पाली में गत छह वित्तीय वर्षों में अस्पताल प्रशासन एवं राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के माध्यम से अनुबंध (संविदा) पर लगाये गये कर्मचारियों को किये गये भुगतान का विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(3) राज्य सरकार/विभाग के द्वारा निम्नलिखित पदों के लिए भुगतान की दर निर्धारित की हुई है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

पदनाम	प्रतिमाह भुगतान की न्यूनतम निर्धारित दर
एड्स काउंसलर	8000 (वार्षिक वेतन वृद्धि 750 रु. प्रति वर्ष)
फार्मासिस्ट	7000
मरीज सलाहकार	5000
लैब टैक्नीशियन (एड्स)	8000 (वार्षिक वेतन वृद्धि 750 रु. प्रति वर्ष)
जी.एन.एम.	7500
कम्प्यूटर आपरेटर	6000
हैल्थ मेनेजर	25000
यशोदा	रु. 100/- प्रसूति केस अधिकतम 3500/- प्रतिमाह
यशोदा सुपरवाईजर	7500

उपरोक्त के अतिरिक्त शेष पदों के भुगतान की दर राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, पाली की राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के द्वारा निर्धारित की गई है।

(4) राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, पाली के सफाई के ठेके की अवधि, ठेकेदारों फर्म का नाम, जारी आदेश का दिनांक एवं ठेके की राशि का विवरण परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

आदेशों की छाया प्रति परिशिष्ट-स पर प्रस्तुत है।

(5) निदेशालय स्तर के दिशा-निर्देशों के अनुसार लगाये गये कर्मचारियों को राज्य सरकार/विभाग के द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान किया जा रहा है। जो कर्मचारी राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, पाली के द्वारा लगाये गये हैं उनका भुगतान राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, पाली के द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार किया जा रहा है।

(6) निदेशालय स्तर के दिशा-निर्देशों के अनुसार लगाये गये कर्मचारियों को राज्य सरकार/विभाग के द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान किया जाता है। जो कर्मचारी राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटियों के द्वारा लगाये जाते हैं उनका निर्णय राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटियों के द्वारा लिया जाता है उनका भुगतान उनके निर्णयानुसार किया जाता है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहाजपुर (भीलवाड़ा) में स्थानान्तरित चिकित्सक

9. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दिनांक 1 जनवरी, 2009 से जनवरी, 2011 तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जहाजपुर (भीलवाड़ा) से कितने चिकित्सकों को हटाया गया व कितने चिकित्सकों को पदस्थापित किया गया एवं पदस्थापित चिकित्सकों में से किस-किस चिकित्सक ने कब-कब उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कार्य ग्रहण किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जहाजपुर (भीलवाड़ा) में स्थानान्तरित चिकित्सकों में से किन-किन चिकित्सकों ने अन्य स्थान से कार्यमुक्त नहीं होने के कारण कार्य ग्रहण नहीं किया? इन्हें कार्यमुक्त नहीं करने के क्या कारण रहे एवं कब तक कार्यमुक्त होकर ये जहाजपुर में कार्य ग्रहण कर लेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहाजपुर (भीलवाड़ा) से 1 जनवरी, 2009 से जनवरी, 2011 तक 7 चिकित्सकों का स्थानान्तरण अन्य चिकित्सा संस्थानों में किया गया एवं अन्य चिकित्सा संस्थानों से 6 चिकित्सकों को स्थानान्तरण कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जहाजपुर में लगाया गया जिनमें से 4 चिकित्सकों के द्वारा कार्य ग्रहण किया गया है एवं 2 चिकित्सक के द्वारा कार्य ग्रहण नहीं किया गया। जिसका विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) डा. रितेश शर्मा अर्जेन्ट टेम्प्रेरी बेसिस चिकित्सा अधिकारी के नियुक्ति आदेश में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि आदेश प्रसारित होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि के भीतर-भीतर कार्य ग्रहण करना होगा अन्यथा उनके नियुक्ति आदेश स्वत: ही निरस्त माने जावेंगे।

डा. मनोज कुमार बासेर चिकित्सा अधिकारी को आदेश दिनांक 11.02.2011 के द्वारा अनुबंध पर उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में लगाया गया है। उनको कार्य ग्रहण करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया है। उक्त अवधि में कार्यभार न संभालने की स्थिति में उनके नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माने जायेंगे।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

मारवाड़ जंक्शन के दोषपूर्ण मीटर

10. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में कितने बिजली मीटर बंद, जले हुये तथा खराब स्थिति में हैं? गांव वार, उपभोक्ता का नाम, मीटर नम्बर, मीटर खराब/बंद होने की तिथि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बिजली के मीटर जलने, खराब तथा बंद रहने की जानकारी विभाग के पास होने के बावजूद भी उन मीटरों को नहीं बदले जाते? यदि हां, तो क्यों?

(3) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में वर्ष 2008 से 2010 तक किन-किन कार्यालयों में कब-कब तथा कितने बिजली के नये मीटर उपलब्ध करवाये गये? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त अवधि में विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के किन-किन गांवों में किस-किस उपभोक्ता के खराब मीटर के स्थान पर नया मीटर लगाया गया? गांव वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में बंद अथवा खराब पड़े मीटरों को बदलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में वर्तमान में सिंगल फेज के 1971 एवं थ्री फेज के 73 बिजली के मीटर बन्द, जले हुए तथा खराब स्थिति में हैं। उनका गांववार उपभोक्ताओं के मीटर खराब/बन्द हैं, का संख्या विवरण प्रपत्र "अ-1" एवं "अ-2" पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। बिजली के मीटर जलने, खराब तथा बन्द रहने की जानकारी विभाग को प्राप्त होने के पश्चात् मीटरों को बदलने की कार्यवाही की जाती है।

(3) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की परिसीमा में आने वाले कार्यालयों (उपखण्डों) में वर्ष 2008 से 2010 तक सिंगल फेज के 20711 एवं थ्री फेज के 2291 बिजली के नये मीटर उपलब्ध करवाये गये। जिसका वर्षवार विवरण प्रपत्र ब-1 एवं ब-2 पर उपलब्ध है।

(4) उक्त अवधि में विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में सिंगल फेज के 6465 एवं थ्री फेज के 1328 खराब मीटर के स्थान पर नये मीटर लगाये गये। गांववार संख्या विवरण प्रपत्र स-1 व स-2 पर उपलब्ध है।

(ऊर्जा मंत्री)

(5) जी हां। विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में बन्द अथवा खराब पड़े मीटरों को सतत प्रक्रिया के तहत शीघ्र बदलने की कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बाली में कृषकों को घरेलू कनेक्शन

11. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाली के गांव, ढाणियों व कस्बों में अपने कुएं/बेरों पर सपरिवार निवास कर रहे किसानों को डोमेस्टिक कनेक्शन जारी किये हुए हैं तथा असंख्य किसानों द्वारा इस प्रयोजनार्थ डिमाण्ड राशि भी जमा कराई हुई है? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक स्थानीय विद्युत कार्यालयवार ऐसे बकाया प्रकरणों का नाम, पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त किसानों के लिये अभी तक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर नहीं रखे गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या राज्य सरकार कुएं/बेरों पर रहने वाले डोमेस्टिक कनेक्शन धारी किसानों के लिये चौबीस घंटे डोमेस्टिक विद्युत सप्लाई की दृष्टि में संबंधित कार्यालयों को सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एवं पर्याप्त आवश्यक माल मेटेरियल उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बाली के गांव, ढाणियों व कस्बों में अपने कुएं/बेरों पर सपरिवार निवास कर रहे किसानों को 892 घरेलू कनेक्शन जारी किये हुए हैं। इस प्रयोजनार्थ ऐसे 47 किसान जिनके मांग पत्र घरेलू कनेक्शन हेतु जमा हैं जिनका स्थानीय विद्युत कार्यालयवार नाम व पते सहित विवरण प्रपत्र "अ" पर उपलब्ध है।

(2) कुएं/बेरों पर रहने वाले डोमेस्टिक कनेक्शनधारी 892 किसानों को वर्तमान में स्थापित थ्री फेज ट्रासफार्मर से नियमानुसार ब्लाकवार दी जा रही विद्युत से सिंगल फेज विद्युत आपूर्ति की जा रही है तथा इनको निरन्तर विद्युत आपूर्ति हेतु सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य प्रगति पर है, ऐसे कनेक्शनधारियों का विवरण प्रपत्र "ब" पर उपलब्ध है।

नये 47 आवेदक जिनके मांग पत्र की राशि जमा है, उनके विद्युत संबंध हेतु सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पूर्व में स्थापित होने के कारण नये ट्रांसफार्मर लगाने की आवश्यकता नहीं है।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) राज्य सरकार द्वारा कुएं/बेरों पर रहने वाले डोमेस्टिक कनेक्शनधारी किसानों के लिए डोमेस्टिक विद्युत सप्लाई देने हेतु सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एवं पर्याप्त माल मेटेरियल संबंधित कार्यालयों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जा रहा है तथा स्थापित सिंगल फेस ट्रांसफार्मर से अधिकतम 500 मीटर की दूरी पर स्थित पूर्व घरेलू कनेक्शनों को जिन फीडरों पर विद्युत क्षति 20 प्रतिशत से कम है पर उपलब्धतानुसार 24 घंटे विद्युत आपूर्ति दी जा रही है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. में लम्बित कृषि विद्युत कनेक्शन

12. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. द्वारा कब तक के कृषि विद्युत कनेक्शन आवेदकों को विद्युत कनेक्शन दे दिया गया है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2008 से जनवरी, 2011 तक कृषि कनेक्शन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया है? यदि हां, तो ऐसे उपभोक्ताओं को सरकार कब तक विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) अजमेर डिस्काम में राज्य सरकर की नीति के अनुसार दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 तक के सामान्य श्रेणी के आवेदित कृषि पत्रावलियों के मांग पत्र जारी किये जा चुके हैं। जिन आवेदकों के मांग पत्र जमा हैं, उनको सामान की उपलब्धता के अनुसार नियमानुसार कनेक्शन दिये जा रहे हैं। अनुसूचित जाति के आवेदकों को तुरन्त प्राथमिकता से कृषि कनेक्शन दिये जा रहे हैं। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के जनजाति के आवेदकों को भी तुरन्त प्राथमिकता से कृषि कनेक्शन दिये जा रहे हैं। सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को जारी कनेक्शनों का जिलेवार विवरण क्रमश: प्रपत्र "अ" "ब" व "स" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। राज्य में दिनांक 31.12.2007 तक के आवेदित सामान्य श्रेणी के सभी आवेदनों के मांग पत्र जारी किये जा चुके हैं तथा इन्हें नियमानुसार कनेक्शन दे दिये गये हैं/दिये जा रहे हैं।

राज्य में जनवरी, 2008 से दिसम्बर, 2010 तक सामान्य श्रेणी के लगभग

(ऊर्जा मंत्री)

231744 आवेदन प्राप्त हुए हैं, इन्हें विद्युत एवं संसाधनों की उपलब्धता एवं निर्धारित वार्षिक लक्ष्यानुसार आगामी वर्षों में नियमानुसार कनेक्शन दिये जा सकेंगे।

कृषि नीति में जिन संवर्गों को तुरन्त प्राथमिकता का प्रावधान है, उन्हें नियमानुसार कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति श्रीमाधोपुर (सीकर) परिसर में निर्मित दुकानें

13. **श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत** (चित्तौड़गढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला सीकर की पंचायत समिति श्रीमाधोपुर के पंचायत समिति परिसर में दुकानों का निर्माण करवाया गया है? यदि हां, तो इन दुकानों के निर्माण का वर्ष एवं व्यय की गई राशि का विवरण दुकानवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त दुकानों के आवंटन के नियम बने हुए हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या उक्त दुकानों का आवंटन नियमानुसार किया गया है? यदि हां, तो दुकानवार आवंटन का नियमानुरूप कारण सहित आबंटियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त दुकानों को कब व किस-किस को आवंटित की गई एवं उसका मासिक आधार पर कितना-कितना किराया वसूल किया जा रहा है एवं किस-किस द्वारा किराया कब-कब से जमा नहीं करवाया जा रहा है? सरकार द्वारा उनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला सीकर की पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर के पंचायत समिति परिसर में दुकानों का निर्माण करवाया गया है। इन दुकानों के निर्माण का वर्ष एवं व्यय की राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-क)

(2) जी हां। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 164 की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है (परिशिष्ट-ख)। जी हां। उक्त दुकानों के आवंटन हेतु कमेटी का गठन कर खुली बोली से आवंटन नियमानुसार किया गया है।

दुकानवार आवंटन का पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है (परिशिष्ट-ग)।

(पंचायती राज मंत्री)

(3) उक्त दुकानें जिनको जब आवंटित की गई उसका विवरण परिशिष्ट-घ पर, दुकानों का मासिक आधार पर वसूल किये जा रहे किराये का विवरण परिशिष्ट-ड पर, जिन आबंटियों द्वारा राशि जमा नहीं करवाई जा रही है उनका विवरण परिशिष्ट-च पर सदन की मेज पर रख दिया गया है। जिन आबंटियों ने किराया जमा नहीं कराया है उनको मई 2010 में एवं जून, 2010 में अन्तिम नोटिस दिये गये हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला प्रमुखों व प्रधानों द्वारा कराये गये कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण

14. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार जिला प्रमुख व प्रधानों द्वारा कराये जाने वाले कार्यों व वित्तीय अधिकारों का सामाजिक अंकेक्षण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस नियम/प्रक्रिया के तहत?

(2) क्या सरकार सरपंचों की तरह जिला प्रमुख/प्रधानों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण सुनिश्चित हो इस हेतु कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रधानों को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-33(जी) में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वालों को एक वर्ष में पच्चीस हजार रुपये तक की राशि तथा अधिनियम की धारा-35(एफ) में जिला प्रमुख को एक वर्ष में एक लाख रुपये की कुल राशि तक स्वीकृत करने की शक्ति है। यह स्वीकृतियां बहुत कम होती हैं अत: इनके सामाजिक अंकेक्षण के लिए कोई नियम नहीं बनाये गये हैं।

प्रधान/प्रमुख को इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि खर्च करने का अधिकार नहीं है।

(2) सामाजिक अंकेक्षण विभिन्न योजनाओं में किये गये कार्यों का होता है। पंचायती राज अधिनियम की धारा 7(आई) में वार्ड सभा द्वारा तथा धारा 8(ई) में ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण के प्रावधान है। विभाग की ओर से सामाजिक अंकेक्षण निर्देशिका भी अप्रैल, 2007 में जारी की हुई है। जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र (ग्राम

(ग्रामीण विकास मंत्री)

पंचायत) के सभी कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किया जा सकता है। चाहे उनकी कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद्, कोई भी हो।

प्रदेश में रात्रिकालीन विधि कालेजों की स्थापना

15. **श्री सुखराम** (बसेड़ी) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में विधि विषय के कितने कालेज संचालित हैं तथा इनमें से कितने-कितने सरकारी व निजी हैं एवं ये किस-किस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कालेजों में से कितने कालेज प्रात:कालीन/सायंकालीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार कामकाजी व्यक्तियों के लिए रात्रिकालीन विधि कालेज खोलने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) राज्य में प्रति वर्ष कितने बच्चों को कानून की शिक्षा दी जा रही है?

उत्तर

(1) राज्य में विधि विषय के 59 महाविद्यालय संचालित हैं। इनमें से 15 सरकारी क्षेत्र में एवं 44 निजी क्षेत्र में हैं। राज्य में विधि महाविद्यालयों की विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता का विवरण संलग्नक "अ" एवं "ब" संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) उक्त विधि महाविद्यालयों में से 15 राजकीय विधि महाविद्यालय प्रात:कालीन एवं 37 निजी विधि महाविद्यालय प्रात:कालीन तथा 7 निजी महाविद्यालय सायंकालीन संचालित हैं। विवरण संलग्नक "अ" एवं "ब" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) रात्रिकालीन विधि महाविद्यालय खोलने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(4) वर्तमान में राजकीय एवं निजी विधि महाविद्यालयों में कुल 11607 विद्यार्थियों को कानून की शिक्षा दी जा रही है।

परिशिष्ट-अ

राजस्थान राज्य में संचालित राजकीय विधि महाविद्यालय की सूची

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	समय	छात्रसंख्या
1.	राज. विधि महा. अजमेर	अजमेर	प्रात:कालीन	588
2.	राज. विधि महा. बीकानेर	बीकानेर	प्रात:कालीन	559
3.	राज. विधि महा. भरतपुर	जयपुर	प्रात:कालीन	369
4.	राज. विधि महा. अलवर	जयपुर	प्रात:कालीन	507
5.	राज. विधि महा. कोटा	कोटा	प्रात:कालीन	538
6.	राज. विधि महा. श्रीगंगानगर	बीकानेर	प्रात:कालीन	257
7.	राज. विधि महा. सीकर	जयपुर	प्रात:कालीन	470
8.	राज. विधि महा. सिरोही	उदयपुर	प्रात:कालीन	73
9.	राज. विधि महा. बूंदी	कोटा	प्रात:कालीन	39
10.	राज. विधि महा. धौलपुर	जयपुर	प्रात:कालीन	145
11.	राज. विधि महा. भीलवाड़ा	अजमेर	प्रात:कालीन	274
12.	राज. विधि महा. नागौर	अजमेर	प्रात:कालीन	35
13.	राज. विधि महा. चूरू	बीकानेर	प्रात:कालीन	240
14.	राज. विधि महा. पाली	अजमेर	प्रात:कालीन	185
15.	राज. विधि महा. झालावाड़	कोटा	प्रात:कालीन	70
	योग			**4349**

ह./-

संयुक्त निदेशक

परिशिष्ट-ब

राजस्थान राज्य में निजी क्षेत्र में संचालित विधि महाविद्यालय

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्धक वि.वि.	समय	छात्रसंख्या
1	2	3	4	5
1.	नेहरू मेमोरी लॉ कालेज, हनुमानगढ़	महाराजा गंगा सिंह विवि, बीकानेर	प्रात:कालीन	700
2.	डा. नगेन्द्र सिंह लॉ कालेज, बांसवाड़ा	मोहन लाल सुखाडिया वि.वि., उदयपुर	सायंकालीन	59
3.	विद्यास्थली लॉ कालेज, जयपुर	राज. वि.वि., जयपुर	प्रात:कालीन	350
4.	श्री कृष्ण एकेडमी आफ लीगल एज्यूकेशन, अलवर	राज. वि.वि., जयपुर	प्रात:कालीन	300
5.	ज्ञान विधि महाविद्यालय, बीकानेर	महाराजा गंगा सिंह वि.वि., बीकानेर	प्रात:कालीन	310
6.	रवीन्द्रनाथ टैगोर विधि महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़	मोहन लाल सुखाड़िया वि.वि., उदयपुर	प्रात:कालीन	200
7.	दौसा विधि महाविद्यालय, दौसा	राज. वि.वि., जयपुर	प्रात:कालीन	125
8.	महर्षि दयानन्द लॉ कालेज, जयपुर	राज. वि.वि., जयपुर	प्रात:कालीन	425
9.	महावीर विधि महाविद्यालय, जयपुर	राज. वि.वि., जयपुर	प्रात:कालीन	
10.	आकाशदीप महिला महाविद्यालय, जयपुर	राज. वि.वि., जयपुर	प्रात:कालीन	40

1	2	3	4	5
11.	भगवान महावीर विधि महाविद्यालय एवं रिसर्च सेन्टर, जयपुर	राज. वि.वि., जयपुर	प्रात:कालीन	200
12.	शहीद भगतसिंह विधि महाविद्यालय, झोटवाड़ा, जयपुर	राज. वि.वि., जयपुर	सायंकालीन	360
13.	राजधानी लॉ कालेज, जयपुर	राज. वि.वि., जयपुर	प्रात:कालीन	350
14.	सेन्ट बिलफ्रेड कालेज आफ लॉ, जयपुर	राज. वि.वि., जयपुर	प्रात:कालीन	100
15.	सेठ मोती लाल विधि महा., झुंझुनूं	राज. वि.वि., जयपुर	प्रात:कालीन	
16.	महिला विधि महाविद्यालय, जोधपुर	जयनारायण वि.वि., जोधपुर	प्रात:कालीन	90
17.	सरदार पटेल विधि महाविद्यालय, करौली	कोटा वि.वि., कोटा	प्रात:कालीन	
18.	शहीद भगत सिंह विधि महाविद्यालय, सीकर	राज. वि.वि., जयपुर	सायंकालीन	120
19.	श्री गुरूनानक खालसा विधि महा., श्रीगंगानगर	महाराजा गंगा सिंह वि.वि., बीकानेर	प्रात:कालीन	550
20.	महर्षि दयानन्द विधि महाविद्यालय, श्रीगंगानगर	महाराजा गंगा सिंह वि.वि., बीकानेर	प्रात:कालीन	
21.	राजीव गांधी विधि महा. टोंक	एम.डी.ए. वि.वि., अजमेर	प्रात:कालीन	175
22.	डा. अम्बेडकर विधि महा., उदयपुर	एम.डी.ए. वि.वि., अजमेर	प्रात:कालीन	50
23.	भूपाल नोबल्स विधि महा., उदयपुर	मोहन लाल सुखाड़िया वि.वि., उदयपुर	प्रात:कालीन	189

1	2	3	4	5
24.	डा. अनुष्का विधि महाविद्यालय, उदयपुर	मोहन लाल सुखाड़िया वि.वि., उदयपुर	प्रात:कालीन	70
25.	वर्द्धमान विधि महाविद्यालय, उदयपुर	मोहन लाल सुखाड़िया विवि, उदयपुर	प्रात:कालीन	160
26.	अजमेर लॉ कालेज, अजमेर	एम.डी.ए. वि.वि., अजमेर	प्रात:कालीन	
27.	टैगोर पब्लिक विधि कालेज, कोटपूतली, जयपुर	राज. वि.वि., जयपुर	प्रात:कालीन	150
28.	श्री भवानी निकेतन विधि महा., जयपुर	राज. वि.वि., जयपुर	प्रात:कालीन	350
29.	भारत लॉ कालेज, विद्याधर नगर, जयपुर	राज. वि.वि., जयपुर	सायंकालीन	450
30.	राजस्थान लॉ कालेज, चिड़ावा	राज. वि.वि., जयपुर	प्रात:कालीन	
31.	वीणा मेमोरियल लॉ कालेज, करौली	कोटा वि.वि., कोटा	सायंकालीन	130
32.	सेठ गिरधारी लाल दिहाणी सनातन धर्म विधि महा. श्रीगंगानगर	महाराजा गंगा सिंह वि.वि., बीकानेर	प्रात:कालीन	550
33.	आशापूर्ण विधि महा., जालौर	एम.डी.ए. वि.वि., अजमेर	सायंकालीन	120
34.	शहीद कैप्टन रिपुदमन विधि महा., सवाईमाधोपुर	कोटा वि.वि., कोटा	प्रात:कालीन	95
35.	सेठ जयनारायण गुप्ता महिला विधि महा., भीटेड़ा, अलवर	राज. वि.वि., जयपुर	प्रात:कालीन	
36.	सेठ बहादुरमल जसकरण सिद्धकरण रामपुरिया जैन विधि महा., बीकानेर	महाराजा गंगा सिंह वि.वि., बीकानेर	प्रात:कालीन	400

1	2	3	4	5
37.	श्री कृष्ण लॉ कालेज, कोटपूतली	राज. वि.वि., जयपुर	सायंकालीन	180
38.	सिद्धि विनायक लॉ, कालेज, अलवर	राज. वि.वि., जयपुर	प्रात:कालीन	
39.	चौधरी विधि महा., सादुलपुर-राजगढ़, चूरू	महाराजा गंगा सिंह वि.वि., बीकानेर	प्रात:कालीन	
40.	जीन इंस्टीट्यूट आफ लॉ, बहरोड़, अलवर	राज. वि.वि., जयपुर	प्रात:कालीन	
41.	आईडियल लॉ कालेज, राजगढ़, चूरू	महाराजा गंगा सिंह वि.वि., बीकानेर	प्रात:कालीन	चालू नहीं
42.	आदर्श विधि महाविद्यालय, तारानगर, चूरू	महाराजा गंगा सिंह वि.वि., बीकानेर	प्रात:कालीन	चालू नहीं
43.	एस.एस. जैन सुबोध विधि महा., जयपुर	राज. वि.वि., जयपुर	प्रात:कालीन	
44.	महर्षि दधिचि विधि महा., जयपुर	राज. वि.वि., जयपुर	प्रात:कालीन	30
			योग	**7358**

प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण

16. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या मत्स्य पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के जलाशयों के सर्वेक्षण एवं अनुसंधान हेतु उदयपुर में सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्यालय की स्थापना कब की गई?

(2) क्या यह सही है कि मत्स्य पालन में नवीनतम तकनीक का मत्स्य पालक विकास अभिकरणों के मत्स्य कृषकों तथा जनजाति के प्रायोजित मछुआरों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है? यदि हां, तो अब तक जाखम, माही, जयसमंद, सोम कमला, आम्बा, सोम कागदर एवं तहसील कोटड़ा के जलाशयों में मत्स्य सम्पदा की बीमारियों, जलाशयों की मिट्टी व पानी की जांच, मत्स्य प्रजातियों की उपलब्धता का आंकलन कर उचित मत्स्य बीज संग्रहण हेतु सुझाव व कितने लोगों को प्रशिक्षित किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) मत्स्य पालक विकास अभिकरण किस-किस जिले में संचालित हैं? संचालित मत्स्य पालक कृषकों को प्रशिक्षण देने का क्या प्रावधान है और गत दो वित्तीय वर्षों में प्रशिक्षण कहां-कहां और कितने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देकर लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) पुराने जलाशय का मछली पालन हेतु जीर्णोद्धार के अन्तर्गत गत दो वर्षों में किस-किस जिले के किस जलाशय को जीर्णोद्धार के लिये चयनित किया गया? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि जलाशय के जीर्णोद्धार हेतु अनुसूचित जाति/ जनजाति के मत्स्य कृषकों के लिये सरकार द्वारा सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है? यदि हां, तो गत दो वर्षों में उप योजना क्षेत्र के किन-किन जनजाति मत्स्य कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है?

उत्तर

(1) राज्य के जलाशयों के सर्वेक्षण एवं अनुसंधान हेतु उदयपुर में सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्यालय की स्थापना वर्ष 1971 में की गई।

(2) जी हां। मत्स्य पालन में नवीनतम तकनीकी का मत्स्य पालक विकास अभिकरणों के मत्स्य कृषकों तथा जनजाति के प्रायोजित मछुआरों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है।

अब तक जाखम, माही, जयसमंद, सोमकमला आम्बा, सोमकागदर एवं

(मत्स्य पालन मंत्री)

तहसील कोटड़ा के जलाशयों में मत्स्य सम्पदा की बीमारियों, के संबंध में प्राप्त सूचना, जलाशयों में मिट्टी एवं पानी की जांच, राज्य की विभिन्न प्रजाति की उपलब्धता के अनुसार समय-समय पर मत्स्य बीज संग्रहण तथा मत्स्य संपदा के संवर्धन हेतु सुझाव दिये जाते रहे हैं। जनजाति क्षेत्र में वर्षवार प्रशिक्षण की सूचना संलग्न प्रपत्र-1 में दर्शायी गयी है।

(3) राज्य में निम्न 15 जिलों में मत्स्य पालक विकास अभिकरण संचालित है।

1 अजमेर 2 अलवर 3 बांसवाड़ा 4 भरतपुर 5 भीलवाड़ा 6 चित्तौड़गढ़ 7 डूंगरपुर 8 हनुमानगढ़ 9 जयपुर 10 झालावाड़ 11 कोटा 12 पाली 13 सवाईमाधोपुर 14 टोंक 15 उदयपुर।

मत्स्य पालक विकास अभिकरण द्वारा संबंधित जिले के इच्छुक व्यक्तियों के आवेदन पत्र आमंत्रित कर जिला कलक्टर से अनुमोदन पश्चात् मत्स्य प्रशिक्षण दिया जाता है।

गत दो वर्षों में मत्स्य पालक विकास अभिकरणों द्वारा दिये गये मत्स्य प्रशिक्षण की सूचना संलग्न प्रपत्र-2 में है।

(4) गत दो वर्षों में किसी भी जिले में पुराने जलाशयों का मछली पालन हेतु जीर्णोद्धार के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये। अत: जीर्णोद्धार नहीं किया गया।

(5) जी हां। जलाशय के जीर्णोद्धार हेतु अनुसुचित जाति व जनजाति के मत्स्य कृषकों के लिए सरकार द्वारा सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती है।

गत दो वर्षों में मत्स्य पालक विकास अभिकरणों के पास जीर्णोद्धार के कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए। अत: आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गई है।

प्रपत्र-1

मत्स्य विभाग

जनजाति क्षेत्र में प्रशिक्षित मत्स्य कृषकों के प्रशिक्षण की सूचना

वर्ष	बांसवाड़ा	डूंगरपुर	उदयपुर
1	2	3	4
1977-78	57	86	27
1981-82	23	59	—
1982-83	109	11	11
1984-85	63	—	—
1988-89	69	57	64
1989-90	280	235	276
1990-91	275	121	255
1991-92	313	112	168
1992-93	177	62	74
1993-94	107	49	78
1994-95	182	123	26
1995-96	76	72	107
1996-97	82	61	68
1997-98	50	43	32
1998-99	22	—	26
1999-2000	35	35	15
2000-2001	06	—	—
2001-2002	33	44	70
2002-2003	131	108	72
2003-2004	108	71	105
2004-2005	102	79	112
2005-2006	—	—	125
2006-2007	104	68	85

1	2	3	4
2007-2008	258	97	145
2008-2009	209	75	89
2009-2010	145	96	140
2010-2011	34	53	41
योग	**3050**	**1817**	**2291**

प्रपत्र-2

मत्स्य विभाग

गत दो वर्षों में दिये गये मत्स्य प्रशिक्षण की सूचना

क्र. सं.	स्थान	वर्ष 2008-09	वर्ष 2009-10
1.	अजमेर	117	151
2.	अलवर	24	42
3.	बांसवाड़ा	209	145
4.	भरतपुर	84	85
5.	भीलवाड़ा	106	117
6.	चित्तौड़गढ़	45	62
7.	डूंगरपुर	75	96
8.	हनुमानगढ़	42	48
9.	जयपुर	29	39
10.	झालावाड़	85	100
11.	कोटा	100	85
12.	पाली	45	117
13.	सवाईमाधोपुर	96	00
14.	टोंक	99	47
15.	उदयपुर	89	140
	योग	**1245**	**1274**

नरेगा योजना में तहसीलवार आवंटित राशि

17. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार को नरेगा से वर्ष 2010 में केन्द्र सरकार से कितनी राशि प्राप्त हुई है? प्राप्त राशि में से किस-किस तहसील में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई तथा प्राप्त राशि में से कितनी राशि व्यय करना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि में से कितनी-कितनी, किस-किस कार्य में व्यय की गई? विवरण तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार को नरेगा से वर्ष 2010 में केन्द्र सरकार से कुल राशि रुपये 450592 लाख प्राप्त हुई है। प्राप्त राशि में से जिलों को राशि रुपये 425793.69 लाख का आबंटन किया गया है एवं राशि रुपये 24798.31 लाख राज्य सरकार के पास राजस्थान रोजगार गारंटी निधि में शेष है। योजना के प्रावधानों के अनुसार राज्य से राशि का आबंटन जिलों को किया जाता है एवं जिलों द्वारा आवश्यकतानुसार राशि पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत को दी जाती है। जिलेवार व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) योजनान्तर्गत व्यय की गयी सम्पूर्ण राशि अधिनियम में वर्णित अनुमत कार्यों पर व्यय की गई है। कार्यों की संख्या लाखों में होने के कारण कार्यवार व्यय की सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है। योजनान्तर्गत जिलेवार श्रम एवं सामग्री मद पर व्यय विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

Annexure-1
(Rupees in Lakhs)

Financial Performance Under NREGA (till the reporting FN)

S. No.	District	Month	Fort Night	Cumulative Expenditure					Total
				On Wages	On Semi-Skilled and Skilled Wages	On Material	Administrative Expenses		
							Recurring	Non Recurring	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	AJMER	Jan	1st	13526.8	335.5	593.27	213.21	5.42	14674.2
2.	ALWAR	Jan	1st	3798.88	167.25	678.65	334.41	55.67	5034.86
3.	BANSWARA	Jan	1st	10818.9	895.96	2742.1	308.27	82.51	14847.8
4.	BARAN	Jan	1st	3425.78	275.46	698.48	232.87	11.68	4644.27
5.	BARMER	Jan	2nd	12156.1	278.51	1574.96	429.19	4.3	14443
6.	BHARTPUR	Jan	1st	3570.78	72.75	326.71	280.53	23.52	4274.29
7.	BHILWARA	Jan	2nd	12962.3	687.51	3078.43	317.22	137.93	17183.4
8.	BIKANER	Jan	1st	6991.2	150.7	6069.6	305	50	13566.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	BUNDI	Jan	2nd	4008.07	164.14	755.93	201.24	40.16	5169.54
10.	CHITTAURGARH	Jan	1st	6167.96	180.72	630.02	174.79	61.32	7214.81
11.	CHURU	Jan	2nd	7467.95	590.17	2996.66	298.09	16	11368.9
12.	DAUSA	Jan	1st	2670.51	14.29	765.82	186.21	75.87	3712.7
13.	DHAULPUR	Jan	2nd	1278.06	56.95	296.25	128.48	6.13	1765.87
14.	DUNGARPUR	Jan	2nd	7365.68	461	1630.84	221.62	12	9691.15
15.	GANGANAGAR	Jan	1st	5640.37	245.66	2154	291.06	35.65	8366.74
16.	HANUMANGARH	Jan	2nd	5582.43	234.55	1861.35	325.5	39.74	8043.57
17.	JAIPUR	Jan	2nd	11428	232.82	2999.78	436.65	189.3	15286.6
18.	JAISALER	Jan	2nd	2033.45	26.31	984.5	14.9	196.86	3256.02
19.	JALOR	Jan	1st	4502.71	178.91	749.58	341.16	22.86	5795.22
20.	JHALAWAR	Jan	1st	2208.63	91.18	688.81	236.9	4.11	3229.62
21.	JHUNJHUNU	Jan	2nd	2181.14	105.12	309.32	319.78	3.24	2918.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	JODHPUR	Dec	1st	9296.6	232.49	598.31	355.45	67.34	10550.2
23.	KARAULI	Jan	2nd	3481.42	86.01	781.2	174.8	15.05	4538.48
24.	KOTA	Jan	1st	3285.53	139.24	446.72	126.61	49.94	4048.04
25.	NAGAUR	Jan	1st	9212.02	465.39	1522.83	400.33	58.82	11659.4
26.	PALI	Jan	2nd	8691.28	381.49	684.16	268.22	65.34	10090.5
27.	PRATAPGARH	Jan	1st	3901.91	121.6	1160.86	98.5	9.07	5291.94
28.	RAJSAMAND	Jan	1st	3842.14	174.55	613.88	192.72	11.5	4834.79
29.	S_MADHOPUR	Jan	1st	2860.16	36.05	455.33	140.69	22.1	3514.33
30.	SIKAR	Jan	2nd	3589.88	145	916.72	282.66	4	4938.26
31.	SIROHI	Jan	2nd	3335.48	262.83	723.6	0	193.01	4514.92
32.	TONK	Jan	1st	3923.34	103.96	622.73	230.89	16.87	4897.79
33.	UDAIPUR	Jan	2nd	9446.93	837.04	4150.5	555.22	120.72	15110.4
			Total	**194652**	**8431.1**	**45261.9**	**8423.17**	**1708.03**	**258477**

ग्राम रोजगार सहायकों के मानदेय में वृद्धि

18. श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत कार्यरत ग्राम रोजगार सहायक का मानदेय बहुत ही कम है? क्या सरकार इनका मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। ग्राम रोजगार सहायक को प्रतिमाह रुपये 3500/- का मानदेय देय है। इनका मानदेय 1 अप्रैल, 2010 से ही रुपये 2500/- से बढ़ा कर रुपये 3500/- प्रतिमाह किया गया है। संविदाकर्मी के साथ निष्पादित वार्षिक अनुबंध की शर्तों के अनुसार मानदेय में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का प्रावधान है।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-2 का विवरण)

कार्यालय जिला परिषद्, चित्तौड़गढ़

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	पदनाम	पंचायत समिति बेगूं			पंचायत समिति गंगरार			पंचायत समिति भैसरोडगढ़			विधान सभा क्षेत्र बेगूं की 3 पं. स. में कुल पदों का विवरण		
		स्वी. पद	कार्यरत	रिक्त पद	स्वी. पद	कार्यरत	रिक्त पद	स्वी. पद	कार्यरत	रिक्त पद	स्वी. पद	कार्यरत	रिक्त पद
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1.	विकास अधिकारी	1	01	1	1	1	0	1	1	0	3	2	1
2.	पंचायतप्रसार अधिकारी	1	1	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0
3.	प्रगति प्रसार अधिकारी	1	0	1	1	0	1	1	0	1	3	0	3
4.	कनिष्ठ अभियन्ता	2	1	1	1	1	0	2	0	2	5	2	3
5.	लेखाकार	1	0	1	1	1	0	2	0	2	4	1	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	वरिष्ठ लिपिक	3	3	0	1	1	0	2	2	0	6	6	0
7.	कनिष्ठ लिपिक	1	1	0	1	0	1	1	0	1	3	1	2
8.	ग्राम सेवक	31	30	1	21	20	1	23	23	0	75	73	2
9.	वाहन चालक	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
10.	सहायक कर्मचारी	3	3	0	2	2	0	3	3	0	8	8	0
11.	हैण्डपम्प मिस्त्री	15	14	1	12	9	3	9	8	1	36	31	5
12.	हैण्डपम्प फिटर	1	1	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1
	योग	**61**	**54**	**7**	**43**	**36**	**7**	**46**	**38**	**8**	**150**	**128**	**22**

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-3 का विवरण)

प्रपत्र -अ

जिला प्रतापगढ़ में चयनित बीपीएल परिवारों का तहसीलवार विवरण

क्र. सं.	तहसील	बीपीएल परिवारों की संख्या
1.	प्रतापगढ़	19264
2.	अरनोद	9066
3.	छोटी सादड़ी	5403
4.	धरियावद	17953
5.	पीपलखूंट	12718
	योग	**64404**

प्रपत्र –ब

जिला प्रतापगढ़ में बीपीएल परिवारों का तहसीलवार विवरण

क्र. सं.	तहसील का नाम	बीपीएल परिवारों की संख्या	रागाग्राविियो में सम्मिलित परिवारों की संख्या	जारी कनेक्शनों की संख्या
1.	प्रतापगढ़	19284	19264	10437
2.	अरनोद	9066	9066	5174
3.	छोटी सादड़ी	5403	5403	4018
4.	धरियावद	17953	4992	2416
5.	पीपलखूंट	12718	12718	2227
	योग	**64404**	**51443**	**24272**